वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2015-16

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

मो./डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला

संबलपुर-768020 (ओड़िशा)

Website : www.mahanadicoal.in

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना।

लक्ष्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना।

गत दस वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें

	विवरण	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	कोयला उत्पादन	एमटी (मिलियन टन)	69.61	80.00	88.01	96.34	104.08	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38	137.90
2	कोयले का प्रेषण	एमटी (मिलियन टन)	68.22	76.42	83.63	91.28	98.13	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00	140.22
3	कोयले का विक्रय(सकल)	. करोड़	3,945.13	4,507.52	5,291.07	6,487.55	7,466.56	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	14989.05	19829.58
4	पीबीटी	. करोड़	1,837.21	2,081.39	2,504.79	2,600.91	2,950.58	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24	6260.43
5	पीएटी	. करोड़	1,256.29	1,368.45	1,643.04	1,718.03	1,946.69	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10	4184.74
6	लाभांश	. करोड़	504.00	550.50	1,000.00	1,040.00	1,169.00	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82	3608.45
7	निवल स्थिर परिसंपत्तियॉ	. करोड़	1,226.00	1,313.14	1,298.08	1,364.10	1,589.69	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48	3252.55
8	निवल मूल्य	. करोड़	3,484.16	4,223.41	4,686.72	5,188.00	5,769.60	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57	4319.26
9	दीघ अवधि ऋण	. करोड़	186.71	170.06	157.29	183.97	150.79	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90	7.21
10	नियोजित पूँजी	. करोड़	3,117.70	3,836.51	4,381.96	4,853.15	5,305.38	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55	16629.66
11	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	0.40	0.36	0.37	0.35	0.37	0.22	0.26	0.26	0.25	0.23	0.25
12	मूल्य योग	. करोड़	2,751.02	3,314.95	3,957.52	4,988.95	5,594.64	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46	11990.49
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00
14	प्रति शेयर बूक वैल्यु	.	18,691.76	22,657.67	25,143.23	27,832.48	30,952.64	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18	23171.89
15	प्रति शेयर लाभांश	.	2,703.85	2,953.31	5,364.78	5,579.37	6,271.43	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52	19358.54
16	प्रति शेयर कमाई	.	6,739.74	7,341.44	8,814.57	9,216.84	10,443.57	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97	22450.21
17	इक्यूटी शेयरों की संख्या	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009

विषय सूची

क्रम.संख्या.	विषय
1.	**प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक**
2.	**नोटिस**
3.	**अध्यक्ष का अभिभाषण**
4.	**निदेशकों का प्रतिवेदन**
5.	**कॉर्पोरेट शासन प्रतिवेदन**
6.	**प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन**
7.	**भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकर की टिप्पणी**
8.	**समझौता ज्ञापन के पैरामीटर के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट**
9.	**लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**
10.	**लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का जवाब**
11.	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का तुलना पत्र**
12.	**31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण**
13.	**तुलना पत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां**
14.	**नगद प्रवाह का विवरण**
15.	**एमसीएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की समेकित लेखा**

वर्तमान प्रबंधन

(11.07.2016 को)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए. के . झा
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ए. के. तिवारी निदेशक **(तकनीकी/प्रचालन)**
		श्री जे. पी. सिंह निदेशक (**तक./यो.एवं परियो.)**
		श्री के. के. पारिड़ा निदेशक (वित्त)
		श्री एल.एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री जसमीत सिंह बिंद्रा निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री एस. एन. प्रशाद, निदेशक **(विपणन**), सीआईएल, कोलकाता
स्वतंत्र निदेशक गण	:	श्री एच एस पति
	:	डॉ राजीब माल
स्थायी आमंत्रित	:	श्री जी. सी. राय मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री. ए.के. सिंह

2015-16 **के दौरान प्रबंधन**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	**:**	श्री ए. के. झा (01.11.2015 से लागू) श्री ए. एन. सहाय (31.10.2015 तक)
कार्यकारी निदेशक	**:**	श्री ए. के. तिवारी निदेशक **(तकनीकी/प्रचालन)** श्री जे. पी. सिंह निदेशक (**तक./यो.एवं परियो.)** श्री एल.एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक) (01.02.2016 से लागू) श्री पी. सी. पाणिग्रही निदेशक (कार्मिक) (31.01.2016 तक)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	**:**	श्री जसमीत सिंह बिंद्रा निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली श्री एस. एन. प्रशाद, निदेशक **(विपणन**), सीआईएल, कोलकाता (16.02.2016 से लागू) श्री बी.के.सक्सेना निदेशक(विपणन), सीआईएल,कोलकाता (31.01.2016 तक)
स्वतंत्र निदेशक गण	:	श्री एच एस पति **(17.11.2015)**
	:	डॉ राजीब माल **(17.11.2015)**
स्थायी आमंत्रित	**:**	श्री जी. सी. राय मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री. ए.के. सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
कैनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
युनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
एक्सीस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
ईलाहाबाद बैंक,
सिंडीकेट बैंक,
कार्पोरेशन बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,कटक

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स निरान एंड कंपनी
लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स मणि एंड कंपनी
लागत लेखाकार ,भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय

मो/.पो-.जागृति विहार,बुर्ला
संबलपुर- 768020 (ओड़िशा)
Website : www.mahanadicoal.in

सूचना

24 वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की 24 वीं सामान्य बैठक जो मूलतः 11 जुलाई 2016 सोमवार को अपराह्न 4.00 बजे पंजीकृत कार्यालय मो/.पोस्ट :जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020- मे निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित की गई ।

सामान्य कार्य:

1.स्वीकार एवं पालन करने हेतु :

क. 31 मार्च,2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च,2016 का लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का रिपोर्ट शामिल है।

ख. 31 मार्च,2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च,2016 को लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2.वित्तीय वर्ष 2015-16 को भुगतान की गई इक्वीटी शेयर पर अंतरिम लाभांश जो 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश होने की पुष्टि।

3.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री ए के तिवारी (डीआईएन 02442844) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

4.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री जे पी सिंह (डीआईएन 06620453) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

5.बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.आर.वी एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए नियुक्त किया गया था, के पारिश्रमिक की स्वीकृति देना ।

" निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (1) 142 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.आर.वी. एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेबी खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया। "

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड
ह/-
(ए .के .सिंह)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर- 768020

टिप्पणी:

1.बैठक में भाग लेने तथा अपने मतदान हेतु पात्र सदस्य अपने संस्थान पर बैठक में भाग लेकर मतदान देने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। उस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 101 के तहत अल्प अवधि की सूचना पर बैठक बुलाने के लिए सहमति देने का सदस्यों से अनुरोध किया जाता है।

अध्यक्ष का वक्तव्य

मित्रों,

श्री अनिल कुमार झा

मुझे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 24वीं वार्षिक आम बैठक में आप का वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट के साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा सी एंड एजी की रिपोर्ट एवं समीक्षा जिसे पहले ही आपको परिचालित किया गया है । निदेशकों के रिपोर्ट को संयुक्त किया गया है । आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

25 सालों की उल्लेखनीय दौर में एमसीएल लगातार अपने सभी कार्यों में सर्वोत्तम अभ्यासों और परिचालन उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है । यह मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है कि आपकी कंपनी ने 137.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन करके और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.61 % से अधिक की वृद्धि दर्ज करके कोल इंडिया लिमिटेड के नम्बर-1 अनुषंगी कंपनी होने का गौरव हासिल किया है । एमसीएल एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम (PSU) है , जिसमें ओबी(OB) हटाने कोयला ओफटेक और कोयला उत्पाद के मामलों में दोहरे अंक की वृद्धि की है । यह आपके सतत समर्थित तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है । अपने कार्यों में हमें प्रेरित करने के लिए हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों को बताने में निरंतर विश्वास, सहयोग और सदभावना हमेशा से मार्गदर्शक रहे है । कोयला वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 30% के आसपास प्रदान करता है और दुनियां की वैश्विक बिजली का 40% उत्पन्न करने में सहयोग देता है । भारतीय संदर्भ में कोयला का महत्व वैश्विक औसत की तुलना में अधिक है । कोयला 21 वीं सदी में भी ऊर्जा के मामले में अग्रणी है तथा भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देता है । कोयला के बहुतायत, आसान उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण कोयला की निर्णायक भूमिका निकट भविष्य में जारी रहने की उम्मीद है। 1 अप्रैल, 2015 में भारतीय कोयले की अनुमानित भूवैज्ञानिक संसाधन 306.59 बिलियन टन हुआ था । (स्त्रोत : कोल इंडिया लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15)

भविष्य में देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि लाने की बड़ी जिम्मेवारी है । आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कंपनी होने के नाते देश को ऊर्जा कुशल बनाने की दिशा में प्रमुख जिम्मेदारियों रखता है । हमारे प्रयासों को अच्छी तरह से पहचाना गया है और आपकी कंपनी को कई सराहनीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । हम राष्ट्र के विकास में भारत को ऊर्जा कुशल बनाने कों महतपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ।

1. 2015-16 में एमसीएल के कार्यनिष्पादन का अवलोकन:

आपकी कंपनी का प्रभावी वित्तीय परिणाम रहना जारी है । वर्ष 2015-16 में एमसीएल ने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन किया । तथ्य यह है कि आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कंपनी के रूप में उभरी है और साथ ही कोयला उत्पादन और लाभप्रदत्त के मामले में कोल इंडिया के नंबर एक अनुषंगी कंपनी के रूप में उभरी है । यह इस अवसर को बहुत ही खास बना देता है । आपकी कंपनी

ने 137.90 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रेकॉर्ड बनाया है और पिछले वर्ष की तुलना में 13.61% की वृद्धि दर्ज की है । इस अवधि के दौरान एमसीएल से 140.22 मिलियन टन कोयला निकाला गया, जो पिछले साल की तुलना में 14.01% की वृद्धि को दर्शाता है ।

चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डाला है। आपकी कंपनी ने भी उल्लेखनीय बेहतर निष्पादन किया है । आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में रू.20599.85 करोड़ (एसटीसी शामिल) रुपए का सकल विक्रय करते हुए कर पश्चात् रू 4184.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के लिए रू.1,000.00 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर रू.19358.54 के लाभांश की सिफारिश की है जो कि पिछले वर्ष रू. 20610.52 प्रति शेयर था । लाभांश रूप में कुल रू.4343.05 करोड़ निसृत हुए जिसमें सीआईएल को रू. 3608.45 करोड़ के लाभांश का भुगतान एवं लाभांश पर कर के रूप में रू. 734.60 करोड़ का भुगतान शामिल है ।

2. परियोजना प्रोफाइल:

एमसीएल में 53 स्वीकृत खनन परियोजनाएं हैं । 12514.267 करोड़ रूपये के स्वीकृत पूंजी परिव्यय के साथ इन स्वीकृति परियोजनाओं की क्षमता 259.41 एमटीवाई है । दिनांक - 25 अगस्त,2014 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तलाबिरा एवं गोपालप्रसाद ओसीपी (OCP) द्वारा खनन के लिए तलाबिरा II एवं III ओयूआर उत्कल ए-ब्लॉक क्रमश : आवटन रद्द किया गया था, तदनुसार एमसीएल के चल रहे 53 परियोजनाओं की सूची से इन दो परियोजनाओं को हटा दिया गया है । 51 परियोजनाओं में से उप परियोजनाएँ (2 कोयला रिक्त परियोजनाएं) को 2823.78 करोड़ रुपये के स्वीकृत पूंजी परिव्यय और 98.08 एमटीवाई (MTY)की क्षमता के साथ पूरा किया गया है । 126.63 एमटीवाई क्षमता वाली 17 चालू परियोजनाओं की पूंजी गत लागत 8846.90 करोड़ है ।

एक अग्रदृष्टि वाली (आगे देखने वाली) कंपनी के रूप में, एमसीएल का मानना है कि इसे सीएचपी/साईलो , आरएलएस, कंक्रीट परिवहन सड़क और रेलवे साइडिंग आदि की स्थापना कर अपनी बुनियादी संरचना के आधार को मजबूत करने की जरूरत है।

3. विविधीकरण

भावी विकास के लिए विविधीकरण और वैश्वीकरण कुंजी है । अधिकतम कोर क्षमताओं का उपयोग करते हुए और मूल सुविधा लाभ हेतु व्यापार संचालन के विस्तार के द्वारा विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए विविधीकरण आपकी कंपनी की रणनीति रही है। यह हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मूल्य निर्धारण के लिए तथा प्रचूर अवसरों का एक साथ निर्मण करने के लिए हमारी संस्था और लोगो को क्षमताओं और सामर्थ्य को संगठित करने मे मदद करता है ।

ओड़िशा के बसुंधरा,सुंदरगढ़ जिले में कोयले के भंडार के लाभकारी उपयोग की दिशा में, आपकी कंपनी ने सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ 1600(2X800) मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पवार प्लांट का विचार किया है । इस उद्देश्य से गठित महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) ने बिजली संयंत्र स्थापना की दिशा में कई मुकाम हासिल किए हैं । ईआईए अध्ययन पूरा हो चुका है । कोललिंकेज पर विचार कने के लिए केन्द्रीय विद्धुत प्राधिकरण (उर्जा मंत्रलय की नोडल एजेंसी) ने

(एमओपी) से सिफारिस की है । आगामी (ईएसी) में ईसी के अनुदान और परियोजना शुरु करने के लिए सदस्य सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ़) से अनुरोध किया गया है । "सौद्यांतिक रुप से एमबीपीएल के परियोजना को ओड़िशा सरकार की उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने मंजूरी दी है । ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति, ने एमबीपीएल के प्रस्तावित टीटीपी को हीराकुद जलाशय से 49 क्यूसेक (Cusec) पानी के आवंटन की सिफारिश की है । कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड ने काम शुरू करने के लिए पहले वर्ष के व्यय के लिए 1019 करोड़ रुपयों की मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को समग्र रुप से कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण बोर्ड में परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रेल द्वारा कोयले की निरंतर आपूर्ति हेतु अवसंरचना के विकास को ध्यान मे रखकर आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम/एसपीवीएस के गठन किया है। राष्ट्र को ऊर्जा कुशल बनाने की वचनबद्धता को पुरा करने की दिशा में एक संयुक्त उद्यम महानदी कोलफिल्ड्स रेलवे लिमिटेड संम्मिलित किया गया है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति चिह्नित करने के लिए आपकी कंपनी आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 2 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलता पूर्वक स्थापित कर चुकी है।

4. मूल्य आधारित प्रबंधन

नवाचार प्रक्रिया और नई पहल किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। एमसीएल में हमने कोयले के उत्पादन से प्रेषण तक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं। एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सरफेस माइनर या खरीद अथवा अन्य ठेके के लिए टेंडर के ई-मोड की बात आती है तब यह कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में विशेष दिखाई देती है। आपकी कंपनी असफल बोलीदाताओं /आपूर्तिकर्ताओं को बयाना राशि की ऑनलाइन वापसी शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है। आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं को 24.21 करोड़ रुपए की (15 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2016 तक) बयाना राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी गई है।

कोल इंडिया में पहली बार, एमसीएल द्वारा कोयला वाशरी स्थापित करने की निविदाओं की मूल्यांकन प्रकिया में तेजी लाने तथा निम्नतम बोलीकर्ता में मानवीय हस्तक्षेप की कमी लाते हुए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु ई-टेंडरिंग आरंभ किया गया । कोयले के आंतरिक परिवहन और उत्पादन में नियोजित प्राइवेट ट्रकों / डंपरों में जीपीएस आधारित वीटीसी (वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम) लगाया गया है । जियो-फेंस टिप, लंबे स्टॉपेजेस यात्रा की दूरी आदि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न रेपोर्टों को देखने के साथ-साथ इन वाहनो की लाइव ट्रेकिंग कंपनी की वेब साइट पर उपलब्ध हैं । परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतः उत्पन्न एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए प्रणाली में प्रावधान है । जियो फेंस पार करने वाले वाहनों पर नजर रखने हेतु रास्तों सहित खान सीमा में जियो-फेंस लगाए गए है। एमसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं । 22 रेलवे साइडिंग में विडीयो निगरानी कैमरा लगाए गए है । स्थायी व स्टटिक रोड वे ब्रिजों में पूर्ण निगरानी व नियंत्रण हेतु आईपी कैमरे लगाए गए हैं । डीजल चोरी रोकने के लिए ईंधन

प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है । कंपनी के वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की गई है । एमसीएल के 2700 वर्ग कि.मी क्षेत्र में ओएफ़सी/रेडियो नेटवर्क के द्वारा यूनिफार्म ईआरपी (कोलनेट) नेटवर्क लिंक स्थापित की गई है । डीजेल की चोरी रोकने के लिए ईंधन प्रबंधन प्रणाली की सुरुआत की गई है । कंपनी वेबसाईट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है ।

कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग मोड्युस सफलतापूर्वक चल रहा है । इस प्रणाली में संबंधित उपयोगकर्ता विभाग ठेकेदारों/ विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को ऑनलाइन प्राप्त करते है । बिल प्राप्ती पर जनरेट की गइ पावती ग्राहकों/ ठेकेदारों को सौंप दी जाती है । बिलो के अंतिम अंतव्य अर्थात भुगतान तक स्थिति को संबंधित पक्षो द्वारा ऑनलाईन देखने के लिए कोलनेट सर्वर पर अद्यतन किया जा राह है तथा इन अद्यतन सूचनाओं को एमसीएल की वेबसाईट पर ऑपलोड किया जा रहा है । इस प्रकार संबंधित पक्ष अपने संबंधित बिलों की स्थिति को स्वयम हमारी वैबसाइट पर ट्रेक कर सकते हैं ।

इसके साथ ही आपकी कंपनी की परिचालना उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उन्न्त तकनीकी को अपनाया जा रहा है ।

4.1 उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता

एमसीएल ने अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है ताकि हर कीमत पर अपने ग्राहकों की संतुष्टि को बनाए रखा जा सके। खनन के परम्परागत तरीके को रणनीतिक रूप से नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है । कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में एमसीएल अधिक राख कोयले की किफायती धुलाई के लिए निर्माण,संचालन और अनुरक्षण की अवधारणा पर आधारित एमसीएल चार कोयला वशरीज़ अर्थात 10 एमटीवाई क्षमता के हिंगुला वशरी, बसुंधरा वशरी, कुलडा ओसीपी में, लखनपुर में ईब-वैली वशरी और जगन्नाथ वशरी की प्रथम चरण में स्थापना के लिए आगे बढरहाहै । चरण-I वाशरिस वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रचालन में लाने के लिए योजना बनाई गई है । एमसीएल दो वशरीज़ अर्थात टर्नकी आधार पर 20 एमटीवाई क्षमता वाली लखनपुर वशरी और 40 एमटीवाई क्षमता, की सियारमल वाशरी बनाने की योजना बना रहा है ।

कोयले के नमूनाकरण और जीसीवी निर्धारण के लिए 18 ऑटो बम कैलोरीमीटरों की खरीद के साथ बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया गया है। उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करने तथा प्रेषित कोयले को गुणवत्ता की शिकायतों में कमी लाने के लिए लदान स्थल में उपभोक्ता द्वारा चयनित सैंपलर के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय पार्टी सैंपलिंग आरंभ की गई है । तदानुसार 10 पावर हाउस ने लदान स्थल पर अपने तृतीय पार्टी एजेंसी नियुक्त किया है । शत प्रतिशत कोयला प्रेषण मापन हेतु सभी साइडिंग में प्रिंट आउट सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज मौजूद हैं । सिम,भंडार,साईडिंग एवं टिपर नमूनो के मामले में नमूने की कठोर नीति को अपनाकर वार्षिक कोयला श्रेणी (ग्रेड) उपभोक्ताओं के सबसे अधिक संतुष्टी माना गया है ।

वर्ष 2012-13 में, आपकी कंपनी की व्यापक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से मान्यता प्राप्त हुई है, जो सभी प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है। ये पद्धतियां प्रचालन में हैं और उत्कृष्टत प्रचालन की दिशा में योगदान कर रही हैं।

4.2 सुरक्षा:-

खदानों और इनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को एमसीएल में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है । आपकी कंपनी की मुख्य क्षमताओं में से एक है **'**सुरक्षित खनन**',** जिसे सुरक्षित तरीके और तकनीक के निरंतर प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया गया है । **'**शून्य दुर्घटना**'** लक्ष्य के साथ**,** आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार होती है योजना बनाती है तथा स्वयं को सूसज्जित करती है ताकि " शून्य दुर्घटना" को प्राप्त किया जा सके तथा कर्मचारी को आधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरक शक्ति बने । इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण**,** अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान घातक दुर्घटना के दो मामले सूचित किए गए हैं । आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ कभी समझौता नहीं करती ।

इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता और यह कार्य स्थल पर उत्पादन और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन कायम करने की कोशिश करती है। कंपनी के शून्य क्षति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं ।

4.3 निगमित प्रशासन :-

एमसीएल स्वतंत्र निदेशको को छोडकर भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों मे अनुबंधित शर्तो का पुरा करता है । कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड जोड़ दिया गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त किया गया है । इस विश्वास के साथ कि 'सुशासन' सफल कंपनियों की पहचान है, बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम,2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है ।सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न है ।

4.4 संधारणीय खनन

आपकी कंपनी इस क्षेत्र में एक 'ग्रीन चैंपियन" के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता" पर जारी सितंबर,2011 की डीपीई दिशानिर्देश व तत्पश्चात अप्रेल,2013 को किए गए संशोधन के अनुसार वर्ष 2011-12 से एमसीएल संधारणीयता प्रतिवेदन प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 2014-15 के लिए रिपोर्ट का शीर्षक "फुएलिंग प्रोग्रैस" है और खनन व मेटल सेक्टर सहित कोर (Core) मापदंड के अनुसार में जीआरआई जी- 4 के लिए गठबंधन किया है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए , ट्रिपल बोटम लाइन के अलावा रिपोर्ट कंपनी के मूल पक्षो पर प्रकाश डालती है । यह स्टेकहोल्डर संदर्भ के महत्व के साथ स्थिरता के संदर्भ में संगत तकनीकी एवं परिमानात्मक सूचनाओं के समर्थित सामरिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों समेकित दृश्य प्रस्तुत करता है । संधारित रिपोटिंग (Sustainability Reporting) में हमारा क्रमिक विकास समकक्षों की तुलना मे लाभ निष्पादन मे मानक बेंचमार्क बनने तथा पर्यावरण एवं समाज हेतु वचनबद्दता पुरा करने मे मदद करता है । हम मूलभूत मुद्दो पर स्टेकहोल्डर्स की संधारित समाप्ति की प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं ।

4.5 आर एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही है और साथ ही उनके विकास के साथ प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो इसकी आर एंड आर नीति में परिलक्षित है। एमसीएल ओड़िशा राज्य की आर एवं आर नीति का पालन करती है और 2014-15 के दौरान 411 लोंगों को रोजगार देने की तुलना में 2015-16 मे 307 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा इसकी स्थापना के बाद से कुल 12163 लोगों को रोजगार दिया गया है। भू विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीडीएसी के परामर्श पर कार्य करती है । भू विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों, आदि के साथ पुनर्वास बस्तियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को निशुल्क प्रति रोगी 2.00 रुपए के नाममात्र शुल्क पर अपने मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में ओपीडी की सुविधा प्रदान करता है।

आपकी कंपनी प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन द्वारा खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है । वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल ने 290.354 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ है ।

4.6 प्रशिक्षण और विकास

वर्तमान मानव संसाधनों विकास के साथ-साथ तकनीकी उन्नती के स्पष्ट दृष्टिकोण तथा,जनशक्ति की बढ़ोतरी के लिए तथा उत्पादन तथा तकनीकी की मांग को पुरा करने के लिए प्रशिक्षण एवं विकास हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट नीती का अभिन्न हिस्सा है ।कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 10.82 करोड़ की राशि व्यय की गई है ।अधिकारियों,कर्मचारियों और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की कुल प्रशिक्षण दिवस क्रमशः7792, 49714 एवं 9456 रही। लक्ष्य की तुलना में एट्रीशन दर काफी कम रही एमसीएल में लाभकारी नियोजन के लिए भूमि विस्थापितों में अपेक्षित तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण हेतु आपकी कंपनी ने ओड़िशा के कुछ तकनीकी संस्थानों में व्यवस्था की है ।

4.7 सीएसआर

राष्ट्र के विकास के लिए समुदाय का विकास काफी महत्वपूर्ण है । समाज के विकास के लिए आपकी कंपनी ने हमेशा उल्लेखनीय कार्य किए हैं । लोगों की प्रगति को बढ़ने एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल सीएसआर में बड़ीमात्रा में निवेश किया है ।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन साल के शुद्ध लाभ के 2% की औसत दर, 112.97 करोड़ रुपये खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर के तहत रु. 184.64 करोड़ ।

ओड़िशा राज्य में एमसीएल पर किये गये व्यय के आधार पर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट हाउस प्रथम स्थान तथा टाटा स्टील एवं अन्य कंपनीयां इसके बाद स्थान प्राप्त किया है ।

स्वछ विद्यालय अभियान के तहत रु. 240 करोड़ निर्धारित किया गया है ।

एमसीएल ने महानदी इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर), तालचेर का निर्माण शुरू किया है एमआईएमएसआर 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशियलिस्ट अस्पताल के साथ ही 100 सीट मेडिकल कॉलेज होगा , साथ ही Anatomy, Bio-chemistry, Micro-Biology, Physiology, FM, toxicology, Pharmacology, Pathology, सामुदायिक चिकित्सा, प्रयोगशाला और पुस्तकालय में राज्य के अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ होंगी। परियोजना में 300 लड़कों के लिए एक छात्रावास, 200 छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास और एक 50- बिस्तरों वाला छात्रावास, छात्रा वस के दो ब्लॉक 100 % डॉक्टरों के लिए, 57 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के लिए 1 छात्रावास तथा नर्सों के लिए 50 बिस्तरों वाले 1 हॉस्टेल निर्माण पर विचार किया जा रहा है । एमआईएमएसआर के लिए रु. 492.62 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	सीएसआर परियोजना और गतिविधि	परियोजना स्थल	बजेट राशि (₹ . लाख में)	व्ययित राशि (₹ .लाख में)
1	तालचेर कोलफील्ड्स के आस पास के ग्रामों में ग्रीष्म जलापूर्ति प्रबंध ।	अंगुल	996.78	689.73
2	सुंदगढ़, अंगुल,संबलपुर और झारसुगुड़ा के आस पास के ग्रामों में चिकित्सा शिविर	सुंदगढ़, अंगुल,संबलपुर	32.86	21.80
3	एमसीएल के सीएसआर के तहत ओड़िशा के संबलपुर, अंगुल, झारसुगुड़ा और ढेंकानल जिले के विभिन्न सरकारी स्कूल जिनमें कोई शौचालय नहीं है, शौचालयों ब्लॉक के निर्माण और बेकार शौचालयों को कार्यात्मक किया जाएगा ।	संबलपुर, अंगुल, झारसुगुड़ा और ढेंकानल	1,998.92	1,673.63
4	एमसीएल के एसवीए के तहत ओड़िशा के 14 जिले में 4446 शौचालयों ब्लॉक का निर्माण । फंड ओपीईपीए (OPEPA)में जमा (ओड़िशा सरकार)	अंगुल, बोलांगीर, ढेंकानाल ,गंजाम, गजपति,जाजपुर, झारसुगुड़ा,कलाहांडी,	7,067.34	3,801.84

क्र.सं	सीएसआर परियोजना और गतिविधि	परियोजना स्थल	बजेट राशि (₹ . लाख में)	व्ययित राशि (₹ .लाख में)
		कंधमाल, खोरदा,नायगढ़, रायगड़ा, संबलपुर, सोनपुर		
5	एमसीएल के सीएसआर मुख्यालय के तहत, सीपीडबल्यूडी (CPWD)के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ओड़िशा के खोर्दा और संबलपुर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों जहाँ शौचालय न हो वहाँ शौचालयों ब्लॉक निर्माण और बेकार शौचालयों को कार्यात्मक किया हाएगा।	खोर्दा एवं संबलपुर	1,459.50	1,048.33
6	एनपीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ओड़िशा के 8 जिलों के विभिन्न सरकारी स्कूलों में जहाँ शौचालय न हो वहाँ शौचालयों ब्लॉक निर्माण और बेकार शौचालयों को कार्यात्मक किया हाएगा।	बोलांगिर,गंजाम,जाजपु, कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़,रायगड़ा, सोनपुर	8,982.60	6,735.00
7	झारसुगुड़ा में बस स्टैंड का निर्माण	झारसुगुड़ा	500.00	200.00
8	सीएसआर के तहत झारसुगुड़ा में 50 बिस्तर की हृदय संस्थान का निर्माण	झारसुगुड़ा	3,000.00	1,200.00
9	बसुंधरा गजनबहल क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत कनकतुरा ग्राम से केचुबाहल ग्राम तक सड़क निर्माण	सुंदरगढ़	169.06	169.06
10	सुंदरगढ़ जिले के हिमगीर ब्लॉक के लिए 3 पाइप जलापूर्ति योजना	सुंदरगढ़	151.84	60.74
11	सुंदरगढ़ में उज्जलपूर बाई पास सड़क निर्माण	सुंदरगढ़	1,407.19	422.16
12	तालचेर के मदन मोहन छक से गोपीनाथ ग्राम में वार्ड संख्या 3 और 16 की और सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण	अंगुल	310.06	181.83
13	हिंगुला क्षेत्र के तहत दानरा ग्राम में सेमेंट कंक्रीट क्षतिग्रस्त भागों में ठोस कंक्रीट सड़क निर्माण साथ ही नाला और हुमे (Hume) पाइप क्रॉसिंग निर्माण	अंगुल	188.17	75.44
14	जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के ठाट पंचायत सड़क जंकसन (बाघमरा पुनर्वास कॉलोनी के पास) से हंडिधुआ अंगुल मुख्य सड़क तक एफ़सीआई पाइप लाइन सड़क की मरम्मत और ब्लॉक टॉपिंग ।	तालचेर	67.65	67.65
15	तालचेर नगरपालिका के सौभाग्य सागर बड़ी टैंक का निर्माण	तालचेर	322.48	86.90
16	तालचेर ब्लॉक में 7 पाइप जलापूर्ति योजना के लिए निर्माण जमा	अंगुल	210.20	84.08
17	जिल्ला मुख्यालय अस्पताल अंगुल ओड़िशा में 100 बिस्तर वार्ड सहित आईसीयू (I.C.U.)के पूरा होने के लिए जमा	अंगुल	145.00	145.00
18	संबलपुर में संकृत कलाकेन्द्र	संबलपुर	50.54	50.54
19	संबलपुर में शमशान भूमि/राजघाट	संबलपुर	100.00	100.00
20	सीएसआर कार्य,भरतपुर क्षेत्र के तहत कंढबेरिणी आश्रम स्कूल में अन्य विविध सिविल कार्य और	अंगुल	25.45	25.45

क्र.सं	सीएसआर परियोजना और गतिविधि	परियोजना स्थल	बजेट राशि (₹ . लाख में)	व्ययित राशि (₹ .लाख में)
	डायनिंग हॉल निर्मण			
21	एनएच 200 पर आम गाँव होटल एमजीआर,टीएसटीपीएस/एनटीपीसी के पास, से टेलीसिंघा ग्राम 2 KM में सड़क निर्माण	अंगुल	81.44	49.88
22	कनिहा क्षेत्र के कनिहा ओसीपी के पास बड़ात्रिबीड़ा ग्राम पर नुआबंध का सुदृढ़ीकरण और मजबूत बनाने के साथ जलद्वार प्रावधान और इसकी जल निकासी व्यवस्था ।	अंगुल	35.66	35.66
23	ओड़िशा में हॉकी को बढ़ावा देने में, एमसीएल के सीएसआर पहल के एक भाग के रूप में इड्को (IDCO) के साथ साझेदारी	भुवनेश्वर	600.00	600.00

5. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने के द्वारा हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

6. आभार

मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और मीडिया द्वारा समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

ह/-

(ए. के . झा)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारोकों ,

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की तरफ से आपकी कंपनी की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने चहुंदिशा में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता, कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

2.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला भंडार में दो कोयलांचल में है जिसमें 11 खनन क्षेत्र 06 भूमिगत एवं 16 खुली खदाने, दो केन्द्रीय कर्मशाला, दो केन्द्रीय चिकित्सालय तथा कोलकाता एवं भूबनेश्वर में सेल्स ऑफिस शामील है ।

क. तालचेर कोयलांचल

i) जगन्नाथ क्षेत्र
ii) भरतपुर क्षेत्र
iii) हिंगुला क्षेत्र
iv) लिंगराज क्षेत्र
v) कनिहा क्षेत्र
vi) तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)

ख. इब वैली कोयलांचल

i) लखनपुर क्षेत्र
ii) इब वैली क्षेत्र
iii) बसुंधरा - गर्जनबहल
iv) सियरमल क्षेत्र
v) ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

2.2 <u>एमसीएल की अनुषंगी कंपनीयों</u>**:**

<u>1. एमजेएसजे कोल लिमिटेड</u>

एमजेएसजे कोल लिमिटेड एमसीएल की एक अनुषंगी कंपनी है जिसे 13 अगस्त,**2008** को एमसीएल में शामिल किया गया था । एमजेएसजे कोल लिमिटेड का गठन गोपालप्रसाद ओसीपी में किया गया जहां एमसीएल के 60% शेयर**,** जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड इंडिया का 11 % शेयर तथा श्याम मेटलिक एंड एनर्जी लिमिटेड (जिसे श्याम डीआरआई पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) तथा जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड जिसका 9% शेयर है । एमजेएसजे कोल लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी दिनांक 31.03.2016 तक 95.10 करोड़ थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.08.014 को अपना फैसला तथा दिनांक

24.04.2014 को अपना आदेश सुनाया जिसके तहत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के आवंटित उत्कल-ए ब्लॉक को अबैधानिक बताकर उसे खारिज कर दिया गया है ।

2. एमएनएच शक्ति लिमिटेड:

एमएनएच शक्ति लिमिटेड का गठन दिनांक 16 जुलाई,2008 को एमसीएल के संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया था। एमएनएच शक्ति का निर्माण तलाबिरा ओसीपी के लिए किया गया। के लिए किया गया है जिसमें एमसीएल,नैवेल्ली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर क्रमश:70%,15% तथा 15% है। 31.03.2016 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड की शेयर पूँजी 85.10 करोड़ रुपए थी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25.08.2014 के निर्णय तथा 24.09.2015 के आदेश में एमएनएच शक्ति लिमिटेड को आबंटित तलाबिरा-।। और तलाबिरा-111 कोल ब्लॉक को अवैध घोषित किया तथा आबंटन को रद्द कर दिया गया है।.

3. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड का गठन 02 दिसम्बर,2011 को किया गया था एवं दिनांक 06.02.2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र दिया गया था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसके नामितियों के 100% शेयर के साथ एमबीपीएल का निर्माण किया गया है साथ ही बसुंधरा कोयलांचल में पिट हेड पावर संयंत्र के माध्यम से 2X800 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-डी/6 बीजेबीनगर, भुवनेश्वर में स्थित है। 31.03.2016 के महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की एमसीएल द्वारा अभिदत्त शेयर पूँजी पॉच लाख रुपए थी।.

4. नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड:

उपरोक्त के अलावा,अधिशेष निधि के बेहतर उपयोग के साथ ओड़िशा राज्य में विनिर्माण विकास के लिए एमसीएल ने पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। तदनुसार 8 जनवरी,2013 को ओड़िशा में पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य से एमसीएल और ओपीटीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम समझौता के तहत 50:50 की भागीदारी से नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया।

5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड:

दिनांक 20 मई,2015 को आईडीसीओ,एमसीएल और आईआरसीओएन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार,31 अगस्त,2015 को 'महानदी कोल रेलवे लिमिटेड' नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया जिसमें एमसीएल,आईआरसीओएन और आईडीसीओ की भागीदारी का क्रमश: 64:26:10 का अनुपात है जो ओड़िशा में कोल संबद्धता के लिए दोहरी,तिहरी लाईन,यातायात सुविधा प्रोजेक्ट सहित निर्माण,सरचना,संचालन और अभिरक्षण के लिए रेल कोरिडोर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है जो खदान से कोयला निकासी के लिए निंदनीय है। महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की अभिदत्त शेयर पूँजी पॉच लाख रुपए थी।

4. **कार्य निष्पादन विशिष्टताएं:**

- आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान 13.61% की वृद्धि को दर्ज करते हुए पिछले वर्ष कोयला उत्पादन 121.379 मिलियन टन की अपेक्षा इस वर्ष अब तक का सबसे अधिक 137.901 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है।

- गतवर्ष 123.003 मिलियन टन कोयला निकासी की अपेक्षा वर्ष 2015-16 के दोरान 14.01% वृद्धि के साथ 140.234 मि.टन कोयला निकासी हुई।
- आपकी कंपनी ने गतवर्ष के सकल विक्रय मूल्य 15693.71 करोड़ रुपए की अपेक्षा इस वर्ष 31.26**%** वृद्धि दर्ज कर रु.20599.85 करोड़(एसटीसी सहित) के सकल विक्रय मूल्य प्राप्त किया है।
- गतवर्ष रु.5314.24 करोड़ के पीबीटी(करपूर्व लाभ) की अपेक्षा इस वर्ष का करपूर्व लाभ रु.6260.43 करोड़ रहा। गतवर्ष 3554.10 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की अपेक्षा इस वर्ष समीक्षाधीन करपश्चात लाभ रु.4184.74 करोड़ रहा।
- कंपनी दस वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान करती आ रही है। गतवर्ष भुगतान किए गए 3841.82 करोड़ रुपए की अपेक्षा इस वर्ष इक्विटी शेयर पूँजी रु.3608.45 करोड़ का भुगतान किया गया।

उत्पादन कार्य-निष्पादन:

(क**)** गतवर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना कर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है**:** ***(आंकड़े मि.टन में)***

उत्पादन	**2015-16**		**2014-15**		**लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %**	**गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का %**
(i) कोयला (मि.टन)	**एएपी लक्ष्य**	**वास्तविक**	**लक्ष्य**	**वास्तविक**		
खुली खदान(ओसी)	148.70	136.789	125.45	120.10	92.00	13.89
भूमिगत(यूजी)	1.30	1.112	1.55	1.28	85.50	-12.852
कुल कोयला(ओसी+यूजी)	150.00	137.901	127.00	121.38	91.90	13.61
(ii)ओबीआर(मि.घनमीटर)	115.00	98.41	113.00	89.22	85.6	10.30

(**ख**) **पिछले 05 वर्षों (2015-16 सहित) का एमसीएल का कार्य निष्पादन नीचे संलग्न है**:

(i) ***एमसीएल का कुल कोयला उत्पादन(आंकड़े मि.टन में)***:

वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**गत वर्ष की तुलना में वृदिध**		**लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की प्रतिशतता**
			समूचा	**प्रतिशतता**	
2011-12	106.00	103.120	2.84	2.83	97.3
2012-13	112.00	107.895	4.78	4.63	96.3
2013-14	120.00	110.440	2.55	2.36	92.0
2014-15	127.00	121.380	10.94	9.90	95.6
2015-16	150.00	137.900	16.52	13.61	91.9

(ii) ***सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन(आंकड़े मि.टन में)***:

वित्तीय वर्ष	**उत्पादन**	**गत वर्ष की तुलना में वृद्धि**		**कुल कोयला उत्पादन में सरफेस माइनर के कोयला उत्पादन की प्रतिशतता**
		समूचा	**प्रतिशतता**	
2011-12	59.13	4.21	7.7	57.3
2012-13	73.83	14.71	24.9	68.4
2013-14	86.46	12.63	17.1	78.3
2014-15	106.82	20.35	23.5	88.0
2015-16	**125.68**	**18.87**	**17.7**	**91.1**

वित्तीय वर्ष **2015-16:**

गत वर्ष की समाप्ति पर **(+)13.6%** की वृद्धि के साथ एएपी लक्ष्य का प्राप्त कोयला उत्पादन 91.9% है। गत वर्ष की समाप्ति पर **(+) 10.30 %** की वृद्धि के साथ एएपी लक्ष्य का प्राप्त ओबी विस्थापन **85.6%** है। एएपी लक्ष्य के लिए कमी के मुख्य कारणै हैं--:

खुली खदानें: **1.** जगन्नाथ ओसीपी: वृक्षों को काटने और वनभूमि को सौंपने में हुए विलंब से कार्यस्थल की कमी। **2.** भरतपुर ओसीपी: पहली और दूसरी तिमाही में वनभूमि को सौंपने में विलंब। 3. अनंत ओसीपी: एफसी अनुपलब्धता के कारण कार्यस्थल की कमी। 4. हिंगुला और बलराम ओसीपी: आर एण्ड आर तथा कानून और व्यवस्था की पुनरावृर्ति के कारण कार्य करने के लिए पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता। 5. लजकुरा ओसीपी: एफसी में विलंब। 6. कनिहा ओसीपी: जरडा और कंसमुंडा के गांववालों की आर एण्ड आर समस्याएँ तथा कानून और व्यवस्था के कारण लगभग 20 दिनों के लिए खनन कार्य संचालन में रूकावट। समलेश्वरी ओसीपी में एफसी का विलंब,आर एण्ड आर तथा कानून - व्यवस्था की समस्याओं के कारण मुख्य रुप से तालचेर कोयलांचल में खनन गतिविधयों में बार-बार रूकावट आती रही। राज्य सरकार द्वारा भीषण गर्मी में लू के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के कार्य-समय में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया । वर्ष 2016 के जुलाई माह एवं अगस्त माह के पहले सप्ताह के दौरान अधिक बारिश और मुख्य रूप से ईब वैली कोयलांचल में प्रत्याशित अत्यधिक बारिश के कारण भी कार्य-समय पर प्रतिबंध लगाया गया।

भूमिगत खदानें**:** दिनांक **11.08.2015** से **16.12.2015** तक गर्मी के कारण ओरियेंट क्षेत्र की खदान नंबर-03 (भूमिगत कोयला) को बंद कर दिया गया। बारिश कम होने के साथ-साथ दिनांक 19.01.2016 से कोयले का उत्पादन शुरू किया गया।

(iii) ***एमसीएल का ओबी विस्थापन (आंकड़े एमएमक्यु में)***

वित्त वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
			समूचा	प्रतिशतता	
2011-12	100.00	85.67	-3.04	-3.42	85.7
2012-13	105.00	90.421	4.75	5.55	86.1
2013-14	109.75	96.03	5.61	6.20	87.5
2014-15	113.00	89.22	-6.81	-7.09	79.0
2015-16	115.00	98.41	9.19	10.30	85.6

प्रणाली क्षमता उपयोगिता(%)

	क्षमता	उत्पादन(एमक्युएम में)	प्रणाली क्षमता उपयोगिता(%)
यूजी	1.330	0.667	50.17
ओसी	291.370	180.520	61.96
कुल:	292.700	181.187	61.90

5. उत्पादकता:

5.1 आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त ओएमएस के रूप में उत्पादकता निम्नलिखित हैं:

आंकड़े टन/मैनशिफ्ट

	2015-16		2014-15	लक्ष्य की तुलना में उपलब्ध का %	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का %
	लक्ष्य एएपी	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	**25.93**	**24.24**	**22.16**	**93.48**	**9.63**
भूमिगत खदान	**0.72**	**0.67**	**0.84**	**93.05**	**-12.99**
सकल	**19.89**	**18.88**	**17.10**	**94.92**	**10.41**

**संशोधित कोयला लक्ष्य 133.63 एमटी के अनुसार ओएमएस को संशोधित किया गया और संशोधित ओबी लक्ष्य 102.455 मिलियन घन मीटर फोर्स मेजर के हालात में किया गया। तदनुसार फोर्स मेजर पर विचार करते हुये ओएमएस लक्ष्य 17.86 पर संशोधित किया गया

5.2 वर्ष 2015-16 के दौरान ओएमएस **18.880** टन/मैनशिफ्ट रहा।

ओएमएस -गणना का विवरण इस प्रकार है:				
क्र.सं.		2015-16	2014-15	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि
1	ओसी ओएमएस	24.240	22.110	9.63
2	यूजी ओएमएस	0.670	00.770	-12.99
3	ओसी का मैनशिफ्ट समंजन(लाख)	56.424	54.326	3.86
4	यूजी का मैनशिफ्ट(लाख)	16.621	16.664	-.26
क	**सकल ओएमएस के लिए कुल मैनशिफ्ट**	**73.045**	**70.990**	**2.89**
6	ओसी कोयला (लाख टन)	1,367.888	1,201.033	13.89
7	यूजी कोयला (लाख टन)	11.116	12.755	-12.85
ख	**कुल कोयला** (लाख टन)	**1,379.004**	**1,213.788**	**13.61**
8	**सकल ओएमएस (बी/ए)**	**18.880**	**17.100**	**10.42**
9	फामुर्ला ओएमएस			
	यूजी =	कोयला उत्पादन/वास्तविक मैनशिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन)		
		वास्तविक मैनशि.x(1+(1.4xएसटी.रेशियो)		
	सकल =	यूजी का कोयला उत्पादन + ओसी का कोयला उत्पादन		
		यूजी का मै.शिफ्ट + ओसी का समंजित मैनशिफ्ट		
10	समंजित मैनशिफ्ट(ओसी का खदानवार) =	कोयला उत्पादन/ओएमएस		
	सकल ओएमएस की गणना =	11.116+1367.888	12.755+1201.033	
		16.621+56.424	16.664+54.326	
		1379.004	1,213.788	
		73.045	70.990	
		18.880	**17.100**	

6. एमईएमएम की संख्या एवं कार्य-निष्पादन:

6.1 एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग हेतु सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के साथ एचईएमएम की कुल संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

i. उपलब्धता एवं उपयोगिता की उपलब्धि का प्रतिशत (ऑंकड़े पूर्णांक में):

क्र.सं.	उपकरण	संख्या		उपलब्धता का %			उपयोगिता का %		
		31.03.16	31.03.15	अप्रैल'15 से मार्च'16	अप्रैल'14 से मार्च'15	सीएमपीडी आईएल का नियम	अप्रैल'15 से मार्च'16	अप्रैल'14 से मार्च'15	सीएमपीडी आईएल का नियम
1	ड्रैगलाईन	4	4	70	85	85	27	47	73
2	शॉवेल	85	85	68	71	80	34	34	58
3	डम्पर	374	364	69	72	67	26	26	50
4	डोजर	129	131	62	64	70	26	27	45
5	ड्रील	92	94	83	86	78	20	20	40
कुल		**684**	**678**						

ii. <u>कार्य घंटे की उपलब्धि</u> :

क्र.सं.	उपकरण	कार्य-घंटे	
		2015-16	**2014-15**
1	ड्रैगलाईन	8462	14845
2	शॉवेल	210838	213702
3	डम्पर	582618	600718
4	डोजर	207610	210039
5	ड्रील	76148	76697

(क) सीएमपीडीआई के उपरोक्त नियम से गतवर्ष के डंपर और ड्रील की तुलना में इस वर्ष ड्रैगलाईन,शॉवेल,डंपर और डोजर मशीन की उपलब्धता में कमी आई है।

(ख) गतवर्ष की तुलना में कार्यस्थल/भूमि की अनुपलब्धता के कारण ड्रैगलाईन के कार्य समय में 43% की कमी आई है।

(ग) ग्रीष्म काल के दौरान अर्थात 01 अप्रैल से 15 जून तक प्रतिबंध,सुबह 11 से दोपहर 3.30 बजे तक परियोजना संचालन की समाप्ति से एचईएमएम प्रभावित हुआ है जिसका लगभग 2% असर पड़ा है।

(घ) ओसीपी के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण ड्रैगलाईन,शॉवेल और डंपर की उपयोगिता में कमी आई है जैसा कि बड़ी संख्या में खदानें चारों ओर गांवों से घिरा है तथा आर एंड आर साइटों की अनुपलब्धता के कारण अब तक पुनर्स्थापना नहीं गई है। संचालन और अनुरक्षण कार्य हेतु कुशल श्रमशक्ति की कमी,ग्रीष्म काल एवं मानसून के समय भारी वर्षा के समय कार्यघंटों को सीमित किया गया है।

IV. **उपलब्धता और उपयोगिता को सुधारने हेतु किए गए उपाए:**

क. एचईएमएम मशीनों और उनके कार्य घंटों के देनिक उत्पादन को मुख्यालय स्तर पर सटिक निरीक्षण किया जा रहा है।

ख. एचईएमएम मशीनों का समय पर सर्वे ऑफ तथा ऑफ सर्वे किए गए उपकरणों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए खरीद की कार्रवाई समय पर करना।

ग. मुख्यालय और केंद्रीय कर्मशालाओं में आपातकाल में विस्थापन के लिए इंजन,ट्रांसमिशन और अन्य असेम्बली जैसे विभिन्न सहायक असेम्बलीज का अनुरक्षण।

घ. ओईएम मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से नए मॉडल उपकरणों के संचालन व अनुरक्षण के लिए तकनीकी कौशल का विकास करना।

ङ. ऑपरेटर के आराम के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरीदी जा रही नई एचईएमएम मशीनों में वातानुकूलित केबिन लगाया गया है।

च. मानसून अवधि के पहले परिवहन सड़क का अनुरक्षण।

छ. एमसीएल प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण,कानून और व्यवस्था की समस्याओं को विभिन्न फोरम में ले जाया जा रहा है।

ज. भू-विस्थापितों जैसे अकुशल श्रमशक्ति को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

V. एचईएमएम की खराबी की स्थिति :

उपकरण	**संख्या**		**खराबी > 3 महीने से अधिक**	
	31.03.16 के अनुसार	**31.03.15 के अनुसार**	**31.03.16 के अनुसार**	**31.03.15 के अनुसार**
ड्रैगलाईन	4	4	0	0
शॉवेल	85	85	06	05
डम्पर	374	364	51	48
डोजर	129	131	25	21
ड्रील	92	94	10	07
एमसीएल कुल	684	678	92	81

vi. केंद्रीय कर्मशालाओं में उपकरणों की पुनर्स्थापना :

क्षेत्र	**वर्ष**	
	2015-16	**2014-15**
सीडब्लुएस(तालचेर)	01	0
सीडब्लुएस(ईब वैली)	04	02
एमसीएल कुल	05	02

7. क्षमता उपयोग*(खुली खदान परियोजनाएं)*

क्र.सं.	**विवरण**	**वर्ष के 01 अप्रैल पर आधारित क्षमता**		**गत वर्ष की तुलना में वृद्धि**
		2015-16	2014-15	--------
1	विभागीय क्षमता(मिलियन क्युबिक मीटर)	108.52	100.91	7.54%
2	पद्धति क्षमता (मिलियन क्युबिक मीटर)	291.36	285.48	2.06%
3	विभागीय उत्पादन(मिलियन क्युबिक मीटर)	58.59	63.550	- 7.81%
4	कुल उत्पादन (मिलियन क्युबिक मीटर)	180.52	161.573	11.73%
5	विभागीय क्षमता की उपयोगिता	54%	63%	-9%
6	पद्धति क्षमता की उपयोगिता	61.96%	56.6 %	5.36%

1) एचईएमएम के लिए दिए गए एवार्ड /आदेश का ब्यौरा:

क्र.सं.	एसओ नंबर एवं तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	मदों का विवरण	परिमाण
1	08 दि. 25.5.15	मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड	25 बीईएमएल मॉडल बीएच 100 डम्प ट्रक की आपूर्ति, जिसका इंजन मॉडल 16V200012 एमटीयू मेक का है।	25 Nos.

2	24 दि. 22.7.15	मेसर्स कोमात्सु लिमिटेड, टोकियो	01 कोमात्सु मेक मॉडल नं. WD 600-3 डीजल पावर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड की आपूर्ति। 400 एचपी से अधिक का व्हील डोजर।	01 नग
3	31 दि. 12.8.15	मेसर्स टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड	टाटा हिटाची मेक एवं मॉडल ZW220 फ्रन्ट इंड व्हील लोडर की आपूर्ति जिसकी बकेट क्षमता कम से कम 2.5 क्युबिक मीटर।	03 नग
4	70 दि. 11.1.16	मेसर्स टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड	टाटा हिटाची मेक एवं मॉडल EX350 LCH V डीजल पावर्ड क्राउलर माउंटेड हाइड्रोलिक एक्सावेटर विद बेको अटैचमेंट फिटेड विद बकेट जिसकी क्षमता कम से कम 1.5 क्युबिक मीटर।	02 नग

2) वर्ष 2016-17 में खरीदी/सुपुर्दगी की जानेवाली एचईएमएम सरफेस माईनर मशीन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना को तैयार/अंतिम रूप देना:
सरफेस माईनर के लिए सहमत/अनुमोदित दोहरा दस्तावेज को सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त किया गया तथा नवंबर,2015 में सरफेस माईनर के लिए निविदा आमंत्रण सूचना तैयार की गई ।

3) उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रिया:

क)	ड्रैगलाईन की उपयोगिता	:	27%
ख)	शॉवेल की उपयोगिता	:	34%
ग)	डंपर की उपयोगिता	:	26%
घ)	डोजर की उपयोगिता	:	26%
ड)	ड्रील की उपयोगिता	:	20%

4) भरतपुर खदान में किए गए अध्ययन की सिफारिश के अनुसार डीजल की विशेष खपत 1.071 लीटर/क्युबिक मीटर है, जिसे लागू किया जाएगा।

8. बिजली:

8.1 **तालचेर कोयलांचल** : ओड़िशा के सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई युटिलिटी आदेश क्षेत्र के तहत 31.0 एमव्हीए की करार मांग के साथ ग्रीडको के अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लंबी 132 केव्हीडब्लु सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के माध्यम से नंदिरा के 3 X 20 एमव्हीए, 132 / 33 केव्ही ग्रीड सब सब-स्टेशन पर बिजली प्राप्त की जाती है।

8.2 **ईब वैली कोयलांचल :** ओड़िशा के वेस्टर्न इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी(वेस्को) के आदेश क्षेत्र के तहत 22.25 एमव्हीए की करार मांग के साथ ग्रीडको के बुडिपदर सब-स्टेशन से 19 किलामीटर लंबी 132 केव्हीडब्लु सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के माध्यम से जोराबोगा के 3 X 20 एमव्हीए, 132 / 33 केव्ही, ग्रीड सब-स्टेशन पर बिजली प्राप्त की जाती है।

8.3 **बसुंधरा कोयलांचल**: ओड़िशा के वेस्टर्न इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी(वेस्को) के आदेश क्षेत्र के तहत 05 एमव्हीए की करार मांग के साथ बुढीपदर सब-स्टेशन से बसुंधरा क्षेत्र 220 केव्ही बिजली प्राप्त कर रहा है।

8.4 **बिजली की उपलब्धता:**

पैरामीटर	***2015-16***	***2014-15***
करार मांग(एमवीए)	59.650	59.650
सर्वाधिक मांग(एमवीए)(वर्ष के दौरान एक माह में सर्वोच्च)	58.758	59.684

ऊर्जा खपत (मिलियन केडब्लुएच)	300.615	305.289
विशेष ऊर्जा खपत (केडब्लुएच/ टन)	2.18	2.52
बिजली की विशेष खपत(कंपोजिट उत्पादन) (अर्थात कोयला+ओबी विस्थापन),केडब्लुएच/ क्युबिक मीटर	1.66	1.88

2) समझौता ज्ञापन मापदंड के कार्य निष्पादन:

15 नबंवर,2015 के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के अनुसार दो खदानों में विशेष बिजली खपत के बैंचमार्किंग के लिए समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।

क्र.सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	वजन (% में)	एमओयू लक्ष्य					उपलब्धि
				सर्वेत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	थोड़ा अच्छा	खराब	
1	विशेष बिजली खपत के बेंचमार्किंग के लिए दो खदानों का अध्ययन	माह	1	15 नवंबर' 2015	30 नवंबर' 2015	15 दिसंबर '2015	31 दिसंबर' 2015	15 जनवरी' 2016	तालचेर क्षेत्र के तालचेर भूमिगत खदान तथा ओरियेंट क्षेत्र की खदान नं.2 से संबंधित विशेष बिजली खपत को 15 नवंबर, 2015 तक सीएम पीडी आईएल, रांची द्वारा पूरा कर लिया गया तथा रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई।

9. एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या:-

9.1 हाल में हिराखंड-बुंदिया माईन तथा ओरियेंट क्षेत्र की माईन नं.2 में मैन राइडिंग सिस्टम संचालित है। वर्ष 2015-16 के दौरान मैन राइडिंग सिस्टम को तालचेर क्षेत्र की नंदिरा भूमिगत खदान में स्थापित किया गया तथा सिस्टम का ट्रायल लिया गया है। ओरियेंट क्षेत्र की खदान नं.2 में सिस्टम के संस्थापन का कार्य समाप्ति पर है। दूसरी अन्य मैन राइडिंग सिस्टम को भी ओरियेंट की खदान नं.2 में स्थापित किया जा रहा है। उपकरण की आपूर्ति हो चुकी है तथा प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र. सं.	उपकरण के नाम	रोल में कितने हैं		2014-2015		2015-16	
		2014-15	2015-16	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %
1	वाईन्डर	6	6	83.33	82.29	66.66	85.51
2	हॉलेज(मेन)	26	32	92.31	82.29	93.75	85.51
3	एसडीएल *	19	19	79.05	27.31	59.61	24.53
4	एलएचडी *	28	27	81.30	40.66	74.94	46.37
5	मेन पंप	54	54	85.18	82.29	85.18	85.51
6	वेन्टीलेशनल पंखा	12	13	91.67	82.29	76.92	85.51
7	बेल्ट कान्वेयर	71	71	90.14	82.29	77.46	85.51
8	ट्रांसफोर्मर्स(विद्युत)	79	90	93.67	82.29	87.77	85.51

9	लोकोमोटिव	5	5	80	82.29	100	85.51
10	कोल ड्रिल	102	102	71.57	82.29	78.43	85.51
11	माईन कार	60	50	75	82.29	100	85.51
12	यूडीएम	13	13	100	82.29	100	85.51

<u>वर्ष 2015-16 के लिए</u>

वास्तविक यूजी उत्पादन - ***11.11637*** लाख टन

उत्पादन लक्ष्य - ***13*** लाख टन

<u>वर्ष 2014-15 के लिए</u>

वास्तविक यूजी उत्पादन ***-12.75507*** लाख टन

उत्पादन लक्ष्य - ***15.50*** लाख टन

<u>एसडीएल एवं एलएचडी जैसे उपकरणों के लिए कोई विशेष मानदंड उपलब्ध नहीं हैं।</u>

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{उपलब्ध उपकरण}}{\text{रोल में उपकरण}} \times 100$$

$$\text{उपयोगिता \%} = \frac{\text{वास्तविक उत्पादन}}{\text{लक्ष्य उत्पादन}} \times 100$$

<u>सीआईएल के मानकों के तहत एसडीएल एवं एलएचडी के लिए अपनाया गया फार्मूला</u>:

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{एच डब्लु + एच आई}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहाँ–

एचडब्लु – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे /वर्ष

एचआई – प्रतिवर्ष अनुरक्षण घंटे एवं

एचएस - प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

$$\text{उपयोगिता का \%} = \frac{\text{एचडब्लू}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहाँ–

एचडब्लु – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे/वर्ष

एचएस - प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

9.2 **कोल हैंडलिंग प्लांटों एवं वे-ब्रीजों की संख्या एवं उनका कार्य-संचालन:**

गत वर्ष 2014-15 में प्रेषित किए गए 12.11 मिलियन टन क्रश्ड कोयले की तुलना में वर्ष 2015-16 में 11.8 मिलियन टन क्रश्ड कोयला सीएचपी द्वारा प्रेषित किया गया।

	2015-2016		**2014-2015**	
	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई में)	सीएचपी से प्रेषित कोयला (एमटी में)	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई में)	सीएचपी से प्रेषित कोयला (एमटी में)
कोल हैंडलिंग प्लांट/फीडर ब्रेकर	38	11.8	39	12.11
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता के उपयोग का %		30.25%		31.06 %

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माईनर का उपयोग तकनीक में बदलाव क्रशर/ सीएचपी का बड़े पैमाने पर कम किया गया तथा इसे स्टेंडबाय के रूप में रखा जाता है और जब पारंपरिक विधि से कोयले का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है तो उस कम मात्रा को क्रशर द्वारा पूरा किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान कोयले की कुल मात्रा का 91.13 % सरफेस माईनर से लिया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल में कुल रोम(आरओएम) कोयला उत्पादन 12.218 मिलियन टन ही रहा। क्रशिंग की क्षमता काफी अधिक है अत: और नये क्रशर या फीडर ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है।

9.2.1 सीएचपीओं का संचालन कार्यस्थल निम्न प्रकार हैं:-

बड़े सीएचपीज

सीएचपी का स्थान	**क्षमता(एमटीवाई में)**	**सीएचपी का स्थान**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
	कुल :	**5.50**

9.2.2 छोटे सीएचपी/फीडर ब्रेकर:

क्षेत्र	**सीएचपी का स्थान**	**क्षमता(एमटीवाई में)**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला ओसीपी	2.0
	बलराम ओसीपी	4.0
ईब वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	समलेश्वरी ओसीपी	2.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.5
बसुन्धरा	बसुन्धरा ओसीपी	1.0
	कुल्डा ओसीपी	2.0
कुल		**32.50**

भरतपुर साइडिंग में साइलो लोडिंग व्यवस्था के साथ सीएचपी के निर्माण की गतिविधियां प्रगति पर है तथा 30 जून,2016 तक पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है।

लिंगराज ओसीपी में साइलो लोडिंग की व्यवस्था के साथ सीएचपी के निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है और मार्च,2017 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

अनंता साइलो का निर्माण कार्य ठेका एजेंसी कर रही थी जो निराशाजनक था उस ठेका को निरस्त कर दिया गया है। शेष बचे कार्य को पूरा करने के लिए पुन: नये सिरे से निविदा जारी की गई है

हिंगुला, लखनपुर,बसुंधरा और भुवनेश्वरी में सीएचपी/साइलो के लिए निविदा कार्य प्रगति पर है।इन स्थानों में साइलो का निर्माण 2017-18 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

कनिहा ओसीपी के लिए सीएचपी योजना को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य प्रगति पर है।

4.4 वे-ब्रीजों का विवरण :

वे-ब्रीज के प्रकार	**2015-2016**	**2014-2015**
1. (क) इलेक्ट्रोनिक रोड वे-ब्रीज (स्टेटीक)	88	83
(ख) इलेक्ट्रोनिक रोड वे-ब्रीज (इनमोशन)	38	35
2. रेलवे वे-ब्रीज(इलेक्ट्रोनिक)	32	32
3. वर्ष के दौरान किए गए वजन का % (रेल द्वारा)	99.19	98.89
4 वर्ष के दौरान किए गए वजन का % (समग्र वजन)	99.49	99.26

100 % वजन सुनिश्चित करने के लिए 100 टन के 40 इन-मोशन वे-ब्रीज का आदेश जारी किया गया है। सभी 40 आदेश किए गए वे-ब्रीज प्राप्त हो चुके हैं तथा 38 वे-ब्रीजों की स्थापना 31/03/2016 तक पूरा कर ली गई तथा शेष 2 की स्थापना विभिन्न चरणों में होगी। ये वे-ब्रीज आरएफआईडी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। दोनों ओर(स्टॉक यार्ड और साइडिंग) के मापन को सुनिश्चित करने के लिए 100टन क्षमता की 22 रोड वे-ब्रीजों की खरीद के लिए कार्रवाई की गई है जो वर्ष 2016-17 के दौरान पूरी होने की संभावना है।

दो खदानों में विशेष विद्युत खपत के बेंचमारकिंग के लिए अध्ययन : तालचेर क्षेत्र के तालचेर भूमिगत खदान और ओरिएंट खान संख्या- 2 ओरिएंट क्षेत्र के लिए विशेष विद्युत खपत का बेंचमारकिंग के लिए सीएमपीडीआईएल (CMPDIL) रांची को संदर्भ संख्या 976 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया है । सीएमपीडीआईएल (CMPDI) 15 नवम्बर से पहले अध्ययन पूरा कर लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कार दिया है ।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.3.2016 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 500.00 करोड़ बनी रही, जो प्रत्येक रु.1000/- की 2958200 समतुल्य शेयर एवं प्रत्येक रु.1000/- की 2041800 के 10 % संचयी परिशोध्य प्राथमिक शेयर में विभाजित है ।

दिनांक 31.3.2016 के अनुसार कंपनी की प्रदत समतुल्य शेयर पूँजी रु.186.40 करोड़ रुपये में अपरिवर्तित रही। समस्त समतुल्य शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी नॉमितों द्वारा नियंत्रित होती है ।

11. <u>वित्तीय समीक्षा:</u>

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल ₹15693.71 करोड़ (एसटीसी सहित) के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में अब तक के सर्वाधिक ₹ 20599.85 करोड़ (एसटीसी सहित) का सकल रिकार्ड कारोबार किया है । गतवर्ष के ₹ 5314.24 करोड़ का कर पूर्व लाभ 2015-16 में ₹ 6260.43 करोड़ हुआ है ।पिछले वर्ष 3554.10 करोड़ के तुलना में वर्ष 2015-16 कर प्रश्चात लाभ ₹4184.74 करोड़ है । वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

[.करोड़ में]

	2015-16	**2014-15**
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	6551.52	5612.79
घटाव : ह्रास(सामाजिक मद मूल्य ह्रास समेत)	289.50	297.11
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	1.59	1.44
कर पूर्व निवल लाभ	6260.43	5314.24
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर दायिता	2075.69	1760.14
कर पश्चात निवल लाभ	4184.74	3554.10
	825.91	2213.18
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	209.24	355.41
सीएसआर आरक्षित में अंतरित		-
दीर्घकालिक विकास में अंतरित		-
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	3608.45	3841.82
समतुल्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश लाभांश पर कर	734.60	744.14
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ:	**458.36**	**825.91**

एमओयू के द्वारा वर्ष **2015-16** के दौरान वित्तीय पेरामीटर का संशोधन तथा प्रदर्शन **:-**

क्र.सं	**विवरण**	**इकाई**	**2015-16**	**2015-16**	**2015-16**
			एमओयू (एक्सएल)	एमओयू (वीजी)	अप्रत्याशित घटना
	(उत्पादन/कुल खरीद)		**(151.00/151.00)**	**(150.00/150.00)**	**(137.90/140.23)**
(1)	(2)	(3)	(8)	(8)	(8)
1	बिक्री करोबार(कुल बिक्री)	करोड़ में	12245.85	12127.24	12752.97
2	सकल परिचालन रेखा दर	%	0.4224	0.4222	0.4814
3	पीएटी /कुल कीमत		0.5670	0.5648	0.9689
4	ईबीआईटीडीए/ कुल खंड		1.3446	1.3386	2.0074
5	बिक्री करोबार /कुल खंड		3.4576	3.4241	3.9209
6	देनदार के कारोबार का अनुपात (दिनो की संख्या) (औसत संग्रह अवधि)		12.2713	12.3604	9.7438

11.1 **<u>आरक्षित को स्थानांतरण</u>**:

चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ के 5 प्रतिशत अर्थात 209.24 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

11.2 **लाभांश:**

निदेशकों नें प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी पर वर्तमान वर्ष के लिए 1935.86% (गतवर्ष 2061.06%) 3608.45 करोड़ (अंतरण लाभांस) की अनुषंसा आपके अनुमोदन के लिए की है ।

लाभांस की लेखा रुपये कुल निकसी 4343.05 करोड़ होंगे जिसमें 3608.45 करोड़ लाभांश के रूप में एवं 734.60 करोड़ कर के रूप में होंगे ।

11.3 **अप्रतिभूति ऋण**:

कोल इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स लिभेर फ्रांस एसए, फ्रांस को दिनांक 31.03.2016 को देय राशि . 7.77 करोड़ थी, जिसमें से 7.40 करोड़ का ऋण स्थगित जमा पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल की आपूर्ति से संबंधित है।

11.4 **एमओयू 2015-16 के वित्तीय पैरामीटर का कार्य निष्पादन**

विक्रय टर्न ओवर(निवल विक्रय)	:	12752.97 Crore
सकल संचालन मार्जिन रेट	:	0.4814
पीएटी /नेट वर्थ	:	0.9689
ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	:	2.0074
विक्रय टर्न ओवर / नेट ब्लॉक	:	3.9209
डिबेटर टर्न ओवर अनुपात (औसत संग्रह अवधि)	:	14.4536 (दिनो की संख्या)

12. **निवेश**

12.1 एमसीएल की अनुषंगी कंपनी एमएनएच शक्ति लिमिटेड**,** एमजेएसजे कोल लिमिटेड**,** महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के इक्विटी शेयर में गैर चालू निवेश क्रमश: 59.57 करोड़, 57.06 करोड़ **,** 0.05 करोड़ एवं 0.03 करोड़ का है।

12.2 आईआरएफसी करमुक्त 2021 श्रृंखला के 7.55 प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय 79 बांड, आईआरएफसी 8 प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आईआरएफसी करमुक्त आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आरईसी के 7.22 प्रतिशत आरक्षित विमोचनीय करमुक्त बांड में 31.03.2016 को गैर-चालू निवेश क्रमश: .200.00 करोड़, .108.75 करोड़, .499.95 करोड़ और 150.00 करोड़ था ।

13. पूँजीगत व्यय:

पिछले वर्ष के 836.50 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान .668.82 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया गया है।

14. विक्रय वसूली:

वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल का सकल विक्रय कारोबार गतवर्ष 2014-15 के .15693.71 (एसटीसी सहित) करोड़ की तुलना में .20599.85 (एसटीसी सहित) करोड़ रहा है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान सकल विक्रय के 96.74 प्रतिशत अर्थात 19,927 करोड़ की वसूली हुई।

15. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्रीय तथा राज्य राजकोष का प्रमुख अंशदानकारी बनी रही। पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान रॉयल्टी, विक्रय कर, स्टोईंग उत्पाद शुल्क एवं प्रवेश कर आदि के बाबत कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार रहा

[. करोड़ में]

	2015-16	2014-15
रॉयल्टी	1,938.59	1,395.72
विक्रय कर/ ओड़िशा वैट	709.98	549.85
स्टोईंग उत्पाद शुल्क	140.23	123.00
प्रवेश कर	62.13	58.25
स्वच्छ ऊर्जा सेस	3,065.26	1,179.14
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,224.73	719.27
कुल	**7,140.92**	**4,025.23**

16. परियोजना का निर्माण/ पूँजीगत परियोजनाएँ

16.1 योजना

एमसीएल ने वर्ष 2015-16 के दौरान **150**.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई है । वर्ष **2015**-16 में आकलित पूँजीगत लागत 800 करोड़ होगी जिसका अधिकांश भाग हैवी अर्थ मूविंग मशीन **(**एचईएमएम**)** की खरीद**,** भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा।

16.2 अनुसंधान एवं विकास

आर एंड डी सुरुआतका नाम " दो खदानों में विशेष विद्यूत खपत के बेंचमारकिंग के लिए अध्ययन: अध्ययन का कार्य सीएमपीडीआईएल**,** रांची द्वारा पूरा नवम्बर**,2015** में 2 खदानों में अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है ।

16.3 अभिनव अभ्यास

फायरवाल आधारित अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया की स्थापना 30.11.2015 को कर दी गई है।

16.4 परियोजना का गठन :

वर्ष 2015 -16 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा दो परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया

i) संलेश्वरी विस्तार ओसीपी (सभी सीमा के साथ) क्षमता 20 एमटीवाई।

ii) भरतपुर ओसीपी विस्तार (मानक क्षमता 20.0 एमटीवाई, अधिकतक क्षमता 26.0 एमटीवाई) पुनर्गठन।

16.5 परियोजना कार्यान्वयन :

वर्ष 2015-16 में एमसीएल बोर्ड ने दो परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन दिया जो

i) एमसीएल बोर्ड द्वारा कार्ययोजनाओं का गठन एवं अनुमोदन (गोपालजी कनिहा विस्तार ओसीपी 30 एमटीवाई) दिनांक 31.07.2015 के 169वीं बैठक में की गई

ii) संलेश्वरी विस्तार ओसीपी सभी सीमाओं के साथ) क्षमता 20 एमटीवाई का अनुमोदन एमसीएल बोर्ड के दिनांक 21.09.2015 के 170वीं बैठक में की गई ।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न धाराओं के तहत कुल भूमि की अधिसूचना जारी की गई जो निम्न है :

(i) सीबीए की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना : शून्य

(ii) सीबीए के धारा 7 (1) के तहत अधिसूचना : एसओ 1138(ई) दिनांक 29.04.2015 गोपाल प्रसाद (बलराम विस्तार ओसीपी) में 340.429 हेक्टेयर तथा एसओ 2828 (ई) दिनांक 07.10.2015 नीलांचल कोर माइनिंग ब्लॉक, गोपालपुर ओसीपी कनिहा 1141.477 हेक्टेयर ।

(iii)सीबीए के धारा 9(1) के तहत अधिसूचना: एसओ 1261 (ई) दिनांक 29.03.2016 गोपाल प्रसाद (बलराम विस्तार ओसीपी) में 340.429 हेक्टेयर

(iv) सीबीए की धारा (11) के तहत अधिसूचना : शून्य

2015-16 के दौरान कुल 290.354 हेक्टेयर भूमि कब्जे में ली गयी है ।

16.6 पूंजीगत परियोजनाएं/योजनाएँ

<u>कोयला परियोजनायें</u> :

अभीतक एमसीएल में कुल 53 (2 शेष हो गई परियोजनाएं शामिल) खनन परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है । इन स्वीकृत परियोजनाओं का तथा उत्पादन क्षमता 259.41 एमटीवाई तथा स्वीकृत पूंजी लगाना रु.12514.267 करोड़ है ।इन 53 परियोजनाओं में तलाबीरा II एंड III तथा उत्कल - A ब्लॉक में तलबीरा तथा गोपालप्रसाद ओसीपी द्वारा खनन कार्य करना था उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25.08.2014 के आदेस से दी डी-एलोकेटेड का दिया गया है : तदनुसार एमसीएल के चालू परियोजनाओं की सूची से इनका नाम हटा दिया गया है । शेष 51 परियोजनाओं की क्षमता तथा लगी पूंजी को नीचे दर्शाया गया है:

परियोजना की श्रेणी (रु.करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षमता(एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (रु.करोड़ में)	स्थिति		
				कोयला शेष नहीं	पूर्ण हुई	चालू
100 या अधिक	22	154.90	10267.757	0	10	12
50 से 100	10	27.33	861.36	0	6	4
20 से 50	11	29.6	429.48	1	10	0
20 से कम	8	12.58	112.08	1	6	1
कुल	**51**	**224.41**	**11670.677**	**2**	**32**	**17**

16.7 पूर्ण परियोजनाएं: - **34**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत क्षमता(एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (रु.करोड़ में)	पूर्ण होने की तिथि
तालचेर कोयलांचल				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	156.49	मार्च 1995
2.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-।	1.50	46.99	मार्च 1997
3.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-।।	6.50	35.88	मार्च 2007
4.	बलंडा ओ/सी (रिक्त हुआ)	1.00	36.87	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी (कलिंग ओसीपी)	8.00	345.96	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97(आरसीई)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-।	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	छेडिपदा ओ/सी	0.35	19.75	मार्च 2007
9	हिंगुला-।। ओ/सी	2.00	48.57	मार्च 2002
10.	हिंगुला-।। ओ/सी विस्तार,चरण-।	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला-।।ओ/सी विस्तार,चरण-।।	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ/सी,जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71/4.71	मार्च 1991
13.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार,चरण-।।	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।।	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।।।	3.00	125.047(आसीई)	मार्च 2014
18.	नंदिरा यूजी (वृद्धियुक्त)	0.275	17.95	मार्च 1995
उप जोड़ *(शेष हुए खदानों की क्षमता सहित)*		**56.625**	**1573.227**	
ईब वैली कोयलांचल				
19.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00	131.31 (आरसीई)	मार्च 1994
20.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार,चरण-।	1.50	35.47	मार्च 2007
21.	लजकुरा ओ/सी	1.00	38.98 (आरसीई)	मार्च 1991
22	लखनपुर ओ/सी	5.00	221.51	मार्च 2000
23	लजकुरा ओसीपी विस्तार,चरण-।	1.50	60.77 (आरसीई)	मार्च 2013
24	लखनपुर ओ/सी विस्तार,चरण-।	5.00	98.74	मार्च 2010
25	लखनपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।	5.00	116.54	मार्च 2011
26	लिलारी ओ/सी	0.80	19.78	मार्च 1992
27	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	126.85	मार्च 1996
28	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।	1.00	28.69	मार्च 2007
29	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।।	1.00	13.38	मार्च 2007
30	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।।।	2.00	87.95	मार्च 2009
31	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण -IV.	5.00	27.82	मार्च 2013

32	बसुंधरा (पूर्व) ओ/सी *(रिक्त हुई)*	0.60	19.69	मार्च 1998
33	बसुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	2.40	176.55	मार्च 2007
34	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार चरण-।	4.60	46.52	मार्च 2011
उप जोड़ *(शेष हुए खदानों की क्षमता सहित)*		**41.40**	**1250.55**	
कुल *(शेष हुए खदानों की क्षमता सहित)*		**98.08**	**2823.777**	

16.8 चालू परियोजनाओं की संख्या : 17

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत क्षमता(एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (रु.करोड़ में)	पीआर अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोयलांचल				
1	अंनता ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	3.00	207.28	31.08.2008
2	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।	6.00	95.87	29.03.2003
3	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	9.00	131.39	12.02.2007
4	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00 *	172.08	22.12.2007
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
6	हिंगुला -।। ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	7.00	479.53	08.11.2008
7	जगन्नाथ पुनर्गठन	6.00 *	337.66	26.05.2014
8	जगन्नाथ यू/जी	0.67	80.75	15.10.2001
9	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
10	नटराज यू/जी	0.64	92.11	30.01.2001
11	तालचेर (पश्चिम) यू/जी	0.52	85.08	18.02.2002
	उप जोड़	**56.83**	**2629.62**	
ईब वैली कोयलांचल				
12	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00 *	479.15	07.05.2014
13	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार,चरण-।।	4.50	14.40	04.02.2011
14	कुल्डा ओसीपी	10.00	302.96	12.01.2005
15	कुल्डा विस्तार ओसीपी	5.00	289.03	25.06.2014
16	सियारमाल ओसीपी	40.00	3756.36	29.05.2014
17	गर्जन बहाल ओसीपी	10.00	1375.38	08.11.2014
	उप जोड़	**69.50**	**6217.28**	
	कुल *(चालू परियोजनाएं)*	**126.33**	**8846.90**	
सकल जोड़ *(शेष हुए खदानों की क्षमता सहित)*		**224.41**	**11670.677**	

*** मूल परियोजनाओं का विस्तार है उसके साथ अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं।इसलिए क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।**

नोट – दो कोल ब्लॉक जिसका नाम तलाबिरा-।। एवं ।।। तथा तलाबिरा का उत्कल-ए तथा गोपाल प्रसाद ओसीपी है,को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25 अगस्त 2014 के निर्णय के अनुसार निरस्त कर दिया गया है, तदनुसार इन दो परियोजनाओं को एमसीएल के चल रहे परियोजना की सूची से हटा दिया गया है।

16.9 शेष पुरानी भूमिगत खदानें : - 06

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित क्षमता एमटीवाई में (मि.टन/वर्ष)			
		2012-13.	**2013-14.**	**2014-15**	**2015-16**
1	हिमगीर रामपुर कोलियरी	0.245	0.245	Closed	Closed
2	हीराखंड बुंदिया माईन	0.612	0.551	0.551	0.612
3	ओरियेंट माईन नं.1 एवं 2	0.490	0.490	0.428	0.428
4	ओरियेंट माईन नं 3	0.612	0.643	0.551	0.490
5	ओरियेंट माईन नं 4	0.061	0.061	0.061	0.061
6	तालचेर यूजी	0.323	0.329	0.318	0.340
	कुल	**2.343**	**2.319**	**1.909**	**1.931**
	समग्र कुल -एमसीएल	*(कोयला समाप्त खदानों की क्षमता सहित)*			**226.286**

गैर-खनन परियोजनाएं:-

16.10 एमसीएल की लागत रु.20 करोड़ से अधिक की बड़ी चालू गैर-खनन परियोजनाएं :

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**पूँजीगत लागत (करोड़ रु.में)**
1	बुंदिया खदान में 12.54 किलोमीटर का एनएच 200 का कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण।	135.29
2	5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ईब वैली के सभी सीटी रोड का निर्माण।	94.22
3	लजकुरा वेलकम गेट से माइन नं-3 जंक्सन हेतु 3.7 किलोमीटर बाईपास रोड का निर्माण।	35.56
4	तालचेर कोलफील्ड्स में चार लेन का 41.5 कि.मी. रोड का निर्माण।	251.35
5	लिंगराज ओसीपी चेक पोस्ट से एनएच 200 के डायवर्सन रोड का निर्माण।	135.16
6	तालचेर क्षेत्र स्थित घंटपड़ा गांव के निकट लेबल क्रासिंग में आर.ओ.वी. का निर्माण।	37.50
7	कनिहा के अतिरिक्त तालचेर कोयलांचल में 5 वर्षों से अधिक अवधि तक चलनेवाला कंक्रीट के सभी सीटी रोड का निर्माण।	165.92
8	27 कि.मी. तक का बांकीबहाल से कनिहा रेलवे एडीजी तक दो से चार लेन की सड़क का चौड़ीकरण।	मूल- 162.87 संशोधित- 266.50
9	15 एमटीवाई हेतु अनंता स्पर साइडिंग में साइलो लोडिंग व्यवस्था।	198.66
10	15 एमटीवाई हेतु भरतपुर स्पर साइडिंग में साइलो लोडिंग व्यवस्था।	173.20
11	लजकुरा ओसीपी हेतु 16 एमटीवाई साइलो लोडिंग व्यवस्था।	237.56
12	झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेलवे लाईन।	मूल- 469.68 संशोधित- 1007.12
13	अनगुल स्टेशन से कलिंगा सीपीपी तक रेलवे लिंक ।	99.00
14	तालचेर और पारादीप पोर्ट के बीच ओटो सिग्नलिंग सिस्टम।	63.23
15	ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा तालचेर कोलफील्ड्स में रेलवे साइडिंग (अनंत तथा बलराम साइडिंग के अतिरिक्त) का उन्नयन तथा रख-रखाव।	53.53

16	तालचेर एवं तालचेर यार्ड से भुवनेश्वरी ओसीपी हेतु टीएलएसबी हेतु तीसरा लाईन का निर्माण।	47.60
17	एसईसी रेलवे द्वारा एमसीएल के ईब कोलफील्ड्स के रेलवे साइडिंग का रख-रखाव तथा उन्नयन ।	40.16
18	बी-ओ-एम आधार पर बसुंधरा वाशरी (10.00 एमटीवाई)	165.79
19	बी-ओ-एम आधार पर जगन्नाथ वाशरी(10.00 एमटीवाई)	265.35
20	बी-ओ-एम आधार पर ईब वैली वाशरी(10.00 एमटीवाई)	336.90
21	बी-ओ-एम आधार पर हिंगुला वाशरी(10.00 एमटीवाई)	181.00
कुल:		**3990.60**

16.11 एमसीएल की पूर्ण गैर-खनन परियोजनाएं : लागत > ₹ 20 करोड़:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूँजीगत लागत (करोड़ रु.में)
1	5 वर्ष से अधिक चलनेवाली बी-जी एरिया में सभी सी.टी रोड का कंक्रीट निर्माण।	22.96
2	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण।	26.92
3	एमसीएल के ईब-कोलफील्ड्स का साइडिंग में क्षमता वृद्धि।	27.57
	कुल:	**77.45**

16.12 वर्ष 2015-16 वर्षावधि में निम्नलिखित परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूँजीगत (करोड़ रु. में)	अभ्युक्तियां
1.	समलेश्वरी ओसीपी विस्तार(सभी सीम सहित) क्षमता 20 एमटीवाई)	20 एमटीवाई	विकल्प -I : 5755.97 करोड़ विकल्प -II : 2149.19 करोड़ विकल्प -III : 2787.42 करोड़	एमीसएल द्वारा परियोजना प्रतिवेदन मंजूर।
2.	भरतपुर ओसीपी विस्तार का पुनर्गठन	(संयुक्त क्षमता 20.0 एमटीवाई, उच्च क्षमता 26.0एमटीवाई	वैरियेंट -I : 1979.48 करोड़ वैरियेंट -II : 961.29 करोड़	परियोजना प्रतिवेदन पर चर्चा की गई तथ संशोधित परियोजना प्रतिवेदन को तैयार किया जा रहा है।

16.13 **विदेशी सहयोग**: **शून्य**

16.14 **आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी समावेश:**

क. उच्च क्षमता के एचईएमएम जैसे 10 घनमीटर एवं 20 घनमीटर शावल 100टी एवं 170 टी डम्पर्स 770 एचपी डोजर्स इत्यादि की अभिकल्पना अभी हाल ही में संस्वीकृत परियोजना रिपोर्टों में की गई है।

ख. एमसीएल की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में सतत खनन को लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

ग. एमसीएल सतही खानों में खानों को खोदने के लिए तथा कोयला प्राप्त करने के लिए विस्फोटरोधी प्रौद्योगिकी लागू करने में अग्रणी है।

घ. तीव्र लोडिंग प्रणाली के साथ साइलो एमसीएल की सभी मुख्य खुली परियोजनाओं (ओसीपी) में लागू की जा रही है।

16.15 सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाएं : शून्य

16.16 वर्ष 2015-16 के दौरान भू-अधिग्रहण एवं कब्जा :

(आंकड़े हेक्टेयर में**)**

क्षेत्र	काश्तकारी		सरकारी गैर-वन		वन भूमि		कुल अधिग्रहण	कुल कब्जा	टिप्पणी
	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा			
जगन्नाथ	0.000	8.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.800	
हिंगुला	265.880	79.535	65.342	0.000	9.207	0.000	340.429	79.535	कोयला मंत्रालय के आदेश क्रमांक.1261(ई) दिनांक 29.03.2016 अधिसूचना नं.9(I) के तहत 340.429 एचए गोपाल प्रसाद कोल ब्लॉक(बलराम) के अधिग्रहण हेतु स्वीकृत है।
भरतपुर	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	
लिंगराज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
कनिहा	0.000	2.464	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.464	कोयला मंत्रालय के आदेश क्रमांक.2828(ई) दिनांक 07.10.2015 अधिसूचना नं.7(I) के तहत 1141.477 एचए नीलांचल कोल माइनिंग ब्लॉक(गोपाल-कनिहा ओसीपी) के अधिग्रहण हेतु स्वीकृत है।
ईब वैली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.479	0.000	22.479	
लखनपुर	0.000	117.714	0.000	36.53	0.000	16.91	0.000	171.154	
बसुंधरा एवं गर्जनबहाल क्षेत्र	0.000	0.922	**0.000**	0.000	0.000	0.000	0.000	0.922	
कुल	**265.88**	**214.435**	**65.342**	**36.53**	**9.207**	**39.389**	**340.429**	**290.354**	

<u>एमओयू लक्ष्य:</u> सीवीए के अनुच्छेद की अधिसूचना 7(I) के तहत **800.00** एचए।
सीवीए के अनुच्छेद की अधिसूचना 9(I) के तहत 300.00 एचए।
भूमि पर कब्जा - 271.00 एचए।

<u>उपलब्धि :</u> सीवीए के अनुच्छेद की अधिसूचना 7(I) के तहत **141.477** एचए है,एसओ सं. **2828(ई)** दिनांक **07.10.2015** को नीलांचल कोयला खनन ब्लॉक,गोपालजी खुली खदान परियोजना,कनिहा में **1141.477** एचए है।

सीवीए के अनुच्छेद की अधिसूचना 9(I) के तहत 340.429 एचए है,एसओ सं. 1261**(ई)** दिनांक 29.03.2016 को गोपाल प्रसाद(बलराम ओसीपी विस्तार) ओसीपी में 290.354 एचए है।

16.17 **निर्माण,संचालन एवं अनुरक्षण(बीओएम) के आधार पर वाशरी की स्थिति:**

सीआईएल के निर्णयानुसार निर्माण, संचालन, अनुरक्षण (BOM) अधिक राखवाले कोयले की किफ़ायती धुलाई के लिए वाशरी की स्थापना के लिए एमसीएल प्रथम चरण में 10 एमटीवाई क्षमतावाली चार कोयला वाशरी अर्थात हिंगुला वाशरी,कुल्डा ओसीपी में बसुंधरा वाशरी, लखनपुर में ईब वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी की स्थापना कर रहा है। प्रथम चरण की वाशरी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालन करने की योजना है।

दूसरे चरण में एमसीएल दो वाशरियों अर्थात टर्नकी पर आधारित 20 एमटीवाई क्षमता की लखनपुर वाशरी तथा 40 एमटीवाई क्षमता की सियारमाल वाशरी लाने की योजना बना रही है। दूसरे चरण की वाशरी 2018 के बाद जल्द ही संचालित की जानी है। प्रथम चरण की सभी चार वाशरियों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(क) **हिंगुला वाशरी क्षमता 10 एमटीवाई:**

1. दिसंबर 2013 में निम्नतम बोलीदाता को सूचना पत्र दिया गया
2. जनवरी 2015 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा टीओआर जारी किया गया।
3. 30 अक्टूबर 2015 को ईसी प्रदान किया गाय।
4. 29 दिसंबर 2015 को एसपीसीबी द्वारा स्थापना हेतु सहमति दी गई और 30 दिसंबर 2015 को प्राप्त की गई।
5. 1 जनवरी 2016 को मेसर्स एमआईईएल को एलओए जारी किया गया।
6. संविदा पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ख). **कुल्डा ओसीपी मे 10 एमटीवाई क्षमता की बसुंधरा वाशरी:**

1. मई 2014 में निम्नतम बोलीदाता को सूचना पत्र दिया गया।
2. जनवरी 2015 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा टीओआर जारी किया गया।
3. दिनांक 22 जनवरी 2016 को अपलोड किए टीओआर में संशोधन की सिफ़ारिश करते हुए दिनांक 7 जनवरी 2016 को ईएसी बैठक का कार्यवृत्त रखा गया।
4. दिनांक 27 फरवरी 2016 को जन सुनवाई के लिए एसपीसीबी को प्रमुख ईआईए/ईएमपी मसौदा प्रस्तुत किया गया।
5. 29.41 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्जन के संबंध में मार्च 2016 की समाप्ति तक प्रथम चरण के निकासी की आशा है।
6. 6.82 हेक्टेयर कृषि भूमि के अधिग्रहण एवं अधिकरण के लिए 18 जनवरी 2016 को कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया। अधिग्रहण जून 2016 तक अपेक्षित है।
7. मार्च 2016 तक 0.85 हेक्टेयर शासकीय बंजर भूमि के अधिग्रहण एवं अधिकरण की आशा है।
8. पर्यावरणीय निकासी के बाद ही निम्न बोलीदाता को लेटर आफ एवार्ड जारी किया जा सकता है।

(ग) लखनपुर में 10 एमटीवाई क्षमता की ईब वैली वाशरी

1. नवंबर 2014 में एमसीएल मण्डल द्वारा संशोधित वैचारिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
2. मई 2015 में ईब वैली वाशरी के लिए आई-निविदा अपलोड की गई।
3. 9 सितंबर 2015 को बोली की शुरूआत की गई।
4. निविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
5. जून 2015 में टीओआर की प्राप्ति की गई।
6. 15 फरवरी 2016 को पीएच का आयोजन किया गया
7. एसपीसीबी की सिफ़ारिश सहित सभी संबोधित मुद्दों को दिनांक 29 फरवरी 2016 को पर्यावन एवं वन मंत्रालय को अंतिम ईएमपी प्रस्तुत की गई।
8. 17 मार्च 2016 को ईसी के लिए ईएसी बैठक का आयोजन किया जो निम्न बिन्दुओं से भिन्न थी।

i. टीओआर से अनुबंध को निरस्त करने के लिए एमसीएल के साथ किसी निश्चित समझौता ज्ञापन की गैर-प्रस्तुती।
ii. कोर जॉन से परे बेस लाइन डाटा की गैर प्रस्तुती।
iii. पर्याप्तता के मुद्दे के लिए ईएसी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सीसी को अनुरोध किया अन्यथा राज्य सरकार प्राधिकारी के साथ जन सुनवाई

(घ). **<u>जगन्नाथ वाशरी क्षमता 10 एमटीवाई:</u>**

1. नवंबर 2014 में एमसीएल मण्डल द्वारा शांशोधित वैचारिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
2. जून 2015 में जगन्नाथ वाशरी के लिए ई-निविदा अपलोड की गई।
3. 20 सितंबर 2015 को बोली खोली गई।
4. निविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
5. 13 अगस्त 2015 को प्राप्त टीओआर बैकफील्ड क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट के संबंध में 01.02.2016 को संशोधित टीओआर प्राप्त किया गया है।
6. 16 फरवरी 2016 को आयोजित पीएच निरस्त किया गया। दिनांक 12 अप्रैल 2016 को वही पीएच पुन: सूचीबद्ध किया जाएगा। यद्यपि कोयला मंत्रालय के सलाहकर ने ईआईए/ईएमपी को अपलोड करने का सुझाव दिया जिसे खदान के पट्टाधारी क्षेत्र में वाशरी स्थित है, जिसके लिए पीएच को पहले से संचलित किया गया है।
7. तदनुसार दिनांक 13 मार्च 2016 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वैबसाइट पर अंतिम ईएमपी अपलोड की गई थी।

17. भू-गर्भीय अन्वेषण:

विवरण	2014-2015	2015-2016	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1. सीआईएल ब्लाक में कुल ड्रीलिंग(मीटर में)	22205.00	23000.00	23611.30
2. वर्ष 2015-16 में प्रमाणित आरक्षित कोयला(मि.टन में)	2204.643		754.885 (बैतरिणी पूर्व)

18. पर्यावरण प्रबंधन-

18.1 वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर एवं स्थिरता की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन:

एमसीएल गत चार वर्षों से सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता रहा है। वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट का शीर्षक 'फ्यूलिंग प्रोग्रेस' है और यह जीआरआईजी-4 इन एकारडेंस' से संबंधित है जिसमें खनन और धातु उपक्रम पुरक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ट्रीपल बॉटम लाईन के अलावा यह रिपोर्ट कंपनी के मूल पक्षों पर प्रकाश डालती है। यह स्टेक होल्डर संदर्भ के महत्व के परिमाणात्मक सूचनाओं के समर्थित रणनीतिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों के समेकित दृश्य प्रस्तुत करता है। स्थिरता रिपोर्टिंग में हमारा कार्मिक विकास समकक्षों की तुलना में लाभ में मानक बेंचमार्क पर्यावरण एवं समाज हेतु वचनबद्धता को पूरा करने में मदद करता है। हम मूलभुत मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स की स्थिरता समाप्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं।

18.2 **वैधानिक अनुपालन – एमओईएफसीसी से पर्यावरण क्लीयरेंस व संदर्भ शर्तें(टीओआर)**

ईआईए अधिसूचना 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार किसी भी खदान के संचालन या विस्तार / वृद्धि किए जाने के पूर्व केन्द्र सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या लघुनाम एमओईएफ) जरूरी है।

तदनुसार, एमसीएल सभी खानों (नई और विस्तार) के लिए नियमित रूप से आवेदन कर पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करता है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त की पर्यावरण क्लीयरेंस की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

(सभी आंकड़े मि.टन में)

क्र.सं.	विवरण	तालचेर कोयलांचल	ईब वैली कोयलांचल	कुल
1	31.03.2015 को उपलब्ध ईसी	116.43	**69.06**	185.49
2	2015-16 में प्रदत्त ईसी (अतिरिक्त क्षमता)	10.00	0.00	10.00
3	1.4.2016 को कुल उपलब्ध ईसी	126.43	**69.06**	195.49
4	ईएसी द्वारा अनुशंसित ईसी* (अतिरिक्त क्षमता)	4.00	0.00	4.00
	कुल			**199.49**

- वर्ष 2015-16 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चार ईसी प्राप्त की गई।

क्रस.	परियोजना का नाम	ईसी का पत्रांक एवं तिथि
1	हिंगुला ओसी विस्तार 15.0 एमटीवाई	जे-11015/240/208-IA.II(एम) दि. 28/10/15
2	हिंगुला वाशरी 10.0 एमटीवाई	जे -11015/67/2013-IA-II दि. 28/10/15
3	लिंगराज ओसी विस्तार 20.0 एमटीवाई	जे -11015/174/2010-IA.II(एम) दि. 27/11/15
4	मंडापाल सैंड माईन 0.25 एमएमक्यु प्रति वर्ष	जे -11015/421/2015-IA.II(एम) दि. 28/01/16

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संदर्भ शर्तों (टीओआर) और इसके विस्तार के लिए ईएसी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 04 आवेदन पर विचार करते हुए निम्नानुसार संदर्भ शर्तों की स्वीकृति दी गई :

क्रस.	परियोजना का नाम	टीओआर प्राप्त करने की तिथि
1	जगन्नाथ वाशेरी-10 एमटीपीए	13/08/2015 & 01/02/2016 (टीओआर में संशोधन)
2	ईब वैली वाशरी- 10 एमटीपीए	25/06/2015
3	बसुंधरा वाशरी-10 एमटीपीए	29/02/2016 (टीओआर में संशोधन)
4	काकूडी एवं किशोरीपाल सैंड माईन-0.25 एमक्युएम	17/04/2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक सुनवाई के 04 आवेदन ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रस्तुत किए गए थे उनमें से 03 का विविरण निम्नानुसार है :

क्रमां	परियोजना का नाम	लोक सुनवाई की तारीख
1	बलराम ओसीपी का विस्तार 20 एमटीपीए	12/05/15
2	जगन्नाथ वशेरी 10 एमपीटीए	16/02/16
3	इब वैली वशेरी 10 एमटीपीए	15/02/16

18.2.1 वैधानिक अनुपालन - पोस्ट- ईसी क्लीयरेंस

- एमसीएल के सभी ऑपरेटिंग खानों और एक रेलवे साइडिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल और वायु अधिनियमों के तहत "संचालन की सहमति" प्राप्त किया गया है।
- तालचेर कोलफील्ड्स में 23 स्थानों पर बोर होल ड्रीलिंग एवं पिजोमीटर (दबाव नापने का यंत्र) का निर्माण कार्य तथा ईब-वैली कोलफील्ड्स में 17 हाइड्रोजियोलोजिकल प्रभाव के मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों को पूर्ण करने का कार्य मेसर्स पीआरबी इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा किया गया। तालचेर कोलफील्ड्स हेतु रु.1.47 करोड़ मूल्य का संविदा तथा मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइज़ेज, झारसुगुड़ा द्वारा रु.94.65 लाख मूल्य के संविदा का कार्य किया गया।
- उत्खनन कार्मशाला सहित संचालित खुली खदानों (जहॉ उपयोगित बैटरी, उपयोगित ऑयल व ग्रीस बचे रह जाते है) तथा वॉशिंग रैंप से बहनेवाली बेकार जल (जो तैलीय कीचड़ उत्पन्न करता है) से ऑयल व ग्रीस को अलग करने के लिए की गई व्यवस्था के लिए एसपीसीबी से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ नियमों के तहत "प्राधिकार" प्राप्त किया गया है । उपयोगित बैटरी तथा अपशिष्ट से निष्कासित ऑयल व ग्रीस को पर्याप्त संचयन पश्चात एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से पुन: प्रक्रियाओं के लिए अधिकृतों को निलाम कर दिया जाता है । नियमानुसार, बैटरियों के लिए अर्द्धवार्षिक विवरणी एवं अन्य खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक विवरणी एसपीसीबी में दाखिल की जाती है ।
- वर्ष के दौरान एमसीएल के 3 अंतर्विषयक अधिकारियों के दल द्वारा 22 संचालित खानों में से प्रत्येक का पर्यावरणीय लेखा परीक्षा किया गया ।
- (डबल्यूपीसी) 6976 के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार एमसीएल की सभी 15 खुली खदान खानों के सरफेस रन-ऑफ अध्ययन के लिए कार्यादेश जारी किया गया है जिसमें प्रबंधन योजना व शून्य रिसाव के संभावना की तलाशना भी शामिल है ।एनआईटी, राउरकेला के द्वारा गुणवत्ता तथा संस्थात्मकता से संबंधित प्रतिवेदन ओएसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया। एनआईटी का निम्नलिखित प्रतिवेदन एमसीएल के सभी 15 ओसीपी को शून्य निष्पादन किया जा सका
- निर्धारित दिनांक 30 सितंबर के अंदर ही दिनांक 30 सितंबर को सभी 22 संचालित खानों के लिए पर्यावरण सुरक्षा नियमावली के नियम 14-के तहत प्रपत्र--V में वार्षिक पर्यावरण विवरण एसपीसीबी के पास जमा कर दिया गया ।
- पर्यावरण क्लीयरेंस स्थिति के अनुपालन में ईआईए अधिसूचना के तहत पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त सभी संचालित खानों के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन एमओईएफ के पास इस वर्ष में जमा कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय,एमओईएफ, भुवनेश्वर के पदाधिकारीगण समय-समय पर इन अनुपालनों के निगरानी के लिए खानों का निरीक्षण किया है।

18.3 पर्यावरण रक्षा व सुधार के लिए किए गए उपाय:

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी लंबे समय से लंबित प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तथा इनके साथ काफी संख्या में उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है।

- एमसीएल सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का पर्यावरणमुक्त उपयोग करते हुए कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि की जाती रही है (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत से 2015-16 में 91.5 प्रतिशत) । 2015-16 के दौरान एमसीएल ने सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का व्यवहार कर कुल 137.91 लाख टन (91.15%) में से 125.69 लाख टन कोयला का उत्पादन किया यह एक गैर-विस्फोटक खनन तकनीकी है, जिसमें धूल उत्पन्न होनेवाली यथा ड्रिलिंग,ब्लास्टिंग तथा पूरी तरह से निरस्त क्रियाएं जहां होती है, वहीं उसी समय जल भी प्रस्कृतिट होती है (इसके अतिरिक्त कोयला तथा पत्थर के चयनित कानन के पृथक परतों को मशीन द्वारा धूल की मात्रा में 4 से 5 प्रतिशत तक की कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप पावर प्लांट में कम धूल के साथ-साथ ग्रीन हाउस गैस में भी कमी आती है । मूल यूनिट ऑपरेशन यथा ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर अनलोडिंग तथा रिलोडिंग तथा रस परिचालन में होनेवाली डीजल की खपत के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में भी कमी आती है जैसाकि परंपरागत प्रणाली में पहले किया जानेवाला कोयला उत्पादन में पावर प्लांट के परिवहन की कमी की इस मात्रा के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कमी हो गयी थी, जिसकी मात्रा 3 से 5 % आश की थी जिसमें बड़े पैमाने पर परिवहन की दूरी को भी तय करना होता था। अनुमान है कि एमसीएल ने लगभग 1,28,438 टीई इस लेखा ट्यून के कार्बन फूटप्रिंट को कम किया है ।
- कोयला परिवहन धूल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, किंतु एमसीएल में 75% कोयले का परिवहन रेल के माध्यम से है जो अत्यंत पर्यावरणीय अनुकूल, लंबी-दूरी, उच्च गति इनलैंड मास यातायात प्रणाली है जिसमें एक रैक में 3,800 टन कोयले का बिना प्रदूषण फैलाए परिवहन होता है जो 300 ट्रकों द्वारा प्रत्येक में लगभग 13 टन कोयला ले जाने के समकक्ष होगा जिनसे प्रदूषण का स्तर कल्पना के परे होगा ।
- रेक लोडिंग सुविधा व रेल बुनियादी ढांचे में बढ़ोत्तरी/उन्नति लाई जा रही है तथा इसे दृढ़ (पटरियों का उन्नयन करना, पटरियों को दोहरा करना, साइडिंग का आपस में जोड़ना, स्वचलित सिग्नल प्रणाली आदि) बनाया जा रहा है । वर्तमान में 22 साइडिंग व 3 एमजीआर के माध्यम से कोयला परिवहन हो रहा है । रेक लोडिंग में वृद्धि दर्ज करते हुए औसत में तालचेर कोलफील्ड्स से प्रतिदिन 40 रेक लोडिंग तक की व ईब वैली कोलफील्ड्स से प्रतिदिन 25 रेक लोडिंग तक की वृद्धि हुई है ।
- भरतपुर (आरएलएस) संचालन में है। छः अतिरिक्त साइलो संचालन हेतु प्रक्रिया में है ।
- खनन गतिविधियों के कारण धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 28 कि.ली. के 80 मोबाइल जलवाहक नियोजित किए गए है । 28 कि.ली. के एक मोबाइल जलवाहक के लिए लगभग 1 करोड़ का पूंजीगत व्यय व लगभग 85 लाख/जलवाहक/वर्ष का राजस्व व्यय होता है।
- कोलफील्ड्स में खनन लीज से बाहर के कोयला परिवहन सड़कों में धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 12 कि.ली. क्षमता के मोबाइल जलवाहक नियोजित किए गए है ।
- सभी रेलवे साइडिंग में वैगन लोडिंग के दौरान धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अचल फुहारे लगाए गए हैं । मोबाइल जलवाहक भी उपलब्ध किए गए है ।

- कोल हैंडलिंग संयंत्र में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मिस्टर्स ,अचल फुहारे तथा मोबाइल जलवाहक उपलब्ध हैं। तथापि काफी नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन और सीएचपी में क्रशिंग कि आवश्यकता में कमी के करण सीएचपी से धूल उत्सर्जन में काफी कमी आई है ।
- इस वर्ष के दौरान पक्की तथा कच्ची ब्लैक टोपपिंग सड़कों का रख-रखाव तथा उसकी सदृंढिकरण का कार्य संपन्न किया गया ।
- मानवीय सफाई और छलकाव और कोयला परिवहन सड़कों पर धूल का संग्रहण।
- तालचेर और ईब वैली कोयलांचल पक्के कोयला परिवहन सड़कों को झाड़ने तथा कोयले के चूर्ण और धूल को संग्रहण के लिए निर्वात प्रचालित मैकेनिकल रोड स्वीपर में तीन हेवी ड्यूटी ट्रक कार्यरत है।
- सभी ड्रील धूल निकासी एवं वेट ड्रीलिंग सिस्टम से युक्त है।
- सभी क्षेत्र के लिए एक पूर्व एनआईटी हेतु मिस्ट बलोअर-सह-रोड फ्लोअर 10 एनओएव की प्राप्ति के लिए आमंत्रित किया गया था तथा एएमआर योजना के आधार पर तथा पी एंड एम मांग को तैयार किया गया। एक वर्ष की बारंटी के बाद के 5 वर्ष का एएमसी के साथ रु.5,517 करोड़ स्वीकृत किया गया। इस प्रणाली की सहायता से एमसीएल रोड ट्रक परिवहन से होनेवाले धूल को नियंत्रण करने में सक्षम है।
- आवासीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना सहित हरित पट्टियों का विकास कार्य निरंतर जारी है।

लिंगराज ओसीपी में यांत्रिक स्वीपर

इकोफ्रेंडली सरफेस माइनर(ड्रीलिंग,ब्लास्टिंग तथा संपूर्ण उपस्कर क्रसिंग) साथ ही ड्रम रोटेशन के साथ लाक्ड वाटर स्प्रींक्लींग जिससे धूल में कमी आती है, के द्वारा 91 % का कोयला उत्पादन।

18.3.2 जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय **:**

- खनन जल ड्रेनेज को पंप के सहारे निकासी के साथ-साथ ओबी धूल के साथ जल बहाव को तैयार किए गए तालाब में भर लिया जाता है जो पहले से तैयार नदी तथा अन्य जल निकायों के अवसादों तथा सेटलिंग से बचाव द्वारा निष्पादित होता है। यद्यपि धूल,अग्निशामक, पेयजल आपूर्ति आदि हेतु पानी की कमी के कारण जल के वाह्य निकास में बाधा आ जाती है। माइन व्याड्स तालाब में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण का कार्य करता है जहां टीएसएस गुरूत्वाकर्षण के कारण जल की शुद्धि तथा उसकी पैमानता को बनाये रखता है।
- खुली खदानों की कार्यशालाओं में आयल एवं ग्रीस ट्रेप्स लगाए गए हैं ताकि अपशिष्ट जल से तेल एवं ग्रीस एवं तैलीय बहाव को दूर किया जा सके.
- समलेश्वरी एचईएमएम कर्मशाला में ऑयल स्कीमर लगाए गए है जो खान कार्यशालाओं में अभिनव प्रणाली है ।
- एचईएमएम कार्मशाला के सभी ईटीपी/ओजीटी को रिसाव शून्य बनाया गया है तथा शोधित जल को इन कार्यशालाओं में पुन: उपयोग में लाया जाता है ।
- क्वारी की चारदीवारी एवं ओबी डम्प के आसपास गारलेंड ड्रेन्स एवं कैच ड्रेन्स लगाई जाती हैं ताकि तलछटों को काबू किया जा सके और प्राकृतिक नालियों में जाने से रोका जा सके।
- घरेलू मल-प्रवाह की देखभाल के लिए सात बस्तियों में मलप्रवाह शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए गए है । लजकुरा ओसीपी कॉलोनी में एक नया एसटीपी निर्माणाधीन है ।
- भूमिगत जल की पूर्ति हेतु अनुप्रयोग रिक्त खदान प्राकृतिक जल संरक्षण के रूप में कार्य करती हैं।
- तालचेर, ईब वैली, बेलपहाड़ एवं बसुंधरा की समेकित जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) का संचालन किया जाता है। भूमिगत खानों के पानी का प्रयोग करते हुए तालचेर एवं ओरियेंट क्षेत्रों में मौजूद छोटे स्तर की जल शुद्धिकरण इकाइयों का प्रयोग घरेलू आपूर्ति के लिए किया जाता है।

18.3.3 ध्वनि एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय :

- कुल कोयले का 91.15% उत्पादन विस्फोट रहित पर्यावरणीय अनुकूल सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी से किया जाता है जिससे आकारित कोयले उत्पादन हेतु ड्रिलिंग, विस्फोटन और सीएचपी प्रचालन हेतु पारंपरिक खनन वांछित होता है, की तुलना में शोर और भूमि स्पंदन काफी हद तक कम हो जाता है।
- आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है तथा वर्ष के दौरान कुछ नए स्थानों पर अवसंरचना का अनुरक्षण भी किया गया।
- शोर शराबे में कार्य करनेवाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया जिससे कम शोर तथा कम भूमिगत कंपन हुआ। नियंत्रित विस्फोट का भी प्रयोग किया गया।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली तकनीक लगाई गई हैं।

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण.

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयलेवाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में पौध-रोपण किया गया।
- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खानों में कंपनी ने आवश्यक भौतिक सुधार करने के बाद बैकफील्ड आंतरिक डम्प तथा बाह्य डम्प पर मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों के 50.91लाख(टीसीएफ-2017 लाख, ईबवीसीएफ -29.91लाख एवं मुख्यालय-0.83 लाख) पौधे लगाए अन्य भूमि एवं खाली पड़े स्थानों पर भी पौधे लगाए गए ।
- आवसीय टाउनशिप एवं कार्यालय परिसर में विशेष तौर पर फलों, फूलों एवं औषधीय पौधों एवं पेड़ों का पौधारोपण भी किया गया।
- इस वर्ष 1,73,303 नग पौधे रोपित व 1,52,429 नग वितरित किए गए ।
- एमसीएल के पौधरोपण(20कि.ग्रा./वृक्ष/वर्ष) गतिविधियों के कारण CO_2 के कार्बन फुट प्रिंट में 1,02,000 टन तक की कमी आई है ।
- घरेलू प्रदूषणों के शोधन हेतु सात मल शोधन संयंत्र लगाए गए। निकाली गई कीचड़ का प्रयोग टाउनशिप में पौधा-रोपण और बगीचों में खाद के रूप में किया जाता है। इन मल शोधन सयंत्रों से बहनेवाले शोधित पानी का सिंचाई प्रयोजनों हेतु पुन: प्रयोग किया जाता है।
- ईब वैली तथा तालचेर कोल्डफील्ड्स दोनों के लिए सीएमपीडीआईएल के माध्यम से 14 खुले खनन स्थानों (11> 5 एमएम^3 / वर्ष और चार > 5 एमएम^3 / वर्ष क्षमता) के लिए रिपोर्ट सेंसिंग पैटर्न द्वारा खानों के स्थान तथा भूमि की नियमित मानिटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

ओपेन कास्ट क्वायरी व्याड में वाटर हार्वेस्टिंग

वैकफील्ड क्षेत्र में जैविक सुधार

भरतपुर एवं बलंडा ओसीपी में वृक्षारोपण का आकाश से लिया गया चित्र

18.3.5 पर्यावरणीय मानिटरिंग:

- वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा यथा मान्यता प्राप्त, के माध्यम से वायु, जल एवं शोर प्रदूषण के संदर्भ में नित्य पर्यावरणीय मानीटरिंग की गई जिस पर लगभग ` 4.47 करोड़ खर्च हुए। सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पद्धतियों, फ्रीक्वेंसी इत्यादि का कड़ाई से अनुरक्षण किया गया।
- सांविधि के अनुसार मानीटरिंग के परिणामों को एसपीसीबी एवं एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मानीटरिंग परिणामों को मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
- जगन्नाथ तथा लखनपुर क्षेत्र में स्वचालित मौसम केंद्र को चालू किया गया।

18.4 एमसीएल के वेबसाइट का प्रकाशन:

- पारदर्शिता के प्रसार के लिए एमीसएल ने अपने वेबसाइट-www.mahanadicoal.in पर निम्नलिखित पर्यावरण सूचना का प्रकाशन तथा इसे निरंतर अद्यतन कर रहा है:
    i. एमओईएफसीसी द्वारा जारी पर्यावरण क्लीयरेंस पत्र तथा इसके अर्धवार्षिक संपादन।
    ii. प्रत्येक परियेजना हेतु संचालन परामर्श तथा स्थापना परामर्श।
    iii. प्रत्येक परियोजना का घातक कचड़े का प्राधिकरण।
    iv. एमसीएल के सभी प्रचालित खनन संचालन का पर्यावरणिक विवरण।
    v. वार्षिक सीएसआर तथा परिपूरक प्रतिवेदन।
    vi. वार्षिक तथा मासिक पर्यावरण निगरानी प्रतिवेदन।

18.5 **पुरस्कार और सम्मान :**

❖ इस वर्ष भी लजकुरा ओसीपी और कनिहा ओसीपी को कोलकाता में आयोजित 15वें वार्षिक ग्रीनटेक पुरस्कार 2015 में पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु धातु व खनन क्षेत्र में क्रमश: स्वर्ण व रजत पुरस्कार प्रदान किए गए ।

19. विक्रय एवं विपणन कार्य-निष्पादन :

एमसीएल ने वर्ष 2015-16 के दौरान 140.219 मिलियन टन के ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.99 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है, यह बढ़ोत्तरी हड़ताल, बंद, अक्तूबर, 2015 में चक्रवात के बावजूद और दिन के समय बसुंधरा और गर्जन बहाल क्षेत्र से कनिका साइडिंग को कोयले के परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध के बावजूद प्राप्त की गई ।

19.1 मांग एवं ऑफ-टेक:

वर्ष 2015-16 के दौरान 150 मि.टन लक्ष्य की तुलना में 140.219 मि.टन ऑफ-टेक किया गया, जो कि पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 93.5 प्रतिशत है जिस पर 17.218 मि.टन की वृद्धि हुई।

वर्ष 2015-16 के दौरान क्षेत्रवार ऑफ-टेक नीचे दिया गया है:

(मिलि.टन में)

क्षेत्र	2015-16			2014-15
	लक्ष्य		**%** प्राप्ति	वास्तविक
विद्युत (सीपीपी सहित)	123.115	111.465	90.5	103.780
सीमेंट	0.400	0.24	60.0	0.430
अन्य	26.485	28.509	107.6	18.786
कोलयरी में खपत	0	0.005	-	0.005
कुल	150	140.219	93.5	123.001

फोर्स मेजर के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान कोयला ऑफ-टेक में कमी का विवरण नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम/ ब्यौरा	**2015-16**			**फोर्स मेजर के कारण वास्तविक हानि**	**अभियुक्ति**
	एमओयू लक्ष्य	**वास्तविक**	**अंतर**		
कनिहा ओसीपी	12.00	9.799	2.201	2.24	**समर्पित एमजीआर द्वारा एनटीपीसी कनिहा ने कम कोयला उठाया ।**
लिंगराज ओसीपी	15.00	14.519	4.81	0.09	
कुलड़ा ओसीपी (एमटी)	7.00	5.269	1.731	4.19	**राज्य सरकार द्वारा दिन में 9 से 5 बजे तक परिवहन पर प्रतिबंध के कारण कम प्रेषण ।**
रेलवे के रेकों की संख्या में कमी के कारण बिक्री में गिरावट	77.7 (रैक/दिन)	65.4 (रैक/दिन)	12.3 (रैक/दिन)	17.22	**1 रेक=1.4एमटी/वर्ष, 2.8 रेक= 3.9 एमटी ।**
कुल					

फोर्स मेजर के कारण ऑफटेक के कुल हानि **23.74** एमटी लेकिन प्रभावी हानि **9.781** एमटी था क्योंकि अन्य खदानों ने ज्यादा प्रेषण किया है ।

19.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2014-15 में 65.4 रैक/ दिन के स्थान पर वर्ष 2015-16 में 59.8 रैक /दिन औसत दैनिक वैगन लोडिंग हुआ । गत वर्ष की तुलना में वैगन लोडिंग में 5.6 रैक/ दिन अर्थात 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रवार लक्ष्य एवं लोडिंग नीचे दिया गया है :

(ऑकड़े एफडब्लुडब्लु/दिन में)

कोयलांचल	**2015-16**			**2014-15**
	लक्ष्य	आपूर्ति	लदान	वास्तविक
ईब वैली	33.1	27.6	27.6	24.5
तालचेर	44.6	37.8	37.8	35.4
कुल	77.7	65.4	65.4	59.8

19.3. ई-ऑक्शन :

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 में स्पाट एंड फारवर्ड ई-ऑक्सन के तहत 29.541 मिलियन टन उपलब्ध कराया जिसके जवाब में उपभोक्ताओं/क्रेताओं ने 25.637 मिलियन टन की बुकिंग की जिससे अधिसूचित मूल्य पर रु.1019.75 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई।

19.4. ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए):

वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल ने उपभोक्ओं के साथ एक एफएसए हस्ताक्षर किया।

19.5 वर्ष 2015-16 के दौरान एमओयू मापदंड का निष्पादन:

क) वर्ष 2015-16 में स्वीकृत सैंपलिंग के तहत 100% कोयले का प्रेषण किया गया।

ख) वर्ष 2015-16 में रेल द्वारा विद्युत क्षेत्रों को 100% कोयले का प्रेषण किया गया।

ग) वर्ष 2015-16 में रेल द्वारा विद्युत क्षेत्रों को इलेक्ट्रोनिक वे-ब्रीज से वजन कर 99.16% कोयले का प्रेषण किया गया।

घ) वर्ष 2015-16 में संयुक्त सहमति मैकेनिज्म के द्वारा तीसरी पार्टी नमूने के आधार पर विद्युत उपयोगिता के लिए एफएसए के आधार पर 100% कोयले का प्रेषण किया गया।कुछ उपभोक्ता, जिन्होंने तीसरे सैंपलिंग पार्टी के रूप में भाग नहीं लिया है, उन्होंने घोषित ग्रेड के परिणाम के तहत 100% सैंपलिंग के लिए अपना योगदान दिया तथा इसे स्वीकार किया।

20. <u>कोयले की गुणवत्ता में सुधार</u>

एमसीएल कोयला के गुण्वत्ता के लिए उन सभी उपायों पर अमल करता है,जिसे विभिन्न पावर हाउस के साथ-साथ उपभोक्ता को आपूर्ति हेतु उनकी संतुष्टि का पूरा ध्यान रखता है। इस वर्ष के दौरान कोयले के प्रेषण हेतु सामान्य गुणवत्ता हेतु विविध उपाए किय गये हैं। इस वर्ष एमसीएल ने 140 या 21 एमटी का प्रेषण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जबकि गतवर्ष यह 123.006एमटी था। जहॉ तक इसकी गुणवत्ता की शिकायत का प्रश्न है, चालू वर्ष में यह शिकायत गतवर्ष के 33 की तुलना में 44 प्राप्त हुई।

कंपनी द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत् संवाद स्थापित किया गया है।
2. उपभोक्ताओं को कोल लोडिंग स्थलों तथा वे-ब्रीज के साथ-साथ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
3. उन मुख्य सभी साइडिंग्स, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है, जो उपयुक्त गुणवत्ता, वजन एवं कोयले के आकार को सुनिश्चित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर जिम्मेवार होंगे।
4. जब कभी भी विभाग में कोई शिकायत, चाहे छोटे या बड़े स्वरूप की हो, प्राप्त हुई है तब उसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर की गई है तथा उसके निष्कर्षों के बारे में अनुकूलतम समय-सीमा के भीतर उन उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई जहां से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।.

5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंग्स का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. प्रेषित कोयले की उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाता है।
7. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा वे-ब्रीज तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशालाओं, वे-ब्रिजों और प्रयोगशाला में कोई असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक को सूचना एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
8. तृणमूल स्तर पर गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में दिनांक 14.03.2016 से 28.03.2016 तक "गुणवत्ता सप्ताह" मनाया गया/आयोजित किया गया। सभी क्षेत्र कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
9. एमएएचएजीईएनसीओ, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सेल (आरएसपी, सीपीपी-I), एसपीसीएल (आरएसपी, सीपीपी-2),एपीजीईएनसीओ, टीएनईबी, एनटीपीसी (कनिज), टीटीपीएस, ओपीजीसी, नाल्को, केपीसीएल, नाल्को (डीएमजे), एनटीपीसी (सिमाद्रि) और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी लि., सीसा स्टलाईट एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, आरजीटीपीपी आदि को प्रेषित किए जा रहे कोयले के नमूने, लेने और विश्लेषण करने के लिए सभी लदान केन्द्रों पर अक्तूबर, 2013 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूना लेने वाली एजेंसी नियुक्ति की गई।

   एमओसी/सीआईएल के दिशानिर्देस के अनुसार लोडिंग स्थान पर उनके थर्ड पार्टी अजेंसी द्वारा 31 पीएच लगाए गये हैं । भारत सरकार का स्वतंत्र संगठन एमओसी/सीआईएल/सीआईएमएमआर के निर्देशानुसार पादर्शिता को और बेहतर बनाये रखते हुए ऊर्जा उपयोगिता के लिए कोयला का सैंपलिंग/ एनालायसिस का दायित्व दिया गया है। तदनुसार सीआईएमएसआर द्वारा सुरुआती दो परियोजनाओं की कारवाई को पूरा करलिया गया है ।
10. विभिन्न क्षेत्रों अर्थात ईब वैली, लखनपुर,ओरियंट, बासुंधरा एवं गर्जनबहाल जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा में कुल नौ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। इन सभी में आधुनिक उपकरण जैसे कोयले के जीसीवी के निर्धारण हेतु इलेक्ट्रो आटो बम्ब कैलोरी मीटर जैसे उपकरण मौजूद हैं।

    ईब वैली क्षेत्र के कोयला विश्लेषन प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता प्राप्त अनुदान, 24.5.2015 से 23.5.2017 तक वैधता से सम्मानित किया गया और भरतपुर एवं जगन्नाथ क्षेत्र के प्रयोगशाला को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं बहुत शीघ्र मान्यता प्राप्त किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार शेष सात क्षेत्रों के विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
11. ये उपकरण विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले के ग्रेड का निर्धारण दो घण्टे में कर सकते हैं। इससे कोयले भण्डारों, साइडिंग्स तथा खनन किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता की शीघ्र मानीटरिंग करने में सहायता मिलती है।

12. इस वर्ष कोयले के उत्खनन के लिए चयनित खनन पद्धतियों को जारी रखा गया और तदनुसार लखनपुर ओसीपी, बेलपहाड़ ओसीपी, लिंगराज ओसीपी, भरतपुर ओसीपी, बलराम ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, बसुंधरा (डब्ल्यू) ओसीपी, कुलडा ओसीपी एवं समलेश्वरी ओसीपी में सरफेस माइनरों को तैनात किया गया।
13. सरफेस माइनरों का प्रयोग करते हुए कोल सीम से बेकार पदार्थों को दूर किया जाता है जिससे कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
14. सभी साइडिंग्स पर प्रिंट आउट सुविधा के साथ इलेक्ट्रानिक रेल वे-ब्रीजेज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 100% वजन प्राप्त करने के लिए स्टेंड-बाइ वे-ब्रीजेज भी प्रदान किए हैं।
15. उपभोक्ताओं को -100 एमएम आकार का कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए रेल, बेल्ट एवं एमजीआर द्वारा भेजे गए कोयले को सीएचपी एवं फीडर ब्रेकर्स द्वारा तोड़ा गया।
16. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ सभी साइडिंग्स/लोडिंग केन्द्रों पर बाउण्ड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/ सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
17. कुल प्रेषित किए गए 140.21 मिलियन टन कोयले में से वर्ष 2015-16 के दौरान 99.49% कोयला इलेक्ट्रानिक प्रिंट आउट की सहायता से मापा गया जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान 123.006 मि.टन में से 99.26% कोयला मापा गया था।
18. वर्ष 2015-16 के दौरान सीम, स्टॉक, साइडिंग एवं टिपर नमूनों में सख्त नमूना प्रक्रियाविधि अपनाकर वार्षिक कोलग्रेड को उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि के रूप में घोषित किया गया है।
19. साइज कोयले का प्रेषण विद्युत क्षेत्र को रेल द्वारा 100% किया गया।

21. **सुरक्षा एवं बचाव:**

सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी का मुख्य क्षमताओं में से एक है जो सुरक्षा पद्धतियों एवं तकनीकों के सतत प्रयोग के माध्यम से प्राप्त की गई है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य होने की वजह से आपकी कंपनी योजनाएं तैयार करती है तथा नियमित आधार पर अपने आपको तैयार करती है ताकि इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके तथा यह कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादन हेतु प्रेरणा दायी बल बन सके।

21.1 दुर्घटना के आँकड़े

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	2	1
2	घातकता की संख्या	2	1
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	4	10
4	गंभीर चोटों की संख्या	4	10
5	घातकता की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.015	0.008
	प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.129	0.061

6	गंभीर चोटों की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.029 0.258	0.082 0.605
7	स्थानवार घातकता की दर भूमिगत खुली खान भू सतह	 -- 2 --	 -- 1 --

21.2 एमसीएल में सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम-

(i) प्रत्येक कलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ईकाइवार समझौता-ज्ञापन निर्धारित किया जाता है और पूरी कंपनी को खानों में प्रचालन, अनुरक्षण तथा कार्यकारी स्थितियों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जाता है। वर्ष 2015-16 के समझौता ज्ञापन के अनुसार 2014-15 की अपेक्षा प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन में घातकता की 64.63% प्राप्त की गई है।

(ii) सभी 16 खुली खदानों व 6 भूमिगत खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर सीआईएल द्वारा समीक्षित कर खान में सुरक्षा मानकों को उन्नत करने के लिए कार्यान्वित किए गए हैं।

(iii) समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की अधिप्राप्ति हेतु निर्बाध व कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री और आर्थिक संसाधन प्रदान किए गए हैं। साक्ष्यत: रू.1350.00 लाख का पूंजीगत बजट, रू.715.32 लाख का राजस्व बजट तथा रू. 4900.00 लाख की विशेष सुरक्षा निधि वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके। वर्ष 2015-16 में 17,009 जोड़ी माइनिंग जूते, 10,178 जोड़ी गमबूट व 6244 नग हेलमेट आबंटित किए गए है।

(v) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।

(vi) मानव, मशीन और खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सांविधिक कार्मिक नियुक्ति किए जाते हैं और कामगारों के पर्यवेक्षण हेतु नियोजित किए जाते हैं। वर्ष 2014-15 में 30 माइनिंग सरदार,147 इलेक्ट्रिशियन व 2 उप सर्वेक्षक नियुक्त किए गए ।

(vii) कोयला खनन विनियमन 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी मानिटरिंग किया जाता है।

(viii) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रति निधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है।

(ix) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय मानिटरिंग किया जाता है।

(x) कंपनी के सुविधाजनक स्थानों में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बाह्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसे कि वर्ष 2014-15 के दौरान 21 डंपर प्रचालकों के मुकाबले वर्ष 2015-16 के दौरान 30 डंपर प्रचालकों के कौशल संवर्धन के लिए नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली में सिमुलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(xi) कामगारों और पर्यवेक्षकों की दोष व बीमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके।

(xii) सुरक्षा प्रणाली के मूल्यांकन हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन और बाह्य् सक्षम एजेंसियों द्वारा नियमित आतंरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक परियोजना के महत्वपूर्ण केंद्रित क्षेत्रों का भावी सुधार के लिए आंकलन किया जा सकें। वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल की सभी 16 खुली खानों व 06 भूमिगत खानों का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया ।

(xiii) सुरक्षा आवश्यकताओं की पूरी प्रणाली को अद्यतन व ताजा करने के लिए पूरी कंपनी में सुरक्षा पखवाड़ा तथा विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के लिए खान परियोजनाओं व कर्मशालाओं में ट्रॉफी व शील्ड वितरित किए जाते है। वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल की सभी स्थापनाओं में दिनांक 12.01.2016 से 25.01.2016 तक वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया।

21.3 **<u>अपनाई गई नई सुरक्षा तकनीक</u>**

(i) सर्फेस माईनर तकनीक, जो विस्फोट रहित खनन तकनीक है, धूल पैदा करनेवाले प्रचालनों जैसे कि ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग करने वाले वाले प्रचालनों को पूर्णत: लुप्त कर देती है। यह ब्लास्टिंग से संबंध जोखिमों को भी समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस मशीन से राख कणों के न्यूनीकरण के लिए कार्बनमय तत्वों की घटिया किस्म वाली कोयले की परतों का भी खनन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप, विद्युत सयंत्रों में कम राख अर्जन होता है और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है। यह सुरक्षित है, अधिक पर्यावरणीय अनुकूल है और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी है।

(ii) राईपर डोजर लागू करना- ओबी हटाने की एक अन्य विस्फोट रहित प्रौद्योगिकी- इसने भी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जैसे धूल पैदा करने वाले प्रचालनों को लुप्त कर दिया है जो अनके बार ग्रामवासियों को परेशान करते थे।

(iii) पर्यावरणीय टेलीमानिटरिंग प्रणाली भूमिगत खदानों के पर्यावरण में कार्बन मोनोक्साईड, कार्बन डायोक्साईड, मिथेन आदि जैसी हानिकारक गैसों की बढ़ती सघनता की जानकारी और चेतावनी मानीटरिंग करती है। पर्यावरणीय स्थितियों के सतत मानीटरिंग के लिए भूमिगत खदानों में ऐसी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(iv) भूमिगत खदानों में लंबी और कठिन यात्रा से थकान होती है और मूल्यवान कार्यकारी समय नष्ट होता है। इस समस्या से उबरने के लिए भूमिगत खदानों में मैन-राईडिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि कामगारों को थकान न हो और वे अधिक उत्पादन कर सकें। वित्तीय वर्ष 2015-16 में तालचेर में नंदिरा के भूमिगत खदान में मैन राइडिंग प्रणाली को स्थापित एवं संचालित किया गया।

(v) भूमिगत खदानों में कोयले की मानवी लदान को समाप्त करने के लिए एसडीएल और एलएचडी जैसी मशीन लगाई गई है। इनसे समान उत्पादन हेतु कार्यकारी क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या कम हुई है जो सुरक्षा और उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रशंसनीय उपलब्धि है।

(vi) भूमिगत खदानों में यूडीएम मशीनों की स्थापना के मैनुअल ड्रिलिंग जो भूमिगत खदानों में अति दुष्कर कार्य है को विनिर्मुक्त करने में मदद की है। इस प्रौद्योगिकी से ग्रीन रूफ जोन में कर्मियों के प्रकटन में कमी आई है और ड्रिलिंग उत्पादन बढ़ा है।

(vii) सर्वेक्षण कार्य की सहजता व शुद्धता वर्धन के लिए आर्ट सर्वेक्षण उपकरण, जैसे थ्री-डी लेजर खरीदी हेतु एमसीएल अग्रसर है।

(viii) अपनी ओबी डंप की ढलान संचलन को नियंत्रित करने के लिए एमसीएल रियल टाइम स्लोप मॉनीटरिंग राडार खरीदने की प्रक्रिया में है।

(ix) साईलो व एमजीआर जैसी प्रणाली से थोक मात्रा में प्रेषण द्वारा पुरानी व अप्रभावी सीएचपी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है।

21.4 <u>अनुसंधान एवं विकास</u>

(i) सीआईएमएफआर द्वारा तालचेर बस्ती के नीचे देउलबेरा कोलयरी के परित्यक्त कामकाज का स्थिरता अध्ययन किया जा रहा है ।

(ii) ओरिएंट कोलयरी खान नं. 3 में क्विक सेटिंग केमिकल द्वारा वातायन स्टॉपिंग निर्माण के लिए एनआईटी, राउरकेला के दिशा-निर्देशन में सीआईएल टीम एक फील्ड परीक्षण कर रही है।

(iii) एमसीएल को सभी ओसीपी के कोयले के लिए कोयले व ओबी बैंचों की उच्च दीवारों और ओबी डम्प की स्थिरता के निर्धारण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है।

(iv) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्रणी अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में एक अनुसंधान व विकास परियोजना 'कोयला खदानों में वायु धारित श्वास लेने योग्य धूल (एआरडी) में सिलिका (ए-क्वार्टज) मुक्त और खनिजों के आधार आंकड़े तैयार करने का अध्ययन' किया गया है।

(v) कोल इंडिया लिमिटेड की एक अग्रणी वैज्ञानिक एजेंसी-सीएमपीडीआईएल नियिमित रूप से कोयला संचालन सयंत्रों, तीव्र लदान प्रणाली, ऊपरी बंकरों और भारी अर्थमुविंग मशीनों का गैर-विनाशक परीक्षण कर रही है।

(vi) भूमिगत खान के प्रत्येक डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट में डिपिलरिंग कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा डिपिलरिंग कार्य के समय छत परतों का अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था द्वारा किया जाता है ।

21.5 बचाव

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल में ईब वैली कोयलांचल के और तालचेर क्षेत्र में एक आरआरआरपी सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन हैं। एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को पूर किया गया :-

1. तालचेर में आरआरआरटी,तालचेर द्वारा सफलतापूर्वक ज़ोनल बचाव प्रतियोगिता दिनांक 08.11.2015 को आयोजित की गई।
2. दिनांक 05.12.2015 को आयोजित अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में एमसीएल को चौथे स्थान से सम्मानित किया गया।
3. आपातकालीन कार्रवाई:
   (क) दिनांक 06.05.2015 से 16.05.2015 तक तालचेर कोलियरी में आग लगी,जहाँ हिटिंग साइट को सफलतापूर्वक सील कर दिया गया।
   (ख) स्वत: आग लगने से दिनांक 11.08.2015 से 07.01.2016 तक खदान संख्या- 3 को सील किया गया था जिसे सफलतापूर्वक पुन: खोल दिया गया है।
4. माईन्स रेस्क्यु स्टेशन वैसे आपद स्थितियों में भी पहुँचता है, जो खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न न हों, जैसे टाउनशिप में आपद स्थिति।
5. दिनांक 13.04.2015 से 28.04.2015 तक रेस्क्यू एण्ड रिकव्हरी आपरेशन के बैच-1 में 15 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया।
6. एमआरएस ओरियंट क्षेत्र और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में रेस्क्यू और रिकव्हरी आपरेशन के रिफरेशर कोर्स में 173 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया।
7. 173 रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सा जांच की गई और स्वस्थ पाया गया।
8. वर्ष 2015-16 में रायगढ़ क्षेत्र के निजी भूमिगत खदानों(मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को प्रशिक्षण एवं आपातकालीन सहायता दिया गया और अब यह वर्ष 2016-17 के लिए प्रक्रियाधीन है।
9. मेसर्स एसीबी इंडिया लिमिटेड,कनिका साइडिंग बसुंधरा को आपातकालीन सहायता दी गई।

वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त कर खरीदी की गई :-

1. बचाव वैन की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग रैक के साथ चार्जर।
2. सेफ्टी बेल्ट,प्राथमिक बक्से और कंबल।
3. एससीबीए के लिए 6000 किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषक।
4. एससीबीए के लिए 175 पैकेट कीटाणुशोधक जेल।
5. एक लंबी रेंज थर्मामीटर।
6. एक बैरोमीटर।
7. एससीबीए के लिए फूल फेस मास्क का आपूर्ति आदेश दिया गया है।

वर्ष 2015-16 में निम्निलखित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था,जिसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया चल रही है:

1. एक आधुनिक बचाव वैन।
2. एक आधुनिक स्टेशन वैगन।
3. दो गैस क्रोमाटोग्राफ।
4. एक खान ट्रेप लोकेटर।
5. 28 सकारात्मक दबाव आत्म निहित श्वास तंत्र।
6. छः रिससीएटिंग उपकरण।
7. 49 विभिन्न प्रकार के अग्निशामक।
8. बचाव अभ्यास के लिए डमी शरीर(पुतला)।
9. एक सार्वभौमिक परीक्षक।
10. 40 एलईडी कैप लैंप।
11. एससीबीए के लिए स्पेयर पार्ट्स ।

एमसीएल के बचाव सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गईं :-

1. एमसीएल एक पहचान,मान्यता और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए एक रंगीन जैकेट,बचाव प्रतीक के साथ एमसीएल के सीएमडी द्वारा सभी 173 आरटीपी को प्रदान किया गया।
2. एमआरएस,ओरियेंट क्षेत्र एवं आरआरआरटी,तालचेर क्षेत्र में तैनात सभी आरटीपी के लिए आपातकाल में त्वरित संचार के लिए डीटी(ओ),एमसीएल द्वारा सीयूजी एसआईएम स्वीकृत किया गया।
3. आरटीपी की दक्षता में सुधार के लिए दोनों बचाव स्टेशन और आरआरआरटी में 14.03.2016 से 19.03.2016 तक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
4. विशेष रूप से ईब कोलफील्ड्स के महिला प्रतिभागियों के लिए 28.03.2016 से 30.03.2016 तक बुनियादी प्राथिमक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।
5. एमसीएल के सभी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए अग्निशामक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत है।
6. पिछले वर्ष गंभीर क्षति की दर में कमी प्रति मिलियन टन आई डी कोयला उत्पादन:

वर्ष	**गंभीर क्षति की दर**
2014-15	0.082
2015-16	0.029
कमी का %	64.63

22.0 कम्प्यूटरीकरण:

कोलनेट - कोलनेट के विभिन्न मोड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली (एफआईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजिका, विक्रय और विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, उपकरण मानिटरिंग प्रणाली आदि प्रयोग में है। ठेकेदारी कर्मचारियों के फोटो सहित विस्तृत विवरण, सावधिक चिकित्सा परीक्षण, 2 लाख से कम राशि की निविदाएं एवं कार्यादेश, पुरी में हॉलीडे होम की ऑनलाइन बुकिंग आदि की जानकारी रखने के लिए कोलनेट में कुछ विविध माड्यूल भी जोड़े गए है। फाइल ट्रेकिंग प्रणाली को भी जोड़ा गया है और सफलतापूर्वक चल रहा है। ऑनलाईन संविदा प्रबंधन प्रणाली विकसित किया गया और जल्द ही लागू किया जाएगा।

एमसीएल ने मुख्यालय के कोलनेट सर्वर के जरिए क्षेत्र व परियोजना स्तर पर कार्यकलापों का विस्तार किया है जैसे बिल भुगतान स्थिति प्रविष्टि, सड़क बिक्री और रेल साइडिंग बिलिंग दो क्षेत्रीय भंडारों में ऑनलाईन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस), कर्मचारी आंकड़ों को अद्यतन, उत्पादन ब्यौरा प्रविष्टि, भू-अधिग्रहण और पुनर्वास ब्यौरा। एमसीएल भुवनेश्वर के कार्यकलाप जैसे वित्तीय लेखांकन, वेतन-पंजिका और कार्मिक सूचना प्रणाली को तथा एमसीएल कोलकाता के देनदारों के लेखांकन को केन्द्रीय कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित करने के बाद और उनमें आवश्यकतानुसार मूल्य संयोजन करते रहने से यह कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। लिंगराज और कनिहा क्षेत्र के अलावा एमसीएल के सभी क्षेत्रों में लिगेसी प्रणाली से कोल नेट प्रणाली तक वित्तीय जानकारी प्रणाली का स्थानांतरण पूरा हो गया है। ईब वैली,केंद्रीय कर्मशाला-ईब वैली, एमसीएल भुवनेश्वर,बीजी क्षेत्र के लिए लिगेसी प्रणाली से कोल नेट प्रणाली तक पेरोल प्रणाली का स्थानांतरण पूरा हो चुका है और ओरियैंट क्षेत्र एवं केंद्रीय कर्मशाला,तालचेर का कार्य प्रगति पर है। अन्य शेष क्षेत्रों के लिए स्थानांतरण कार्य वर्ष 2016-17 में पूरा हो जाएगा। कोलनेट के नियंत्रण मॉड्यूल उपकरण को परियोजना स्तर के एचईएमएम विभाग के बिगड़े विवरणों, निष्क्रिय समय, रख-रखाव, समय आदि के लिए संशोधित किया गया है और इसके साथ संबंधित उपयोगकर्ताओं को एसएमएस की सुविधा भी दी गई है।

ई-भुगतान एवं ई-प्राप्तियां :- भुगतान एवं प्राप्तियां अधिकांशत: ई-प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं।

ऑपरेटर इंडेपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस):- एमसीएल की तीन खुली खदान परियोजनाओं नामत: बलराम, लिंगराज एवं भरतपुर ओसीपी में **ओआईटीडीएस भलीभांति कार्यरत है ।**

एमसीएल वेबसाइट :- कंपनी की वेबसाइट www.mahanadicoal.in सीएमपीडीआईएल, रांची ने होस्ट की है और इसका अनुरक्षण कर रही है। बेवसाइट का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि कोयला उपभोक्ताओं की धन-वापसी, मासिक थर्ड पार्टी कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, ठेकेदार/विक्रेताओं को बिल भुगतान की स्थिति से संबंधित आवश्यक आंकड़ों को दूरस्थ स्थानों से ही अद्यतन करने में सुविधा हो। नियमित रूप से भर्ती विभाग की नोटिस एवं नतीजे,सीएसआर संबंधित गतिविधियां,दो लाख से नीचे निविदा एवं पुरस्कार आदि का अद्यतन किया जा रहा है।

ऑनलाईन शिकायत निवारण(समाधान): :- एक नया पोर्टल 'ऑनलाईन शिकायत निवारण' हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए वेबसाइट पर जोड़ा गया है।

ई-मेल एकाउंट:- एमसीएल के सभी पदाधिकारियों को ई-मेल एकाउंट उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान के 400 ई-मेल के साथ साथ 1500 अन्य एकाउंट भी एनआईसी से प्राप्त किए गए है ।

निविदाओं की अपलोडिंग:-सभी खुली निविदाएं एमसीएल के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ साथ सरकारी पोर्टल www.tenders.gov.in पर दैनिक आधार पर प्रणाली विभाग द्वारा अपलोड की जाती हैं।

ओएमएमएस (आनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली) - सभी 9 क्षेत्रीय स्टोरों में ओएमएमएस कार्यशील हैं तथा 2 केन्द्रीय कर्मशालाओं को केन्द्रीय कोलनेट सर्वर से जोड़ दिया गया है। 99 प्रतिशत से अधिक भंडार सामग्रियों को मानक कोड योजना के तहत कोड-कृत कर दिया गया है। एमसीएल में कहीं से भी किसी भी स्टोर में किसी भी सामग्री के ऑनलाइन स्टॉक की स्थिति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है

भुवनेश्वर - कोलकाता के बीच में सम्पर्क:- भुवनेश्वर एवं कोलकाता में एमसीएल के विभिन्न अधिकारियों को एक एमबीपीएस बीएसएनएल लीज लाइन के माध्यम से संबलपुर स्थित एमसीएल मुख्यालय से जोड़ा गया है। मुख्यालय में वीपीएन कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है ताकि प्रयोक्ता दैनिक कार्यों हेतु किसी भी स्थान से कारपोरेट लैन से जुड़ सके।

इंटरनेट लीज लाइन - वर्तमान में बीएसएनएल से इंटरनेट सुविधा वाली एक 10 एमबीपीएस लीज लाइन एमसीएल के प्रयोक्ताओं के लिए ली गई है। जीपीएस आधारित वाहन ट्रकिंग प्रणाली में उपयोग के लिए एक 10 एमबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ रेलटेल से ली गई है ।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर :- उत्पादकता सुधार योजना के अनुसार उत्पादन प्रोत्साहन का समयानुसार भुगतान करने के लिए एमसीएल के खुली परियोजनाओं में कार्यान्वित ओराकल में विकसित आंतरिक सॉफ्टवेयर को संशोधित व प्रव्रजित कर उसे कोलनेट प्रणाली के केन्द्रीय सर्वर से जोड़ दिया गया है ।

वे-ब्रीज की कनेक्टिविटी - रेल व रोड(स्टेटिक व इन-मोशन), दोनो वे-ब्रिज मेसर्स आईटीआई लि. द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क: क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलनएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना हेतु कार्य-आदेश दे दिया गया है। बीएसएनएल के द्वारा फेज-1 में 25 स्थानों को एमपीएलएस नेटवर्क से जोड़ा गया हैं।

केन्द्रीय आंकड़ा केन्द्र और नोडल कंप्यूटर केन्द्रों में सर्वर की स्थापना: मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्रों, तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ क्षेत्र,ईब कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र व वसुंधरा क्षेत्र में उच्चतम आईबीएम सर्वर स्थापित किए गए हैं। इन नोडल स्थलों के सभी सर्वर मुख्यालय के सर्वर से जोड़े गए है । वसुंधरा क्षेत्र को आपदा रिकव्हरी साइट चुना गया है। सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयरों और आंकड़ों को नए आईबीएम सर्वरों में परिवर्तित कर दिया गया है। ओरेकाल 11जी डीबी और 11जी एएस (वेबलॉजिक) स्थापित किए गए हैं। उपलब्ध सॉफ्टवेयर नए सर्वेरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

ठेकेदारों के बिल भुगतान की निगरानी:- कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग माड्यूल भलीभांति कार्यशील है । इस प्रणाली में ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है । दर्ज करते समय प्राप्त ऑनलाइन पावती को उपभोक्ता/ठेकेदार को दे दिया जाता है । इन बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात, उनके भुगतान तक की स्थिति कोलनेट सर्वर में अद्यतन की जाती है तथा उसे एमसीएल वेबसाइट अर्थात www.mahanadicoal.in में अपलोड किया जाता है ताकि संबंधित पार्टी अपनी बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार संबंधित पार्टी हमारे वेबसाइट से अपने बिलों की स्थिति ज्ञात कर सकते है ।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन मार्गन प्रणाली:

(i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त 1800 ट्रक/टिपर पर वाहन मार्गन प्रणाली आधारित जीपीएस/जीपीआरएस लगाए गए हैं । केन्द्रीय सर्वर में वास्तविक समय में ही इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित हो जाती है । इन वाहनों द्वारा जियो-फेंसिंग की उल्लंघन, ट्रिप, लंबा-ठहाराव, तय की की गई दूरी सहित विभिन्न संबंधित प्रतिवदेन सीधा दृष्यावलोकन, http://.mclvts.in. वेबलिंक के माध्यम से किया जा सकता है । यह लिंक हमारे www.mahanadicoal.in. वेबसाइट में भी उपलब्ध है । इस प्रणाली में यह सुविधा भी है कि यह संबंधित परियोजना व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगकर्ताओं तक एसएमएस अलर्ट भी स्वत: प्रेषित करता है ।

(ii) ठेकेदार व उसके मालिक को सभी तरह से परिनियोजित करके जीपीएस प्रणाली पर आधारित ट्रक मुहैया करवाएं गए हैं। कोयला उत्पादन / अंतरीक स्थानांतरण(निर्वासन) के लिए सभी ट्रकों / और उनके ट्रिपों की गणना को परिनियोजित करने के लिए जीपीएस ईकाइ लगाई गई हैं।

(iii) वाहन जियों फेंसिंग के बाहर न जा पाएं इसकी ट्रेकिंग के लिए मार्ग सहित खान सीमा का जियो-फेंसिंग किया जा चुका है।

(iv) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का केन्द्रीय नियंत्रण आवास एमसीएल मुख्यालय में स्थापित किया जा चूका हैं।

वे-ब्रिज व रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए सीसीटीव्ही :-

(i) रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए 22 विडीयों कैमरे लगवाए गए हैं।

(ii) इन-मोशन और स्थिर वे ब्रिजों पर 93 आईपी केमरे लगाए गए हैं।

(iii) ओनलाईन के माध्यम से वेजमेंट आंकडे को तीव्र गति से इन-मोशन एवं स्थिर वे-ब्रिज से केन्दीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर के माध्यम से एमसीएल मुख्यालय प्रेषित किया जाता है।

फाइल ट्रैकिंग प्रणाली एमसीएल के महत्वपूर्ण फाइलों को विभिन्न विभागों और उपयुक्त स्थानों पर पहुँचाने के लिए कोलनेट की सहायता से फाइल ट्रैकिंग प्रणाली निर्माण किया गया यह मैडल 15 अगस्त 2015 को लागू हुआ और जो 31 मार्च 2016 तक 8360 फाइले इस माध्यम के द्वारा भेजे जा चुके हैं।

एसएमएस/ई-मेल सजगता एमसीएल के द्वारा ई-पहल की गई थी, एसएमएस के द्वारा उपयोक्ता को,सड़क के द्वारा होने वाले वितरण की पूरी जानकारी दी जाती हैं। कर्मचारियों के वेतन मान बनाने के लिए आऱडीओएस की प्रतिदाय देनी पड़ती है। इसके साथ ही

एसएमएस सजगता को एचओडीएस/जीएमएस से संबंधित विभागों को विचाराधीन फाइल को खोजकर, कोलनेट के द्वारा उसे निरंतर भेजा जाता हैं।

वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना एमसीएल के निगमित कार्यालय से हुई जिसका आवसिय पता जागृति विहार में हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए एमओयू पेरामीटर का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:-

क) फायरवाल पर आधारित नियंत्रक तंत्र की स्थापना 30.11.2015 को की गई थी।

ख) ट्रकों के प्रस्तुतीकरण को परिनियोजित करने के लिए/कोल आंतरिक स्थानांन्तरण के लिए और निविदा के ठेके की लागत से चालू रखने के लिए और भविष्य में ट्रकों की आवश्यकता को देखते हुए अगले 3 साल के लिए 1800 जीपीएस ईकाई को लगवाया गया हैं।

भावी योजना/अन्य चालू गतिविधियां

- » अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, केन्द्रीय अस्पताल के तर्ज पर तालचर क्षेत्र में और ईब-वैली क्षेत्र में प्रारंभ करने की योजना।
- » एमसीएल के अन्य कार्यालय और कॉलोनी के आवासिय स्थानों पर वाई-फाई नेटवर्क विकसित करना।
- » मोबाइल पर विभिन्न कार्यायोजक,सीएसआर,बिल-ट्रैकिंग,वेतन और व्यापार आदि को विकसित करना।
- » ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिसमें खान के क्षेत्रों का सर्वेक्षण और खान से संबंध अन्य गतिविधियों को निर्धारित किया जा सकें।
- » कार्मचारियों की सुविध के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में स्मार्ट काड जारी करना।
- » एलएएन को अस्तित्व में लाते हुए उसका उन्नयन एमसीएल मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों में करना और स्थानीय भंडारों को आईपीबी6 के अनुरुप करना।
- » सभी वाहनों पर जीपीएस ईकाई को लगवाना/ सामग्री, साधन (दोनों विभाग और संविदगत) कोल उत्पादन में व्यस्थ/ कोल का आंतरिक स्थानांन्तरण / वास्तविक समय के अनुवीक्षण पर ओबी कार्य को निष्कासन करना। निविदा को अंतिम रुप देने के लिए, कीमत के अनुरूप ठेके का प्रबंध आवश्यकतानुसार 3 वर्षों में 3483 जीपीएस ईकाई लगवाना।
- » फायर वाल पर आधारित केन्द्रीय तंत्र का निर्माण 30.11.2015 को किया गया ।

23. दूरसंचार

1. मोबाइल सीयूजी की सुविदा सभी अधिकारियों को ओर जेसीसी सदस्यों को, मुख्य कर्मचारी को, रेलवे साइडिंग में, एमसीएल के विभिन्न ईकाइ संगठनों में, तैनात सुरक्षा कर्मियों को ओडिसा के सभी राज्यों में उपलब्ध कराई गई हैं। 2000 से ज्यादा अधिकारियों, जेसीसी सदस्य, मुख्य कर्मचारी, रेलवे साइडिंग, सुरक्षाकर्मी को 24 x 7 असीमित संचार की स्वीकृति दी गई है। खनन में न्यूनतम लागत पर, प्रेषण में, अभियंता और अन्य गतिविधियों को एमसीएल के संचार की आधारिक संरचनाको वास्तव में मजबूत बनाना। यूजीसी नेट के अधीन एमसीएल के बचाव कार्मिकों के दल तथा खान बचाव स्टेशनो के चालकों को लाने की कार्रवाई की श्बुरुयात की गई है।

2. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की प्राय: सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, कार्मिक, विक्रय, प्रणाली इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। अधिक संवेदी उद्देश्यों जैसे ईआरपी एवं विभिन्न अन्य आनलाइन कार्यकलापों की निगराणी के लिए नेटवर्क के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
3. कोल परियोजनाओं को अग्रसित करने के लिए बीएचएफ संचार संधान को विभिन्न खदानों में संचार की सूविधा के लिए लगवाया गया हैं।
4. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, विक्रय, प्रणाली इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। अधिक संवेदी उद्देश्यों जैसे ईआरपी एवं विभिन्न अन्य आनलाइन कार्यकलापों के लिए नेटवर्क के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क वेब-ब्रज पर तौल के लिए वाई-मैक्स इंटर नेट जैसी सुविधाओं को बढाना और एमसीएल मुख्यालय के केन्द्रीय सर्वर पर अन्य संबंधित आंकड़ों का स्थानांन्तरण करना।
5. परियोजनाओं में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ईपीएबीएक्स विनिमय किया गया जिसमें से कुछ को जोडा गया / कुछ को अन्य से प्रतिस्थपित किया गया लजकुरा, नंदिरा, भुवनेश्वरी परियोजनाओं स्थापित किए गए है। ईपीएबीएक्स की वसूली उसके विनिमय या प्रतिस्थापन को ईब-वैली कार्यालय, समलेश्वरी ओसीपी और कनैहीया ओसीपी और खदनों में सर्वोपरी संचार की सुविधाओं को कार्यान्वित किया गया।
6. एमसीएल मुख्यालय के कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगवाया गया है, जागृति विहार की सुरक्षा के लिए निगमित कार्यालय की व्यवस्था की गई है। कार्य आदेश के अनुसार एमसीएल के सभी क्षेत्रीय भंडारों और केन्द्रीय कार्यशालाओं पर सीसीटीवी प्रणाली की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रवेश /निकास स्थानों और खदानों के विस्फोटक मैगजीन की निगरानी के लिए सीसीटीवी प्रणाली लगवाई गई हैं।
7. दूरस्थ स्थान होने के कारण एमसीएल मुख्यालयों में कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु एमसीएल मुख्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आवासों तक लगभग 700 कनेक्शनों के साथ केबल टीवी सेवा प्रारंभ की गई है जिसमें जागृति विहार एवं आनंद विहार दोनों को शामिल किया गया है। डीजीटल मोड को बेहतर दृश्य देने के लिए अनुभव का उन्नयन करना हैं।
8. भू-तल संचार प्रणाली के लिए 30 लाइनों का पूर्ति आदेश,खान की प्रत्येक संख्या, ओरीएट क्षेत्र सं.4 और नंदिरा कोलियरी जो तालचर क्षेत्र में है वे भू-तल संचार को विकसित कर रहा हैं।
9. एमसीएल मुख्यालय में विडीयों कॉनफेरेन्सी प्रणाली लगाई गई है। विडीयों कॉनफेरेन्सी सीआईसी की निजी नेटवर्क है जो इंटरनेट के तुरंत सहजता के साथ प्रेषण करता है और कार्मिक मुख्य प्रबंधक को निर्णय लेने में इससे सहयोग मिलता है और जो अपनी यात्रा में समय बचाता है। विडीयों कॉनफेरेन्सी का विस्तार करने के लिए एमसीएल के क्षेत्रों और एमसीएल के अन्य संस्थाओं ने कई सुविधाएं प्रदान करवाई है।

10. भारत सरकार के द्वारा डिजीटल इंडिया योजनाओं को 2020 तक पूरा करना है जिसके लिए सीआईएल में सभी जगहा आधार कार्ड पर आधारित बॉयों मैट्रीक प्रणाली को एमसीएल मुख्यालय में लगवाया गया है तकि कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हो और एमसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए बॉयों मैट्रीक प्रणाली लाया गया है।

24. आनुषांगिक उद्योगों का विकास

आनुषांगिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय तौर पर उभरने वाले उपक्रमों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत इत्यादि के क्षेत्रों में राजस्व की व्यापक भागीदारी समायोजित करके उन्हें दीर्घकालिक कारोबार प्रदान करने के लिए एमसीएल प्रतिबद्ध है।

उपर्युक्त कार्य के लिए आपकी कंपनी के पास एक पूर्णकालिक एमएसएमई-आनुषांगिक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रतिबद्ध है:-

- ओड़िशा राज्य में अपनी संचालन अधिकार क्षेत्र में लघु स्तर के उद्योगों (एसएसआई) की संभावनाओं का विकास करने तथा उनका दोहन करने के लिए किए जानेवाले सभी प्रयासों को शुरू करती है, उनकी अनुमति देती है तथा उन्हें प्रोत्साहित करती है।
- राज्य के उद्योग निदेशालय तथा डीआईसी की सहायता से एमसीएल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्पेयर पार्टों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपकरणों का आयात करती है।
- राज्य की स्थानीय समुदाय जनसंख्या में युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है।
- राज्य में आम लोगों की समृद्धि तथा उनका उत्थान तथा राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में राज्य का उत्थान, इस राज्य की एसएसआई ईकाइयों के औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा मानकों के अनुसार नए आयाम प्राप्त करने के लिए उन्हें समायोजित करती है।

एमसीएल शुरूआत से ही ओडिशा की एसएसआई ईकाइयों का विकास करने में सहायता की है। एसएसआई इकाईयों को विभिन्न उपभोज्य स्पेयरों/मदों तथा एमसीएल के इंजीनियरिंग एवं खनन अनुभाग में निहित उत्पादन प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई सेवा संबंधी नौकरियों के लिए सिद्ध/अनंतिम अनुषांगिक दर्जा प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त इन आनुषांगिक ईकाइयों को बनाए रखने में अपने सतत प्रयासों के अंतर्गत एमसीएल उन आनुषांगिक इकाईयों को दीर्घकालिक कारोबार प्रदान कर रही है जो सामग्रियों की गुणवत्तापरक आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा शीघ्र डिलीवरी शर्तों का अनुपालन करती है । आनुषांगिक ईकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, उनके अनुषांगिक दर्जे के नवीनीकरण पर विचार किया जाता है। आज की तारीख 31/03/2016 के अनुसार लगभग 30 एसएसआई ईकाइयों (आनुषांगिक ईकाइयों) को मेरिट के आधार पर तथा एमसीएल की क्रय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और उपभोक्ता क्षेत्रों में गुणवत्तापरक आनुषांगिक स्पेयरों की आपूर्ति करने के लिए आनुषांगिक दर्जे के विस्तार की वैधता प्रदान की गई है। एमसीएल के द्वारा 49 आनुषांगिक ईकाइ की पहचान की गई है।

एमसीएल सतत रूप से आनुषांगिक इकाईयों का रिकार्ड रखती है तथा समय-समय पर संवादात्मक सत्रों/बैठकों का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान करती है।

वर्ष 2015-16 में ओडिसा के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले निम्नलिखित सभा में एमसीएल ने सक्रियतापूर्वक भाग लेते हुए ओडिसा राज्य के सशक्त उद्यमियों की सहायता की।

1. राज्य स्तर की 29 वां वार्षिक सभा और राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम पर होने वाले सह-क्रेता-विक्रेता की बैठक जिसका आयोजन ओडिसा की निम्न सभा एवं मध्य उद्यम (ओएएसएमई) 12/08/2015 को राउलकेला में हुआ और इसके लिए मात्र 1.00 लाख रु. लगें थे।
2. एमएसएमई का शिखर सम्मेलल-सह- ईएक्सपीओ-2015 का आयोजन आईसीसी (भारतीय वाणिज्य सदन) ने दिनांक 16/10/2014 को भूवनेश्वर में किया जिसके प्रयोजन में मात्र 2.00 लाख रु. लगे थे।
3. विक्रेता विकास कार्याक्रम का आयोजन एमसीएल मुख्यालय में किया गया जिसमें ई एन एम, एमएम, सीविल और सीएमसी विभाग सम्मलित हुए और बोलीकर्ता के साथ आईईएमएस सतर्कता सप्ताह 26 से 31 अक्टूबर 2015 को मनाया गया ।
4. ओडिसा के एमएसएमई-ईएक्सपीओ का आयोजन एमएसएमई -डीआई के द्वारा कटक में 16 से 18 दिसंबर तक कटक में आयोजित किया गया जिसमें मात्र 1.00 लाख रू. लगे थे।
5. 2016 का ओडिसा एमएसएमई व्यापार मेला का आयोजन निर्यात निदेशालय के द्वारा किया गया जिसका विकास और मार्केटिंग 8 से 14 जनवरी 2016 तक आईडीसीओ एक्जबीसन ग्राउणड, यूनीट III भूवनेश्वर में किया गया एवं जिसमें मात्र 5.00 लाख रु. लगे।
6. राष्ट्रीय विक्रेता विकास सह-उद्योग प्रदर्शन एवं क्रेता विक्रेता की मुलाकात ईएक्सपीओ ओडिसा 2016 में दिनांक 23/01/2016 को आईटीआई ग्राउण्ड पर बालासूर में हुआ जिसके लिए 25,000 रू. अंशदान भाग लेने वाले के लिए था।
7. राज्य स्तर पर होने वाले विक्रेता विकास सम्मेलन का आयोजन 24 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था राउलकेला में किया गया और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ बने रहने के लिए विक्रेताओ के कई मार्ग एमएसएमईएस के द्वारा बताएं गए।

एमसीएल द्वारा अपनाई जानेवाली नीति की मुख्य बातें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के अ.शा.पत्र संख्या 21 (1)/2011-एम.ए. द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसई), एमएसई-2012 के संबंध में एक नई नीति जारी की गई है। वर्ष 2015-16 से इस नीति का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है । एमसीएल ने वर्तमान मौजूदा अनुषंगी नीतियों के साथ-साथ इस नीति का निर्माण व कार्यान्वयन जुलाई 2013 से ही प्रारंभ कर दिया है । एमसीएल द्वारा अनुसरित एमएसई व अनुषंगी नीति एमसीएल पोर्टल में एंसिलरी एंड एमएसई शीर्षक के अंतर्गत है ।

-एमएसईएस के द्वारा कम से कम 20 प्रतिशत वसूल किया जाता है, उत्पादक के द्वारा उत्पाद का कुल वार्षिक क्रय एमएसईएस के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। माइकों और छोटे

इंटरप्राइजेस से 20 प्रतिशत वार्षिक वसूली को छोड़कर, 20 प्रतिशत में (20 प्रतिशत में 4 प्रतिशत छोड़कर) माइकों और छोटे इंटरप्राइजेस से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के द्वारा वसूल किया जाता है।

- निविदा के संबंध में माइकों और छोटे इंटरप्राइजेस कीमत लगाते है की कीमत L1+15 प्रतिशत पूर्ति आवश्यक रूप से हो L1 कीमत होने की स्थिति में L1 कीमत माइकों और छोटे इंटरप्राइजेस के अलावा भी किसी को दिया जा सकता है और माइकों और छोटे इंटरप्राइजेस को यह स्वीकृति देनी पड़ती है कि वे निविदा की कुल लागत का 20 प्रतिशत पूर्ति करेंगें।

- व्यापार में लेन-देन की लागत को घटाने के लिए माइक्रो और लघु उद्योगों को निविदा सेट बिना मूल्य के उपलब्ध कराना, धरोहर राशि जमा करने से छूट प्रदान करना आदि की सुविधा प्रदान करना ।

- माइक्रो व लघु-उद्योगों से 358 मद, जो मात्र उन्हीं से खरीदी करने के लिए आरक्षित है, की खरीदी की जाती है। नई नीति के कार्यान्वयन हेतु एक मानक एनआईटी लागू किया जा चुका है जिसमें केवल एमसीएल फर्म ही शामिल हो सकते हैं । एमसई को छोड़कर अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

यहॉ उल्लेखनीय है कि एमसीएल की नीति रही है कि 2.00 लाख से अधिक की निविदाओं हेतु ई-टेंडरिंग की जाती है तथा यह एमएसई सहित सभी के लिए खुली होती हैं बशर्ते वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों । दिनांक 31.03.2016 को ओड़ीशा के कुल 73 एमएसई तथा ओड़ीशा के बाहर के 748 एमएसई का एमसीएल के ई-पोर्टल में पंजीकृत किया गया तथा गत तीन वर्षों में 270 से अधिक मदों हेतु एमसीई को आदेश जारी किया गया।

गत तीन वर्षों में एमसीएल की वार्षिक खरीदी तथा एमएसई से की गई खरीदी का विवरण-

		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	कुल वार्षिक खरीदी (लाख में)	10030.00	7050.00	8872.01
2	एमएसई से खरीदी (लाख में)	2254.82	2236.83	2174.09
3	कुल खरीदी में से एमसीई से खरीदी का %	22.48	31.72	24.50

एमसीएल ने लगातार 2013 से 2014 तक न्यूनतम 20% मानक दर को बरकारार रखा है और भविष्य में भी इसे जारी रखने को वचनबद्ध है । नीति के अनुसार उत्पादों व एमएसई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के 20% का वार्षिक खरीदी लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

20% लक्ष्य प्राप्ति व इसमें और प्रगति लाने के लिए एमसीएल लगातार खरीदी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट पार्टल में बोलीकर्ताओं के डाटाबेस मे का अद्यतन, हितग्राहियों के साथ आपसी वार्ता करता है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए अपना मानव संसाधन सर्वाधिक मूल्यवान है। आपकी कंपनी की दृढ़ मान्यता है कि सिर्फ बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति ही हमारी सफलता का अकेला कारण नहीं है वरन इसकी जनपूंजी है जो बहुत ही मूल्यवान परिसंपत्ति है और यह कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रभावी तथा सार्थक रुप प्रबंधन ज्ञान, तकनीकी व बदलते वैश्विक व्यवसायिक प्रवृत्ति के क्षेत्रों में नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है । उनके मनोबल को बनाए रखने में, आपकी कंपनी कर्मचारियों व उनके परिजनों की व्यापक चिकित्सा देख-भाल, शिक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा द्वारा विभिन्न कल्याण-लाभ प्रदान करती है।

सभी 22397 कर्मचारियों (दिनांक 21 मार्च,2016 को) ने, सभी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी को भारत के सर्वाधिक कोयला उत्पादन कंपनी बनाने हेतु उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए वित्त वर्ष 2015-16 में अभूतपर्व 137.90 मि.टन कोयला उत्पादन तथा 98.42 मि.घन मी. अभिभार निष्कासित किया तथा 140.22 मि.टन कोयला प्रेषण किया

आपकी कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधन नीतिगत रूप से लंबी अवधि के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ जुड़ा है। यह चरम रूप से प्रशिक्षण विकास और प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। वर्ष के दौरान मानव संसाधन के क्षेत्र में वृद्धि के संधारण व प्रोत्साहक माहौल लाने के लिए विभिन्न पहल किए गए । जनशक्ति की युक्तिसंगतता इस वर्ष में भी जारी रही। 31 मार्च 2016 को कुल 22,397 जनशक्ति में से 1861 अधिकारी और 20536 कर्मचारी हैं। इस अवधि के दौरान 1252 व्यक्ति कंपनी में नई नियुक्ति, स्थानांतरण, पुन: नियुक्ति इत्यादि के द्वारा जुड़े हैं वहीं 1114 व्यक्ति सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, ईएसएस, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण अलग हुए हैं। गतवर्ष की तुलना में जनशक्ति में बदलाव का कारण लागू आर एंड आर नीति के तहत परियोजना प्रभावित परिवारों को दी जानेवाली नियुक्ति/ सुपरवाइजरी एवं कुशल श्रेणी की वैधानिक जनशक्ति का नियोजन/कैंपस चयन एवं प्रबंधन प्रशिक्षुओं का कोल इंडिया द्वारा खुला नियोजन से कंपनी की कुल जनशक्ति 31.03.2015 के 22,278 के मुकाबले 31.03.2016 को 22,397 हो गई ।

समझौता ज्ञापन के अनुसार आपकी कंपनी का 2015-16 में मानव संसाधन प्रबंधन निष्पादन निम्नानुसार रहा -

1. **जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण :** उत्कृष्ट दर हेतु 10 नामांकन के लक्ष्य के मुकाबले 14 जनों को जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया, अर्थात 140% लक्ष्य प्राप्ति।

2. **सभी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कौशल उन्नयन कार्यक्रम -** उत्कृष्ट दर के रूप में दिए गए कुल 35% लक्ष्य के मुकाबले कुल कर्मचारियों के 43% को कौशल-उन्न्यन कार्यक्रम हेतु नामांकित किया गया, अर्थात - 123% लक्ष्य प्राप्ति ।

3. **कर्मचारियों की श्वॉस-संबंधी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जॉच** - उत्कृष्ट दर के तौर पर दिए गए 33% के मुकाबले कुल 51% कर्मचारियों ने कर्मचारियों की श्वॉस संबंधी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जॉच में भाग लिया, अर्थात 155% लक्ष्य प्राप्ति।

25.1 **औद्योगिक संबंध:**

अग्रणी औद्योगिक संस्थान होने से कंपनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हुए औद्योगिक संबंध बनाये हुए हैं ताकि संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बना रहे। हमारी कंपनी ने बाह्य एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखा है।

ऊँचाईयों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध ही एक धुरी (Pivotal) है और कंपनी सदैव उत्तम औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में पूरा ध्यान देती है । इस वर्ष भी कंपनी तीन स्तरीय औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मामला एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर के औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

दिनांक 02 सितंबर,2015 को चारों केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा किए गए हड़ताल को छोड़कर वर्ष 2015-16 में कोई हड़ताल नहीं हुआ जो प्रबंधन एवं श्रम संगठनों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

25.2 **सहभागिता प्रबंधन:**

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजना में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए, इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और कत्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा, क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

अपने कर्मचारियों के साथ केवल सहभागिता प्रबंधन के जरिए ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबद्धता जैसी श्रेष्ठ पद्धतियों के आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में एमसीएल विश्वास रखता है। नवंबर,2015 के द्वितीय सप्ताह में अंतर-निदेशालाय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिससे न केवल दैनिक कार्य की उगाही और दबाब से मुक्त होने में सहायता मिलती है बल्कि कर्मचारियों में स्फूर्ति आती है और नेतृत्व व टीम भावना का महत्व बढ़ता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरों का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावी रुप से आगे बढ़ सके इस के लिये एमसीएल विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को

प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2015-16 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित नियमित बैठकें हुईं जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समरस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिनी कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सीआईएसटीईए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई।

संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है:-

i) आवास आबंटन समिति

ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति

iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

25.3 **प्रशिक्षण और विकास-**

मौजूदा मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति के विशेष संदर्भ में स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने और उत्पादन के रुबरू प्रौद्योगिकी की मांग पूरा करने के लिए जनशक्ति की वृद्धि से निपटने हेतु प्रशिक्षण और विकास आपकी कंपनी की कॉपोरेट नीति का अभिन्न भाग है।

कार्यनीति योजना से उत्पन्न कार्यों का सामना करने के लिए, सभी तीनों आंतरिक प्रशिक्षण केंद्रो, अर्थात (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला, बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहाड़, लखनपुर क्षेत्र, खनन, इंजीनियरी और उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (मिटी), तालचेर और विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में निम्नलिखित तीन खंडों में मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक मानव संसाधन विकास योजना तैयार की जाती है।

<u>वर्ष 2014-15 व 2015-16 का प्रशिक्षण विवरण</u> -

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	अधिकारी	1040	724
2	पर्यवेक्षक	676	1606
3	कर्मचारी	4211	6501
	कुल :-	5927	8831

वाह्य प्रशिक्षण का विवरण -

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	अधिकारी	801	726
2	पर्यवेक्षक	116	81
3	कर्मचारी	49	62
	कुल :-	966	869

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप -

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	खनन अभियांत्रिकी	200	215
2	खनन डिप्लोमा	812	1064
3	बी.टेक	190	202
4	एमबीए	46	83
5	अन्य	71	55
	कुल	1319	1619

डिप्लोमा-उत्तर प्रायोगिक प्रशिक्षण (पीडीपीटी) -

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	ओएसएमई, केंओझर	33	29
2	केआईएमईटी, छेंडीपड़ा	10	38
3	पीसीआईईटी, अनगुल	30	36
4	पीएमआईईटी, अनगुल	11	14
5	केएसई, केंओझर	5	11
	कुल :-	89	128

बोर्ड सदस्यों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण -

वर्ष	**प्रशिक्षणों की सं.**	**भारत में**	**विदेशों में**
2014-15	2	4	-
2015-16	8	8	-

वर्ष 2014-15 व 2015-16 में प्राप्त प्रशिक्षण कार्य दिवस-

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	अधिकारी	7156	7792
2	पर्यवेक्षक	4135	9456
3	कर्मचारी	32780	49714
	कुल	44071	66962

वर्ष 2015-16 में समझौता ज्ञापन अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम -

क्र.	**प्रकार**	**प्रशिक्षित अधिकारी**
1	परियोजना प्रबंधन	18
2	संविदा प्रबंधन	17
3	जोखिम प्रबंधन	14
4	पर्यावरण,वन प्रबंधक भू-अधिग्रहण	14
5	एएमपी(उन्नत प्रबंधक कार्यक्रम)	5
6	सिम्यूलेटर प्रशिक्षण	17

वर्ष 2015-16 में 43% कर्मचारियों को 05 दिवसीय कौशल उन्नयन कार्यक्रमों में शामिल किया गया ।

भुवनेश्वर में प्रबंधन विकास संस्थान(एमआईएनआरईएम)-

एमसीएल ने कोयला उपक्रम के अधिकारियों के लिए विकसित एवं उभरते हुए विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़े-कदम उठाने की शुरूआत की है। टोमांडो,भुवनेश्वर में दी जानेवाली सुविधाओं का लक्ष्य विविध गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण एवं विकास, आर एंड डी, परामर्श और सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम उपलबध कराना है। नई तकनीक, व्यापार को विभिन्न आयाम देने तथा अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति से कार्य एवं सक्षमता में एक दूरी का निर्माण हो रहा है इसे एचआरडी त्वरित हस्तक्षेप से पाटा जा सकता है । इसी के लिए इस संस्थान का गठन किया गया।

एमसीएल इंस्टीच्यूट आफ नेचूरल सिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट(एमआईएनआरईएम) पूरी तरह एमसीएल द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित है तथा राजधानी नगर भुवनेश्वर में विश्वस्तरीय संस्थान है। इसे महानिरीक्षक(पंजीकरण) ओड़िशा द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 16.01.2015 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।
मेसर्स एनबीसीसी के प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट कंसलटेंसी के तहत परियोजना का सिविल निर्माण पूरी तत्परता के साथ इसके ढांचागत भाग और अन्य भागों की समय सीमा में कार्य हो रहा है।

जैसा कि हम जानते हैं एमआईएनआरईएम एमसीएल की प्रतिभा निर्माण के लिए उत्तरदायी है इसने एक पूर्ण रूपेण तथा अच्छी तरह सोची समझी प्रतिभा विकास की योजना अपनायी है जो संगठन के उभरते हुए अधिकारियों में सही मूल्य बोध उत्पन्न करेगी उन्हें खुले दिमाग एवं जिज्ञासा जगाएगी। कंपनी को प्रतियोगी वातावरण में आगे ले जाने के लिए बल प्रदान करेगी।

परिवर्तन प्रशिक्षण -

कंपनी नियमित सांविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा कंपनी के भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप और कंपनी की कॉर्पोरेट योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशल बनाने और कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने में भी रुचि लेती है।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क..**अधिकारी कार्यक्रम**:-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम: अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्य-निष्पादन को बढाने हेतु।
कार्यात्मक कार्यक्रम: कार्यात्मक कौशल विकास हेतु।
क्रास कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य संबंधी ज्ञान के विकास हेतु।
कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु।

ख..**पर्यवेक्षक कार्यक्रम**:-

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।
पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन : पर्यवेक्षकों में जागरूकता सृजित करने हेतु।
ओवरमैंन व माइनिंग सर्दार जैसे व्यक्तियों के कैरियर संवर्धन हेतु ।
कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

ग..**श्रमिकों हेतु कार्यक्रम**:-

श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उननयन हेतु।
एचईएमएम प्रशिक्षण: उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात विभिन्न खानों में तैनाती के लिए भू-विस्थापित को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है।
सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: खानों में सुरक्षा के संबंध में श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता सृजित करने हेतु।
कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: कुशलता से कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु।

भुवनेश्वर में प्रबंधन विकास संस्थान(एमआईएनआरईएम)-

प्रशिक्षण और विकास:

मौजूदा मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति के विशेष संदर्भ में स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने और उत्पादन के रुबरू प्रौद्योगिकी की मांग पूरा करने के लिए जनशक्ति की वृद्धि से निपटने हेतु प्रशिक्षण और विकास आपकी कंपनी की कॉपोरेट नीति का अभिन्न भाग है।

कार्यनीति योजना से उत्पन्न कार्यों का सामना करने के लिए, सभी तीनों आंतरिक प्रशिक्षण केंद्रो, अर्थात (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला, बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहाड़, लखनपुर क्षेत्र, खनन, इंजीनियरी और उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (मिटी), तालचेर और विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में निम्नलिखित तीन खंडों में मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक मानव संसाधन विकास योजना तैयार की जाती है।

तकनीकी प्रशिक्षण:-

यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें निकट भविष्य में खनन कार्य में प्रयोग होने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी से, यदि कोई हो, अद्यतन भी करता है ताकि प्रौद्योगिकी में विशेष प्रणालियों के माध्यम से

उत्पादन प्रक्रिया में समृद्धि अथवा क्षमता और नए उपकरणों के माध्यम से परियोजना में पूंजी और तकनीक के निवेश की उपयुक्त वापसी उपलब्ध करा सके। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए, कर्मचारियों को निम्नलिखित माध्यम से अवगत किया जाता है:

मूल पाठ्यक्रम: प्रौद्योगिकी, उपकरण और प्रणाली के यथोपयुक्त ।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम: तीन वर्ष में एक बार उनको जो मूल पाठ्यक्रम कर चुके हैं अथवा पहले से ही विशिष्ट कौशल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्थल पर अथवा प्रशिक्षण केंद्रों में भी आयोजित किया जाता है।

विशेषीकृत पाठ्यक्रम: प्रौद्योगिकी, उपकरणों के विन्यास और क्षमता में परिवर्तन तथा उत्पादन की प्रणाली में सुधार के मामले में।

प्रबंधन प्रशिक्षण:

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यकता के अनुसार मांग आधारित प्रशिक्षण अर्थात् उच्च स्तर पर प्रवेश, कंपनी हितों के विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों को बाह्य संगठनों जैसे आईआईसीएम, रांची, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और भारत तथा विश्व के अन्य प्रख्यात प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है।

परिवर्तन प्रशिक्षण -

कंपनी नियमित सांविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा कंपनी के भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप और कंपनी की कॉर्पोरेट योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशल बनाने और कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने में भी रुचि लेती है।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क..**अधिकारी कार्यक्रम**:-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम: अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्य-निष्पादन को बढाने हेतु।
कार्यात्मक कार्यक्रम: कार्यात्मक कौशल विकास हेतु।

क्रास कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य संबंधी ज्ञान के विकास हेतु।
कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु।

ख.**पर्यवेक्षक कार्यक्रम**:-

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।
पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन : पर्यवेक्षकों में जागरूकता सृजित करने हेतु।

ओवरमैंन व माइनिंग सर्दार जैसे व्यक्तियों के कैरियर संवर्धन हेतु ।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

ग.श्रमिकों हेतु कार्यक्रम:-

श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उननयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात विभिन्न खानों में तैनाती के लिए भू-विस्थापित को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है।

सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: खानों में सुरक्षा के संबंध में श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता सृजित करने हेतु।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: कुशलता से कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु।

मानव संसाधन पर पहल -

1. मेंटर-मेंटी योजना -

नवागंतुकों की बढ़ती संख्या के अवधारणार्थ तथा प्रशिक्षित व प्रतिबद्ध मेंटरों के एक समूह के विकास हेतु सीआईएल की मेंटर-मेंटी स्कीम के अनुसार एक प्रमुख प्राथमिकता का संगठनात्मक क्षेत्र, जो उनसे सामाजिक संपर्क बनाने में सहायक होगा, के लिए एमसीएल ने विभिन्न क्षेत्रों के 169 मेंटी (ई-3 ग्रेड में सहा.प्रबंधक) के व्यावसायिक वृद्धि व विकास तथा वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने के लिए के लिए 30 मेंटर नियुक्त किया है ।

2. माइनिंग सर्दार के प्रशिक्षु प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षण योजना -

सीआईएल द्वारा 30 अ.जा./अ.ज.जा. व्यक्तियों, विशेषत: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था एवं तदानुसार लखनपुर क्षेत्र को सुझाव दिया गया कि निगम की सामजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कमजोर तबके के बच्चों को रोजगार-योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण व विकास प्रशिक्षण तथा विकास के अवसर प्रदान करने के लिए 04 वर्षों के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, कक्षा, परिवहन आदि की व्यवस्था करें

3. **अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण देना -**

क. **स्नातकोत्तर प्रायोगिक प्रशिक्षण (पीजीपीटी)** - बीओपीटी, कोलकाता द्वारा पीजीपीटी के 04 पद अधिसूचित किया गया था तदानुसार 03 पीजीपीटी को तालचेर क्षेत्र में नियोजित किया गया है ।

ख. **डिप्लोमा-उत्तर प्रायोगिक प्रशिक्षण (पीडीपीटी)** – पहले के 100 पदों को वर्तमान में बढ़ाकर 200 पद कर दिया गया है और 31.03.2016 को अब तक 128 पीडीपीटी (तालचेर क्षेत्र में 69 व ओरिएंट क्षेत्र में 59) को 01 वर्ष के लिए नियोजित किया गया है ।

ग. ओड़ीशा राज्य के आईटीआई से उत्तीर्ण 67 जनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में 01 वर्ष के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण में नियोजित किया गया है **-**

क्र.	**क्षेत्र का नाम**	**आईटीआई उत्तीर्ण अप्रेंटिसों के तौर पर नियोजन की सं.**
1	तालचेर क्षेत्र	27
2	केन्द्रीय कर्मशाला (उत्ख.),तालचेर	39
3	जगन्नाथ कोलयरी	01
	कुल	67

डी. मानव संसाधन दूरदर्शिता 2020 :

मानव संसाधन दूरदर्शिता 2020 की जीईएनएक्सटी अवधारणा के तहत विभिन्न डिसीप्लीन,नामश:, कार्मिक, वित्त व सामग्री प्रबंधन के 03 ऊर्जावान सहा.प्रबंधकों का एक केन्द्रीय कार्य दल का गठन किया गया है ।

अंत:वृत्तीय गुणवत्ता व ज्ञान प्रबंधन :

इस संबंध में सुसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।

25.5 मनोरंजन गतिविधियां

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक व मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान एमसीएल ने कोल इंडिया अंतर्कम्पनी लॉन टेनिस व कोल इंडिया अंतर्कम्पनी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया । कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया । 01 अप्रेल से लेकर 03 अप्रेल के दरम्यान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की एक क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2015 के दौरान सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि में अनेकों परोपकारिक कार्य किए । विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

25.5.1 शिक्षा :

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, एन.के. महाविद्यालय, तालचेर सहित 17 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल तथा सभी डीएव्ही स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2015-16 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू.24,43,95,000/- तथा निजी स्कूलों को रू.50,11,440/. उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 2015-16 के दौरान, 1170 मेधावी छात्रों (सभी बच्चे कर्मचारियों के हैं) को छात्रवृत्ति देने के लिए 18,94,320/- की राशि की व्यवस्था की गई है।

आपकी कंपनी ने तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा हेतु ट्यूशन शुल्क और छात्रावास भाड़े के लिए कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी है। 2015-16 के दौरान, इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों के 86 बच्चों को 21,33,210/- की राशि संवितरित की गई।

कर्मचारियों के लिए सांस की बीमारियों हेतु स्वास्थ्य जांच - सांस की बीमारियों के लिए जांच की कुल सं. 11377 है जो 51% है ।

26. राजभाषा

एमसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम/कैलेंडर तैयार किया जाता है और उसके अनुसार कार्यक्रम किए जाते हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए गए :

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अप्रनि, एमसीएल की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2015,14.09.2015, 26.12.2015 व 28.02.2016 को आयोजित की गईं जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. **राजभाषा कार्यशाला :**

एमसीएल मुख्यालय में निम्नानुसार राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित हुई-

मुख्यालय में 12 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों को राजभाषा नीतियों के नियमों और विनियमों से अवगत कराया गया और हिंदी में टिप्पण/आलेखन का अभ्यास भी कराया गया । इन 12 कार्यक्रमों में कुल 506 अधिकारियों/ स्टाफ ने भाग लिया।

3. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर की बैठकें:**

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर की दो अर्द्धवार्षिक बैठकें दिनांक 30.6.2015 और 27.11.2015 को एमसीएल मुख्यालय में संपन्न हुई । दोनों बैठक अध्यक्ष,नराकास, संबलपूर की अध्यक्षता में आयोजित की गईं ।

नराकास,संबलपूर के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष-2015 से ''राजभाषा शील्ड'' प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। कुल 05 राजभाषा शील्ड में से एमसीएल, एसबीआई व यूनियन बैंक को क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय के साथ ही दूरदर्शन व एफसीआई को क्रमश: प्रथम व द्वितीय सांत्वना राजभाषा शील्ड अध्यक्ष,नराकास, संबलपुर द्वारा 27.11.2015 को आयोजित बैठक के दौरान प्रदान किए गए ।

4. **हिंदी भाषा प्रशिक्षण :**

हिंदी भाषा प्रशिक्षण और परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कुल 293 (मई, 2015 सत्र -158 और नवंबर, 2015 सत्र-135) कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास की जिसका विवरण इस प्रकार है -

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
मई, 2015	34	50	74	158
नवंबर, 2015	49	35	51	135
कुल	83	85	125	293

सीआईएल नियमों के अनुसार उन्हें एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया गया और प्राज्ञ पास अभ्यर्थियों को एमसीएल के परिपत्र के अनुसार उपर्युक्त के अलावा एक वर्ष की उनकी वेतनवृद्धि के बराबर एकमुश्त नकद प्रोत्साहन दिया गया।

5. **कंप्यूटर पर यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण :**

एमटीआई, एमसीएल में 20.7.2015 से 25.07.2015 तक तथा 08.02.2016 से 13.02.2016 तक यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एमसीएल के कुल 101 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

6. **राजभाषा पुरस्कार योजना-2015 :**

एमसीएल में राजभाषा को बढ़ावा देने व कार्यान्वयन में गति लाने के लिए वर्ष-2015 में - एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" योजना प्रारंभ की गई। कुल 09 पुरस्कारों में से 03 पुरस्कार क्षेत्र/इकाईयों को, 03 पुरस्कार बड़े विभागों को तथा बचे 03 पुरस्कार कंपनी मुख्यालय के लघु विभागों को दिए गए हैं। वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा पखवाड़ा-2015 के समापन समारोह के दौरान सभी 09 पुरस्कार अप्रनि,एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए।

7. **अखिल भारतीय कवि सम्मेलन :**

राजभाषा पखवाड़ा 2015 के समापन समारोह के अवसर पर 29.09.2015 को एमसीएल मुख्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया।

8. **राजभाषा पुरस्कार/सम्मान :**

(क) टीओएलआईसी,संबलपूर के अध्यक्ष द्वारा एमसीएल को कंपनी में राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन में सराहनीय निष्पादन हेतु प्रथम राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया।

(ख) एमसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकारी व विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित भिन्न-भिन्न राजभाषा संगोष्ठी में भाग लिया।

(ग) कोयला मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा बंगलुरू में दिनांक 14 से 15 जुलाई,2015 तक आयोजित दो-दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी में एमसीएल के अधिकारियों ने भाग लिया ।

सं.निदेशक(कार्या.), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा रांची में दिनांक 21 जनवरी,2016 को पूर्व व उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए आयोजित सं.राजभाषा संगोष्ठी व पुरस्कार वितरण सामरोह में एमसीएल के अधिकारीगण शामिल हुए ।

(घ) मदुराई में दिनांक 14-16 अक्तूबर,2015 को आयोजित एक संगोष्ठी में राजभाषा विकास संस्थान,देहरादून से राजभाषा नीतियों के सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु एमसीएल पदाधिकारियों को निम्नानुसार पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए -

- ❖ एमसीएल को ''राजभाषा श्री''
- ❖ श्री ए.एन. सहाय, अप्रनि,एमसीएल को ''विशेष राजभाषा श्री''
- ❖ श्री पी.सी.पाणिग्राही, निदेशक(का.), एमसीएल को ''राजभाषा कीर्ति''
- ❖ श्री जी. देहुरी, महाप्रबंधक (राजभाषा) को ''विशेष राजभाषा कीर्ति''
- ❖ श्री मधूसूदन शर्मा,महाप्रबंधक/निदे.तक.(सं.) के तक.सचिव को ''राजभाषा विशिष्टता'' एवं ''वैज्ञानिक राजभाषा विशिष्टता''
- ❖ श्री डी.मेहरा, जनसंपर्क अधिकारी को ''विशेष राजभाषा विशिष्टता"
- ❖ श्री जी.पी. मोहापात्रा, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एनएससीएच,तालचेर को ''विशेष राजभाषा विशिष्टता"

(ड़) राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास, गाजियाबाद द्वारा विभिन्न अवसरों पर निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए-

- ❖ नई दिल्ली में दिनांक 17.04.2015 को आयोजित 20वीं अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास एवं सम्मान समारोह में ''राजभाषा उत्कृष्ट सम्मान-2015''
- ❖ फरीदाबाद में दिनांक 25.10.2015 को आयोजित 21वीं अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास एवं सम्मान समारोह में ''उत्कृष्ट संस्थागत सम्मान''

(च) भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र, नई दिल्ली द्वारा मन्नार में 29 प्रेल से 01 मई,2015 तक आयोजित एक अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी के दौरान एमसीएल को राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वोत्कृष्ट निष्पादन हेतु ''राजभाषा शिरोमणि पुरस्कार'' प्रदान किया गया .

(छ) राजभाषा अकादमी, दिल्ली द्वारा 4 से 6 अगस्त,2015 को गंगटोक (सिक्किम) में आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में एमसीएल को ''उत्कृष्ट राजभाषा सम्मान'' प्रदान किया गया ।

(ज) राजभाषा अधिनियम व नियमावली के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु एमसीएल को ''उत्कृष्ट राजभाषा अनुपालन" पुरस्कार तथा टीओएलआईसी, संबलपूर द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका,''संबलप्रभा'' को ''श्रेष्ठ हिंदी पत्रिका'' का पुरस्कार प्राप्त हुआ । यह दोनों पुरस्कार राजभाषा सेवा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गोवा में 07 से 09 अक्तूबर को आयोजित संगोष्ठी में प्रदान किया गया ।

(ङ) हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा:

दिनांक 14.9.2015 को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्यालय में इसका उद्घाटन श्री दीपक श्रीवास्तव, आईएफएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी.,एमसीएल मुख्या. द्वारा किया गया।

14 से 28 सितंबर, 2015 तक एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद-विवाद, टिप्पण और आलेखन तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण आयोजित की गईं जिनमें कर्मचारियों ने बहुत संख्या में भागीदारी की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त गृहिणियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

दिनांक 29.09.2015 को एमसीएल सभागार,जागृति विहार में हिंदी पखवाड़ा समापन दिवस समारोह में हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अप्रनि,एमसीएल द्वारा पुरस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

(च) **विश्व हिंदी दिवस:**

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.1.2016 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इसका उद्घाटन श्री ए. के.झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी भी आयोजित की गई । श्री ए.के.तिवारी, निदेशक (तक./सं.), श्री जे.पी.सिंह निदेशक(तक./परि.व यो.), श्री पी.सी.पाणिग्राही, निदेशक (का.), श्री बी.सी.त्रिपाठी, महाप्रबंधक(प्रबं.प्रशि.सं. व राजभाषा), प्रो.के.पी.गुप्ता, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष(हिंदी), जी.एम.कॉलेज, संबलपूर, डॉ.शंकरलाल पुरोहित, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष(हिंदी), बीजेबी कॉलेज, भुवनेश्वर, श्री एच.आर.पंसारी, व.प्रबंधक(राजभाषा), नालको इसमें शामिल हुए व जनसमूह को संबोधित किया ।

(छ) **पुस्तकों की खरीद:**

राजभाषा नीति के अनुसार, पुस्तकों की खरीद पर 87,785/- का व्यय हुआ जिसमें से हिंदी पुस्तकों पर 77,785/- का व्यय हुआ जो कुल व्यय राशि 88.60% था।

(ज) **एमसीएल की वेबसाइट:**

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी बनाई गई है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

13. **राजभाषा पत्रिकाएं:**

वर्ष 2015-16 के दौरान दो राजभाषा पत्रिकाएं, 'राजभाषा झलकियां' तथा 'संबलप्रभा' के तृतीय अंक का प्रकाशन कराया गया ।

27. भूमि/ आर एंड आर :

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजार्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति हेतु भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आरएंडआर नीति में बहुतायत से दर्शाया गया है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आरएंडआर नीति का पालन करती है और 2014-15 के दौरान 411 रोजगारों की तुलना में 2015-16 के दौरान 307 रोजगार उपलब्ध कराए हैं और अपनी स्थापना के दिन से कुल 12163 रोजगार उपलबध कराए हैं। भूमि विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीएडीसी के परामर्श पर कार्य कर रही है । भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजार, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, पूजा-स्थल इत्यादि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां भी स्थापित की गई हैं।एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को कोलफील्ड्स में उपलब्ध इसके मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में नि:शुल्क अथवा नाममात्र शुल्क ₹ 2.00 प्रति मरीज की दर से ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराती है।

आपकी कंपनी खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुन: स्थापना उपलबघ कराकर भूमि अधिग्रहित करती है। 2015-16 के दौरान, एमसीएल ने 290.354 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

भारत की बहुसंख्यक जनता मूलभूत सुविधाओं से बंचित हैं इन्हें ऐसे अवसर देने की आवश्यकता है जो लंबे समय तक समाज के विस्तृत क्षेत्रों में सुधार करे। अच्छे कार्पोरेट की पहचान के तहत एमसीएल अपने सुस्पष्ट सीएसआर नीति जिसकी स्थापना 2010-11 में की गई ताकि समाज के सबसे गरीब तबके के अधिकांश लोग लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए एमसीएल विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य करता रहा है। अपनी स्थापना के दिन से कंपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे-जलापूर्ति योजना के लिए वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना के विकास के तहत जन उपयोगी सड़कों का निर्माण/ मरम्मत, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण,चेक डैम इत्यादि,लड़कियों की शिक्षा, कमजोर तबके को प्रशिक्षण एवं रोजगार विहीन युवाओं/पीएपी को व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक उन्नयन, निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और नियमित आधार पर मोबाईल चिकित्सा वैन के माध्यम से पार्श्ववर्ती ग्रामों को चिकित्सा सुविधा उपलबध कराता रहा है ।

आलोच्य अवधि के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत एमसीएल ने एक माननीय प्रधान मंत्री के स्वप्निल परियोजना को अपनाते हुए ओड़िशा राज्य में विद्यालयों में प्रसाधन कक्षों के

निर्माण का कार्य किया । ओड़िशा के विभिन्न जिलों में कुल 10,546 विद्यालयों में प्रसाधन कक्षों का निर्माण एमसीएल ने किया ।

एमसीएल ने संगठन में, विशेषकर मुख्य कारोबार के दैनिक प्रचालनों में शामिल रहनेवालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिचर्चा, संगोष्ठी आदि के नियमित आयोजन के जरिए क्षमता निर्माण संवेदीकरण और हिमायत मुद्दों पर जोर दिया ।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर की नीति के अनुरुप सीएसआर कार्यकलापों के लिए विगत तीन वर्षें के औसत शुद्ध लाभ के 2% की दर से वर्ष 2015-16 में 112.97 करोड़ आबंटित किए।

एमसीएल ने सीएसआर कार्यकलापों को विस्तृत और व्यापक करने के महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। वर्ष 2015-16 का व्यय 186.54 करोड़ है और प्रमुख गतिविधियां प्रगति पर है।

आपकी कंपनी ने कंपनीज एक्ट,2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनीज (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 9 तथा अधिनियम की खंड 134 की उपखंड (3) की धारा (0) के अनुसरण में आवश्यक सांविधिक प्रकटीकरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है वर्ष 2015-16 में समझौता ज्ञापन पर कार्य निष्पादन :

29. जेंडर बजट की व्यवस्था -

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली औजार है । नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकिया है ।

सामाजिक अनुक्रियाशीलता के कारण एमसीएल ने कंपनी के भीतर और बाहर सदैव जैंडर विशिष्ट मामलों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाई है और सर्वोत्तम संभावित प्रयासों के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

- सार्वजनिक क्षेत्र विंग/शाखा, एमसीएल में महिलाओं विप्स को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना ।
- अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।

- सीआईएल नियमों के अनुसार पात्र महिला अधिकारियों को बाल देख-रेख अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।

- खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियोंहेतु रोजगार के लिए आयु सीमा में छूट।

- उपयुक्त प्रतिनिधित्व और संबोधन से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत घोषणा

कंपनी में यौन उत्पीड़न(रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारणार्थ आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी(स्थायी, ठेका, अस्थायी, प्रशिक्षु) आते हैं।

प्राप्त शिकायतों की कुल सं. : शून्य

निपटाई गई शिकायतों की कुल सं. : शून्य

30 . जनसंपर्क :

अपने हितग्राहियों को जानकारी देने व संस्था में घटित होने वाली सभी घटनाओं से अद्यतन रखने के साथ साथ व्यापार संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कंपनी के रूख के विषय में कंपनी का एक अत्यंत सक्रिय दृष्टिकोण है।

रणनीतिक रूप में योजित संचार द्वारा आंतरिक जनों के साथ साथ वाह्य जनों के साथ अपने रिश्तों में मजबूती बनाए रखा है। हमने चतुर्थ स्तंभ के सदस्यों से शक्ति-गुणक के रूप में स्वस्थ व्यावसायिक संबंध बनाए रखा है जिससे हमें सामाजिक व विकासात्मक पहल के साथ साथ व्यवसाय संबंधी विभिन्न पहलों को साधने में मदद मिलती है।

कंपनी की मानवीय छबि उभारने पर विशेष महत्व ने न केवल कोल इंडिया कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत में योगदान किया है बल्कि जनसामान्य में प्रत्यक्ष उन्नति, विशेषत: ओड़ीशा में एमसीएल के अंतर्गत आसपास के क्षेत्रों, आई है ।

एक समर्पित टीम जनसंपर्क ने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को प्रेस-वार्ता के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा शीर्ष प्रबंधन के लोगों का विशेष साक्षात्कार आयोजित कराया ताकि हितग्राहियों को पूरी जानकारी प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। कंपनी की विभिन्न घटनाचक्रों, गतिविधियों व उपलब्धियों पर प्रेस-वक्तव्य के रूप में जानकारी प्रवाह की वृद्धि से कंपनी की पहल व सफलताओं का विस्तुत प्रचार हुआ है ।

संकट की घड़ी में रणनीतिक संचारण के माध्यम से अशांत परिस्थितियों को कंपनी के पक्ष में संगठित करते हुए कंपनी की जनसंपर्क व्यवसाय संचालन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की दिया में निरंतर सक्रिय है ।

वर्ष 2015-16 जनसपर्क के मामले के मामले में काफी उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। 'माइनिंग कोल विद ग्रीन थॉट्स' (पर्यावरण), 'शेयरिंग स्माइल्स (सीएसआर), एक कोल माइनर विद जीम डिफरेंस (कार्पोरेट फिल्म) तथा 'डिजीटल विजिलेंस-आईटी एन फाइटिंग करप्शन', इन चार

डॅक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण हुआ तथा इन सभी फिल्मों ने पेशेवर मंच पर काफी वाहवाही प्राप्त की। व्यवसाय संचालन में तकनीकी वद्धि पर एमसीएल के वृत्तचित्र, 'डिजीटल विजिलेंस-आईटी एन फाइटिंग करप्शन' ने डीडी नेशनल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 के दौरान विशेष कार्यक्रम में कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व किया।

आपकी कंपनी ने प्रतिष्ठित पीआरएसआई(पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया) राष्ट्रीय पुरस्कार में कार्पोरेट फिल्म, सीएसआर व चाइल्डकेयर प्रोजेक्ट, तीन श्रेणियों में तीन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जबकि कोलकाता में पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया(पीआरसीआई) के 10वें ग्लोबल कम्यूनिकेशन कॉन्क्लेव में फिल्म श्रेणियों में एमसीएल की चारों प्रविष्टियों ने कॉर्पोरेट कोलेटरल एवार्ड्स 2016 प्राप्त किया।

अपने संचालन व उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए आपकी कंपनी ने कटक व भुवनेश्वर में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनी में भाग लिया ।

आंतरिक प्रसार के लिए द्विभाषी त्रैमासिक समाचार पत्रिका ''द महानदी'' के प्रकाशन के साथ साथ आपकी कंपनी के **www.facebook.com/mahanadi.coalfields** फेसबुक पेज व यू-ट्यूब चैनल द्वारा सोशल मीडिया में उपस्थिति द्वारा महानदी कोलफील्ड्स की जनसामान्य, खास कर दिग्गजों व कंपनी के कर्मचारियों में संलग्नता में वृद्धि हो रही है ।

आपकी कंपनी समाजिक मुद्दों, जैसे- एड्स, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत आदि पर आयोजित समारोह में सहायता, मुद्रण, प्रकाशन के माध्यम से सृजनात्मक विषयों को जनसाधारण में प्रसारित कर जागरूकता लाने में निरंतर लगी हुई है।

कंपनी के लिए सकारात्मक जनमत व सद्भावना जागृत करने के लिए विभिन्न अवसरों पर मीडिया में कार्पोरेट विज्ञापन जारी किए गए तथा केन्द्र सरकार के स्किल इंडिया इनिसिएटिव को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए सांस्कृतिक, शैक्षणिक/प्रशिक्षण महत्व के आयोजनों को हमने प्रायोजित किया ।

31. सामाजिक सुविधाओं पर पूंजी निवेश:

दिनांक 31.3.2015 की तुलना में दिनांक 31.3.2016 को सामाजिक सुविधाओं पर निवेश की गई पूँजी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है : (रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	अचल संपत्तियों का सकल मूल्य	
		31.3.2016 को	**31.3.2015** को
1	भवन	404.12	363.38
2	संयंत्र व मशीन	73.91	72.58
3	फर्नीचर, फीटिंग्स व उपकरण	8.90	8.69
4	वाहन	7.55	7.15
5	विकास	9.24	9.24
	कुल	**503.72**	**461.04**

32. सतर्कता गतिविधियॉ एवं उपलब्धियॉ:

एमसीएल के सतर्कता विभाग के कामकाज का मुख्य आधार निवारक, भविष्यसूचक व रिक्तिपूर्व सतर्कता के साथ साथ उन प्रकरणों में दंडात्मक कार्रवाई करना जिनमें दुर्भावनापूर्ण इरादे के संबंध में अभिलेखों में स्पष्ट साक्ष्य पाया जाए। निवारक व सक्रिय सतर्कता उपाय में, संबंधित व्यवस्थित सुधार, सतर्कता जागरूकता लाना,कर्मचारियों व कंपनी के विभिन्न हितग्राहियों को संवेदनशील बनाना, ई-पहल लागू करना तथा सीवीसी, नई दिल्ली कोयला

मंत्रालय, नई दिल्ली व कोल इंडिया सतर्कता डिवीजन द्वारा समय समय पर जारी जारी आदेशों, परिपत्रों, परामर्श पत्रों को कार्यान्वित करना, परस्पर शामिल है । एमसीएल के सतर्कता सविचालय का मुख्य फोकस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए निवारक सतर्कता पर है। चिह्नित भ्रष्टाचार ग्रस्त क्षेत्रों में कंपनी के लेन-देन में मानव के अंतरफलन को कम करने के लिए व्यवस्थित सुधार सुझाए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान निवारक,भविष्यसूचक व रिक्तिपूर्व सतर्कता के तौर पर विभिन्न फील्ड कार्यों के साथ साथ यथोचित प्रणाली व प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी के दिशानिर्देशों में बारंबार औचक निरीक्षण किए गए हैं।इसके साथ साथ कर्मचारियों में सतर्कता व भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों के प्रति जागरूकता भी प्राथमिकता एजेंडा में हैं जिसमें नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षु,विक्रेता, विद्यार्थी तथा सामान्य नागरिक भी पारस्परिक विचार विमर्श/संगोष्ठी के माध्यम से शामिल हैं।

32.1 **निरोधक सतर्कता :**

(क) <u>निरीक्षण:</u>

वर्ष 2015-16 के दौरान, 59 औचक और 22 नियमित प्रकार के निरीक्षण किए गए। ऐसे निरीक्षणों में प्रमुख फोकस प्रणाली/प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना रहा है ताकि फील्ड अभियानों में स्वच्छता और पारदर्शिता लाई जाए। विभिन्न फील्ड अभियानों की औचक जांच जैसे कि एसआईएलओ निर्माण स्थल, कोयला स्टॉक यार्ड की जॉच, ई-निगरानी इकाई, इन-मोशन-वे-ब्रिज मापांकन, संविदा समाप्ति में देर, कोयला परिवहन, रोड सेल संबंधित गतिविधि, विभागीय अधिभार उत्पादन में अनियमितता, जिओ-फेंसिंग का उल्लंघन आदि व्यवस्थित सुधारों के रूप में जारी विभिन्न परिपत्रों, अनुदेशों, दिशा-निर्देशों और जहॉ आवश्यक पाया गया दंडात्मक कार्रवाई की गई।

(ख) <u>व्यवस्थित सुधार :</u>

समय समय पर सीवीसी, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों पर निवारक, भविष्यसूचक व रिक्तिपूर्व सतर्कता ही सतर्कता विभाग के कामकाज का मुख्य आधार है ।

1. कुछ दिनों पूर्व विभिन्न इन-मोशन वे-ब्रिजों के दिन-प्रतिदिन की मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि किसी भी दिन में मात्र 08 इन-मोशन वे-ब्रिज ही कार्यात्मक-मोड में थे। इन-मोशन वे-ब्रिजों के काम नहीं करने की मुख्य वजह एएमसी का पूर्ण नहीं होना था। इस संबंध में 01.04.2014 से इन-मोशन वे ब्रिजों से उत्पादन रिपोर्ट बनाना सुनिश्चित करने हेतु मामले को यथाशीघ्र सुलझाने हेतु सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र. 352, दिनांक 27.02.2015 के तहत कंपनी के सीईओ को सुझाव दिया गया।

   उसी प्रकार 34 नग इन-मोशन रोड वे-ब्रिजों की एएमसी कंपनी द्वारा पूर्ण की गई जिससे इन-मोशन वे-ब्रिजों की उपलब्धता में वृद्धि हुई। इससे कोयला टिपरों का शत-प्रतिशत मापन हुआ।

2. ऐसे अनेक दृष्टांत है जब बोलीकर्ताओं ने असाधारण निम्नतम दर (एएलआर)/असाध्य दर दर्ज किया तथा उस दर को एल-1 मानकर निविदा पूर्ण किया गया। यह सही था कि एएलआर में कार्य-एवार्ड ने कार्य के आवश्यक विनिर्दिष्टताओं के अनुसार कार्यान्वयन में गंभीर बाधा उत्पन्न किया तथा ठेकेदारों को असाधारण निम्नतम दर से कार्य एवार्ड करने में कहीं-कहीं गलत आकलन प्रस्तुति भी कारण बना। सिविल इंजीनियरिंग मैन्युअल (सीईएम) के अनुसार एएलआर से संबंधित धरोहर जमाराशि को कार्य के सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए

बोलीकर्ता को कर्तव्य-निष्ठ बनाने हेतु जमानत के तौर पर बोलीकर्ता से लिया जाता है । लेकिन संविदा प्रबंधन मैन्युअल (सीएमएम) में ऐसे बोलीकर्ताओं के लिए को प्रावधान नहीं रखा गया है जो असाधारण निम्नतम दर/असाध्य दर दर्ज करते हैं जिससे कार्य की गुणवत्ता कमजोर होने या संविदा असफल होने की गुंजाइश में बढ़ावा होता है।

उसी प्रकार, रोड सेल कं संबंध में कोल लदाई की निविदा के मामले में, बसुंधरा में अतीत में अव्यावहारिक दर में कार्य एवार्ड किया गया। दिनांक 28.09.2007 में सम्पन्न एमसीएल बोर्ड की 91वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्य की लागत समान कार्य के लिए पिछले एवार्ड किए गए एक अव्यावहारिक दर पर आधारित था ।

उक्त अत्यावश्यकताओं से निपटान के लिए सतर्कता सचिवालय ने अपने पत्रांक 551, दिनांक 26.03.2015 के तहत कंपनी के सीईओ को निम्न प्रणाली सुधार उपाय सुझाए-

i) ठेकेदारीय माध्यम से अव्यावहारिक दर से कार्य को रोकने के लिए रोड सेल ट्रकों की लदाई के लिए विभागीय पे-लोडर नियोजित करने हेतु संभावनाएं तलाशनी होगी। यदि स्थिति अपरिहार्य हो जाए और यदि कार्य को ठेकेदारीय माध्यम से ही कराना पड़े तो एनआईटी में यह प्रावधान होना चाहिए कि एल-1 बोलीकर्ता जिसने अव्यावहारिक दर/असाधारण निम्नतम दर दर्ज किया है इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा कि वह अनुचित साधनों को नहीं अपनाएगा और किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा तथा ऐसा करने में असफल रहने पर उसकी संविदा समाप्ति योग्य होगी तथा उसे एमसीएल में भविष्य की किसी निविदा में शामिल होने में 03 वर्ष की रोक लगा दी जाएगी।

ii) क्षेत्र के निम्नतम दर पर आधारित आकलन प्रस्तुत करने के संबंध में एमसीएल बोर्ड की 91वीं बैठक में लिए गए निर्णय पुनरीक्षण किया जाना है क्योंकि कई बार एवार्ड किया गया दर अव्यावहारिक हो जाता है इसलिए इस दर पर लागत आकलन न्यायोचित नहीं होगा। अत: निविदाओं को अद्यतन दर से जारी करना होगा एवं यदि बोलीकर्ता द्वारा दर्ज दर अद्यतन लागत से 20% कम/अधिक पाया जाता है तो असाधारण रूप से निम्न/उच्च दर को चिह्नित किया जाना होगा।
तत्पश्चात विभागीय पे-लोडरों की खरीदी हेतु कार्रवाई की गई।

3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एमसीएल दिनांक 10.04.2015 को कर्नाटक सरकार द्वारा अपनाई गई ''ई-भूमि'' परियोजना की भूमि सूचना प्रणाली और आर एंड आर मुद्दों पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने बंगलुरू गए। उन्होंने, एमसीएल में समेकित भू-भंडार आंकड़ों के एक ही स्थान पर एकत्रण हेतु भू-जानकारी प्रणाली स्थापित करने हेतु, समान परियोजना के विकास के लिए पूर्वाकांक्षित है, के संबंध में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीच्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, बंगलुरू के पदाधिकारियों से जमा-बंदी नक्शा, भूमि-जानकारी आंकड़े, आदि संबंधी वार्ता की।

4. सतर्कता सचिवालय में दिनांक 24.04.2015 को देवास, मध्यप्रदेश के माया फैन एयर इंजीनियरिंग प्रा.लि. से भुगतान के 20% बकाया व पीबीजी जारी लंबित होने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई। फर्म ने आरोप लगाया कि उन्होंने सामग्री प्रबंधन, एमसीएल मुख्या.

द्वारा जारी आपूर्ति आदेश क्र.94, दिनांक 30.3.2012 के संबंध में तालचेर क्षेत्र में 28.02.2013 को इलेक्ट्रिकल फीटिंग्स सहित पूर्ण एमएमवी फैन की आपूर्ति की थी । सतर्कता सचिवालय में इस विषय में जॉच की गई और पाया गया कि आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार पार्टी को ई-माध्यम से करों सहित उपकरण की मूल लागत का 80% भुगतान किया जा चुका है। फर्म ने निर्धारित 18 माह की गारंटी/वारंटी अवधि की समाप्ति के 07 माह बाद भी 20% बकाया व कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्राप्त नहीं की है। सतर्कता सचिवालय के दखल के पश्चात दिनांक 30.04.2015 को पीबीजी जारी की गई।

तत्पश्चात, सतर्कता सचिवालय द्वारा अनुभव किया गया कि इस प्रकार के ऐसे भी लंबित प्रकरण हो सकते हैं जिनमे संबंधित विभागों द्वारा सामग्री आपूर्ति होने के बाद निर्धारित 18 माहों की गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात भी संबंधित विभाग द्वारा पीबीजी की वापसी नहीं की गई हो । पुन: इस संबंध में युक्तिसंगत जॉच से यह पता चला कि कुछ प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित सामग्री को संबंधित विभाग द्वारा उपभोग नहीं किया गया जिससे संबंधित तकनीकी विभाग द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ और इस वजह से आपूर्तिकर्ता की पीबीजी में रोक लगी थी। आपूर्तिकर्ताओं की परेशानी, यदि हो तो, की रोकथाम हेतु कंपनी के सीईओ को पत्रांक 1005, दिनांक 25.05.2015 के तहत सुझाव दिया गया कि वे लंबित पीबीजी को जारी करने के लिए तथा उनकी वास्तविक काल में मॉनिटरिंग हेतु लंबित पीबीजी को कोलनेट में अपलोड करने के काम में तेजी लाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें ।

5. बसुंधरा-गर्जनबाहाल क्षेत्र में एक अदृश्य मदों से युक्त सड़क कार्य का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जॉच के दौरान पाया गया कि सड़क के एक विशेष जरीबी-दूरी में कार्यनिष्पादन के मदों का न्यायोचित विवरण कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा नहीं रखा गया था। कार्य के वास्तविक आरंभन के पूर्व के साथ साथ अनुमानित लागत प्रस्तुत करने के दौरान कोई बैंचमार्क अध्ययन नहीं किया गया । अत: सतर्कता सचिवालय द्वारा निम्न व्यवस्थित सुधार के उपाय अपनाने का प्रस्ताव प्रबंधन को दिया गया -

   क. कार्य के क्रियान्वयन के पहले व बाद का यथोचित अभिलेख बनाए रखा जाए ताकि किसी हेर-फेर/गलत भुगतान से बचा जा सके।
   ख. जब भी कोयला परिवहन डामर-रोड की मरम्मत व दृढ़ीकारण कार्य किया जाए तब रोड की मौजूदा खराब हालत व उस पर निष्पादित कार्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन स्थानों के फोटोग्राफ व विडीयो रिकॉर्डिंग द्वारा समर्थन प्राप्त करे।

   फलत: उक्त सुझावों पर अमल के लिए महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल मुख्या. द्वारा परिपत्र क्र. 540, दिनांक 04.6.2015 जारी किया गया ।

6. संविदा समाप्ति, खरीदी, आश्रित नियुक्ति आदि संबंधी फाइलों की गति में असाधारण देर को देखते हुए सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र.1483, दिनांक 24.7.2015 के तहत प्रबंधन को एक व्यवस्थित सुधार के उपाय का प्रस्ताव किया गया कि ऐसे फाइलों, जिन्हें अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा गया हो, पर संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से वैध कारणों को

दर्शाते हुए विशेष रूप से लाइ ओवर टिल (एलओटी) दर्ज किया जाए ताकि ऐसे फाइल के शीघ्र निपटान हेतु आवधिक अंतराल में निरंतर मॉनीटर किया जा सके ।
फलस्वरूप, कोलनेट में फाइल ट्रैकिंग प्रणाली दिनांक 15.8.2015 से आरंभ की गई तथा प्रबंधन ने फाइलों को फाइल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाने हेतु कार्यवाही आरंभ की।

परीक्षण जॉच में सतर्कता सचिवालय ने पाया कि एफटीएस का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है तथा अभी भी बड़ी संख्या में फाइल एफटीएस के माध्यम से नहीं बढ़ाए जा रहे है। अत: सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र. 2549, दिनांक 26.12.2015 के तहत कंपनी के सीई ओ को सभी फाइलों को एफटीएस के माध्यम से ही आगे बढ़ाने हेतु एक और सुझाव प्रेषित किया गया। उक्तानुसार निदेशक (वि.) व निदेशक (का.) ने सभी फाइलों को एफटीएस के माध्यम से ही आगे बढ़ाने हेतु आदेश जारी किया ।

7. 134.11 करोड़ की भारी राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र. 1380, दिनांक 14.07.2015 के तहत कंपनी के सचिव ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा विशेष कारणों से प्राप्त की गई निधि के उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्ति के संबंध में पूर्व में किए गए प्रस्ताव के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा शीघ्रता से करने हेतु एक परामर्श पत्र प्रेषित किया गया । इसके साथ ही सुझाव दिया गया कि, सीएसआर निधि को दो किश्तों में जारी किया जिसे विभिन्न चरणों में पहली किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पश्चात जारी किया जाए।

   उक्तानुसार, उक्त सलाह को अमल में लाया गया तथा 30%, 30% व 40% के तीन किश्तों में जारी किया गया, जिसमें से द्वितीय व तृतीय किश्तों को निम्नतम 70% निधि का उपयोग होने संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पश्चात जारी किया गया।

8. इस तथ्य के ज्ञात होते ही कि सरफेस माइनर द्वारा कोयला कटाई, लदाई व परिवहन कार्य के लिए वर्ष 2006 में तय की गई पात्रता शर्तें/पूर्व-योग्यता अप्रचलित हो गई हैं, सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र. 1517, दि. 29.07.2015 के तहत कंपनी के सीईओ को मरामर्श प्रेषित किया गया कि सरफेस माइनर द्वारा कोयला कटाई, लदाई व परिवहन कार्य की निविदा के संबंध में पूर्व-योग्यता मानदंड/पात्रता शर्तों का पुनरीक्षण करें। प्रबंधन को सुझाव दिया गया कि सीवीसी दिशादिनर्देशों के मद्देनजर व अन्य अनुषंगियों, यथा सीसीएल/एसईसीएल/बीसीसीएल द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों पर विचार करते हुए पूर्व-योग्यता मानदंड तय करें। पुन:, वर्ष 2009 की एक संविदा के विस्तृत निरीक्षण पर सीटीई अनुशंषा बनाई गई और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया ।

   उक्तानुसार, सुझाव पर अमल किया गया तथा एमसीएल बोर्ड से 21 सितंबर,2015 को प्राप्त अनुमोदन से सरफेस माइनर द्वारा कोयला निष्कासन, लदान व परिवहन की पूर्व-योग्यता मानदंडों/पात्रता में संशोधन किया गया।

9. कंपनी के सीईओ की सतर्कता सचिवालय के पत्रांक 1780, दिनांक 13.09.2015 के तहत सुझाव दिया गया कि एमसीएल में गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सेवाओं व सहायता करने हेतु सेवा प्रदाता को भुगतान करने के संबंध शिकायत के निवारण हेतु व.अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए।

   उक्तानुसार, प्रबंधन ने प्रबंधक (सचिवा./आरबी) द्वारा निदेशक (का.), एमसीएल को जारी पत्र क्र.3668, दिनांक 19.9.2015 के तहत एक समिति का गठन किया तथा समिति ने दिनांक 25.09.2015 को प्रतिवेदन/अनुशंषा प्रस्तुत की तथा समित की अनुशंषा के आधार पर सेवा-प्रदाता को भुगतान जारी किया गया ।

10. एमसीएल की एक परियोजना क्षेत्र में अधिक भागीदारी व प्रतिस्पर्धात्मक दर आकर्षित करने सहित निविदा प्रक्रिया में स्पष्टता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पाइप कनवेयर सहित एसआईएलओ, क्षमता 10 एमटीवाई के निर्माण की निविदा के विस्तार बढ़ाने के लिए कंपनी के सीईओ को सतर्कता सचिवालय के पत्रांक 2049, दिनांक 20.10.2015 के तहत कार्यानुभव व समयसीमा संबंधी पात्रता मानदंडों में उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव दिया।
    तदानुसार, उक्त सुझाव को प्रबंधन द्वारा कार्यानिव्त किया गया तथा विस्तृत पीक्यू मानदंड को अपना गया ताकि निविदा प्रकिया में अधिक भागीदारी व प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त हो सके एवं निविदा में स्पष्टता व पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके ।

11. कौशल विकास कार्यक्रम के तहत एमसीएल में नियुक्ति प्राप्त करने वाले भू-विस्थापितों को शैक्षणिक व तकनीकी शिक्षा में शामिल कराने हेतु एमसीएल प्रबंधन व ओड़ीशा के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। सतर्कता टीम द्वारा कुछ संस्थाओं में निरीक्षण पश्चात समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में कुछ कमी पाई गई। इस विषय में कंपनी के संसाधनों की बर्बादी किए बिना गैर-कुशल जनशक्ति के यथोचित व पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के सीईओ को सतर्कता सचिवालय के पत्रांक 2400, दिनांक 09.12.2015 द्वारा यथोचित सुधारात्मक उपाय सुझाए गए।

    परिणामतः, प्रबंधन ने इन संस्थाओं के नियमित/औचक निरीक्षण की सं. में वृद्धि कर दी है तथा एमसीएल व संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की धाराओं के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई आरंभ की गई है।

12. संचालक स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओआईटीडीएस) का मुख्य उद्देश्य डंपर के साथ साथ संचालकों के कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग करने हेतु अधिभार निष्कासन के ओवर रिपोर्टिंग को रोकने के साथ ही इसका उपयोग भारी वित्तीय व्यय वाली प्रणाली अपनाने से बचाव भी है । विभागीय अधिभार निष्कासन के वांछित परिमाण प्राप्ति हेतु कंपनी के सीवीओ ने सतर्कता सचिवालय को अपने पत्रांक 2540, दिनांक 24.12.2015 द्वारा विभागीय अधिभार उत्पादन में वृद्धि के लिए ओआईटीडीएस के प्रभावी उपयोग करने के लिए यथोचित उपाय अपनाने की सलाह दी है ।
    एमसीएल की खान परियोजनाओं से कोयला चोरी रोकने के लिए पूरे एमसीएल के खान क्षेत्रों में रेलवे साइडिंग, सीएचपी तथा स्टॉक-यार्ड में कोयला परिवहन करने वाले 1800 कोयला टिपरों में जीपीएस-वीटीएस लगाए गए हैं । इसके साथ ही, अधिभार वाही डंपरों व कोयला टिपरों

सहित सभी एचईएमएम में लगाए जाने के लिए 3500 वीटीएस की खरीदी का प्रस्ताव ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड करने हेतु सामग्री प्रबंधन विभाग को दिया गया है। एक समर्पित पोर्टल अर्थात www.mclvts का विकास वाहन ट्रैकिंग प्रणाली की मॉनिटरिंग के लिए किया गया है

13. एमसीएल में निर्माण करे-स्वामित्व रखें-अनुरक्षण करें (बीओएम) आधार पर बसुंधरा क्षेत्र में वॉशरी निर्माण के लिए आशय पत्र जारी होने के पश्चात चयनित एल-1 पार्टी द्वारा समझौते के निष्पादन में लगभग 18 माह की देरी व पिटफॉल देखी गई । जॉच में पता चला कि निविदित वॉशरी निर्माण के लिए चिह्नित व घेरी गई भूमि एमसीएल के पूर्ण दखल में नहीं है । इस संबंध में पिटफॉल व चिंता के बारे में सतर्कता सचिवालय ने पत्र संदर्भ क्र.292 दिनांक 10.02.2016 के माध्यम से कंपनी के सीईओ को अवगत कराया गया कि वे संबंधित पदाधिकारियों को इस तात्कालिक प्रकरण में विभिन्न पिटफॉल पर कृत कार्रवाई प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करें ।

32.2 **दंडात्मक सतर्कता::**

जॉच, पूछताछ आदि के लिए रिपोर्टिं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक लिए गए सतर्कता प्रकरण :

विवरण		अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016	संबद्ध कर्मचारी की सं.	अभ्युक्ति
(क)	सतर्कता प्रकरणों की कुल सं.	08	61	
(ख)	विभागीय कार्यवाही हेतु लिए गए कुल प्रकरण	11	86	
	i) कठोर दंडात्मक कार्यवाही की सं.	05	60	
	ii) लघु दंडात्मक कार्यवाही की सं.	06	26	
(ग)	प्रकरणों की कुल सं. जिसमें दंड अधिरोपित किया गया	08	30	

	i. कठोर दंड	04	14	चार प्रकरणों में से- > दो प्रकरणों का निपटान हो चुका है जिसमें 02 कर्मचारी शामिल थे। > बाकी के 02 प्रकरणों में जिसमें 12 अधिकारी शामिल हैं, 09 अधिकारियों पर दंड लगाए गए हैं तथा बचे 03 अधिकारियों में से 02 पर दंडादेश जारी किया जाना है तथा बाकी 01 अधिकारी का प्रकरण सीआईएल,कोलकाता को भेजा गया है ।
	ii. लघु दंड	04	16	चार प्रकरणों में से - > 03 प्रकरण जिसमें 12 अधिकारी शामिल थे, का निपटान किया जा चुका है > बचे एक प्रकरण जिसमें 05 अधिकारी शामिल थे, मे से 04 अधिकारियों पर दंड आरोपित किया जा चुका है तथा बचे एक अधिकारी का प्रकरण सीआईएल, कोलकाता को भेजा गया है ।

32.3 **कर्मचारियों का रोटेशन:**

कंपनी की उन कर्मचारियों के रोटेशन की नीति है जो संवेदनशील पदों/विभागों में कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान 212 कर्मचारियों को संवेदनशील पदों सें गैर संवेदनशील पदों में स्थानांतरित किया गया है । इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जिन के नाम वर्ष 2015 की "सहमत सूची" तथा "संदेहास्पद निष्ठा के अधिकारियों की सूची" में आते हैं।

32.4 सीवीसी मामले:

वर्ष के दौरान 04 मामले सीवीसी के पास प्रथम चरण की सलाह लेने व 04 मामले द्वितीय चरण की सलाह लेने के लिए भेजा गया।

सीवीसी प्रथम चरण परामर्श के मामले :

क्र.	आरडीए क्र.	मामले का विवरण	सीवीसी का परामर्श	स्थिति
1.	आरडीए-2/15	एमएम फाइलों में मूल्यांकन अनियमितता के संबंध में जिसमें 09 अधिकारी शामिल थे	सीवीसी, नई दिल्ली ने लघु दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	09 अधिकारियों पर लघु दंडारोपित किया गया
2.	आरडीए-3/15	एमसीएल में क्लीनिंग, हाउस-कीपिंग व केटरिंग सेवा, की निविदा प्रक्रियों में अनियमितता संबंधी प्रकरण जिसमें 05 अधिकारी शामिल थे	सीवीसी, नई दिल्ली ने लघु दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	5 में से 4 अधिकारियों पर वर्ष 2009 में ही लघु दंड अधिरोपित किया गया तथा एक अधिकारी का मामला सीवीसी के द्वितीय चरण के परामर्श और डीए के मत में भिन्नता के कारण सीआईएल कोलकाता को भेजा गया है
क्र.	आरडीए क्र.	मामले का विवरण	सीवीसी का परामर्श	स्थिति
3.	आरडीए-4/15	एचबीएम, ओरिएंट क्षेत्र में कोयला स्टॉक की कमी का प्रकरण जिसमें 08 अधिकारी शामिल थे	सीवीसी, नई दिल्ली ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	जॉच पूरी होने के पश्चात आई ने 05 अधिकारियों के संबंध में अपना जॉच प्रतिवेदन डीए को प्रस्तुत किया है बाकी बचे 03 अधिकारियों के जॉच-प्रतिवेदन आईए द्वारा डीए को प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
4.	आरडीए-2/16	भरतपुर एसआईएलओ कार्य के लिए अनियमितता जिसमें एक अधिकारी शामिल है .	सीवीसी, नई दिल्ली ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	आरोप ज्ञापन दिनांक 28.03.2016 को प्रदान किया गया है

सीवीसी द्वितीय स्तर परमार्श के मामले :

क्र.	आरडीए क्र.	मामले का विवरण	सीवीसी का परामर्श	स्थिति
1.	आरडीए-3/15	एमसीएल में क्लीनिंग, हाउस-कीपिंग व केटरिंग सेवा, की निविदा प्रक्रियों में अनियमितता संबंधी प्रकरण जिसमें 05 अधिकारी शामिल थे	सीवीसी, नई दिल्ली ने लघु दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	5 में से 4 अधिकारियों पर वर्ष 2009 में ही लघु दंड अधिरोपित किया गया तथा एक अधिकारी का मामला सीवीसी के द्वितीय चरण के परामर्श और डीए के मत में भिन्नता के कारण सीआईएल कोलकाता को भेजा गया है
2.	आरडीए-5/09	गैर मान्यताप्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थियों को प्रतिफल देने का मामला जिसमें 20 अधिकारी शामिल थे	सीवीसी, नई दिल्ली ने लघु दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	20 में से 15 अधिकारियों पर वर्ष 2009 में ही लघु दंड अधिरोपित किया गया बाकी बचे 05 अधिकारियों पर 29.03.2016 से लघु दंड अधिरोपित किया गया है ।

क्र.	आरडीए क्र.	मामले का विवरण	सीवीसी का परामर्श	स्थिति
3.	आरडीए-5/13	नंदिरा कोयला स्टॉक कमी से संबंधित मामला जिसमें 07 कर्मचारी शामिल है।	सीवीसी, नई दिल्ली ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	07 कर्मचारियों में से 04 कर्मचारियों पर कठोर दंड अधिरोपित किया गया है तथा एक कर्मचारी को सीवीसी, नई दिल्ली के परामर्शानुसार चेतावनी दी गई है।एक अधिकारी को दंडादेश जारी किया जा रहा है और अन्य एक अधिकारी कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुका है। चूंकि

				सेवानिृत्त कर्मचारी को दंडारोपण का अधिकार अध्यक्ष, सीआईएल को है, यह मामला सीआईएल, कोलकाता को भेजा गया है
3.	आरडीए-5/13-2/14	तालचेर कोयला स्टॉक में कमी से संबंधित मामला जिसमें 08 अधिकारी शामिल हैं।	सीवीसी, नई दिल्ली ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का परामर्श दिया	08 अधिकारियों में से 07 अधिकारियों पर कठोर दंड अधिरोपित किया गया है तथा एक अधिकारी का प्रकरण द्वितीय स्तर के परामर्श के लिए प्रेषित किया गय था। द्वितीय स्तर का परामर्श 19.02.16 को प्राप्त हुआ है। तदानुसार दंडादेश जारी किया जा रहा है ।

- **लंबित सीवीसी परामर्श** :

  जीसीएमपीएल प्रकरण (01 अधिकारी) : सीवीसी के द्वितीय स्तर का परामर्श की प्रतीक्षित है।

32.5 **संसद प्रश्न**

वर्ष के दौरान 11 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

32.6 **सूचना का अधिकार अधिनियम:**

वर्ष के दौरान 16 आरटीआई पूछताछों का समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया गया।

32.7 **रिपोर्ट प्रस्तुत करना:**

मासिक, तिमाही, वार्षिक रिपोर्टें केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लि. को समय से भेजी गई थीं।

32.8 **सतर्कता क्लीयरेंस :**

वर्ष के दौरान 11259 कर्मचारियों की जिसमें निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और गैर- अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल थे की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता के मामलों में सतर्कता क्लीयरेंस सीआईएल/ एमओसी/सीवीसी को भेजी गई। अधिकारियों के संबंध में सतर्कता स्थिति ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सतर्कता क्लीयरेंस मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है ।

32.9 **पारदर्शिता :**

कंपनी के दैनिक फील्ड व कार्यालयीन कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित आईटी आधारित पहलों का परिचय व कार्यान्वयन करने हेतु एमसीएल सतर्कता सचिवालय उत्तरदायी है -

9.1 **<u>एफआरआईडी सहित इन-मोशन रोड वे-ब्रिज आरंभ कर इसे कोलनेट से संयुक्त करना :</u>**
इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक वे-ब्रिजों में 200 टिपरों की प्रति पाली की तुलना में आरएफआईडी/आईपी कैमरा युक्त इन-मोशन वे-ब्रिजों द्वारा प्रति पाली में 800 से अधिक टिपरों का मापन सुनिश्चित हो रहा है। इसके कारण कोयला मापन प्रतिशतता में 10-15% से 90-95% की भारी बढ़ोत्तरी हुई है जिससे दैनिक आधार पर कोयला उत्पादन के अंकों में हेर-फेर में समायोजन के अवसरों में कमी आई है। आरएफआईडी टैग व आरएफआईडी रीडर के उपयोग से खान सीमा के अंदर मात्र अधिकृत कोयला टिपरों का प्रवेश सुनिश्चित हुआ है । इलेक्ट्रॉनिक व इन-मोशन वे-ब्रिजों में आईपी कैमरे से सभी कोयला टिपरों की निगरानी में वृद्धि हो पाई है ताकि आरएफआईडी टैग वाले कोयला टिपरों के प्रवेश की क्रॉस-चेकिंग हो सके। कोलनेट ने कोयला मापन आंकड़ों को वास्तविक काल में ही केन्द्रीय सर्वर में भेजना सुनिश्चित कर दिया है। इसके कारण दैनिक आधार पर कोयला उत्पादन अंकों में हेर-फेर के अवसरों में कमी आई है।

9.2 **<u>जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस) लगाना तथा कोयला चोरी रोकने के लिए खान क्षेत्रों की जिओ-फेंसिंग करना</u>** :

एमसीएल के खनन क्षेत्रों के 1800 कोयला परिवाही टिपरों में जीपीएस/जीपीआरएस लगाए गए है तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस) की मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित पोर्टल, अर्थात www.mclvts.in विकसित किया गया है। ट्रिप की सं., टिपरों द्वारा तय की गई दूरी (लीड), संविदा-वार व टिपर-वार मार्ग-उल्लंघन प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए प्रणाली-चलित प्रतिवेदन भी डिजाइन किया गया है। कोयले की चोरी रोकने के लिए इस वेब-पोर्टल में खान क्षेत्रों की जिओ-फेंसिंग की गई है। जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली ने कोयला परिवाहन में पारदर्शिता व प्रभावपूर्ण मॉनिटरिंग में काफी बढ़ोत्तरी की है तथा समर्पित पोर्टल द्वारा दर्ज की गई लीड (दूरी) के आधार पर परिवहन ठेकेदार को किए जाने वाले सही भुगतान को सुनिश्चित किया जा रहा है । इस ई-पहल का एक और लाभ यह भी है कि इससे कोयला परिवाही टिपरों की गतिविधि की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो पा रही है जिससे कोयला परिवहन की क्षमता में वृद्धि हुई है।

सभी एचईएमएम सहित सभी अधिभार परिवाही डंपरों व कोयला टिपरों में लगाने हेतु अतिरिक्त 3483 वीटीएस की खरीदी के लिए हाल ही में निविदा आरंभ की गई है।

9.3 **संचालन क्षमता व भ्रष्टाचार को रोकने में मॉनिटरिंग व ई-निगरानी इकाई का कार्यान्वयन :**

खान क्षेत्रों में लोडिंग व परिवहन गतिविधियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी द्वारा पारदर्शिता वर्धन हमारा मुख्य बिंदु रहा है। इसके लिए तत नग सीसीटीवी और 91 नग आइपी कैमरा लगाए गए है। ई-पहल मॉनिटरिंग के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 8 नियंत्रण कक्ष व केंद्रीय ष्प में ई-निगरानी व मॉनिटरिंग इकाई एमसीएल मुख्या. में स्थापित की गई है । इन-मोशन वे-ब्रिजों के लिए 05 आईपीसी आपात उपयोग हेतु रखे गए हैं। विभिन्न खनन कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्नत पारदर्शिता के माध्यम से इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके कारण ही कोयले की गुणवत्ता व परिमाण की सघन मॉनिटरिंग हो पा रही है । लोडिंग में लगने वाला 5 से 6 घंटे का समय अब कम होकर 3 से 4 घंटे का रह गया है जिससे एमसीएल द्वारा वहन किए जाने वाले डेमरेज प्रभार में कमी आई है।

इसके साथ ही, कोयला खान परियोजनाओं के प्रवेश/निर्गम बिंदुओं में तथा मैगेजीनों में 35 नग सीसीटीवी लगाए गए हैं।

एमसीएल के 09 आंचलिक भंडारों व 02 केंद्रीय भंडारों में 376 सीसीटीवी कैमरे (21 नग आइपी पीटीजेड, हाइ-डेफिनेशन, डे/नाइट वाइड डाइनेमिक रेंज डोम कैमरा तथा वाह्य व आंतरिक स्थापन हेतु 355 नग हाई डेफिनेयान आइपी बॉक्स/बुलेट कैमरा) के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

9.4 असफल बोलीकर्ताओं के धरोहर जमा राशि की ऑनलाइन स्वत: वापसी :

आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को धरोहर जमा राशि की वापसी में देरी भ्रष्टाचार का सुग्राह्य क्षेत्र था। इस मुद्दे के चिरस्थाई समाधान के लिए ग्राहकों को धरोहर राशि की स्वत: वापसी के लिए प्रणाली चलित धरोहर राशि वापसी सुनिश्चित करने का विचार किया गया। प्रणाली चलित वापसी तंत्र नवंबर 2013 में आरंभ हुआ । उसके बाद से, ई-टेंडर पोर्टल द्वारा असफल/अस्वीकृत बोली घोषित होने के बाद स्वत: चलित माध्यम से वापसी की राशि आपूर्तिकर्ता/निविदाकर्ता के खाते में भेज दी जाती है।

वर्ष 2015-16 में 4292 असफल/अस्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं/बोलीकर्ताओं को स्वत: वापसी माध्यम से कुल 13.63 करोड़ की परेशानी-मुक्त वापसी हुई, जिससे भ्रष्टाचार संबंधी शिकयतों में कमी हुई। बोलीकर्ताओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी हुई तथा विक्रेता आधार में भी वृद्धि हो रही है ।

9.5 **<u>कोलनेट स्टेबिलाइलेशन :</u>**

ऑनलाइन बिल की स्थिति, कोयला उत्पादन, पीआईएस, वित्तीय उत्तरदायित्व, सामग्री प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण आंकड़ों के निधान(संग्रह) के रूप में कंपनी की 2700 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में ओएफसी/रेडियों नेटवर्क के माध्यम से विस्तृत कोलनेट का स्टेबिलाइजेशन नियमित फील्ड दौरे द्वारा लगातार अनुसरण व सतर्कता सचिवालय द्वारा संधारणीय उपायों द्वारा संभव हुआ है ।

कोयला परिवहन कार्य, सुरक्षा तथा अन्य वार्षिक ठेके में नियोजित ठेकेदारीय जनशक्ति के उपयुक्त मॉनिटरिंग हेतु पीआईएस मॉड्यूल पर विचार किया गया एवं कोलनेट में इसे डिजाइन किया गया। इसके द्वारा ठेकेदारीय कार्यों के कार्य निष्पादन व कामगारों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

कोलनेट के पीआईएस मॉड्यूल में 22541 स्थाई कर्मचारियों व 14972 ठेकेदारीय कर्मचारियों के फोटोग्राफ, आश्रितों का विवरण, के सभी विवरण उनके खाता क्र. व सीएमपीएफ/पीएफ क्र. सहित अपलोड किए गए है ।

कोलनेट में आंकड़ों का निधान का प्रभावपूर्ण उपयोग ठेकेदारों के बिलों की वास्तविक काल मॉनिटरिंग में किया जा रहा है जो भ्रष्ट प्रक्रियाओं के लिए अरक्षित क्षेत्र है। ठेकेदारों के बिलों की कोलनेट से वास्तविक काल मॉनिटरिंग द्वारा पहला प्राप्ति पहला निपटान के आधार पर वर्ष 2015-16 के दौरान 2298.72 करोड़ का भुगतान किया गया। इसकी वजह से ठेकेदारों के बिल के भुगतान के संबंध में शिकायतों में भारी कमी आई।

विक्रय व विपणन मॉड्यूल- एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय कोलनेट सर्वर में रेल व रोड सेल की बिलिंग की जाती है। एमसीएल कोलकाता कार्यालय की विक्रय संबंधी गतिविधियां एमसीएल मुख्यालय के कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है । साथ ही, विक्रय की धरोहर राशि एमसीएल के कोलनेट सर्वर पर की जाती है। कोलनेट में विक्रय व विपणन मॉड्यूल ने सुपुर्दगी आदेश जारी करने की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव किया है। वर्ष 2015-16 में 3379 उपभोक्ताओं को कुल 159.39 करोड़ की कोयला विक्रय मूल्य वापसी सुपर्दगी आदेश के वैधता समाप्ति के एम माह के अंदर की गई है।

ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी 1,02,455 सामग्रियों के कोड-करण पश्चात अलग अलग भंडारों में एक ही सामग्री के भिन्न कोड होने की संभावना समाप्त हो गई है। इस कोड-करण का बड़ा लाभ यह हुआ कि मिथ्या-मांग बंद हो गई, और आवश्यकता के आधार पर सामग्रियों की मांग हो रही है तथा भंडार-वस्तु में नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसकी वजह से 25 करोड़ के कुल चल-मदों की पहचान हुई है तथा वस्तु सूची में दो वर्षों की अवधि में 102 करोड़ से 77 करोड़ तक की कमी हुई।

एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल की भुवनेश्वर व कोलकाता कार्यालय में वित्तीय जानकारी प्रणाली कार्यशील है तथा इसे क्षेत्रों की भी आवश्यकतानुरूप संशोधित किया जाना है । यह प्रणाली ईब वैली कोलफील्ड्स के सभी क्षेत्रों, बसुंधरा व जगन्नाथ क्षेत्र में भी कार्यान्वित कर दिया गया है ।

उत्पादन सूचना प्रणाली - दैनिक कोयला उत्पादन व अधिभार निष्कासन के मॉनिटरिंग हेतु इन-मोशन व इलेक्ट्रॉनिक स्टेटिक वे-ब्रिज से केन्द्रीय सर्वर को कोयला मापन की ऑनलाइन जानकारी भेजने के लिए इस मॉड्यूल को कार्यशील बनाया गया है ।

केन्द्रीय सर्वर में उपलब्ध मापन आंकड़ों के आधार पर ही कोयला ठेकेदारों को भी भुगतान किया जाना है जिससे बिलिंग के समय ठेकेदारों का पक्षपात करने या न करने की संभाव्यता को समाप्त किया जा सके

मुख्यालय में पे-रोल मॉड्यूल एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कार्यशील है एवं मानव संसाधन के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए इस मॉड्यूल को सभी क्षेत्रों, परियोजनाओं में कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

9.6. **<u>ई-प्रोक्योरमेंट</u>**

एमसीएल में कार्य, सेवाओं व सामग्रियों के लिए निविदाओं हेतु अगस्त 2009 से ई-प्रोक्योरमेंट प्रारंभ हुआ। 2 लाख से अधिक लागत मूल्य की सभी खुली निविदाएं एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, अर्थात www.mcltenders.gov.in में प्रकाशित की जाती हैं। इसे सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए एनआईसी द्वारा डिजाइन किया गया है जो सभी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 1947.04 करोड़ मूल्य के 2707 निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से प्रकाशित किया गया। एमसीएल की मौजूदा ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के सिद्धांतों व सफल कार्यान्वयन को सभी अनुषंगियों के ई-प्रोक्योरमेंट के लिए एक की प्लेटफॉर्म के विकास हेतु सीआईएल के साथ साझा किया गया है। साथ ही दिनांक 18.02.2015 को दो वर्षों के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणन- मानक परीक्षण व गुणवत्ता प्रमाणन भी प्राप्त किया गया है।

निविदाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 2 लाख से कम की निविदाओं को व्यापक प्रसार व भागीदारी के लिए एमसीएल के वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 55.17 करोड़ मूल्य की 9385 निविदाओं को इस साइट में अपलोड किया गया।

9.7 **<u>3डीटीएलएस:</u>**

सतर्कता सचिवालय के परामर्श-नोट के आधार पर एमसीएल द्वारा 04 नग 3डीटीएलएस (02 नग प्रत्येक कोलफील्ड्स के लिए) की खरीदी की कार्यवाई आरंभ की जा चुकी है ताकि कोयला व अधिभार माप कं आंकड़ों में हेर-फेर का विलोपन हो सके और सर्वेक्षण माप में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

9.8 **<u>एसयूआरपीएसी सॉफ्टवेयर उपयोग द्वारा कोयला स्टॉक मापन :</u>**

सतर्कता सचिवालय के परामर्श-नोट क्र.1978, दिनांक 21.11.2013 के आधार पर मे. ईडीएस टेकनोलॉजीज प्रा.लि., बैंगलुरू को क्रय आदेश क्र.19 दिनांक 22.6.2015 के तहत एसयूआरपीएसी सॉफ्टवेयर के लिए 03 नग लाइसेंस की खरीदी का आदेश दिया गया ताकि सर्वेक्षण मापन में अधिक निष्पक्षता व पारदर्शिता आ सके।

9.9 **<u>फाइल ट्रैकिंग प्रणाली:</u>**

संविदा समाप्ति, खरीदी, आश्रित नियुक्ति आदि संबंधी फाइलों की गति में असाधारण देर को देखते हुए सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र.1483, दिनांक 24.7.2015 के तहत प्रबंधन को एक व्यवस्थित सुधार के उपाय का प्रस्ताव किया गया कि ऐसे फाइलों, जिन्हें अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा गया हो, पर संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से वैध कारणों को दर्शाते हुए विशेष रूप से लाइ ओवर टिल (एलओटी) दर्ज किया जाए ताकि ऐसे फाइल के शीघ्र निपटान हेतु आवधिक अंतराल में निरंतर मॉनीटर किया जा सके । इसके चिरस्थाई समाधान के लिए कोलनेट में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम दिनांक 15.8.2015 से आरंभ किया गया।

फलस्वरूप, प्रबंधन ने फाइलों के एफटीएस के माध्यम से ही भेजने के लिए कदम उठाए।

किंतु, सतर्कता सचिवालय ने पाया कि एफटीएस का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप में नहीं हो रहा है और अभी भी बड़ी संख्या में फाइलों को एफटीएस के द्वारा अग्रेषित नहीं किया जा रहा है। अत: सतर्कता सचिवालय ने संदर्भ क्र. 2549, दिनांक 26.12.2015 के तहत कंपनी के सीईओ को सभी फाइलें एफटीएस के माध्यम से ही अग्रेषित करने के लिए एक और परामर्शपत्र जारी किया।

नतीजतन, सभी फाइलों को एफटीएस के माध्यम से ही अग्रेषण हेतु निदेशक (वित्त) व निदेशक (का.) द्वारा आदेश जारी किया गया तथ 2015-16 के दौरान कुल 8307 फाइल एफटीएस के माध्यम से अग्रेषित किए गए।

32.10 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह:**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपूर के मुख्यालय तथा सभी परियोजना क्षेत्रों में दिनांक 26 से 31 अक्तूबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 मनाया गया ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 आयोजन की शुरूआात दिनांक 26.10.2015 को मुख्यालय के साथ साथ परियोजनाओं/स्थापनाओं में प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह के साथ हुई जिसमें सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 26.10.2015 को एमसीएल मुख्यालय में ''सुशासन के लिए निवारक सतर्कता एक उपकरण'' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें श्री रमेश चंद्र पंडा, आईएएस (सेवानिृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार मुख्य प्रवक्ता थे। इस अवसर पर एमसीएल द्वारा लिए गए आईटी पहलों पर एक पावर-प्वाईट प्रस्तुति भी दी गई।

दिनांक 27.10.2015 को तालचेर कोलफील्ड्स के फील्ड कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ एक आपसी चर्चा सत्र आयोजित की गई जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित सतर्कता टीम ने कर्मचारियों, अधिकारियों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त सलाहकार समिति सदस्यों और ठेकेदारों/विक्रेताओं के साथ चर्चा किया। ठेकेदारों/विक्रेताओं, संयुक्त सलाहकार समिति सदस्यों तथा अन्य प्रतिभागियों द्वारा बिल भुगतान, संविदा समाप्ति, सीएमपीएफ पंजीयन, एएलआर जारीकरण, चिकित्सीय-संदर्भ आदि के संबंध में की गई शिकायतों को आवश्यक

कार्रवाई हेतु नोट किया गया। एमसीएल मुख्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों को सक्रिय भागीदारी हेतु एक वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तथा पुरस्कार वितरित किया गया।

दिनांक 28.10.2015 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में बोलीकर्ताओं का सम्मेलन (ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं) एमसीएल मुख्यालय में किया गया जिसमें श्री एस.के.मोहांती, आईआरएस(सेवानिवृत्त), एमसीएल हेतु स्वतंत्र वाह्य परिवीक्षक (आईईएम) शामिल हुए। बोलीकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान उन्होंने सिविल, परिवहन तथा अन्य संविदाओं के संबंध में अपने समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार/शिकायतें/सलाह से अवगत कराया।

दिनांक 29.10.2015 को वै.व यां., सिविल, संविदा प्रबंधन सेल, सामग्री प्रबंधन आदि के महाप्रबंधकों/विभागाध्यक्षों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के बोलीकर्ताओं/उपभोक्ताओं/हितग्राहियों से सुशासन के प्रोत्साहन तथा उनकी शिकायतें/सलाह आदि जानने के लिए आपसी चर्चा का एक सत्र आयोजित किया। एमसीएल की विजिलेंस बुलेटिन-2015 जारी की गई। सीवीसी, नई दिल्ली के विभिन्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अनुदेशों के प्रति कर्मचारियों में ज्ञान व जागरूकता बढ़ाने में यह बुलेटिन काफी अहम होगा। हमारी कंपनी के कर्मचारियों व हितग्राहियों की जानकारी के लिए कर्मचारियों व उनके बच्चों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर दिए गए लेख, नारे, कविताओं को भी इस बुलेटिन में शामिल किया गया। एमसीएल की विजिलेंस बुलेटिन-2015 को एमसीएल वेबसाइट में भी अपलोड किया गया है।

दिनांक 30.10.2015 को ईब वैली कोलफील्ड्स के फील्ड कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ एक आपसी चर्चा सत्र आयोजित की गई जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित सतर्कता टीम ने कर्मचारियों, अधिकारियों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त सलाहकार समिति सदस्यों के साथ चर्चा किया। इस चर्चा में निविदा प्रकिया, सिविल ठेकेदारों द्वारा खराब गुणवत्ता के कार्य, संविदा समाप्ति में देर, महत्वपूर्ण मदों की अविलंब खरीदी के मुद्दों पर विस्तार से वार्ता हुई। साथ ही, सभी हितग्राहियों व पदाधिकारियों से कहा गया कि वे सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व निष्पक्ष रूप में कार्य करें तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 का समापन समारोह दिनांक 31.10.2015 को सम्पन्न हुआ। समापन समारोह के दौरान महानदी कोलफील्ड्स व कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनाई गई आईटी पहल पर निर्मित ''डिजीटल विजिलेंस-आईटी इन फाइटिंग करप्शन'' वृत्तचित्र, जिसे डीडी नेशनल के आज सवेरा कार्यक्रम में दिनांक 28.10.2015 को प्रात: 8.00 बजे प्रसारित किया गया था, का प्रदर्शन अधिकारियों, कर्मचारियों, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों के समक्ष किया गया। सभी ने इस फिल्म की काफी तारीफ की।

एमसीएल के सभी 13 क्षेत्रों व इनकी परियोजनाओं/इकाईयों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2015 का आयोजन हुआ। दिनांक 26.10.2015 को परियोजना क्षेत्रों के प्रमुख द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिज्ञा कराई गई। सभी क्षेत्रों के सिविल अभियंत्रण विभाग, वैद्युतिक व यांत्रिक विभाग, विक्रय व विपणन विभाग, तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा

उपभोक्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ आपसी परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा के दौरान शिकायतों/फरियादों के निवारण के रास्ते, प्रणाली/प्रक्रियाओं, ई-भुगतान, ई-क्रय, ई-नीलामी आदि की उन्नति के लिए की गई पहल के बारे में स्पष्ट किया गया। अवसर का लाभ लेते हुए प्रतिभागी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं ने परियोजना क्षेत्रों से अपने व्यापरिक संबंध को विषय में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। क्षेत्रों में स्थित विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताएं हुईं व विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करने के लिए उनमें पुरस्कार वितरण किया गया। पुन: परियोजना क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए भी वाद-विवाद/वाक प्रतियोगिता हुई। प्रत्येक में सतर्कता व भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रों/परियोजनाओं/इकाईयों के परिसर में विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर यथोचित बैनर लगाया गया।

.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजन के पूरे सप्ताह में बीएसएनएल-सीयूजी नेटवर्क की एसएमएस सेवा के माध्यम से कर्मचारियों/अधिकारियों को 57330 भ्रष्टाचार-विरोधी नारे के एसएमएस भेजे गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजन के दौरान भारत के सम्मानीय राष्ट्रपति के विडीयो संदेश का प्रदर्शन एमसीएल मुख्यालय एवं इसकी सभी परियोजना क्षेत्रों में प्रत्येक प्रसंग के आरंभ के पूर्व किया गया।

<u>सतर्कता बुलेटिन-2015 का प्रकाशन</u>

सीवीसी, नई दिल्ली के परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अनुदेशों में ज्ञान व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सतर्कता बुलेटिन 2015 की 10वां संस्करण जारी किया गया । इस बुलेटिन की प्रतिलिपियां कंपनी में और कंपनी के बाहर व्यापक प्रसार किया गया । इस बुलेटिन की सॉफ्ट कॉपी एमसीएल के वेबसाइट www.mahanadicoal.in में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की गई है।

<u>कोयला धारित राज्यों द्वारा कैप्टिव कोल ब्लॉकों से कोयला उत्पादन व प्रेषण की मॉनिटरिंग पर कार्यशाला</u>

सतर्कता सचिवालय, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के तत्वावधान में भुवनेश्वर में दिनांक 29.01.16 से 30.01.16 तक कोयला धारित राज्यों द्वारा कैप्टिव कोल ब्लॉकों से कोयला उत्पादन व प्रेषण की मॉनिटरिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई । श्री अनिल स्वरूप, आईएएस, सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा कैप्टिव कोयला खान धारक छह राज्यों, यथा- ओड़ीशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व प.बंगाल के सरकारी पदाधिकारियों व सीआईएल और इसकी अनुषंगियों के मु.सतर्कता अधिकारी इसमें शामिल हुए।

कार्यशाला के दौरान मु.सतर्कता अधिकारी, सीआईएल ने सीआईएल द्वारा उन्नत नियंत्रण के लिए लिए जा रहे पहलों पर विस्तृत जानकारी दी। मु.सतर्कता अधिकारी,एमसीएल ने राज्य के पदाधिकारियों को एमसीएल,संबलपूर, ओड़िशा की मौजूदा नियंत्रण तंत्र के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कोयला उत्पादन व प्रेषण में उन्नत मॉनिटरिंग के लिए एमसीएल द्वारा लिए

जा रहे विभिन्न आईटी पहलों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। साथ ही प्रतिनिधियों के लिए, ऐसे पहलों पर एमसीएल द्वारा प्रस्तुत एक वृत्तचित्र - ''आईटी इन फाइटिंग करप्शन'' भी प्रदर्शित की गई। राज्य के प्रतिनिधियों ने भी अपने मौजूदा नियंत्रण तंत्र पर प्रस्तुति पेश की।

दिनांक 29.01.16 के अपराह्न को सचिव (कोयला) ने आईटी लागू करने, जैसे- आरएफआईडी रीडर सहित इन मोशन वे-ब्रिज तथा इसकी कोलनेट के साथ संयोज्यता, जीपीएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली (वीटीएस) तथा खनन क्षेत्रों में चोरी रोकने के लिए जिओ-फेंसिंग, आई पी आधारित सीसीटीवी कैपरा आदि सहित निगरानी व मॉनिटरिंग नियंत्रण कक्ष के कामकाज आदि, में हुई प्रगति के संबंध में सीआईएल व इसकी अनुषंगियों व एनएलसी के सभी मु.सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठक की ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा लिए जा रहे आईटी पहलों के जीवंत उदाहरण के लिए दिनांक 30.01.2016 को प्रतिभागी प्रतिनिधियों ने तालचेर कोलफील्ड्स का दौरा किया ताकि इसे सीआईएल की सभी अनुषंगियों तथा विभिन्न राज्यों के निजी खानों में भी लागू किया जा सके।

दिनांक 31.10.2016 को कोल सचिव ने एमसीएल मुख्यालय का दौरा किया व समीक्षा बैठक की तथा केन्द्रीकृत ई-निगरानी व नियंत्रण इकाई का निरीक्षण किया जहॉ मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सचिव(कोयला) के समक्ष एमसीएल सतर्कता सचिवालय द्वारा अपनाए गए आईटी पहल के प्रभावों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया ।

(क) सतर्कता सचिवालय द्वारा अपनाई गई प्रभावी प्रोद्योगिकी के उपयोग की वजह से एमसीएल ने निम्नानुसार प्रभाव आकलन प्राप्त किया :

i) <u>कोलनेट संयोज्यता सहित इन-मोशन वे-ब्रिज</u>– इसकी वजह से कोयला टिपरों का 100% तौल व वास्तविक समय के आधार पर सटीक कोयला उत्पादन का मूल्यांकन हो पा रहा है। अत: कोयला उत्पादन के आंकड़े उस समय की तुलना में प्रामाणिक है, जब बिना कोलनेट संयोज्यता के मात्र कोयला टिपरों के 15 प्रतिशत का ही इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक वे-ब्रिजों से मापन दर्ज किया जाता था ।

ii) <u>जीपीएस आधारित व्हीटीएस स्थापना एवं कोयला खनन परियोजनाओं का जिओ-फेंसिंग</u>

-

08 क्षेत्रों व एमसीएल मुख्यालय में 90 ई-निगरानी तथा नियंत्रण इकाईयों से सतत अनुवीक्षण द्वारा अप्रेल 2015 से मार्च 2016 के दौरान टिपर चालकों व कोयला परिवहन ठेकेदारों में जागरूकता की वजह से जिओ-फेंसिंग उल्लंघन में कमी आई है। इस वजह से कोयला खनन परियोजनाओं से कोयला चोरी की घटनाओं में भारी कमी आई है ।

iii) <u>सीसीटीवी से निगरानी</u> –

क) खान परिसर में रात्रिकाल में अवैध रूप से रोके जाने वाले प्रतिदिन प्रति परियोजना 56 ट्रक से घटकर 3-4 ट्रक प्रतिदिन प्रति परियोजना की भारी कमी आई है। परियोजना क्षेत्रों के अंदर रात्रिकाल में इस प्रकार की अवैध रोक कोयला आसपास के स्थलों में चोरी का एक कारण था जिस पर वर्तमान में नियंत्रण पाया गया है और ऐसे ट्रक, जिनमें वास्तव में कोई खराबी आई हो, को ही रोका जा रहा है।

ख) रेलवे साइडिंग में निगरानी से साइडिंग्स में कोयला उपलब्धता की बढ़ोत्तरी व डेमरेज प्रभारों में कमी आई है।

ग) रेलवे साइडिग में निगरानी के कारण बोरों में कोयला भरकर चोरी में भारी कमी हुई है।

iv) <u>कोयला विक्रय मूल्य की वापसी -</u>

2015-16 के दौरान 3379 उपभोक्ताओं को 159.36 करोड़ के कोयला विक्रय मूल्य की वापसी सुपर्दगी आदेश समाप्ति से एक माह के अंदर की गई जिसमें पहले 4-5 माह की देर हो जाती थी।

v) <u>ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली</u>

कोलनेट में इस प्रणाली के परिचय से 25 करोड़ मूल्य के बेकार चल-मदों का पता चला जिससे 102 करोड़ की माल-सूची दो वर्ष की अवधि में कम होकर 77 करोड़ रह गई।

vi) <u>ईएमडी की स्वत: वापसी -</u>

2015-16 के दौरान 4292 असफल बोलीकर्ताओं को कुल 13.63 करोड़ की राशि की वापसी, स्वत: वापसी माध्यम से एक ही दिन में हुई जिसके लिए पहले 3-6 माह की देर होती थी।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता सचिवालय द्वारा प्राप्त पुरस्कार व मान्यता :

i) दिनांक 23.05.2015 को गोवा की माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा के हाथों मुख्य सतर्कता अधिकारी, एमसीएल को इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज एवार्ड-2015 प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा एमसीएल आईटी पहल पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण की गई ।

ii) दिनांक 30.11.2015 को मुंबई में सम्पन्न 11वीं ई-इंडिया सम्मेलन में मु.सत.अधि., एमसीएल को ''ई-इंडिया एवार्ड-2015'' प्रदान किया गया । यह अवार्ड ''डिजीटल आर्गनाइजेशन ऑफ द इयर'' श्रेणी में कायले की चोरी रोकने हेतु कोयला परिवाहक टिपरों में व एमसीएल के खनन क्षेत्रों के जिओ-फेंसिंग में ''वाहन अभिवीक्षण प्रणाली (व्हीटीएस)''

परियोजना के लिए प्रदान किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा किया गया एवं श्री वी.के.गौतम, मुख्य सचिव, आईटी, महाराष्ट्र सरकार की उपस्थिति में श्री के.शिवाजी, अप्रनि,सिडबी द्वारा किया गया।

iii) दिनांक 18 व 19 फरवरी को इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद द्वारा सतर्कता अधिकारियों के 7वें कॉनक्लेव में एमसीएल सतर्कता सचिवालय को सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-16 प्रदान किया गया ।

ग) सभी आईटी पहल व उसके प्रभाव के मूल्यांकन को आत्मसारित व प्रस्तुत करता हुआ एमसीएल विजिलेंस ब्रोशर ऑन आईटी इनिसिएटव्स नामक एक व्यापक सतर्कता विवरणिका का प्रकाशन किया गया तथा इसका विमोचन कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया

घ) एमसीएल सतर्कता सचिवालय द्वारा कोयला क्षेत्रों से संबंधित अक्तूबर,2012 से जारी सामान्य प्रकृति के परामर्श, सुझाव, प्रणाली प्रोन्नति, निर्देशों, बैठकों व सम्मेलनों के कार्यवृत्त का सार-संग्रह सुलभ संदर्भ हेतु पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है

33. ई-प्रोक्योरमेंट:

एमसीएल की ई-प्रापण प्रणाली, जो 15.08.2009 को प्रारंभ हुई थी, का सफल संचालन हो रहा है और अब तक 95000 से अधिक निविदाएं इस माध्यम से निर्णित हो चुकी हैं। एमसीएल इस वेब-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन से अत्यंत लाभान्वित हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है और निविदा की मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा में संवर्धन हुआ है। सीवीसी के दिशा-निर्देश के तहत हाल ही में पोर्टल साफ्टवेयर की लेखा परीक्षा एसटीक्यूसी द्वारा किया गया है। विभिन्न बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा राशि की वापसी के प्रबंधन को स्वचालित बनाया गया है इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के पश्चात बोलीदाता को अस्वीकार करने पर प्रतिभूति जमा अगले दिन स्वत: ही वापस हो जाती है। बेहतर पारदर्शिता और बोलीदाताओं को सुविधा देने से संगठन की साख में बढ़ोत्तरी होती है। प्रणाली में सतत् प्रयास हुए हैं और नए फीचर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्क्रम नीलामी प्रकिया आरंभ की गई है। फिलहाल 2 लाख व तदाधिक की निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा निर्णित की जा रही है । इसमें बहु-मुद्रा वैश्विक निविदाओं सहित कार्य, वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की विशेष विशेषताएं

1. निविदा के तकनीकी भाग का विश्लेषण पोर्टल साफ्टवेयर द्वारा स्वत: ही किया जाता है और बोली के विश्लेषण में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम हो गया है।
2. डाटा आधारित पोर्टल साफ्टवेयर जिसे बोलीदाताओं द्वारा संरचित और वस्तुपरक फार्मेट में प्रदान किया जाता है, द्वारा मूल्यांकन निष्पादित किया जाता है। निविदा में भागीदारी के लिए बोलीदाता से न्यूनतम दस्तावेज अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।
3. बोलीदाताओं से उनकी बैंक गारंटियों के सिवाय किसी दस्तावेज को विश्लेषण के लिए आफलाईन प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं होती।
4. पोर्टल साफ्टवेयर में, निवेशित डाटा को वैध बनाने और समुचित चौकसी संदेश देने के लिए निविदाओं के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित व्यावसायिक लॉजिक शामिल किया जाता है।

5. बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करते हुए, प्रत्येक अवस्था में यह फीडबैक प्राप्त करता है कि क्या बोली में निविदा की अपेक्षा का अनुपालन हो रहा है या नहीं।
6. एक करोड़ व तदाधिक मूल्य की निविदाओं के लिए ऑनलाइन उत्क्रम नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतियोगी मूल्य कमी प्राप्त की जा सकती है।
7. बोली के प्रस्तुतीकरण के पश्चात बोलीदाता टेंडर की अपेक्षाओं से संबंधित उनके अनुपालन की फीडबैक प्राप्त करता है।
8. इस प्रकार बोलीकर्ताओं को किसी निविदा के माध्यम से ठेका प्राप्त करने के लिए एमसीएल परिसरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

34. एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

वर्ष 2012-13 में कंपनी स्तर पर एमसीएल का एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ 9001:2008- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली,आईएसओ - 14001:2004व पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं ओएचएसएएस 18001:2007- व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के साथ मान्यता प्राप्त है जो सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सदृश्य है,निम्नलिखित हैं :-

आईएसओ 9001 क्यूएमएस - संस्था की आंतरिक कार्यदक्षता व उपभोक्ताओं के ध्यान प्रबंधन हेतु

आईएसओ 14001 ईएमएस -संस्था के पर्यावरणीय सरोकार प्रबंधन हेतु

ओएचएसएएस 18001 ओएचएसएमएस - संस्था के व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सरोकार प्रबंधन हेतु

एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेस प्रा.लि., कोलकाता द्वारा सीएमपीडीआई, रांची के माध्यम से प्रमाणन किया गया ।

<u>भविष्य की योजना</u> :- <u>2016-17 में</u>

पूरे एमसीएल को एक मानते हुए वर्ष 2016-17 में आईएसओ 8001:2008 - सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली व 50001:2011-ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के साथ अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईएमएस के प्रत्यायन हेतु एमसीएल आवेदन करने जा रही है।

एसए 8000 एसएएमएस -संस्था के सामाजिक उत्तरदायित्वों के सरोकार के संबंध में

आईएसओ 50001 ईएमएस -संस्था में सभी ऊर्जा निविष्टियों के युक्तिसंगत खपत प्रबंधन हेतु

अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकृत प्रक्रियाओं की सर्वोतम कला को आईएसओ मानकों के रूप में कार्यान्वित करते हुए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली की बेहतरी हेतु एमसीएल मुख्यालय में आईएमएस सेल कार्यान्वित है :-

क. कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समांतराल प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।

ख. विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जोकि अन्यथा भिन्न-भिन्न और असंगत हो सकते हैं.

ग. एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और सवस्थ कार्य वातारण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तररदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।

घ. नेमी कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।

ङ. इसके सभी इच्छुक पार्टियों को निम्नलिखित आत्मविश्वास उपलबध कराने को समर्थ बनाना:

(i) उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को लगातार पूरा करने के लिए कोयले का खनन एवं आपूर्ति करना।

(ii) पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।

(iii) लगातार सुधार हेतु सुव्यवस्थित प्रयास।

(iv) सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।

(v) कुछ छोटी अवधि की उपलब्धि के स्थान पर स्थायी एवं लगातार सुधार पर जोर देना।

2015-16 में आईएमएस/ आईएसओ प्रकोष्ठ द्वारा की गई गतिविधियां-

क्र.	विवरण	स्थिति
क.	फाइल ट्रेकिंग प्रणाली	अनुपालित
ख.	आईएसओ/आईएमएस मानकों आईएसओ :9001, आईएसओ: 14001 व ओएचएसएएस 18000 में संशोधन	दिनांक 1.03.2016 को कार्यादेश जारी किया गया
ग.	प्रबंधन नीति, आईएसओ प्रमाण पत्र वितरण	अनुपालित
घ.	नवंबर 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशिक्षण 30 अधिकारियों के लिए आयोजित की गई	तालचेर क्षेत्र में आयोजित
ङ.	2020 संदृश्यता के संबंध में आईएसओ/आईएमएस संबंधी प्रतिभावर्धन सह अभिप्रेरण कार्यशाला	एमसीएल की 20 इकाईयों में आयोजित
च.	संरचना उन्नयन कार्य पूर्ण किए गए। जैसे, एमसीएल मुख्या. में कैंटीन का पनरूद्धरण	अनुपालित
छ.	जलापूर्ति की सावधिक जल-परीक्षण	अनुपालित
ज.	पानी टंकियों के आवरण तथा जल-भंडारों की सफाई की गई	अनुपालित
झ.	पानी टंकियों के आवरण तथा जल-भंडारों की सफाई की गई	अनुमोदित
आईएमएस का आंतरिक लेखा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निगरानी लेखापरीक्षा		
क.	प्रमुख लेखा परीक्षकों द्वारा सफलता पूर्वक त्रेमासिक लेखा परीक्षण किया गया ।	
ख.	प्रमाणी कारण संस्था द्वारा एमसीएल में अर्धवार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा सफलता पूर्वक की गई	
ग.	आईएमएस पर सभी क्षेत्र/ इकाई चारो ओर (360 Degree) से फीडबेक्क लिया गया	

35. पुरस्कार और मान्यता

35.1 वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान/गतिविधियों के लिए कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है :

- वर्ष के ओडिशा आईएनसी बेस्ट सीएसआर एवार्ड की ट्राफी- माननीय केंद्रीय मंत्री (जन जातिय मामले) श्री जुएल ओराम द्वारा एमसीएल के निदेशक(कार्मिक) को प्रदान किया गया।

- आईएसटीडी, नई दिल्ली ने 44वे आईएसटीडी कंन्वेंशन में श्री ए.एन.सहाय, अ.प्र.नि.,एमसीएल को उनके अनुकरणीय नेतृत्व तथा प्रशिक्षण एवं जन विकास के लिए 'लाइफलाइम एचीवमेंट एवार्ड.2015' प्रदान किया ।
- पी.सी. पाणिग्राही,निदेशक(कार्मिक),एमसीएल को 44वीं आईएसटीडी नेशनल कन्वेंशन में प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्र में नेतृत्व उत्कृषता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- आंध्रा विश्वविद्यालय,विशाखापट्टनम के मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा श्री पीसी पाणिग्राही, निदेशक(कार्मिक),एमसीएल को मानव संपर्क नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार-2015' से सम्मानित किया गया।
- दिनांक 13.03.2015 को इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज,हैदराबाद द्वारा कार्पोरेट विजिलेंस एक्सेलेंस एवार्ड आयोजित की गई। एमसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया । उन्हें सतर्कता में सकारात्मक योगदान के लिए भी इंडीविजूअल एक्सेलेंस एवार्ड प्रदान किया गया।
- 28 व 29 जनवरी, 2015 को कोलकाता में कनिहा ओसीपी को रजत श्रेणी व लजकुरा ओसीपी को स्वर्ण श्रेणी का ग्रीनटेक एवार्ड प्रदान किया गया।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा 29 मई,2015 को बंगलुरू में प्रशिक्षण उत्कृष्टता हेतु पंचम वार्षिक ग्रीनटेक एवार्ड प्रदान किया गया ।
- भारत के राष्ट्रपति,भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च,2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में समलेश्वरी ओसीपी को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ ।
- गोवा के राज्यपाल द्वारा गोवा में दिनांक 25 मई, 2015 को सीवीओ, एमसीएल को इ-इनिसिएटिव्स के लिए इलेट्स नॉलेज एक्सचैंज एवार्ड प्रदान किया गया ।
- इनोवेटिव एफॉर्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीपीएस/जीपीआरएस बेस्ड व्हीटीएस एंड सीसीटीवी बेस्ड ई-सर्वेलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ दी कंपनी के लिए विजिलेंस स्टडी सर्किल, कोलकाता द्वारा 26.10.15 को श्री ए.के.श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एमसीएल को विजिलेंस इनोवेशन एवार्ड्स 2015 प्रदान किया गया
- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 15 को एमसीएल को स्वर्ण श्रेणी में (लिंगराज ओसीपी) एवं रजत श्रेणी में (बेलपाहाड़ ओसीपी)16वां ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया।
- अखिल भारतीय राजभाषा संघ द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर को अप्रनि, एमसीएल को राजभाषा सम्मान श्री एवं एमसीएल के ही अन्य सात अधिकारियों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा 08.10.15 को अप्रनि, एमसीएल को एमसीएल कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार 2014-15 प्रदान किया गया ।
- सीआईएल स्थापना दिवस, दिनांक 1 नवंबर, 2015 को अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा एमसीएल को 2014-15 के दौरान सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- सीआईएल स्थापना दिवस, दिनांक 1 नवंबर, 2015 को अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा ई-प्रेक्योरमेंट के माध्यम से वॉशरी निविदा को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए 'बेस्ट इनोवेशन (नॉन-टेकनीकल) एवार्ड' एमसीएल को प्रदान किया गया जिसे श्री ओ.पी.मिश्रा ने प्राप्त किया।

- समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता मूल्यांकन 2014-15, सुरक्षा गुणवता आश्वस्तीकरण व पर्यावरण हेतु एमसीएल को सीआईएल कॉर्पोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया।

- बंगलुरू में दिनांक 11.09.2015 को आयोजित एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस 2015 में श्री ए.एन.सहाय, अप्रनि तथा श्री पी.सी.पाणिग्राही, निदे.(का.) ने एशिया के 100 प्रभावशाली वृत्तिक का पुरस्कार प्राप्त किया ।

- सितंबर,15 को भुवनेश्वर में हिंदी दिवस सम्मान समारोह के दौरान हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन रत्न का पुरस्कार श्री पी.सी.पाणिग्राही, निदे.(का.) को प्राप्त हुआ ।

- अहमदाबाद में 37वीं अखिल भारतीय जनसंपर्क कांफ्रेस में विनायक नामवाल, जनसंपर्क अधिकारी एवं आशा ज्योति, प्रबंधक (का.) तालचेर कोलफील्ड्स को पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। एमसीएल ने सीएसआर कार्यान्वयन में सर्वोत्म सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का पुरस्कार प्राप्त किया तथा जागृति महिला मंडल ने सीएसआर के अंतर्गत शिशु देखभाल का पुरस्कार प्राप्त किया।

36. लेखा परीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्ष फर्मों को वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

सांविधिक लेखा परीक्षक	शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स .	मेसर्स एसआरबी एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेट्स	5वां तल, इडको टावर्स
प्लॉट नं 506ए, यूनिट.-IX	जनपथ, भुवनेश्वर
ओड़ीशा -751022	ओड़ीशा -751022

36. 2 **लागत लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमावली 2014 साथ पढ़ा जाये, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबन्धित लागत लेखा परीक्षा रिकार्ड रखती है जिसे लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आप के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर मेसर्स निरेन एंड कंपनी, लागत लेखापाल भुवनेश्वर ओड़िशा को कंपनी मुख्यालय एवं इसके ईकाइयों ईब कोयलांचल के क्षेत्रो और बसुंधरा क्षेत्र के लिए वितीय वर्ष 2014-15 के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस ₹.212500.00 तथा ज़ेब खर्च ₹.106250.00 (ii) मेसर्स मऊ

बनर्जी एंड कंपनी आसनसोल, पश्चिम बंगाल को तलचेर वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर तालचेर कोयलांचल के क्षेत्रो का लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस ₹.140625.00 तथा ज़ेब खर्च ₹.70312.00 तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर पर नियुक्त किया गया है।

36.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक** :

सचिवीय लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधन कार्मिक के परिश्रमिक) नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स लोकेश ए. गोहील एंड एसोसियेट्स कंपनी सचिवों, सम्बलपुर ओड़िशा को वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए संबंध किया गया है । सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट को अनुलग्नक ii पर संलग्न किया गया है

37. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित किया गया है, के तहत लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

38. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(3)(एम) के तहत सूचनाओं का विवरण-

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा -143(3)(एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी के उपयोग एवं वैदेशिक मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक- III में दी गई है।

39. निदेशक मंडल:

39.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निदेशक बने रहेः

1. श्री ए. एन. सहाय	-	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के. तिवारी	-	निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)
3. श्री जे.पी. सिंह	-	निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना)
4. श्री पी.सी. पाणिग्राही	-	निदेशक(कार्मिक)
5. श्री बी.के. सक्सेना	-	निदेशक
6. श्री एस.के. सिंह	-	निदेशक

39.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक नियुक्त हुएः

1.	श्री जे.एस. बिंद्रा	-	निदेशक (20.04.2015 से)
2.	श्री ए.के.झा	-	अप्रनि (01.11.2015 से)
3.	श्री एल.एन.मिश्रा	-	निदेशक (कार्मिक) (01.02.2016 से)
4.	श्री एस.एन.प्रसाद	-	निदेशक (16.02.2016 से)

39.3 निम्न व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक पद से मुक्त हुएः

1.	श्री ए.एन.सहाय	-	अप्रनि (31.10.2015 तक)
2.	श्री एस.के.सिंह	-	निदेशक (20.04.2015 तक)
3.	श्री पी.सी.पाणिग्राही	-	निदेशक (कार्मिक) (31.01.2016 तक)
4.	श्री बी.के.सक्सेना	-	निदेशक (31.01.2016 तक)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(3)(सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है:

क. दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही तथा स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने/निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. निदेशकों ने 31.3.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार(गोईंग कंसर्न) के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. सही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभारी रूप से संचालित है।

च. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

41. कार्पोरेट गवर्नेंस

इस रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक- IV** पर संलग्न है।

42. वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न के सार का फार्मिंग भाग का विवरण फार्म एमजीटी 9 के **अनुलग्नक-V** पर संलग्न है।

43. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-VI** पर संलग्न है।

44. भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणी

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-VII** पर संलग्न है ।

45. लेखा परीक्षा समिति:

समिति का पुनर्गठन 9 फरवरी, 2016 को किया गया । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं-:

1.	निदेशक (तक./संचालन), एमसीएल	-	अध्यक्ष
2.	श्री जे.एस.बिंद्रा, निदेशक, एमओसी	-	सदस्य
3.	डॉ. राजीव माल, स्व. निदेशक	-	सदस्य
4.	श्री एच.एस.पती	-	सदस्य
5.	निदेशक (तक/परि.व यो.), एमसीएल	-	आमंत्रित
6.	निदेशक (वित्त), एमसीएल	-	आमंत्रित

44.1 **कार्य क्षेत्र:**

1. वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
3. सरकारी लेखा परीक्षा एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
4. संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
5. परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
7. एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
8. किसी भी मामले का विशेष अध्ययन,जॉच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति ने एमसीएल के वित्तीय और अन्य ऑकड़े/सूचना का आकलन किया है। समिति द्वारा अवलोकित तथ्यों को एमसीएल बोर्ड के पास भेजा जाता है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिलें ।

46. लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है । कंपनी केवल एक उत्पाद अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवर हेड सहित मदवार लागत के ब्यौरे के साथ रिकार्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है और नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्ट का मिलान किया जाता है।

47. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन:

47.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीआई), भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है। आपकी कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समग्र समझौता-ज्ञापन रेटिंग **"उत्कृष्ट"** रहा है।

48. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा:

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के तहत एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

49. आभार

49.1आपके निदेशक गण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

49.2निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

49.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

49.4निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

49.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहनेवाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है ।

50 . अनुलग्नक(एडेन्डा) :

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं :

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(ङ) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचनाएं ।
2. कंपनी अधिनियम 2013 धारा 148, तथा साथ पढ़ा जानेवाला कंपनी के अनुवर्ती संशोधित नियमावली 2014 (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों ओर कंपनी(नियुक्ति तथा प्रवंधन से जुड़े कार्मिकों के मेहनताना) नियमावली 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
4. कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 143(3)(ङ) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट।
5. लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत कार्पोरेट गवर्नेंस(शासन) पर रिपोर्ट।
6. फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का सार।
7. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
8. कंपनी अधिनियम,2013 की धरा 143(6) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां।
9. सीआईएल के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2015-16 के समझौता ज्ञापन(एमओयू) के अनुसार निष्पादन का मानदंडवार ब्यौरा।

ह/-

(ए के झा)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 11.07.2016

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अपने अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(ए के झा)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 11.07.2016

अनुलग्नक –I

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर)

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खण्ड(ओ) तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली,2014 के अनुसार)

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय परियोजनाओं का ओवरव्यू या प्रस्तावित कार्यक्रम जिन्हें लागू किया जाना है और सीएसआर नीति और परियोजना का कार्यक्रम का वैवलिंक संदर्भ।

एमसीएल के सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय:

उद्देश्य :

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए स्थायी विकास हेतु सीएसआर को मुख्य कार्य प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना। इसका लक्ष्य तत्काल एवं लंबी अवधि की सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों पर आधारित समाज कल्याण के उपायों में वृद्धि में सरकार के पूरक रोल को अदा करना है।

ग्लोबल कम्पैक्ट के सिद्धान्तों को लागू करने में एमसीएल अच्छे कार्पोरेट नागरिक की तरह कार्य करेगा।

कार्यक्षेत्र:

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII तथा सीएसआर के कार्यक्षेत्र से संबंधित संशोधनों के तहत एमसीएल कार्य करता है।

कार्याधीन आनेवाले क्षेत्र:

एमसीएल में कुल सीएसआर बजट का 80% परियोजना/खदान के 25 किलोमीटर के दायरे में तथा शेष 20% ओड़िशा के सीएसआर गतिविधियों में खर्च किया जाएगा । एमसीएल मुख्यलय के संदर्भ में सीएसआर नीति संचालित 4 जिलो सहित पूरे ओड़िशा में कार्यान्वित की जाएगी ।

निधि का आबंटन:

सीएसआर निधि का आबंटन कंपनी के तत्काल गत 3 वर्षों के वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ को 2% के आधार पर होता है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के तहत की जाती है।एमसीएल की पूरी सीएसआर नीति को एमसीएल के वैवसाइट पर दर्शाया गया है।सीएसआर नीति केवैवलिंक: ***http: www.mahanadicoal.in/about/csrpolicy.php***

II. सीएसआर समिति का गठन

एमसीएल में निमन सूचीबद्ध तीन प्रकार की सीएसआर समितियां हैं:

1. क्षेत्रीय स्तर की सीएसआर समिति:

- क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक — अध्यक्ष
- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक — सदस्य
- क्षेत्रीय प्रोजेक्ट आफिसर — सदस्य
- स्टाफ आफिसर (सिविल) — सदस्य
- क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक — सदस्य

- क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
- स्टाफ आफिसर (वि./यां.) — सदस्य
- स्टाफ आफिसर (भू-राजस्व) — सदस्य

2. मुख्यालय स्तर की सीएसआर समिति:

- निदेशक(कार्मिक),एमसीएल — अध्यक्ष
- महाप्रबंधक(सीएसआर),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(सी)/विभागाध्यक्ष,एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(वित्त),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(पर्या.),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(योजना),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(भू-राजस्व),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक(का./औ.सं.),एमसीएल — सदस्य
- चिकित्सा सेवा प्रमुख(सीएमएस),एमसीएल — सदस्य

3. एमसीएल बोर्ड की सीएसआर एवं एसडी उप समिति बोर्ड स्तरीय समिति है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:

- श्री ए.के.तिवारी,निदेशक(तक./संचालन),एमसीएल - अध्यक्ष
- श्री जे.पी. सिंह, निदेशक(तक./यो.परियो.),एमसीएल - सदस्य
- श्री एल.एन. मिश्रा,निदेशक(कार्मिक),एमसीएल - सदस्य
- श्री जे.एस. बिन्द्रा,अंशकालिक निदेशक - सदस्य
- डॉ. आर.मल.,स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एच.एस. पति, स्वतंत्र निदेशक, - सदस्य
- श्री के.के.परिडा,निदेशक(वित्त), एमसीएल - आमंत्रित

III. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ:

बजट आकलन:

सीएसआर(2015-16) के लिए तीन वर्षों के करपूर्व लाभ का आकलन:

वर्ष	**राशि (करोड़ रु. में)**
2012-2013	6202.48
2013-2014	5429.08
2014-2015	5314.24
कुल	**16945.80**

गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ(करपूर्व): **5648.6**

औसत लाभ का 2 % **112.972**

IV. निर्धारित सीएसआर ब्यय (उपारोक्ता बिन्दु 3 के अनुसार राशि का 2 %)

गत 3 वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ (कर पूर्वक लाभ) का 2% 112.97 करोड़ है ।

V. वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल सीएसआर राशि का विवरण :

क. वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि;

वित्तीय वर्ष में व्यय की जानेवाली कुल राशि - रु.112.97 करोड़।

ख. अव्ययित राशि,(यदि हो तो) :

लेखा परीक्षा के पश्चात गतवर्ष अव्ययित राशि-52.67 करोड़(रु.113.97 करोड़- रु.61.30 करोड़) ।

इस वर्ष अव्ययित राशि/शेष राशि-(रु.112.97 करोड़ + रु.52.67करोड़)- रु.186.53 करोड़।) रू.0

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

विहित प्रपत्र में गतिविधियों की सूची **अनुलग्नक -ए** पर संलग्न है।

VI. यदि कंपनी गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत का व्यय करने में असफल रहती है तो कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में इसका व्यय नहीं होने के कारण को दर्शायेगी :

लागू नहीं

VII. सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व वाली विवरण जिसमें सीएसआर नीति को लागू करने एवं मानीटरिंग, सीएसआर के उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुपालन के अनुसार है :

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व का विवरण **अनुलग्नक -बी** पर अलग से संलग्न है।

अनुलग्नक-क

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,सीएसआर विभाग							
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर प्रोजेक्ट या पहचान की गई गतिविधियां**	**प्रोजेक्ट में आनेवाले सेक्टर**	**प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य जहॉ प्रोजेक्टस या प्रोग्राम किए गए हैं**	**परिव्यय राशि(बजट) प्रोजेक्ट या प्रोग्रामवाइज**	**प्रोजेक्टस या प्रोग्राम पर व्ययित राशि सब-हेड(1) प्रोजेक्टस या प्रोग्राम पर सीधा किया गया व्यय (2) ओवरहेड**	**प्रतिवेदन की अवधि 31.03.2915 तक कुल व्यय(क्यूमूलेटिव एक्सपेंडिचर)**	**प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की गई खर्च की राशि :**
1.	भूख, गरीबी और कुपोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना उन्मूलन	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, बलांगीर, ढैंकानाल, गजपति, जाजपुर,कलाहांडि,कंधमाल,नयागढ़,रायगढ़ा और सोनपुर	24040.96	**15532.47**	**15532.47**	एमसीएल/राज्य सरकार/ सीपीडब्लुडी/एनपीसीसी/ओपीईपीए
2.	विशेष शिक्षा और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यवसाय विशेष रूप से बच्चों के बीच कौशल, महिलाओं, बुजुर्गों, और अलग ढंग से विकलांग और जीविकोपार्जन संबंधी परियोजनाओं सहित, शिक्षा को बढ़ावा देने:	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा	597.68	**271.78**	**271.78**	सीधे एमसीएल द्वारा
3.	महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, वृद्धाश्रम की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर सेन्टर्स तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के लिए उपाय करने के लिए इस तरह की अन्य सुविधाएं ।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर	18.07	**17.82**	**17.82**	एमसीएल एवं राज्य सरकार द्वारा
4.	पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति और जीव, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मिट्टी, हवा और पानी की समानता बनाए रखना।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर,	158.44	**131.53**	**131.53**	एमसीएल एवं राज्य सरकार द्वारा
5.	राष्ट्रीय विरासत, इमारतों और साइटों का ऐतिहासिक महत्व और कला के कार्यों की बहाली सहित कला और संस्कृति का संरक्षण: सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पदोन्नति और पारंपरिक उत्तर- का विकास तथा और हस्तशिल्प;	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़,संबलपुर, पुरी	57.36	**57.36**	**57.36**	राज्य सरकार द्वारा
6.	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय विरासत ।						
7.	ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलिंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़,संबलपुर,खुर्दा	621.88	**621.88**	**621.88**	एमसीएल एवं राज्य सरकार
8.	प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य कोष में अंशदान:	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स					
9.	केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को उपलब्ध कराई जानेवाले अंशदान या धन।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स					
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा	7750.35	**2020.60**	**2020.60**	एमसीएल एवं राज्य सरकार
	कुल:			**33244.74**	**18653.44**	**18653.44**	

अनुलग्नक-ख

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति को लागू एवं मानीटरिंग करना सीएसआर के उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुसार है।

हस्ता/-

महाप्रबंधक(सीएसआर),एमसीएल

हस्ता/-

निदेशक(कार्मिक),एमसीएल

(डीन: 07437632)

हस्ता/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,एमसीएल

(डीन: 06645361)

हस्ता/-

अध्यक्ष-सीएसआर समिति

(डीन: 02442844)

अनुलग्नक –II

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 2049 (1) तथा कंपनी नियम 2014 के नियम सं.09 (नियुक्ति एवं कार्मिक पारिश्रमिक) के अनुसरण में

प्रति,
सदस्यगण,
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,
ज्योति विहार, बुर्ला-768020,
संबलपूर, ओड़ीशा, भारत

हमने, मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (पंजी. क्र. 003038) (एतदस्मिनपश्चात कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया । सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर हमारी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, हमारी अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च,2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा परीक्षावधि) के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं ।

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च,2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया -

1. कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अधीन बनाये गए नियम।
2. प्रतिभूति संविदा(विनियम) अधिनियम 1956(एससीआरए) तथा बनाए गए नियमों के अंतर्गत (कंपनी के लिए लागू नहीं है)।
3. निक्षेपागार(डिपॉजिटरीज) अधिनियम 1996 तथा विनियम एवं उपनियम के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत (कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
4. विदेशी मुद्र प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं ऑवरसीज प्रत्यक्ष निवेश के अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत।
5. भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड,1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्न विनियम व दिशा निर्देश(खंड - क से ज तक कंपनी के लिए लागू नहीं)।

   (क) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड (सव्स्टांसियल एक्यूजीशन आफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) विनियमावली, 2011 ।

   (ख) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली-1992 ।

(ग) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के मामले) विनियमावली-2009 ।

(घ) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड 1999 (इम्प्लाई स्टॉक ऑप्सन स्कीम एवं इम्प्लाई स्टॉक पर्चेज स्कीम) दिशा-निर्देश।

(ङ) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड 2008 (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण एवं प्रकाशन)।

(च) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड 2003 (प्रकाशन एवं शेयर हस्तांतरण का पंजीकरण)।

(छ) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड, विनियमावली,2009 (इक्वीटी शेयर का असूचीयन)।

(ज) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनिमय बोर्ड(प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद), विनियमावली,1998 ।

6. **कंपनी पर** लागू अन्य कानून :

क) खान अधिनियम, 1952;

ख) खान रियायत नियमावली, 1960;

ग) कोयला खान विनियम, 1957;

घ) कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974;

ङ) खान बचाव नियम, 1985;

च) खान व्यवसायिक प्रशिक्षण के नियम, 1966;

छ) भारतीय विद्युत नियम, 1956;

ज) विस्फोटक अधिनियम, 1884;

झ) विस्फोटक नियम, 2008;

ञ) कोयला खान पेंशन योजना, 1998;

ट) मजदूरी(खान) भुगतान नियम, 1956;

ठ) कोयला खान (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948;

ड) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957;

ढ) खान (एब्सट्रैक्ट की पोस्टिंग) नियम, 1954;

ण) अवितरित मजदूरी का भुगतान ओ (खान) नियम, 1959;

त) खान इंडियन ब्यूरो, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण), कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण) और कनिष्ठ सर्वेक्षण भर्ती नियम, 1990;

थ) कोयला खान पीट-हेड बाथ नियम, 1959;

द) खान क्रेच नियम, 1966;

ध) खान इंडियन ब्यूरो (इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम, 1990

न) मातृत्व लाभ (खान) नियम, 1963;

ऩ) मेटलीफेरस खान विनियम, 1961;

प) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000;

फ) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004;

ब) जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974;

भ) वायु(प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981;

म) पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1985 एवं इसके अधीन जारी नियम;

कक)सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991;

खख)खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांस सीमा मूवमेंट) नियम,2008;

हमने लागू होनेवाले निम्नलिखित खंड के अनुपालन में जॉच की है:

1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, निर्देश, मानक, आदि, के प्रावधानों का पालन किया है।

'अनुलग्नक-ए' में उल्लेखित हमारी अवलोकन के विषय में:-

हम आगे यह सूचित करते हैं कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाता है। '**अनुलग्नक-क'** में उल्लेखित हमारी टिप्पणियों के अनुसार कंपनी के निदेशक बोर्ड, कार्यकारी निदेशकों, गैर- कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विविध गठित किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान समय-समय पर निदेशक बोर्ड एवं समिति बोर्ड की संरचना में परिवर्तन किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की पर्याप्त सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची व विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेज दिए जाते है तथा बैठक में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए कार्यसूची संबधी वांछित अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण पूर्व में ही प्राप्त करने हेतु प्रणाली मौजूद है । सभी निर्णयों का सर्वसम्मति से पालन किया जाता है तथा असहमत सदस्य के विचारों को, यदि हो तो, कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है ।
समिति बोर्ड व निदेशक बोर्ड की बैठक में दर्ज कार्यवृत्त के अनुसार बोर्ड एवं समिति बैठक में एक मत से यथा स्थिति सभी निर्णय लिए जाते हैं।
मैं पुन: प्रतिवेदित करता हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार व संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

स्थान- संबलपुर
दिनांक-31.05.2016

वास्ते लोकेश ए. गोहिल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
लोकेश गोहिल
सदस्यता क्र.: 28908
सी.पी.क्र.: 10415

नोट: यह रिपोर्ट '**अनुलग्नक-क'** में दी गई हमारी लेखा टिप्पणियों पर प्रबंधन जवाब पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंश है।

सचिवीय लेखा परीक्षक और प्रबंधन स्पष्टीकरण का अवलोकन

क्र.सं.	अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची- IV अंतर्गत खंड- VII के प्रावधान की आवश्यकतानुसार वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2016 तक स्वतंत्र निदेशकों की अलग से कोई भी बैठक नहीं की गई ?	वर्ष के दौरान भारत में केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे अत: इस तरह की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।
2.	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची- IV के खंड- VIII के प्रावधान के तहत इस वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया ।	निदेशक का मूलयांकन एमओसी द्वारा समय-समय पर किया जाता है। सरकारी कंपनी न तो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की क्षमता रखता है और नहीं स्वतंत्र निदेशक का मूल्यांकन करने में सक्षम है।
3	कंपनी के बोर्ड नियम-3 के अध्याय -XI के अंतर्गत कंपनी द्वारा महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है (नियुक्ति तथा निदेशकों की योग्यता हेतु नियम-2014)।	मामला भारत सरकार के एम.ओ.सी. के पास लंबित है।
4	कंपनी अधिनियम,2013 की धारा- 152 के उपधारा-(5) के तहत निदेशक को पहचान संख्या के आबंटन से पहले ही कंपनी ने निदेशक को नियुक्त किया है।	कंपनी किसी भी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रखती। यह भारत सरकार के एमओसी द्वारा किया जाता है।
5	क्या सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 को जारी दिशा-निर्देश तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा बोर्ड एवं समिति सदस्यों की अधिकतम w.r.t. का अनुपालन कंपनी ने किया है।	एमसीएल बोर्ड के संविधान के तहत चार स्वतंत्र निदेशक है,जिनमें से दो की नियुक्ति एमओसी द्वारा की गई है। शेष दो निदेशकों की नियुक्ति एमओसी के पास लंबित है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद समिति कंपनी के नियमों एवं डी.पी.आर. निदेशा-निर्देश के तहत इनके प्रावधानों को पूर्ण करें।
6.	31 मार्च,2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिफल में कंपनी ने सात प्रमोटर्स सदस्यों को दर्शाया था लेकिन वास्तविक में कंपनी के पास केवल चार सदस्य थे।	यह गलती वर्ष 1992 में कंपनी के अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के समय में आरओसी कार्यालय,कटक द्वारा की गई थी।
7.	कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 174 के तहत कंपनी में विडियो कान्फ्रेंसिंग और रिकार्डिंग सुविधा उपलब्ध है ?	दिल्ली,कोलकाता और एमसीएल मुख्यालय में विडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा से लैस है। हालांकि अन्य स्थानों से विडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए रिकार्डिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि गैर-रूचि कोरम पूरी कार्यवाही के दौरान बैठक में मौजूद रहे। निदेशक, जो विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने में रूचि रखते हैं,निकट के स्थान नई दिल्ली में पूरी कार्यवाही की रिकार्डिंग सुनिश्चित कर सकते हैं।

हस्ता/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

अनुलग्नक - III

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 134(3) के अधीन पठित कंपनी की नियमावली,1988 (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकाशन) के अनुसार प्रतिवेदन में ऊर्जा के संरक्षण,प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वैदेशिक मुद्रा के आय एवं व्यय से संबंधित दी जानेवाली सूचना।

1.क. ऊर्जा का संरक्षण :

(क) **विद्युत ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गये उपाय :**

तुलनात्मक विवरण के साथ इस वर्ष की बिजली की स्थिति की झलकियॉ इस प्रकार है :

i. कोयले के लिए विद्युत की विशेष खपत वर्ष 2015-16 में 2.18 केडब्लूएच/टन थी जो वर्ष 2014-15 में 2.52 केडब्लूएच/टन हो गई जो 13.49% कम है ।
ii. विद्युत की विशेष खपत (संयुक्त उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला+ओबी निकासी) वर्ष 2015-16 में 1.88 केडब्लूएच/क्यूबिक मीटर थी जो घटकर वर्ष 2014-15 में 11.7 केडब्लूएच/ क्यूबिक मीटर पर आयी ।
iii. वर्ष 2015-16 के दौरान 0.96 पावर फेक्टर के ऊपर के पावर फेक्टर इनिशीएटीव अनुरक्षक के लिए 120.14 लाख प्राप्त किया गया ।
iv. वर्ष 2015-16 के दौरान सभी आपूर्ती केंद्र से चार दिनो के भीतर बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए WESCO/CESU से 168.95 लाख की छुट उपलब्ध करायी गयी ।

1. ख. विशेष उपलब्धि

i. ओरिएंट क्षेत्र के कालि नगर सब-स्टेशन पर 16.47 लाख किमत का 600 केवीएआर (2 X 300 केवीएआर) के कॉपेसीटर (Capacitors) को शुरुआत की गई है
ii. बलराम ओसीपी सीएचपी में कुल 31.64 लाख कीमत के 55 किलोवाट वाले चार तथा 90 किलोवाट वाले 3 वेरिएबल फ्रेक्वेंसी ड्राइव का शुरुआत की गई है । आगे उसी सीएचपी के लिए 110 किलोवाट का एक तथा 160 किलोवाट वाले दो वेरिएबल फ्रेक्वेंसी ड्राइव लगाना प्रगती पर है ।
iii. मेसर्स सोलर एनर्जी का कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एमसीएल भवन मे विभिन्न 12 जगहों पर सोलर रूप टॉप बिजली संयत्र लगाने के लिए व्यवहार्य तैयार करने के लिए कार्रवाई की गई है । जहाँ 150 किलोवाट बिजली उत्पादन की संभावना को परखा गया है । नीचे पहचान किये गए स्थान टेबुल में दर्शाया गया है ।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	स्थान/भवन
1	जगन्नाथ	डीएवी स्कूल (अँग्रेजी माध्यम)
2	लिंगराज	क्षेत्रिय महाप्रबंधक कार्यालय
3		लिंगराज ओसीपी का परियोजना कार्यालय
4		एलटीएस औषधालय
5	हिंगुला	बलराम ओसीपी का परियोजना कार्यालय
6	केन्द्रीय कर्मशाला तालचेर	केन्द्रीय कर्मशाला तालचेर
7	लखनपुर	क्षेत्रिय महाप्रबंधक कार्यालय
8		बेलपाहर परियोजना कार्यालय
9		त्रिवेणी अतिथि शाला
10	ईब वैली	केन्द्रीय चिकित्सालय
11	ओरिएंट	क्षेत्रिय महाप्रबंधक कार्यालय (एम ब्लॉक)
12		रामपुर उप क्षेत्र का परियोजना कार्यालय

iv. एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों के सेवा भवनों में 13,908 की संख्या के 40 वाट फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट के बराबर संख्या के 19वाट एलईडी लैंप एवं 2008 संख्यक 20 वाट फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट के बराबर संख्या के 10 वाट एलईडी लैंप के प्रतिस्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इन एलईडी लैंप वर्ष 2016-17 के दौरान स्थापना करने के लिए प्रस्तावित है।

v. **15** वर्ष अधिक पुराने विभिन्न असमय वातानुकूलन को बदलने के लिए एमसीएल मुख्यालय मे 5 सितारा दर्ज के 149 वातानुकूलन की खरिदी कार्रवाई शुरू की गई है । इससे बढ़कर 5 सितारा रेटिंग वाले से ही अब सभी वातानुकूलन को खरिदने पर विचार किया जा रहा है ।

1. घ बिजली कटौती मे ऊर्जा के प्रभावशाली संरक्षण के लिए आपनाए गए व्यवहार्य / संभावीत उपाय ।

i. वर्ष 2015-16 के दौरान तालचेर भूमिगत खदान एवं ओरिएंट क्षेत्र की खदान संख्या 02 में विद्युत उर्जा खपत के लिए बेंचमारकिंग अध्ययन किया गया ।

ii. 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली का अधिकतम उपयोग उपलब्ध कराने के लिए एमसीएल मुख्यलय के आनंद विहार व्यवसायि एवं घरेलू आपूर्ती केंद्र का विलय किया गया

iii. बसुंधरा 220 किलोवाट (केवी) केंद्र के लिए 5000 किलोवाट से 6000 किलोवाट को बढ़ाने के लिए संविदा मांग की गई ।

iv. बेहतर वोल्टेज व्यवस्थापन के लिए ओरिएंट क्षेत्र के कालिनगर सब-स्टेशन पर 10 मेगावाट की शुरुआत की गई ।

v. जागृति विहार कार्यालय के साथ आवासीय कॉम्प्लेक्स से 33 किलोवाट अपूर्ती का कार्यादेश दिया गया ।

vi. घरेलू खपत के लिए जहां आवश्यक हो अलग से मीटर पॉइंट देने का कार्य शुरू किया गया ।

vii. सिंगनल पॉइंट ट्रांसफोरमर से मल्टी पॉइंट पोल मौंटेड ट्रांसफोरमर के लिए नगर बिद्यूत बितरण को पुनर्गठन का कार्य किया गया ।

viii. परिवर्तित स्टार पर बिजली की शीर्ष मांग को रखने तथा अधिकतम व्यवहार टीओडी प्रेरक को उपलब्ध करने के लिए पोंपिंग जैसे नियमित भर को शीर्ष समय के प्रश्चात परिचालित किया जाता है ।

ix. औद्दोगिक पंप से उर्जा को माग करने के लिए प्रभवकारी अनुरक्षण, सुपुर्दगी और suction आकार के लिए आशावदिता पॉटून का उपयोग, बोर होल्स के माध्यम से भी.टी. पंप,बोर होल, के माध्यम डेलिवरीज और केबल्स आदि उपाय किये गये।

x. पंखों के लिए परंपरागत चोक और रेगुलेटर के बदले इलेक्ट्रोनिक रेगुलेटरों का उपयोग किया गया।

xi. ऊंचे दर्जे के वातानुकूलन का उपयोग करना वातानुकूलन के फिल्टर की नियमित साफ-सफाई, आवश्यकता न होने पर वातानुकूलन को बंद रखना।

xii. फ्यूज का उचित आकार एवं उसके ढ़िले कनेक्शन को टालना(बचना)।

xiii. केबल के उचित आकार के साथ केबल के न्युनतम घाटे अर्थात् उसके रेटेड क्षमता को सुनिश्चित करना।

xiv. परिवर्तित ट्रांसफॉरमर घाटे के संबंध में ट्रांसफॉरमर क्षमता का अधिकतम उपयोग।

xv. न्युनतम ऊर्जा घाटे के संबंध में पॉवर केपेसेटर के उपयोग द्वारा पॉवर फेक्टर के 98 प्रतिशत का अनुरक्षण किया गया है।.

xvi. अतिरिक्त कंडेक्टर के उचित आकार का उपयोग कर न्युनतम संचरण की हानि को सुनिश्चित करना।

xvii. ऊर्जा क्षति को कम करने के लिए स्टेज पंपिंग/अंतस्थ पंपिंग को कम किया गया है।

xviii. पंप में इलेक्ट्रिक मोटर के सटीक आकार आश्वस्थ करना।

xix. डिलेवरी लाइन के बड़े आकार/अनुशंसित आकार का उपयोग करना, पंप में सक्सन करना तथा वाष्पीकरण को टालना।

xx. पंप की क्षमता मे सुधार कर पाइप लाइन मे लीकेज रोकने को सुनिश्चित करना। .

xxi. बियरींग (bearing) की स्थिति को सुनिश्चित करना ।

xxii. ठेका मांग के करीब अधिकतम मांग को रखने के लिए गैर-उत्पादक लोड को नियंत्रित करने जैसे यदि आवश्यक हो लोडशेडिंग रिसोर्ट करने के माध्यम से पीक आवर में सघन मानीटरिंग की जाती है। सही गुणवत्तावाले केपेसिटर कर प्रयोग ताकि अधिकतम मांग का कम करने के लिए विद्युत क्षमता को बढ़ाया जा सके।

2.क. ईंधन और स्नहक :

ईंधन और स्नेहक की खपत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया गया है:

क) ईंजन,ट्रांसमिशन और हाईड्रोलिक संचालित प्रणाली की आवधिक ओवरहालिंग किया जा रहा है।

ख) हाईड्रोलिक तेल का लिकेज कम करने के लिए होस के आवधिक जांच और उससे संबंधित उपकरणों की जांच की जाती है।

ग) टायरों की उचित इनफ्लेशन नियमित रुप से की जा रही है।

घ) सेल्फ स्टार्टर,अलटरनेटर्स एवं बैटरियों की नियमित जांच।

ड.) विशिष्ट डीजल की खपत नियमित रुप से सीएमपीडीआईएल द्वारा तय मानदंडों के भीतर रखने के लिए मानिटरिंग की गई है।

च) एचएसडी की खपत को कम करने के लिए आईईडी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश लागू किया गया है।

2. ख. **ऊर्जा की खपत पर 'क' में वर्णित उपायों के प्रभाव एवं उत्पादन पैरामीटर पर पश्चात प्रभाव**

विवरण	**15 – 16**	**14 – 15**	**गतवर्ष की तुलना में %वृद्धि(+)/कमी(-)**
वैद्युतिक ऊर्जा:			
(i) विद्युत की विशेष खपत(कोयले के लिए)/ केडब्लूएच/ टन में।	2.18	2.52	(-13.49) (F)
(ii) विद्युत की विशेष खपत(संयुक्त उत्पादन में) (जैसे कोयला एवं ओबी विस्थापन) केडब्लूएच/ घनमीटर में।	1.66	1.88	(-11.7) (F)
ईंधन एवं स्नेहक :			
(i) एचएसडी की खपत लीटर/घनमीटर संयुक्त उत्पादन	0.235	0.398	(-40.95)(F)
(ii) तरल स्नेहक की खपत लीटर/ घनमीटर संयुक्त उत्पादन में.	0.010	0.016	(-37.50)(F)
(iii) कोयले के उत्पादन में एचएसडी की खपत लीटर/टन	0.336	0.369	(-8.94)(F)
(iv) स्नेहक की खपत (लीटर/ कोयला उत्पादन के टन में)	0.014	0.015	(-6.67)(F)
v) पीओएल की विशेष लागत रुपये /टन में	18.82	24.320	(-22.61)(F)

एफ़ – अनुकूल ए – विपरीत

2. ग. <u>विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय</u>

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियॉ, निर्यात में वृद्धि हेतु उठाए गए कदम, उत्पादों के लिए नये निर्यात बाजार का विकास, निर्यात गतिविधि की सेवायें एवं निर्यात योजनाएँ । : कंपनी की कोई निर्यात गतिविधि नहीं है ।

(ii) उपयोग/ अर्जित विदेशी मुद्रा:

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**चालू वर्ष**	**गतवर्ष**
(क) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य क) कंपोनेंट, भंडार एवं फालतू पुर्जे ख) पूँजीगत सामान	0.02 शून्य	0.05 शून्य
(ii)यात्रा	0.01	0.04
(iii) ब्याज	0.09	0.08
(iv) अन्य	--	--
(ग) अर्जित विदेशी मुद्रा :	शून्य	शून्य

अनुलग्नक -IV

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जॉच की है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्पोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कंपनी द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन पर हमारी जॉच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारे विचार में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शाये गये डीपीई के दिशा-निर्देशों के तहत दिए गए कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुन: कहते है कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है न ही कंपनी के मामलों को देखनेवाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है ।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

स्थान : कैम्प बुर्ला
दिनांक : 25.05.2016

हस्ताक्षर/-
(सीए सत्यजित मिश्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 057293
फर्म पंजीकरण संख्या.316079ई(आईसीएआई)

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संगठनात्मक प्रणाली में कार्पोरेट गवर्नेन्स व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है जिससे पारदर्शिता, बृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं । एमसीएल के संबंध में कुछ आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल :

कार्यकारी, नामिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के दिनांक 31.03.2016 को 09 (सात) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल गठित है:-

क) 05 (पाँच) कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत।
ख) 2 (दो) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नमिति) ।
ग) 02 अंशकालिक सरकारी निदेशक (नोमिनी)
इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के मुख्य प्रचालन प्रबंधक को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया जा हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान औसत 88% से अधिक बोर्ड ने निदेशक के अटेंडेन्स (Attendance) से 9 बार मुलाक़ात की तथा दो बैठको के बीच 120 दिन से कम समय रहा

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनी में निदेशक	अन्य समितियों में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			
श्री ए.एन.सहाय अध्यक्ष	कार्यकारी	5	5	(i) *एनपीटीसीपीएल* (ii) *सिंगरनि कोलियरिस कंपनी लिमिटेड*	*शून्य*	02
श्री ए.के.झा, अध्यक्ष	कार्यकारी	4	4	*शून्य*	*शून्य*	02
श्री ए.के.	***कार्यकारी***	9	9	(i) *एमजेएसजे कोल*	01	05

तिवारीनिदेशक(तकनीकी/प्रचालन)				*लिमिटेड* (ii)*नीलांचल पावर ट्रांसमिसन कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड*		
श्री जे.पी सिंह निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना)	***कार्यकारी***	9	7	(i) *एमएनएच शक्ति लिमिटेड* (ii) *महानदी बेसिन पावर लिमिटेड* (iii) *महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*	*शून्य*	05
श्री पी.सी. पाणिग्राही निदेशक(कार्मिक)	***कार्यकारी***	6	5	**(i)** महानदी बेसिन पावर लिमिटेड **(ii)**एमएनएच शक्ति लिमिटेड	*शून्य*	03
श्री के के फरीड़ा निदेशक (वित्त)	***कार्यकारी***	9	9	(i) (i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (ii) *एमजेएसजे कोल लिमिटेड* (iii) *महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*	*शून्य*	05
श्री एल एन मिश्रा , निदेशक (कार्मिक)	***कार्यकारी***	3	3	(i) *एमएनएच शक्ति लिमिटेड* (ii) *महानदी बेसिन पावर लिमिटेड*	*शून्य*	02
श्री जे एस बिंद्रा, निदेशक	***सरकारी नामित***	9	7	*शून्य* ।	01	02
श्री बी.के.सक्सेना निदेशक	ओफ़्हिसियल पार्ट टाइम	6	6	**(i)**कोल इंडिया लिमिटेड **(ii)**नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड	01	02
श्री एस एन प्रशाद , निदेशक	ओफ़्हिसियल पार्ट टाइम	1	1	**(i)**कोल इंडिया लिमिटेड **(ii)**नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड	शून्य	02
डॉ. रजिब मॉला, निदेशक	स्वोतंत्र	4	4	शून्य	01	02
श्री. एच.एस. पति, निदेशक	स्वोतंत्र	3	3	शून्य	01	02

छमाही एवं सलाना लेखा, पूँजीगत व्यय, कोयला विक्रय ठेका, जनशक्ति बजट, सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट इत्यादि जैसे गवर्नेन्स के कुछ बिन्दु बोर्ड की समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु आरक्षित रखे गये हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक :

क) पूर्णकालिक निदेशक:

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार का संबंध, यदि हो तो	वर्ष 2015-16 के लिए पारिश्रमिक
			पारिश्रमिक पैकेज के सभी मदजैसे-वेतन,पीएलआईएस, पीएफ अंशदान, पेंशन, इत्यादि (रु. में)
श्री ए.एन.सहाय	***शून्य***	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	15,90,430.08
श्री ए के झा	***शून्य***	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	7,45,950.00
श्री ए के तिवारी	***शून्य***	निदेशक(तक./ऑपरेशन)	28,46,606.25
श्री जे पी सिंह	***शून्य***	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी)	22,39,651.25
श्री पी सी पाणीग्राही	***शून्य***	निदेशक(कार्मिक)	23,29,467.33
श्री के के परिड़ा	***शून्य***	निदेशक(वित्त)	22,02,193.75
श्री एल एन मिश्रा	***शून्य***	निदेशक(कार्मिक)	1,75,600.90

ख) सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

ग) गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

घ) सेवा संविदा, नोटिस अवधि, पृथककरण फीस :

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । नियुक्ति को दोनों तरफ से तीन महीने की नोटिस या इसके बदले तीन महीने के वेतन के भुगतान पर समाप्त की जा सकती है ।

बोर्ड की समितियॉ :

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मत है कि उपयुक्त स्वायत्तता और परिभाषित कार्यक्षेत्र सहित लेखा-परीक्षा समिति व्यापार के अबाध संचालन हेतु एक प्रभावी प्रणाली हो सकती है। समिति की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं और मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान किया जाता है। लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें उचित संरचित कार्य सूचीबद्ध होती हैं और समय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाती है।

लेखा-परीक्षा समिति को एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़े/जानकारी सुलभ होती है। समिति द्वारा निरूपण को एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति की बैठक यथा आवश्यक होती है किन्तु तिमाही में न्यूनतम एक बार होती है।

कार्य-क्षेत्र

क) वित्तीय विवरण की समीक्षा ।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।

ग) सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।

घ) संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।

ङ) परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।

च) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।

छ) एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।

ज) किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जांच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की आठ बैठकें दिनांक 20.05.2015, 30.06.2015, 31.07.2015, 21.09.2015, 27.10.2015, 16.12.2015, 04.02.2016 और 29.02.2012 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

.

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री बी. के. सक्सेना	अध्यक्ष	6	6
2.	श्री ए. के. तिवारी	अध्यक्ष	2	2
3.	श्री ए. के. तिवारी	सदस्य	6	6
4.	श्री जे एस बिंद्रा,	सदस्य	8	6
5.	डॉ. रजिब मॉला,	सदस्य	1	1
6.	श्री. एच.एस. पति	सदस्य	1	1

* 09 फरवरी, 2016 को समिति का गठन किया गया तथा समिति में स्वतंत्र निदेशक डॉ.रजिब मॉल एवं श्री एच एस पति का परिचाया कराया गया

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सीएफओ, आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विद्यमान लेखा-परीक्षा समिति के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में हुई 134वीं और 135वीं बोर्ड बैठकों में कंपनी की कार्यनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने, कारपोरेट शासन का सही मायनों में अनुपालन, मानव संसाधन के जरिए मान-वृद्धि और आर एंड आर की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपसमितियां गठित की गई हैं ।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

- एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की छः बैठकें दिनांक 20.05.2015, 31.07.2015 और 21.09.2015 को हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए एन सहया	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री ए के झा	अध्यक्ष	0	0
3.	श्री बी. के. सक्सेना	सदस्य	3	3
4.	श्री ए के तिवारी	सदस्य	3	3
5.	श्री जे पी सिंह	सदस्य	3	2
6.	श्री के के परिड़ा	सदस्य	3	3

iii) सीएसआर तथा स्थिरता विकास उप समिति (सीएसआर एंड एसडी) :

कार्य-क्षेत्र:

(क) बोर्ड से सूत्रपात एवं सिफारिश करना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना जो सूची VII मे निदिष्ट क्रियाकलापो को दर्शाएगी जिसे कंपनी द्वरा ज़िम्मेदारी ली जाएगी

(ख) व्यय राशी की सिफारिश करना जिसे खंड (अ) मे दर्शाया गए गतिविधियो पर उपगत किया जाना है और

(ग) समय समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना का निरीक्षण (Monitor) करना

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

सीजीएसआरएमएसडीसीएसआर उप समिति की वर्ष में चार बैठकें 30.06.2015, 31.07.2015, 21.09.2015 और 16.12.2015 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री बी. के. सक्सेना	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री ए. के. तिवारी	सदस्य	4	4
3.	श्री जे पी सिंह	सदस्य	4	4
4.	श्री पी सी पाणीग्राही	सदस्य	4	3
5.	श्री के के परिड़ा	सदस्य	4	4
6.	श्री एल एन मिश्रा	सदस्य	0	0
7.	डॉ. रजिब मॉला,	सदस्य	0	0
8.	श्री. एच.एस. पति	सदस्य	0	0

*** फरवरी,2016 को** सीजीएसआरएमएसडीसीएसआर उपसमिति का गठन किया गया तथा सीएसआर एवं स्थिरता विकास उपसमिति नाम दियागया और उपसमिति मे सदस्यो का परिचय दिया गया

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्य-क्षेत्र:

क. कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति,नीती,प्रक्रिया की समीक्षा करना,वर्तमान मे यदि कोई हो तथा आवश्यक परिवर्तन की बोर्ड से सिफारिश करना

ख. कंपनी के रिस्क अप्पेटिटे और रिस्क टोलरेंस को परिभाषित करना ।

ग. पहचान मूल्य निर्धारण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रबंधन की कार्रवाई की समीक्षा करना

घ. कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यक बदलाव कोई है की सिफारिश करता

उपसमिति का संयोजन तथा बैठक विवरण

फरवरी,2016 को निम्न सदस्यों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कियागया तथा 2015-16 मे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई

क्र.सं	नाम	स्थिति
1.	श्री ए के तिवारी	अध्यक्ष
2.	श्री जे पी सिंह	सदस्य
3.	श्री के के पारिड़ा	सदस्य
4.	श्री एस एन प्रशाद	सदस्य

v) नामांकन एवं परिश्रामिक समिती :

कार्य क्षेत्र:

मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध मे:

क. मानव संसाधन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रबंधन के साथ बोर्ड के सामरिक केन्द्रीत इनिशिएटिव से सिफारिस करना ।

ख. भर्ती,उत्तराधिकारी, कार्य निष्पादन, पुरस्कार वर्तमान नीतियों/नियमों/ विनियममों/ नियमावली दिशा-निर्देशों का प्रबंधन के साथ नियतकालीन समीक्षा तथा आवश्यक बदलाव यदि कोई हो। के लिए बोर्ड से सिफारिस ।

ग. नई केंद्रीयभूत एचआर पॉलिसी की प्रबंधन के साथ सिफारिश।

घ. बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों यदि आवश्यक हों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेजाने की बोर्ड से सिफारिस

ङ. प्रशिक्षण एवं विकास, कर्मचारी कल्याण, वार्षिक पूर्वानुमान के साथ जनसंपर्क तथा कंपनी के लिए जनशक्ति के बजट के लिए वार्षिक वित्तीय बजट आवंटन पर प्रबंधन के साथ बोर्ड से सिफारिस करना ।

पारिश्रमिक से संबंधित :

a. सीआईएल एवं संबंधित मंत्रालय से प्राप्त निर्देशो के अनुसार पीआरपी का निर्णय करना ।

b. प्रोत्साहन योजनायें, यदि कोई प्रचालन में है, की समीक्षा करना तथा किसी बदलाव के लिए बोर्ड से सिफारिस करना ।

c. उत्पादान वृद्दि योजनायें, यदि कोई प्रचालन में है, की समीक्षा करना तथा किसी बदलाव के लिए बोर्ड से सिफारिस करना ।

कर्मचारी या बोर्ड स्तर के अधिकारियों को देय कोई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ के लिए समिती के विचार, निर्णय, अनुशंसा की आवश्यकता होगी ।

उपसमिति के संयोजन और बैठक का विवरण:

एचआरएमआर उपसमिति के सदशयों के निम्न प्रतिनिधियों के साथ इस वर्ष दिनांक 17.06.2015 को एक बार बैठक हुई।:

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए के तिवारी	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री जे पी सिंह	सदस्य	1	1
3.	श्री पी सी पाणीग्राही	सदस्य	1	1
4.	श्री के के परिड़ा	सदस्य	1	0
5.	श्री जे एस बिंद्रा	अध्यक्ष	0	0
6.	श्री एस एन प्रसाद	सदस्य	0	0
7.	डॉ.रजिब मॉल	सदस्य	0	0
8.	श्री एच एस पति	सदस्य	0	0

*** दिनांक 9 फरवरी,2016 को एचआरएमआर उपसमिति का पुनर्गठन किया गया तथा उसे नामांकन परिश्रमिक समिती नाम दिया गया तथा इस के नए सदस्यों का समिती में परिचय कराया गया ।**

vi) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर एंड आर नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष मे 12 बैठकें दिनांक 04.04.2015, 24.04.2015, 19.05.2015, 06.06.2015, 22.06.2015, 04.08.2015, 16.08.2015, 19.09.2015, 03.10.2015, 12.11.2015, 14.12.2015 और 20.02.2016, को हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री ए एन सहाय	अध्यक्ष	9	9
2	श्री ए.के. झा	अध्यक्ष	3	3
3	श्री ए के तिवारी	सदस्य	12	12
4	श्री जे पी सिंह	सदस्य	12	12
5	श्री पी सी पाणीग्राही	सदस्य	11	10

6	श्री के के परिड़ा	सदस्य	12	10
7	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	1	1

सांविधिक लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया :

संविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स पीएएमएस एंड एशोसिएट्स
अधिकृत लेखापाल
प्लॉट संख्या. 506ए, यूनिट-IX,
ओड़िशा -751022

साखा लेखा परीक्षक
मेसर्स एसआरबी एंड एशोसिएट्स
पाँचवां तल , आईडीसीओ टावर
जनपथ,भुवनेश्वर
ओड़िशा-751022

लेखा परीक्षा के प्रकार	पारिश्रमिक (में)	टिप्पणी
वर्ष 2015 -16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	8,82,812/- (प्रधान लेखा परीक्षकों के लिए .5,31,250 एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए 3,51,562 /-)	जेब खर्च (ओपीई) के लिए 2,82,500/- (प्रधान लेखा परीक्षकों के लिए 1,70,000/- एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए 1,12,500/-) के अलावा वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान एवं इस पर लागू सेवा कर ।
समेकन के लिए लेखापरीक्षा	62 ,500/-	ओपीई बाबत .20,000.00 एवं उस पर लागू सेवा-कर
कॉर्पोरेट साशन की शर्तो का अनुपालन	30,*000*	ओपीई बाब एवं उस पर लागू सेवा-कर सामील

अंशधारियों की सामान्य बैठकें :

गत तीन वर्षों में आयोजित अंशधारियों की सामान्य बैठकों का विवरण :

वार्षिक आम बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2012-13	17.05.2013	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2013-14	09.06.2014	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2014-15	08.07.2015	10.30 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	01

असाधारण सामान्य बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	25.03.2015	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला,संबलपुर	एक
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति : दिनांक 29 मार्च,2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में कंपनी के निर्देशक मण्डल ने निर्देशकों एवं वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है जिसे एमसीएल के वैबसाइट www.mahanadicoal.in. पर पोस्ट किया गया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (आईएफ़सी):

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों ने प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । सभी लेखा परीक्षकों मत है की सभी वस्तुओं के संदर्भ में एमसीएल ने (संचालन नियंत्रण सहित) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रस्तुत किया तथा एसे नियंत्रण उपयुक्त है एवं वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभावकारी रूपसे संचालित है । आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति तथा एमसीएल के बोर्ड मीटिंग में समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई है ।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है । आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सूचारु रूप से चल सके । एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है । कंपनी के अधिनियम 2013 के अनुभाग 134(3)(एन) का आवश्यकता अनुसार पालन करने हेतु प्रावधान किया गया है जिसके तहत समिति का पुनर्गठन एमसीएल बोर्ड जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) द्वारा दिनांक 09.02.2016 को किया गया था महाप्रबंधक (एस एंड आर) एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया गया था । एमसीएल के एक प्रतिनिधि आर एंड सी समन्वय तथा जोखिम प्रबंधन से संबन्धित मामलो का अनुपालन करेंगे ।

***व्हीसल ब्लोवर नीति* :**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड एजी सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा हेतु खुले हैं यद्दपि सील की व्हीसल ब्लोवर नीति के सामान्य आवेदन के बावजूद एमसीएल के लिए उसी के अपनाए जाने योग्य संकरण पर काम किया जा रहा है ।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की बैवसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा की योग्यताएं :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहता है कि वह अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के कंपनी के लेखा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रश्नों के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिये गये हैं । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी संलग्न की गई है ।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यक्षेत्र की आवश्यक विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यापार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यापार से संबंधित जोखिम से भी अवगत हैं ।

अंशकालीन निदेशकगण कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी तरह जानकार हैं। कार्पोरेट शासन पद्धतियों से सुपरिचित होने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों को उच्च संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीति बनाई गई है।

लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट शासन पर अनुपालन:

आपकी कंपनी से लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28.06.2011 के कार्यक्रम ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-वित्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया है तथा सीईओ द्वारा लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों कार्यान्वयन पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 के लिए कर्पोरेट शासन में 90.69 **%** वार्षिक स्कोर प्राप्त किया है जो उत्कृष्ट श्रेणी है।

अनुलग्नक -V

फॉर्म संख्या. एमजीटी-9

दिनांक 31.03.2016 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 92(I) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियमावाली 2014 की नियम 12(I) के तहत

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सीआईएन:- **U10102OR1992GOI003038**

ii) पंजीकरण तिथि : **3/4/1992**

iii) कंपनी का नाम : **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी: -
1 सार्वजनिक कंपनी
2 निजी कंपनी (√)

v) कंपनी के उप-केटेगरी:- [जो लागू है कृपया उस पर टिक लगाए

सरकारी कंपनी	(√)
लघु कंपनी	( )
एक व्यक्ति की कंपनी	( )
विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी	( )
एनबीएफ़सी	( )
गारंटी कंपनी	( )
शेयरों द्वारा सीमित/	(√)
असीमित कंपनी	( )
कंपनी शेयर पूंजी के साथ	(√)
कंपनी का शेयर पूंजी नहीं है	( )
धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी	( )

vi) पता **मो./डाकघर –जागृति विहार,बुर्ला**
शहर : **संबलपुर**
राज्य : **ओड़िशा**
देश का नाम : **भारत**
पिन कोड : **768020**
फ़ैक्स नाम : **0663-2542977**
ईमेल का पता : **cosecymcl@gmail.com**
वैबसाइट : **www. mcl.gov.in**

vii) क्या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सूचीबद्ध किया गया है- हॉ/ नहीं √

vii) पंजीकृत अथवा स्थानांतरण एजेंट के नाम,पता एवं संपर्क विवरण,यदि कोई है **शून्य**

II. कंपनी के मुख्य व्यवसाय गतिविधियों/

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक के योगदान की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण:-

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के विवरण	उत्पादों/सेवाओं के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री की प्रतिशतता
1	**कोयला**	**051-05101 एवं 051-05102**	**100**

III. धारक ,सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण-

क्र.सं.	**कंपनी का नाम और पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/ अनुषंगी/ सहयोगी**	**शेयर का %**	**लागू धारा**
1	कोल इंडिया लिमिटेड, 10,एनएस रोड,कोल भवन,कोलकाता-700001	N23109WB1973GOI028844	धारक	100	धारा - 2 (87)
2	एमएनएच शक्ति लिमिटेड पता- मो- आनंद विहार,पोस्ट-जागृति विहार, बुर्ला,संबलपुर-768020. ओड़िशा	U10100OR2008GOI010171	सहयोगी	70	धारा - 2 (87)
3	एमजेएसजे कोल लिमिटेड पता- हाउस नं-42,पहली मंजिल, हकीमपड़ा,अंगुल- 759153, ओड़िशा	U10200OR2008GOI010250	सहयोगी	60	Sec - 2 (87)
4	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पता- प्लॉट नं. जी-3,गड़काना ,चंद्रशेखरपुर,भुवनेश्वर – 751017,ओड़िशा	U40102OR2011GOI014589	सहयोगी	100	Sec - 2 (87)
5	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड पता- मेसर्स महानदीकोलफील्ड्स लिमिटेड,कार्पोरेटआफिस,एमसीएल मुख्यालय,एमडीएफ कक्ष मो./डाकघर- जागृति विहार,बुर्ला, संबलपुर - 738020.	U60100OR2015GOI019349	सहायक	64	Sec - 2 (87)
6	नीलाचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पता- जनपथ, भोईनगर भुवनेवर-751022 ओड़िशा	U40102OR2013PTC016434	सहयोगी	50	Sec - 2 (6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक अप)

i) श्रेणी के हिसाब से शेयरहोल्डिंग

शेयरहोल्डरों के श्रेणी	वर्ष के आरंभ में				वर्ष के अंत में				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
A. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) राज्य सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ) निकायों निगम	**0**	**1864009**	**1864009**	**100**	**0**	**1864009**	**1864009**	**100**	**0**
ङ) बैंकों/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) अन्य कोई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रोमोटरों के कुल शेयरहोल्डिंग (क)	**0**	**1864009**	**1864009**	**100**	**0**	**1864009**	**1864009**	**100**	**0**
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थाएं									
क) म्यूचुअल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) बैंको/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ)राज्य सरकार(एस)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) इन्शुरेंस कंपनियों	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
छ) एफआईआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ज) विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
झ) अन्य(विशेष)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग(ख)(1):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. गैर- संस्थानों									
क) निकायों निगम									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख से तक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख से अधिक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य(विशेष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग(ख)(2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरों के रख-रखाव (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर एवं एडीआर के पास शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (क+ख+ग)	0	1864009	1864009	100	0	1864009	1864009	100	0

ii) प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग

क्र. सं..	**शेयरहोल्डरों के नाम**	**वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डींग**			**वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग**			**वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन का %**
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	प्लेज्ड शेयरों का % / कुल शेयरों के लिए भारिता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	प्लेज्ड शेयरों का % / कुल शेयरों के लिए भारिता	
1	**कोल इंडिया लिमिटेड**	1864009	100	0	1864009	100	0	0

iii) प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन(यदि परिवर्तन न हुआ हो तो स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	वर्ष के प्रारंभ में				
	कोल इंडिया लिमिटेड	1864006	99.99	1864006	99.99
	श्री ए.एन. सहाय	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस.भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री बी.के. सक्सेना	1	0.00001	1	0.00001
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	0	0	0	0
	कोल इंडिया लिमिटेड	1864006	99.99	1864006	99.99
	श्री ए.एन. सहाय (श्री ए.के. झा को स्थानांतरित)	(1)	(0.00001)	(1)	(0.00001)
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस.भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री बी.के. सक्सेना (श्री एस.एन. प्रसाद को स्थानांतरित)	(1)	(0.00001)	(1)	(0.00001)
	श्री एस.एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001
3	वर्षान्त में (या अलग की तिथि से (यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	1864009	100	1864009	100
	कोल इंडिया लिमिटेड	1864006	99.99	1864006	99.99
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस.भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस.एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001

iv) शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न(जीडीआर एवं एडीआर से संबंधित निदेशकों,प्रोमोटर्स एवं होल्डर्स के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	0	0	0	0
3	वर्ष के अंत में	0	0	0	0

v) निदेशकों के शेयरहोल्डिंग एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
2	श्री ए.एन. सहाय	1	0.00001	1	0.00001
	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):				
	श्री ए.एन. सहाय	(1)	(0.00001)	(1)	(0.00001)
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
3	वर्ष के अंत में	1	0.00001	1	0.00001
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001

V. ऋणग्रस्तता :

कंपनी का ब्याज बकाया/ उपार्जन सहित ऋणग्रस्तता परंतु भुगतान के लिए देय नहीं:

	जमा रहित सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0.00	74000000.00	0.00	74000000.00
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	0.00	74000000.00	0.00	74000000.00
वित्त वर्ष में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	0.00	9100000.00	0.00	9100000.00
* घटाव	0.00	5400000.00	0.00	5400000.00
निवल परिवर्तन	0.00	3700000.00	0.00	3700000.00
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0.00	77700000.00	0.00	77700000.00
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	**0.00**	**77700000.00**	**0.00**	**77700000.00**

VI. निदेशकों एवं प्रबंधात्मक कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक::

क.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्लुटीडी/मैनेजर का नाम							कुल राशि
1	सकल वेतन	श्री ए.के.झा (सीएमडी)	श्री ए.एन. सहाय (सीएमडी) (31.10.15 तक)	श्री ए.के. तिवारी (डब्लुटीडी)	श्री जे पी सिंह, (डब्लुटीडी)	श्री पी.सी. पाणिग्राही (डब्लुटीडी) (31.1.16तक)	श्री के.के.परिडा (डब्लुटीडी)	श्री एल. एन.मिश्रा (डब्लुटीडी)	
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7,45,950	15,90,430	28,46,606	22,39,651	23,29,467	22,02,193	1,75,600	1,21,29899
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वीट इक्वीटी	0	0	0	0	0	0	0	0

4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य(निर्दिष्ट करें...	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अन्य,(निर्दिष्ट करें...	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (क)	7,45,950	15,90,430	28,46,606	22,39,651	23,29,467	22,02,193	1,75,600	1,21,29899
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री एच.एस.पति	डा. राजीव मल	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक			
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	75,000	60,000	1,35,000
	कमीशन	0	0	0
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	0	0	0
	कुल (1)	75,000	60,000	1,35,000
2	अन्य गैर- कार्यकारी निदेशकों	0	0	0
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	0
	कमीशन	0	0	0
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0
	कुल (ख)=(1+2)	75,000	60,000	1,35,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0	0	0
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	-	-	-

ग. ***एमडी / प्रबंधक / डब्लुटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मियों के पारिश्रमिक:***

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	*प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मी*	
		कंपनी सचिव	कुल
1	सकल वेतन	22,49,596	22,49,596
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22,49,596	22,49,596
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0	0
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0
3	स्वीट इक्वीटी	0	0
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य(निर्दिष्ट करें...	0	0
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0	0
	कुल	22,49,596	22,49,596

जुर्माना/ दंड/ अपराधों का समझौता :

प्रकार	**कंपनी के नियम अंतर्गत धारा**	**विस्तृत विवरण**	**जुर्माना / दंड / लगाए गए समझौता फीस का विवरण**	**अथोरीटि [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]**	**अपील,यदि हो, तो विवरण दें**
ग. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-VI

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क. औद्योगिक सरंचना एवं विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत

कोयला ऊर्जा की स्थिरता,प्रभावशाली एवं विश्वसनीय स्रोत है। विश्व के परिप्रेक्ष में सान 1950 से कोयले का वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए प्रयोग कम होता जा रहा है। विशेष कर पर्यावरण संरक्षण तथा तेल और गैस के रूप में सस्ते ईधनों के उपलब्धता। यद्यपि भारत में यह परिदृश्य पूरी तरह से अलग है। यहाँ ऊर्जा उत्पादन में कोयले की भूमिका सर्वाधिक है। क्योंकि कोयले की रिजर्वों की पर्याप्त सस्ते दामों में उपलब्धता,तथा देश के भीतर तेल के सीमित स्रोतों का होना।

कोल रिजर्व:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों में कोयला 97 प्रतिशत आता है। दिनांक 1.4.2015 तक 69 अलग-अलग कोलफ़ील्डों में 1200 मीटर के गहराई तक नेशनल कोल इनवेंटरी के अनुसार 306॥569 बीटी कोयले के भंडार उपलब्ध है,जिसका विवरण निम्न है।

क्रम संख्या	राज्य	कोयला प्रक्षेत्र के संख्या	कोयला रिजर्व(बीटी)	भारत में प्रतिशतता
1	झारखंड	12	81.049	26.44%
2	ओड़ीशा	2	275.709	24.72%
3	छतीसगढ़	13	54.912	17.91%
4	वेस्ट बंगाल	4	31.435	10.25%
5	मध्य प्रदेश	8	26.536	8.65%
6	टेलेंगना	1	21.211	6.92%
7	महाराष्ट्र	5	11.253	3.67%
8	उत्तर-पूर्व राज्य	21	1.598	0.52%
9	आंध्र प्रदेश	1	1.581	0.52%
10	उत्तर प्रदेश	1	1.062	0.35%
11	बिहार	1	0.160	0.50%
	कुल	**69**	**306.596**	**100.00%**

भारत में कोयला भंडार की स्थिति में ओड़िशा का स्थान झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दिनांक 1 अप्रेल 2015 को ओड़िशा का कुल अनुमानित कोयला भंडार 75.799 बीटी आता है जो सकल राष्ट्रीय कोयला भंडार का 24.72 प्रतिशत के लगभग है। ओड़िशा के दो कोयला प्रक्षेत्र, तालचेर एवं ईब वैली कोलफील्ड्स,एमसीएल के अधिकृत क्षेत्रों के अंदर आता है। भारत के कोल प्रक्षेत्रों में तालचेर सबसे बड़ा कोलफील्ड(50.969 बीटी) तथा ईब वैली तीसरे नंबर पर(24.831 बीटी) आता है। कोल भंडार 75.799 बीटी में से 30.747 बीटी(40.56%) कोल भंडार प्रामाणिक है। ओड़िशा के तालचेर तथा इब वैलि कोलफील्ड्स अधिकांश कोयले की गुणवत्ता थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोल के हैं। जो सहज खनन योग्य है। बढ़ती विकास दर को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी भारत तथा दक्षिण भारत के प्रस्तावित एक तापीय संयंत्र तथा मौजूद अन्य तापीय संयंत्रों में कोयले की खपत/मांग होती है।

<u>कोयले की मांग</u>:

12वीं योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में सीजीएआर(कम्पौंडेड एनुयालाइज्ड ग्रोथ रेट) 7.09 के आधार पर कोयला एवं लिग्नाइट के वर्किंग ग्रुप ने 12वीं योजना के लिए कोयले की मांग 980.50 एमटी आकलन किया है:

सेक्टर	**2016-17**
स्टील(कोकिंग)	67.20
पावर(यू)	682.08
पावर(कैपटिव)	56.36
सीमेंट	47.31
स्टील डीआरआई	50.33
अन्य	77.22
कुल नॉन-कोकिंग	913.30
कुल	**980.50**

<u>कोयले का ऑफ-टेक एवं डिस्पेच/प्रेषण :</u>

सन 2016-17 के कोल इंडिया के ऑफ-टेक प्रोग्राम 598.60 एमटी में से एमसीएल की भागीदारी 167.00 एमटी(27.90) प्रतिशत आती है।

11वीं योजना तथा 12वीं योजना के प्रथम,द्वितीय,तृतीय और चतुर्थ वर्ष के सेक्टर-वाइज़ वास्तविक कोयले का ऑफ-टेक प्लान एवं 12वीं योजना के 5वें साल के प्रक्षेपित एमसीएल की आंकड़े।

	11वीं योजना					**12वीं योजना**				
	2007-08 वास्तविक	**2008-09 वास्तविक**	**2009-10 वास्तविक**	**2010-11 वास्तविक**	**2011-12 वास्तविक**	**2012-13 वास्तविक**	**2013-14 वास्तविक**	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 वास्तविक**	**2016-17 बीई**
पावर	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	91.173	145.47
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.24	0.26
फर्टिलाइजर	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.004	0.06
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	48.797	21.21
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.342	123.001	140.214	167.00

11वीं योजना तथा 12वीं योजना के प्रथम,द्वितीय,तृतीय और चतुर्थ वर्ष के मोड-वाइज़ वास्तविक कोयले का ऑफ-टेक प्लान एवं 12वीं योजना के 5वें साल के प्रक्षेपित एमसीएल की आंकड़े।

	11वीं योजना					12वीं योजना				
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बीई
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	81.260	89.079	122.51
रोड	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	34.515	20.52
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	15.231	22.10
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.389	1.87
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	123.001	140.214	167.00

कोयले की उपलब्धता:-

12वीं योजना के प्रथम,द्वितीय,तृतीय और चतुर्थ वर्ष,**2012-13,2013-14,2014-15** में कोयले के वास्तविक उत्पादन तथा 12वीं योजना के पांचवे साल के दौरान एमसीएल की कर्मचारी खदानों,पूर्ण परियोजना तथा चालित खदानों के आधार पर प्रक्षेपित आंकड़े निम्न है। :-

							(आंकड़े मिलियन टन में)		
	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बीई
पुरानी खदानें	**1.32**	**1.35**	**1.32**	**1.333**	**0.967**	**0.778**	**1.127**	**0.981**	**0.88**
पूर्ण परियोजनाएं	**64.85**	**71.19**	**73.27**	**66.645**	**67.344**	**59.988**	**70.906**	**76.220**	**91.37**
चालू एवं नई परियोजनाएं	**30.17**	**31.54**	**25.69**	**35.140**	**39.584**	**49.674**	**49.346**	**60.70**	**74.75**
कुल	**96.34**	**104.08**	**100.28**	**103.118**	**107.895**	**110.440**	**121.379**	**137.901**	**167.00**

उत्पादकता:

एमसीएल के कोयले का अधिकतर उत्पादन खुली खदानों में संविदकरों के द्वारा होता है तथा ओवर बर्डन करना का कार्य डिपार्टमेंटल होता है। कुछ परियोजनाओं में ओवरबर्डन हटाने के लिए भी आउटसोर्सिंग किया जाता है। एमसीएल की आउटपुट पर मेनशिफ़्ट निम्न प्रकार है।

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बीई
भूमिगत	**1.25**	**1.29**	**1.25**	**1.24**	**0.97**	**0.84**	**0.77**	**24.24**	**0.55**
खुली खदान	**23.05**	**18.89**	**20.50**	**20.38**	**21.34**	**22.16**	**22.11**	**0.67**	**29.46**
समग्र	**16.59**	**14.66**	**15.37**	**15.36**	**16.07**	**16.69**	**17.10**	**18.88**	**22.40**

ख. अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर:

- बिजली उत्पादन के लिए खास कर देश में कोयले की उच्च मांग
- एमसीएल के कोल खदान की उच्च प्रवणता
- उत्तर भारत के तापीय सयंत्रों का एमसीएल से जुड़ना

- ग्राहकों,रेलवे एवं शीपर्स वालों से लंबी अवधि के अनुबंध तथा गहन बाजार रणनीति का क्रियान्वयन
- वाशरी व्यवस्थापन
- बिजली उत्पादन की तरफ मुड़ना
- कोल गैसीफिकेशन तथा सीटीसी(कोल टु लिक्विड)अर्थात तेल बनाने के लिए सह-उपक्रमों की स्थापना।

चुनौतियाँ:

- खुली खदानों से कोयला निकालने के लिए ज्यादा भूमि की आवश्यकता
- भूमि अधिग्रहण और उसके फल स्वरूप सामाजिक विस्थापन
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबन्धित मुद्दे
- खुली खदानों द्वारा वातावरण,प्रदूषण की संभावना
- कोयला परिवहन के लिए मालगाड़ियों का अभाव
- बड़े-बड़े ग्राहकों का कोयला प्रक्षेत्र से दूर होने के कारण रेलवे के भाड़े में बढ़ोतरी की वजह से ज्यादा कीमत लगाना
- उपकूल/तटीय तापीय विद्युत सयंत्र के लिए आयातित कोल का प्रयोग का विकल्प
- केपटिव माइनिंग- एमसीएल के ग्राहकों,कुछ केंद्रीय एवं सरकारी उपक्रमों को बिजली उत्पादन तथा बाजार में कोयला बेचने के लिए(राज्य सरकारी कंपनियों के लिए)कोल ब्लाकों का आवंटन।

ग. **कार्य-निष्पादन :** मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

घ. **दृष्टिकोण**

सदस्यों को इस बात की अवश्य जानकारी होगी कि वर्तमान में एमसीएल में 34 परियोजनाएं, जिनकी रेटेड केपेसिटी 98.08एमटी (निःशेष खदानों की क्षमता को लेते हुए),के 34 पूर्ण परियोजनाएं काम कर रही हैं। जिनमें दो परियोजना(रेटेड केपेसिटी 1.6एमटी वाली) ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान खत्म हो चुकी है। मार्च 2016 तक 17 परियोजनाओं पर कार्यान्वयन हो रहा हैं। जिनकी रेटेड केपेसिटी 126.33 एमटी होगी।

ईब वैली कोलफील्ड्स की बसुंधरा क्षेत्र में (जिससे गोपालपुर ट्रेवर के नाम से जाना जाता है) में काफी क्षमता है लेकिन कोयला स्थानांतरित करने की व्यवस्था एकमात्र समस्या है। आपकी कंपनी ने बसुंधरा क्षेत्र से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक रु.1044.47 करोड़ का पूँजीगत निवेश कर 52 किमी लंबी रेलवे लाईन तैयार करने की योजना बनायी है एवं अनुमोदित किया गया है। एमसीएल और साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ भूमि अधिग्रहण एवं रेल लाइन बिछने के लिए दो ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अब यह परियोजना वनभूमि के अधिग्रहण में बिलंब के कारण एफ़आरए-2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा ईब-नदी पर बन रहे बड़े पूल के निर्माणाधीन होने के कारण लंबित है।

इसी तरह तालचेर कोलफील्ड्स में कलिंग-अनगुल लिंक रेलवे लाइन निर्माणाधीन है। जब यह कार्य एक बार पूरा हो जाएगा तो अनुगुल की तरफ से खाली रेल रैकों का मूवमेंट एक दिशा में होगा तथा तालचेर की तरफ से लोडेड रैक भेजी जाएगी। इस प्रकार तालचेर कोयलांचल में रैक मूवमेंट की क्षमता द्विगुणित हो जाएगी।

ङ. जोखिम एवं चिंता:

खनन गतिविधियां क्षेत्र विशेष होती है क्योंकि किसी भी खदान का स्थान नहीं बदला जा सकता। इस संदर्भ में निम्न खतरे जुड़े हुए हैं।

- वन एवं पर्यावरण से क्लियरेंस मिलने में विलंब।
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उच्च लागत।
- नियम के विरूद्ध रोजगार देने की मांग को लेकर बारंबार कानूनी समस्याओं के पैदा होने के साथ-साथ खनन एवं कोल परिवहन संक्रियाओं में अवरोध पैदा हो रहे हैं।
- एचईएमएम तथा अन्य विद्युत तथा यांत्रिकी सामग्रियों को खरीदने में दीर्घ अवधि ।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता :

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

छ. संक्रियाओं की दक्षता के सापेक्ष वित्तीय दक्षता पर चर्चा:

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

ज. मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंधों (नियोजित) व्यक्तियों के संख्या को लेकर) सामग्री संबंधी विकास:

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

झ. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण,तकनीकी संरक्षण,गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास,विदेशी मुद्रा संरक्षण:

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

ञ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है।

अनुलग्नक-VII

31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम,2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत दिए गए लेखांकन मानक के अनुसार देने के लिए उत्तरदायी हैं । उनके दिनांक 14.06.2016 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के अंतर्गत महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है।

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.06.2016

अनुलग्नक -VIII

समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन: 2015-16 फार्स मेजर सहित

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
	1		**स्थिर/वित्तीय मानक**	रु. करोड़ में	10	12245.85	12127.24	11520.88	10944.83	10397.59	12752.97	5	50
	(i)		**वृद्धि/ आकार / गतिविधि (दो)**	%	10	0.4224	0.4222	0.4011	0.3810	0.3620	0.4814	5	50
		(क)	बिक्री कारोबार(कुल बिक्री)										
		(ख)	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन दर	अनुपात	5	0.5670	0.5648	0.5366	0.5097	0.4842	0.9689	5	25
	(ii)		**लाभप्रदता**		7	1.3446	1.3386	1.2717	1.2081	1.1477	2.0074	5	35
		(क)	पीएटी / निवल मूल्य	अनुपात									
		(ख)	ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	अनुपात	10	3.4576	3.4241	3.2529	3.0903	2.9357	3.9209	5	50
	(iii)		**लागत और उत्पादन में दक्षता**										
		(क)	बिक्री टर्नओवर/ नेट ब्लॉक	अनुपात	8	12.27	12.36	12.98	13.63	14.31	9.7438	5	40
	(iv)		नकदी/लाभ		**50.0**								**250.0**
		(क)	ऋण कारोबार आंकड़ा(दिनों की संख्या)(औसत वसूली अवधि)										
			उप योग										

जारी.....

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
2	**गतिशील/गैर वित्तीय मानक**												
	(i)	**I**	**विकास की पहल**		**13**								
		क	भूमि अधिग्रहण	एचए	8								
		ii)	सीबीए की धारा 7(1) के तहत अधिसूचना	एचए	2	800.00	760.00	722.00	685.90	651.61	नीलांचल कोयला खनन ब्लाक ,गोपालजी खुली खदान परियेाजना,कनिहा में एसओ-2828(ई) दिनांक 7.10.2015 कनिहा 1141.477एचए।	5	10
		iii)	सीबीए की धारा 9(1) के तहत अधिसूचना	एचए	2	300.00	285.00	270.75	257.21	244.35	गोपाल प्रसाद,बलराम विस्तारित ओसीपी) में एसओ-1261(ई) दिनांक 29.3.2016 के लिंए 340.429 एचए।	5	10
		iii)	भूमि पर कब्जा	एचए	4	271.00	257.45	244.58	232.35	220.73		5	20
		ख	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन एवं सूत्रीकरण	माह	**5**								
		ख1	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन एवं सूत्रीकरण(गोपालजी-कनिहा ओसीपी विस्तार 30एमटीवाई)	माह	3	15.12.2015	31.12.2015	15.01.2016	31.01.2016	15.02.2016	30एमटीवाई गोपालजी-कनिहा विस्तावित ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट 31.07.2015 को अनुमोदित।	5	15
		ख2	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन एवं सूत्रीकरण(20एमटीवाई के भरतपुर ओसीपी का पुनर्गठन)	माह	2	31.12. 2015	1.01.2016	31.01. 2016	15.02.2016	29.02.2016	हासिल नहीं हुआ	1	2.0

जारी.....

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
	(ii)	**II**	**परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन**		**9**								**57.00**
		a	परियोजना का प्रवर्तन/समापन	माह	6								
		a1	पुनर्गठित जगन्नाथ ओसीपी को प्रर्वतन में लाना (उत्पादन का प्रारंभ)	माह	3	15.01. 2016	31.01.2016	15.02.2016	28.02.2016	15.03.2016	पुनर्गठित जगन्नाथ ओसीपी, वर्तमान जगन्नाथ ओसीपी का विस्तारित रूप है तथा वर्तमान कार्यरत क्षेत्रों से पुनर्गठित जगन्नाथ क्षेत्र में प्रविष्टियां की जाएगी जब मौजूदा ओसीपी की संपत्ति समाप्त हो जाएगी तभी परियोजना को चालू किया जा सकेगा। कोयला सचिव के साथ ओड़िशा सरकार के मुख्य सचिव से हुई चर्चा में एमसीएल द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद वर्ष 2015-16 में मौजूदा जगन्नाथ ओसीपी के 9.75 एचए वनभूमि को सौपने का कार्य नहीं किया जा सका। वर्तमान कार्य के पूरा न होने में देरी का यही कारण है, इसलिए वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित जगन्नाथ ओसीपी का प्रवर्तन (उत्पादन प्रारंभ) नहीं हो पाया है।	5	15.0

Contd…

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
		क2	बेलपहाड़ ओसी परियोजना का पूर्ण होना	माह	3	15.12. 2015	31.12. 2015	15.01.2016	31.01.2016	15.02.2016	बेलपहाड ओसी परियोजन नवंबर 2015 को पूर्ण हुई	5	15.0
		ख	एचईएमएम (डंपर, फ्रंट इंड लोडर, डोजर आदि) की खरीद के लिए आदेश(एवार्ड)	एचईएमएम की संख्या	1	8	7	6	5	4	मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड को 25 डंपर की खरीद के लिए आदेश (एवार्ड),एसओ सं.08 दि.25.05.2015 देखिए)। मेसर्स कोमात्सु लिमिटेड को एम 400 एचपी डोजर की खरीद हेतु एसओ सं.24 दि. 22.07.2015 देखिए)। 03 हिताची फ्रंट इंड व्हील लोडर जिसमें बकेट क्षमता 2.5 क्यूबिक मी. से कम न हो, हेतु एस.ओ सं.31 दि.12.08.2015 देखिए। 02 क्रॉलर, हाइड्रोलिक, खुदाई मशीन की खरीद हेतु एस.ओ सं.70 दि.11.01.2016 जारी किया गया है।	5	5.0

जारी.....

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
		ग	वर्ष 2016-17 में सरफेस माइनर(एचईएमएम) की खरीद/ डेलिवरी देने संबंधी आईटी को अंतिम रूप दिए जाना /तैयार किया जाना।	माह	1	30.09.2015	30.10.2015	30.11.2015	15.12.2015	31.12.2015	न्वंबर, 2015 में एनआईटी तैयार किया गया	3	3.0
		घ	सीएपीईएक्स	करोड़	1	800.00	760.00	722.00	685.90	651.61	वर्ष2015-16 के लिए पूँजीगत व्यय 668.82 करोड़ है। बसुंधरा क्षेत्र में रेल परियोजना पर किए गए व्यय पर विचार नहीं किया गया है। बसुंधरा क्षेत्र में रेल परियोजना हेतु अग्रिम भुगतान की गई राशि रु.701.00 करोड़ घटाव सीसीडीए सब्सीडी- रु.167.00 करोड़, वर्ष 2015-16 के दौरान बसुंधरा क्षेत्र में रेल परियोजना के तहत पूँजीगत व्यय (रु.701.00-167.00 करोड़)= रु.534.00 करोड़। अत: संशोधित पूँजीगत व्यय एमओयू- 2015-16 पर विचार करने के उपरांत रु.668.82 करोड़ +.534.00 करोड़ = रु.1202.82 करोड़।	5.00	5.00

जारी...

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
	(iii)	**III**	**उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रियाएं**		**12**								**43.0**
		क	ड्रैगलाइन का उपयोग *	%	1	75.00	73.00	71.00	69.00	67.00	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक ड्रैगलाइन का उपयोग 27 %।	1	1.0
		ख	सॉवेल का उपयोग *	%	1	60.00	58.00	56.00	54.00	52.00	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक शॉवेल का उपयोग 34 %।	1	1.0
		ग	डंपर का उपयोग *	%	1	52.00	50.00	48.00	46.00	44.00	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक डंपर का उपयोग 26 %.	1	1.0
		घ	डोजर का उपयोग *	%	1	47.00	45.00	43.00	41.00	39.00	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक डोजर का उपयोग 26 %।	1	1.0
		ङ	ड्रील का उपयोग *	%	1	42.00	40.00	38.00	36.00	34.00	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक ड्रील का उपयोग 20 %.	1	1.0
		च	प्रणाली क्षमता का उपयोग	%	1	70.54	69.13	65.67	62.39	59.27	अप्रैल,2015 से मार्च, 2016 तक प्रणाली क्षमता का उपयोग 76.8 % ।	5.00	5.0

जारी.....

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
		छ	विशेष डीजल खपत के तहत भरतपुर खनन में एक अध्ययन की सिफारिश को कार्यान्वित किया जाना है।	लीटर/क्युबिक मीटर	1	0.950	0.96	1.01	1.06	1.11	1.071	1.76	1.76
		ज	विशेष बिजली खपत के बेंचमार्क के तहत 02 खानों का अध्ययन	माह	1	15.11.2015	30.11.2015	15.12.2015	31.12.2015	15.01.2016	विशेष बिजली खपत के बेंचमार्क का कार्यादेश सीएमपीडीआईएल,रांची को तालचेर क्षेत्र में भूमिगत तालचेर खनन तथा ओरियेंट क्षेत्र में ओरियेंट माईन नं.2 से संबंधित कार्य संदर्भ क्रमांक 976, दि.24.09.2015 के तहत दिया गया।	5	5.0
		झ	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के तहत मानव उत्पादकता का अध्ययन।	माह	1	15.11.2015	30.11.2015	15.12.2015	31.12.2015	15.01.2016	मानव उत्पादकता कार्य 30.11.2015 को पूरा हुआ।	4	4.0
		ञ्	सहायक स्तर पर वित्तीय परिदृश्यों में सुधार करने हेतु लागत नियंत्रण इकाई की स्थापना की गई।	माह	1	15.07.2015	31.07.2015	14.08.2015	3.08.2015	15.09.2015	लागत नियंत्रक इकाई पहले से एमसीएल में स्थापित थी जो कि कार्यालय आदेश सं. एम.सी.एल / एचक्यु / संबलपुर/ महाप्रबंधक(कॉर्पोरेट परियोजना एवं योजना) /15/ 567 (ए) दि. 15/07/2015 देखें।	5	5.0
		ट	मानव उत्पादकता (उत्पादन/ मैनशिफ्ट) (एमसीएल के 150 लाख टन के समग्र उत्पादन के अनुरूप)	टन/ मैनशिफ्ट	2	17.86	16.97	16.12	15.31	14.55	18.88	5.00	10.0

जारी.....

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
	(iv)	IV	प्रौद्योगिकी,गुणवत्ता अभिनव कार्य		4								35.76
		क	फायरबॉल आधारित अभिगम नियंत्रण तंत्र	माह	1	15.12.2015	31.12.2015	15.01.2016	01.02.16	15.02.2016	फायरबॉल आधारित अभिगम नियंत्रण तंत्र दि. 30.11.2015 को स्थापित किया गया है।	5	5.00
		ख	सुरक्षा प्रबंधन										
		ग	पिछले वर्ष की तुलना में गंभीर चोट में प्रति निमियन टन की दर में आई कमी	कमी का %	1	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में कोयला उत्पादन में गंभीर चोटों की दर प्रति मिलियन टन 0.82 दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान कोयला उत्पादन में गंभीर चोटों की दर में प्रति मिलियन टन 0.29 है जो गंभीर चोटों की दर में 64.63 % की कमी को दर्शाता है।	5	5.00
		घ	अनुबंधित या स्वामित्व वाली सभी तैनात ट्रकों के प्रेषण के लिए जीपीएस आधारित ट्रक प्रेषण प्रणाली।	%	1	100%	95%	90%	85%	80%	कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन के लिए तैनात सभी ट्रक और टिपर,जीपीएस यूनिट के साथ लगे है।	5	5.00
		ङ	रेल द्वारा विद्युत क्षेत्र को साइज्ड कोयले का प्रेषण	(%)	1	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	साइज्ड कोल का प्रेषण 100% हुआ।	5	5.00

Contd…..

मूल्यांकन मानक				ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,15 से मार्च,16 तक)	श्रेणी	अंक
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						5	4	3	2	1			
	(v)	**V**	**मानव संसाधन प्रबंधन**		**3**								**20.0**
		a	प्रशिक्षण तथा जोखिम प्रबंधन	नहीं	1	10	9	8	7	6	14	5	5.00
		b	प्रत्येक कर्मचारी के लिए 5 दिनों की कौशल विकास कार्यक्रम	कार्मिकों का %	1	35%	33%	30%	27%	24%	43%	5	5.00
		c	कर्मचारियों के लिए सांस की बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य परिक्षण	कार्मिकों का %	1	33%	30%	27%	24%	21%	वर्ष 2015-16 के दौरान कार्मिकों के सांस संबंधी बीमारियों का 51 % स्वास्थ्य परिक्षण .	5	5.00
	(vi)	**VI**	**क्षेत्र / उद्यम विशेष मापदंड**		**9**								**15.0**
		a	ऑफ-टेक	मि.टन	3	133.85	132.85	126.21	119.90	113.90	140.219	5	15.00
		b	कुल कोयला उत्पादन	मि.टन	6	133.63	132.63	126.00	119.70	113.71	137.901	5.00	30.00
													45.00
				उप-जोड़	**50**								**215.76**
				कुल	**100**								**465.76**
		* यदि सीएमपीडीआई द्वारा नए नियम जारी किए जाते हैं तो लक्ष्य बदल जाएगा और सीएमपीडीआई द्वारा तय किए गए नियम अन्य सभी श्रेणियों में 2% अंतर के साथ बीजी(व्हीजी) लक्ष्य का रूप लेंगे।										**93.15**

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवामें

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 26 मई**,2016** के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अधिक्रमण है और इसे संशोधित कर स्टंडएलोन वित्तीय विविरण के स्थान पर वित्तीय विविरण के रूप में एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-द्वितीय**,** कोलकाता के प्रधान निदेशक के कार्यालय के दिनांक 09.06.2016 के पत्र संख्या 02/पीडीसीए/ए/सीएस/ एमसीएल/पीएच-**III/2016-16** दिनांक 09.06.2016 के तहत दर्ज किया जाता है ।

1. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:**

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विविरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2016 समाप्त वर्ष तक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सुचनाओं का सारांश शामिल है। इस वित्तीय विवरणी में छः खनन क्षेत्रों एवं एक केन्द्रीय कर्मशाला से संबंधित आंकड़े शामिल है ।

2. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व**

कंपनी अधिनियम 2013 (एतद द्वारा अनुशंसित "अधिनियम") की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 134(5) , जिसे कंपनीज, एकाउंट्स) रूल्स 2014 के साथ पढ़ी जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजहसे होने वाली गलत विवरण से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों ।

3. **लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है । लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है । हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी गलत विवरण के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं । लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और

प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त, निम्नानुसार अन्य विषय-वस्तु के उप-अनुच्छेद (ए) में दर्ज, लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. **मत**

परिशिष्टों में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट के बशर्ते, हम रिपोर्ट करते है किः-:

(क) हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों (टिप्पणी संख्या 33) और लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 34) के साथ पठित कथित लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा वांछित भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सत्य और सही जानकारी देते हैः

i. कंपनी के कार्यों के बारे में 31 मार्च, 2016 के तुलनपत्र के मामले में

ii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण के मामले मे और

iii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नगदी प्रवाह के नगदी प्रवाह विवरण के मामले में.

हमने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

(क) ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

(ग) अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु प्रबंधन का तकनीकी या अन्य मूल्यांकन/अनुमान करना

5. . अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. क . भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('दी आर्डर') में यथावांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

ख . कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंता एवं महालेखापाल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत निर्देश पर कार्यवाई की गई तथा कंपनी लेखा तथा स्टांडलोंन

वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव को हमारे रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख(i) और अनुलग्नक-ख(ii) पर संलग्न है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उक्त स्टांडालोन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है] ।

ग. तालचेर कोलफील्ड के छह क्षेत्र और एक केंद्रीय कर्मशाला पर धारा 143 द्वारा यथा वांछित, कंपनी के लेखापरीक्षक के इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित रिर्पोर्ट धारा 143 की उप-धारा 8 के तहत हमें भेजी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में यथावश्यक संज्ञान लिया है।

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं और उन शाखाओं से प्राप्त स्टांडालोन लेखापरीक्षित विवरणियां जिनका हमनें दौरा नहीं किया है।

ङ. हमारे मत में, इस रिपोर्ट के साथ संव्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी और नगद प्रवाह विवरणी, कंपनी अधिनियम की धारा 133,के साथ रूल्स 7 में जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) रूल्स,2014 के साथ पढ़ी जाए, के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मामलों का अनुपालन करती है।

च. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

छ. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31 मार्च,2016 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च,2016 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है, जो कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ज. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा तथा तत्संबंधी अन्य विषयवस्तु के रखरखाव से संबंधित कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है ।

झ. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और इस तरह के नियंत्रण का ऑपरेटिंग प्रभाव है ।

ञ. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2004 के नियम 11 के अनुसार शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-

i) स्टंडलोंन वित्तीय विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों को जाहिर किया गया है - वित्तीय विवरणियों का नोट-34 देखें ।

ii) लागू कानून या लेखा मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान किया गया है - चूंकि यह कंपनी से संबंधित है, ऐसे मदों से संबंधित स्टंडलोंन वित्तीय विवरणियों का अतिरिक्त नोट-34 देखें ।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं हैं जिसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था ।

वास्ते, पाम्स एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
संस्था पंजीयन क्र. 316079ई

.

-हस्ता-
(सीए .सत्यजित मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता क्र. 057293
स्थल-भुवनेश्वर
दिनांक 20.05.2016

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य को प्रस्तुत वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों के उसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद (5.1) से संदर्भित अनुलग्नक:

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें सूचना दी गई है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जॉच की गई है। उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत इन जॉचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।

(ग) कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्लीयर टाइटल/लीज डीड है तो भी कंपनी के कब्जे में आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि है कंपनी ने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके पक्ष में भूमि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया है

(ii) (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जॉच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है। वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टॉक के वास्तविक जाँच से उत्पन्न अंतर को लेखा की पुस्तक निपटाया गया है ।

(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

रिकार्ड की परीक्षा के आधार पर हमें पता चला है कि कंपनी ने धारक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को ब्याज सहित एवं ब्याज रहित दोनों तरह का अल्प अवधि का ऋण। और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड,एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनी है ।

(क) रिकार्ड की परीक्षा एवं उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते है कि इस तरह के दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्तें कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

(ख) रिकार्ड का परीक्षा के आधार पर हमने पाया कि पूंजी का पुनर्गठन तथा ब्याज के भुगतान की अनुसूची को कोल इंडिया जो जो धारक कंपनी है, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनी है । पूंजी राशि तथा ब्याज की प्राप्ति जिसे कोल इंडिया,धारक कंपनी को लघु शर्त पर नियमित रूप से दी जाती है तथा महानदी बेसिन पावर लिमिटेड,एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अंशदायी कंपनियों को लघु शर्त पर नहीं दी जाती है।

(ग) हमारे विचार से उपलब्ध करायी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण से पुनर्भुगतान के रूप में कोई बकाया नहीं है।

(iv) जो सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 तथा 186 के प्रावधान के अनुसार कर्ज,निवेश तथा गारंटी से संबंधित तथ्यों को संकलित किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

(vii) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं ,को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2016 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है

	कुल राशि (करोड़ में)	फोरम का नाम जहॉ विवाद लंबित है
विक्रय कर, वैट	104.86	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
आय कर	1831.49	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	113.24	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट

उपरोक्त राशि के अलावा विरोध सहित विक्रय कर के रूप में रु. 43.60 करोड़ जमा किया गया तथा विरोध सहित आयकर के रूप में रु.1,161.57 करोड़ जमा किया गया एवं विरोध सहित रु.2.86 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जमा किया गया।

(viii) हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि कंपनी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के बकाया के पुन: भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने डिवेंचर जारी नहीं की है।

(ix) हमे डिगाई सूचना एवं स्पष्टी करण के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या फरदर पब्लिक ऑफर (डैब्ट इन्स्ट्रूमेंट सहित) आवोधिक ऋण नहीं ली है अतः आदेश के खण्ड 3(XI) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(x) इस वर्ष के दौरान कंपनी के बही तथा रिकार्ड की जांच के क्रम में भारत में स्वीकार्य अंकेक्षण प्रक्रिया तथा इस तारतम्य में हमारे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा व कंपनी पर न तो कोई जालसाजी की घटना प्रकाश में आयी न तो किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई मामला इस वर्षावधि के दौरान आया और न तो इस तरह की घटनाएं व्यवस्थापन की नजर के सामने लाया गया।

(xi) कंपनी के रिकार्ड तथा सूचना एवं स्पष्टीकरण जो हमें उपलब्ध करायी गयी है,उसके अनुसार व्यवस्थापन ने जो मेहनताना का भुगतान तथा व्यवस्था किया है,वह कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद,197 अनुसूची-5 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य वांछित संस्तुति प्रापत कर ली गई थी।

(xii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है,अत: आदेश के खण्ड 3(xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) राज्य नियंत्रण उद्यम को दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य नियंत्रण उद्यम के साथ संबंधित पार्टी रिश्ता एवं वहाँ अन्य संबंधित उद्यम और पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा रहा है, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण कों लेखा मानक (एएस-18) के अंतर्गत एसे किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नाही किया । जैसा की कंपनी आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नही किया, कंपनी अधिनियम,2013 धारा 42 के आवश्यकता अनुसार जिस उद्देश्य के लिए फंड बढ़ाया गया उसमें इस्तेमाल राशि के अनुपालन, जो लागू नहीं है ।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है । जैसा की कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, कंपनी अधिनियम,2013 के धारा 192 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन लागू नहीं है

(xvi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

वास्ते, पाम्स एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
संस्था पंजीयन क्र. 316079ई

.

-हस्ता-
(सीए .सत्यजित मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता क्र. 057293
स्थल-भुवनेश्वर
दिनांक 14.06.2016

कंपनी : महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक – **'ख(i)'**

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

वितीय वर्ष **2015-16**

कंपनी अधिनियम,**2013** की धारा 143(5) तहत (सी तथा एजी कार्यालय द्वारा अनुवर्ती प्रतिवेदन हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया जो की वर्ष 2015-16 के खातों में लागू किया गया ।

क्रम.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड तथा लीज़ होल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है ? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का विवरण दे, जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है ।	कंपनी ने फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि हेतु टाइटल/लीजहोल्ड को निष्पादित कर दिया है / फिरभी कंपनी ने आनंद विहार तथा जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने इसके लिए प्रीमियम जमा किया तथा इस भूमि को अपने पाक्स में स्वीकार करने के लिए आवेदन जमा किया ।
2.	उधर ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करना/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है यदि हाँ टो इसका कारण एवं संलग्न राशि बतायें ।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान कोई उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करने का मामला नहीं है ।
3.	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमे थर्ड पार्टी के इनवेंटरी तथा सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपति हो	आवश्यता के अनुसार सामान्य रिकार्ड को रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी सहित इनवेंटरी दर्ज होता है प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई उपहार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है ।

कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड अनुलग्नक – 'ख**(ii)**'
जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर

वित्तीय वर्ष **2015-16**

वर्ष 2015-16 में कोल इंडिया एवं उसकी सहायकों के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, के कंपनी अधिनियम,**2013** की धारा 143(5) के अंतगर्त सी एंड एजी कार्यालय द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्रम.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1)	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडार का माप किया गया था । सभी मामलों में वास्तविक भंडार रिपोर्ट, समोच्च मानचित्र सहित था ? कोयले की नई ढेर लगायि गयी है यदि हाँ तो इनके लिए क्या सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है ।	हाँ समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडार का माप किया गया था एवं सभी मामलों में शारीरिक भंडार माप रिपोर्ट,समोच्च मानचित्र सहित था । हाँ वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नई ढ़ेर बनाई गई थी।
2)	क्षेत्र के पुनर्गठन/विभाजन/विलय के समय क्या संपत्तियों एवं गुणों का कंपनी द्वारा भौतिक स्त्यापन किया गया था ? यदि हाँ तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था ।	तिमाही आधार पर स्वतंत्र फार्म के चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा संपत्तियों एवं गुणों का वास्तविक सत्यापन किया गया था ।
3)	वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाकंन के प्रस्तुतीकरण के दौरान क्या एक समान रूप से भूमि अधिग्रहण प्रविष्टियाँ सहित सहायक कंपनियों भर से प्रभावित लोगों को भूमि के मुआवजें की देरी की वजह से भुगतान पर ब्याज पर विचार किया गया ।	हॉ, वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाकंन के प्रस्तुतीकरण के दौरन क्या एक समान रूप से भूमि अधिकरण प्रविष्टियों सहित सहायक कंपनियों भर से प्रभावित लोगों को भूमि के मुआवजे की देरी की वजह से भुगतान पर ब्याज पर विचार किया गया ।
4)	विवादों, यदि कोई हो, क्या जीसीवी के पहूँच के परिणामस्वरूप विधिवत जांच की गई ?	एफ़एसए की निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता एकत्र कोयला नमुना का विश्लेषण परिणाम प्रस्तुत करता है और जो एमसीएल द्वरा स्वीकार्य नही हैं , तो परिणाम का विरोध किया जाएगा और रेफरी पार्ट सरकार के स्वतंत्र कोयला विश्लेषण के प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा प्राप्त परिणाम विक्रेता एवं खरीदार दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

फोरम एओसी -1

(प्रारंभिक प्रावधान के अनुवर्ती कार्रवाई हेतु धारा 129 की उपधारा 3 के तहत नियम 5 के साथ कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 को भी पढ़ा जाये)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विविरण की मुख्य विशेषताओं का विविरण

खंड "क" : अनुषंगी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	ब्यौरा	अनुषंगी कंपनियों का नाम			
		एमजेएस जे लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	एमबीपीएल लिमिटेड	एमसीआरएल
1	प्रतिवेदन अवधि	01.04.15 to 31.03.16	01.04.15 to 31.03.16	01.04.15 to 31.03.16	01.04.15 to 31.03.16
2	प्रतिवेदन मुद्रा	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
3	शेयर पूंजी	95.10	85.10	0.05	0.05
4	भंडार और अधिशोष	(1.01)	(0.52)	(0.02)	(0.01)
5	कुल परिसंपातियाँ	101.70	85.77	16.35	2.13
6	कुल देयताएं	101.70	85.77	16.35	2.13
7	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कर पूर्वक लाभ	0.00	0.00	(0.02)	0.00
10	कर-निर्धारण के प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कर-प्रश्चात लाभ	0.00	0.00	(0.02)	0.00
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
13	31.03.2016 तक का हिस्सेदारी का %	60.00	70.00	100.00	64.00

<u>भाग"ख" : सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम</u>

कंपनी अधिनियम,**2013** के धारा 129(3) से संबंधित संयुक्त उद्यम का अनुवर्ती विवरण

क्र.सं	ब्यौरा	संयुक्त उद्यम का नाम
		निलांचल पवार ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र	-
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित सहयोगी/संयुक्त उद्यम शेयर	-
	संख्या	-
	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में राशि निवेश	-
	आयोजन का विस्तार %	-
3	महत्वपूर्ण,प्रभाव का विवरण	-
4	कारण जिसकी वजह से सहायक/ संयुक्त उद्यम समेकितनहीं किया गया	कार्यक्रम शुरू करने हेतु
5	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारित को कुल कीमत निश्चित किया जा सके	-
6	वर्ष के लाभ/हानि	-
	i. समेकन मे विचार	-
	ii. समेकन में विचार नहीं	-

हस्ता/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(वीवीके राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
के.के.परीडा
निदेशक (वित्त)
(**डिन**: 07015077)

हस्ता/-
(ए.के.झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(**डिन**: 06645361)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स

हस्ता/-
(सीए एमपी माहापात्र)
भागीदार
(सदस्य संख्या .055113)

स्थान: **भुवनेश्वर**
तिथि: **26.05.2016**

तुलन पत्र
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणियाँ

(·करोड़ में)

		31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) **शेयरधारियों की निधियाँ**					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,132.86		4291.17	
			4,319.26		4,477.57
(2) **गैर-चालू देयताएं**					
क) दीर्घावधि उधार	3	7.21		6.90	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		183.60		122.90	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	71.97		53.58	
घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	15,387.07		12,791.00	
			15,649.85		12,974.38
(3) **अल्पसंख्यक आंशीदार(माइनोरिटी इंट्रेस्ट)**					
(4) **चालू देयताएं**					
क) अल्पावधि ऋण	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	304.18		275.26	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	3,183.98		3,120.33	
घ) अल्प अवधि प्रावधान	9	572.19		527.06	
			4,060.35		3,922.65
कुल			**24,029.46**		**21,374.60**
II परिसम्पत्तियाँ					
(1) **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ					
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	6,173.27		5,754.79	
घटाव : मूल्यह्रास,हानि एवं प्रावधान		3,005.27		2,748.79	
निवल कैरिंग मूल्य			3,168.00		3,006.00
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	297.32		288.09	
घटाव : मूल्यह्रास, हानि एवं प्रावधान		212.77		206.61	
निवल कैरिंग मूल्य			84.55		81.48
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10ख		630.67		454.00
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	10ग		298.73		270.11
(ख) गैर-चालू निवेश	11		1,075.41		1,075.38
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			-		-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		805.01		552.62
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		529.63		425.42

तुलनपत्र जारी.....

टिप्पणियाँ (·करोड़ में)

		31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
(2) **चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) चालू निवेश	14	1,345.00		247.70	
(ख) मालसूची	15	430.50		476.41	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	1,123.16		447.30	
(घ) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	11,555.16		10,456.95	
(ड.) अल्पावधि ऋण एवं आग्रेम	18	2,347.71		3,055.49	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	635.93		825.74	
			17437.46		15509.59
कुल			**24,029.46**		**21,374.60**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियॉ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

ह()/-	ह()/-	ह()/-	
(ए.के. सिंह)	(वीवीके राजू)	(के के परिडा)	(ए के झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
		डीआईएन-07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:316079E

ह()/-
सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

दिनांक: 26.05.2016
स्थान: भुवनेश्वर

लाभ-हानि विवरण
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणीयाँ

(·करोड़ में)

आय

		31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
(I) संचालन से राजस्व			
क कोयले का विक्रय	20	19,829.58	14,989.05
घटाव : उत्पाद शुल्क		1,183.03	679.56
अन्य उगाही		5,893.58	3,285.07
कुल बिक्री		12,752.97	11,024.42
ख अन्य ऑपरेटिंग रेवेन्यू	20	770.27	704.66
घटाव : उत्पाद शुल्क		41.70	39.71
अन्य उगाही		22.61	20.89
नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू		705.96	644.06
संचालन से राजस्व (क+ख)		13,458.93	11,668.48
(II) अन्य आय	21	1,346.28	1,375.14
(III) कुल राजस्व		**14,805.21**	**13,043.62**
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	542.75	604.56
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	38.67	33.62
कार्मिक हितलाभ पर व्यय	24	2,077.96	1,997.10
बिजली एवं ईंधन		123.53	122.59
कार्पोरेट सामाजिक दायित्वपर व्यय	25	184.64	61.30
मरम्मत	26	121.26	107.63
संविदात्मक व्यय	27	1,974.05	1,787.27
वित्तीय लागत	28	1.59	1.44
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		289.50	297.11
प्रावधान	29	132.57	123.56
बट्टे खाते डालना	30	0.10	-
ओवरबर्डेन निकासी का समायोजन		2,452.00	2,123.53
अन्य व्यय	31	628.49	479.89
कुल व्यय		**8,567.11**	**7,739.60**
"लाभ / (हानि) असाधारण मदों से पहले, असाधारण वस्तुओं और कर "		**6,238.10**	**5,304.02**
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	(22.33)	(10.22)
अपवादात्मक मदें		-	-
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		**6,260.43**	**5,314.24**
असामान्य मदें (प्रभार/आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**6,260.43**	**5,314.24**

लाभ-हानि विवरण
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणीयाँ

(·करोड़ में)

आय

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर पूर्व लाभ/(हानि)		6,260.43	5,314.24
घटाव : कर पर व्यय			
- चालू वर्ष		2014.99	1697.56
- आस्थगित कर		60.70	94.82
- पूर्ववर्ती वर्ष		-	(32.24)
कर पश्चात लाभ/(हानि)		**4,184.74**	**3,554.10**
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (·में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		22,450.21	19,066.97
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

ह()/-	ह()/-	ह()/-	ह()/-
(ए.के. सिंह)	(वीवीके राजू)	(के के परिडा)	(ए के झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
		डीआईएन-07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:316079ई

ह()/-
सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

दिनांक: 26.05.2016
स्थान: भुवनेश्वर

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी- 1

शेयर पूँजी

(` करोड में)

		31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	**500.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर पूर्णतया नगत के रुप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	**186.40**

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कपनी) एव इसके नामित	1864009	100

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(` करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तूलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : सामान्य आरक्षित में स्थानातरित	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	21.93
वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : सामन्य आरक्षित में समंजन	-	21.93
	-	-
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	8.34
वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : समान्य आरक्षित में अंतरण	-	8.34
	-	-
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	3261.08	2875.40
वृद्धि लाभ हानि विवरण से अंतरण	209.24	355.41
बृद्धि/घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	30.27
	3470.32	3261.08
लाभ हानि विवरण में अधिशेष		
गत तुलनपत्र के अनुसार	825.91	2267.17
पुर्व मुल्य ह्रास न्युन समंजन	-	53.99
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ/(हानि)	4184.74	3554.10
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	5010.65	5767.28
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित में अंतरण	209.24	355.41
सीएसआर आरक्षित में अंतरण	-	-
अंतरिम लाभांश	3,608.45	3,841.82
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश पर कर	734.60	744.14
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	-	-
	458.36	825.91
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय		
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	**4132.86**	**4291.17**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान कर पश्चात 5 % लाभा के साथ 209.24 करोड़(31 मार्च 2015 को `.335.41 करोड़) सामान्य आरक्षित को अंतरण किया गया।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी- 3

दीर्घावधि ऋण

(·करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	-
- जेबीआईसी के लिए	-	-
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	7.21	6.90
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	**7.21**	**6.90**
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	7.21	6.90

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	·करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

2 बांकुए नसनाल डी पेरिस एवं नटेक्स बैंक्यी के साथ क्रेडिट समझौते द्वारा ऋण की व्यवस्था लिएभेर्रे,फ्रांस से 4 हाइड्रोलिक शौवेल खरीद ने के लिए की गई है । 31.03.2016 को (पुर्नभुगतान के बाद निवल) ` 7.77 करोड़ (31.03.2015 को ` 7.40 करोड़)

शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है ।:-

	यूरो	·करोड़ में
01.04.2015 के अनुसार बकाया	1104965.12	7.4
31.03.2016 के समाप्त वर्ष के दौरान पुनः भुगतान	74113.58	0.54
मुद्राबदलाव से अंतर	-	0.91
31.03.2016 के अनुसार बकाया	1030851.54	7.77

वर्ष 2016 -17 में ·0.56 करोड़ (गत वर्ष ·0.50 करोड़) पुर्नभुगतान हेतु शामिल है।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 4

अन्य दीर्घावधि दायितएं

(₹ करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव : प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	43.47	26.09
कोयले पर सेस की वापसी	28.50	27.49
कुल	**71.97**	**53.58**

1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.07.2001 के निर्णय के तहत निर्देशानुसार वर्ष 2005-06 ओड़िशा में मूलधन ₹8.40 करोड़ (शुद्ध भुगतान का) तथा ब्याज ₹9.47 करोड़ (शुद्ध भुगतान का) कोयले पर सेस में शामिल यहराशी उपभोगता को वापस करने योग्य है । कंपनी ने चालू वर्ष में सेस देयता पर अप्रदत्त मूलधन की राशि पर 12% की दर से ब्याज की गणना कर ₹1.01 करोड़ (31.03.2015 को 12 महीनो के लिए ₹1.01 करोड़) उबलब्ध कराया है । इस प्रकार 31.03.2016 को कुल दयता ₹28 .50 करोड़ (31.03.15 को ₹27.29 करोड़) है । कंपनी उन उपभोगताओं/ पक्षो को पहचान नहीं पा रही है जिन्हे राशि लौटानी है संबंधित उपभोगताओं/ पक्षो को राशि वापसी करने के लिए अंतिमरूप दिया जाना बाकी है।

2 प्रबंधन प्रशिक्षुयों से ₹7.18 करोड़ ब्याज के साथ बॉन्ड राशि प्रत्याभूति जमा के रूप में कटौती की गई।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि प्रावधान

(₹करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	222.64	213.53
कर्मचारी के अन्य सुविधाएं	110.27	110.17
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	14,488.04	12,036.04
खदान बंद करने का व्यय	566.12	431.26
अन्य के लिए	-	-
कुल	**15,387.07**	**12,791.00**

5.1 विभिन्न प्रावधानों की स्थिति नीचे दीया गया है:

(₹करोड में)

	प्रावोधान	01.04.2015 के रूप में प्रारंभिक शेष	Addition/ Provided for	Paid/ adjusted	अंत शेष
i	ग्रेच्युटी के लिए	14.00	26.22	26.41	13.81
ii	छुट्टी नकदीकरण के लिए	232.51	11.47	-	243.98
iii	कर्मचारी के अन्य सुविधाएं के लिए	123.80	2.95	-	126.75
iv	ओबीआर समंजन लेखा के लिए	12,036.04	2,452.00	-	14,488.04
v	खदान बंद करने का योजना	430.47	134.86	-	565.33
vi	भूमि सुधार के लिए	0.79	-	-	0.79

5.2 खदान बंद करने के लिए प्रावधान

(क) भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशा - निर्देशों के अनुसार खदान बंदीकारण योजना बनाने हेतु प्रावधान किया गया है ।

(ख) ₹560.53 करोड़ के खदान बंदीकरण मे ₹135.11 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹3.26 करोड़) तथा खदान विकास के लिए निलंब खाते अर्जित ब्याज ₹0.13 करोड़ उपलब्ध किया गया है) तथा एमसीपी व्यय ₹ शून्य प्राप्त व्यय का प्रावधान के लिए समायोजन किया गया है । निलंब खाता सभी संचालित 25 खदानों के लिए खोले गए है , जिनका अंत शेष ₹529.63 करोड़ 31.03.2015 को ₹425.42 करोड़ है, जिससे ₹38.72 करोड़ 31.03.2015 को ₹37.96 करोड़ अर्जित ब्याज शामिल है ।

(ग) ₹9.44 करोड़ की विस्तृत योजना में (₹18.21 करोड़) के विभागीय वेतन एवं भर्तो को छोडकर, ₹0.26 करोड़ के भत्ते एवं वेतन के अलावा चालू वर्ष के खर्चे (व्यय) के समायोजन पश्चात देउलबेरा कोलियारी में बालुभराई (स्टोविंग) के माध्यम से अस्थायी कार्य को स्थायीकरण की योजना में ₹18.21 करोड़ के आकलित विभागीय जनशक्ति की लागत शामिल है जिन्हे लाभ एवं हानि पर चार्ज किये सामान्य वेतन और व्यय के रूप में अलग से उपलब्ध नही किया गया है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिपणी- 6

अल्पावधि उधार

(·करोड़ में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों पर शेष	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	·करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

नगद क्रेडिट

कंपनी ने स्टेट बैंक समूह के पक्ष मे परिकल्पना(Hyporthication) का जोईंट डीड कर लिया है जिससे पूंजी निधी एवं गैर निधिक आधार की दोनो कार्यरत पूंजी सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक और 17 अन्य बैंक शामिल है । दिनांक 25.08.14 के कंसोर्टियम समझोता के अनुसार कंपनी सहमत है की एमसीएल द्वारा वर्तमान संपत्तियों पर उक्त बैंक के पक्ष `. 165.00 करोड़ परिकल्पना प्रभार (Hypothecation Charge)लगाकर उक्त सुविधाएं समांतर रूप से चलती रहेगी जिससे ऋण पुस्तिका कच्चे माल का भंडार , अर्ध एवं पूर्ण सामाग्री भंडार एवं पुर्जे जो संयंत्र और मशनरी से संबंधित ना हो (उपभोग योग्य, भंडार एवं पुर्जे) , वर्तमान और भविष्य दोनों संयुक्त रूप से या अलग- अलग शामिल है। केश क्रडिट खाते में (लेखा में) कोई जमा शेष नही हैं ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 7

भुगतान योग्य व्यापार

(·करोड़ में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
वकाया वसूली की माइक्रो उद्धमों और छोटा उद्धमों	3.85	-
सुक्ष्म एवं लघु उदद्योग के अलाया क्रडिटर के वकाया देय	300.33	275.26
कुल	**304.18**	**275.26**

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 8
अन्य चालू दायिताएँ

(₹ करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	-
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	-
लिभेर फ्रांस एसए, से आवधिक ऋण	0.56	0.50
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अधिशेस निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.56	**0.50**
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	614.99	640.62
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	169.92	152.35
विद्युत एवं ईंधन	17.90	17.51
अन्य	72.54	44.52
	260.36	**214.38**
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	4.49	2.51
विक्रय कर/वैट	11.92	-
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	9.05	8.99
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	29.62	50.96
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	31.71	37.48
बालू भराव पर उत्पाद शुल्क	38.75	32.90
स्वच्छ ऊर्जा सेस	521.35	126.84
एमएमडीआर अधिनियम 2015 धारा 9सी के तहत एनईएफ़टी	6.76	-
एमएमडीआर अधिनियम 2015 धारा 9बी के तहत डीएमएफ़	59.72	-
अन्य वैधानिक उगाही	1.69	-
	715.06	**259.68**
स्रोत पर आयकर में कटौती	2.66	3.06
प्रतिभूति जमा	103.50	81.05
बयाना राशि	19.90	17.95
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,396.93	1,837.92
उधार पर प्रोद्धत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्धत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्स ऑनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	-	-
अन्य देयताएं	70.02	65.17
कुल	**3,183.98**	**3,120.33**

टिप्पणी: 2016-17 के दौरान लिभेर फ्रांस को ऋण का पुनर्भुगतान 74113.58 यूरो ₹ 0.56 करोड़

दिनांक 25 मार्च 2013 को आयोजित निदेशक मण्डल की 296 वीं बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों से संबन्धित खेल कूद, मनोरंजन और संस्कृति से संबन्धित गतिबिधियों के संचालन एवं निष्पादन के लिए कोल इंडिया कोल प्रमोशन एसोसिएशन (सिस्पा) की और से ₹ 3.04 (गत वर्ष 31.03.2015 को ` 3.03 करोड़) उपलब्ध कराया गया ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 9
अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	42.10	46.00
-छुट्टी नकदीकरण	21.34	19.82
- पीपीएलबी	100.33	81.18
- पीआरपी	277.93	271.24
कर्मचारी के अन्य सुविधाएं	130.49	108.71
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए		0.11
कुल	**572.19**	**527.06**

टिप्पणी 31.03.2016 को 9.84 % की दर से अन्य कर्मचारी लाभ के साथ सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹ 114.01 करोड़ भी शामिल है।

टिप्पणी - 10 क
स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	30.16	-	-	30.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.16	30.16
(ख) अन्य	2,226.86	289.10	(3.66)	2,512.30	447.59	77.71	(1.67)	523.63	-	-	-	-	523.63	1,988.67	1,779.27
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	511.30	14.73	(2.37)	523.66	195.29	9.69	(0.16)	204.82	0.34	-	-	0.34	205.16	318.50	315.67
यंत्र एवं संयंत्र	2,455.70	100.28	(15.01)	2,540.97	1,758.00	157.75	(9.81)	1,905.94	14.84	-	-	14.84	1,920.78	620.19	682.86
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	76.50	7.18	(2.33)	81.35	57.26	5.00	(1.78)	60.48	0.01	-	-	0.01	60.49	20.86	19.23
रेलवे साइडिंग	164.51	27.14	-	191.65	106.62	6.75	0.08	113.45	0.10	-	-	0.10	113.55	78.10	57.79
वाहन	32.37	2.41	(0.77)	34.01	19.08	2.09	(0.62)	20.55	0.01	-	-	0.01	20.56	13.45	13.28
दूरसंचार	36.50	3.41	-	39.91	16.30	4.62	-	20.92	-	-	-	-	20.92	18.99	20.20
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	201.49	(0.39)	-	201.10	121.34	6.72	0.86	128.92	0.37	-	-	0.37	129.29	71.81	79.78
सर्बेड ऑफ परिसंपतियाँ	19.40	1.08	(2.32)	18.16	-	-	-	-	11.64	0.36	(1.11)	10.89	10.89	7.27	7.76
कुल	**5,754.79**	**444.94**	**(26.46)**	**6,173.27**	**2,721.48**	**270.33**	**(13.10)**	**2,978.71**	**27.31**	**0.36**	**(1.11)**	**26.56**	**3,005.27**	**3,168.00**	**3,006.00**
गत वर्ष															
मूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	5,161.98	641.92	(49.11)	5,754.79	2,426.54	285.91	9.03	2,721.48	28.68	0.10	(1.47)	27.31	2,748.79	3,006.00	2,698.09
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ															
विकास	225.60	8.56	0.29	234.45	156.54	8.34	(3.89)	160.99	11.49	0.43	0.04	11.96	172.95	61.50	57.57
सॉफ्टवेयर	2.67	0.38	-	3.05	2.67	(0.09)	-	2.58	-	-	-	-	2.58	0.47	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	59.82	-	-	59.82	35.89	1.33	-	37.22	0.02	-	-	0.02	37.24	22.58	23.91
कुल	**288.09**	**8.94**	**0.29**	**297.32**	**195.10**	**9.58**	**(3.89)**	**200.79**	**11.51**	**0.43**	**0.04**	**11.98**	**212.77**	**84.55**	**81.48**
सकल जोड़	**6,042.88**	**453.88**	**(26.17)**	**6,470.59**	**2,916.58**	**279.91**	**(16.99)**	**3,179.50**	**38.82**	**0.79**	**(1.07)**	**38.54**	**3,218.04**	**3,252.55**	**3,087.48**
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	284.89	3.48	(0.28)	288.09	183.32	8.70	3.08	195.10	11.08	0.47	(0.04)	11.51	206.61	81.48	90.49

टिप्पणी: भूमि- कोयला धारण क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, ओड़ीशा सरकार ने भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि भी शामिल है।

1. कंपनी को कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन और कोयला खान बचाव संगठन से प्राप्त विभिन्न परिसंपतियों और देयताओं की मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है । इनकी मात्रा और मूल्य प्राप्त होने पर यदि है, तो समंजन किया जायेगा ।

2. पट्टाधारी जमीन कोयाला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 उड़ीशा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिगृहीत भूमि है । कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के ठाट अधिगृहीत पट्टाधारी भूमि के मालिकाना हक हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त होने पर पंजीकृत किया गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 उड़िशा।

3. अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्षों में भूमि हस्तांतरण डीड लंबित है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 10 ख

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर

(₹करोड़ में)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	147.01	112.71	(15.01)	244.71	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09	244.62	146.92
यंत्र एवं संयंत्र	274.23	129.36	(41.95)	361.64	12.30	0.86	-	13.16	-	9.87	-	9.87	23.03	338.61	261.93
रेलवे साइडिंग	40.97	1.36	(3.54)	38.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.79	40.97
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	4.18	4.83	(0.36)	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	4.18
कुल	466.39	248.26	(60.86)	653.79	12.39	0.86	**-**	13.25	**-**	**9.87**	**-**	**9.87**	23.12	630.67	454.00
गत वर्ष															
कुल	334.09	259.23	(126.93)	466.39	11.82	0.70	(0.13)	12.39	-	-	-	-	12.39	454.00	322.27

संयंत्र और मशीनरी के मदों के मामले में जिन्हें संयंत्र में स्थापित करना लंबित है तथा भंडार में 3 वर्षों से अधिक समय से पड़े है उनके लिए चौथे वर्ष से मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है साथ ही उसे यथा आवश्यकता बट्टे खाते डालने की कार्यवाई की जाती है । संयंत्र और मशीनरी के इस तरह के किसी मद जिसका प्रयोग इसके बाद किया जाता जीन्हें इसके लिए "बाद में" का प्रावधान किया गया है , प्रथम वर्ष में प्रयोग पर मूल्यह्रास उस वर्ष में मूल्यह्रास के साथ उस मद के लिए किए गए प्रावधान उसके लिए लेखाकन समंजन मूल्यह्रास और इस तरह के प्रावधान के बीच होगा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.86 करोड़ का प्रावधान लेखा में रखा गया है जो कुल प्रावधान ₹13.16 करोड़ ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 10 ग
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपतियां

(₹करोड में)

विवरण	लागत				प्रावधान				इपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
विकास	163.37	57.31	(36.22)	184.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.46	163.37
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	106.74	10.12	(2.59)	114.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.27	106.74
कुल	**270.11**	**67.43**	**(38.81)**	**298.73**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**298.73**	**270.11**
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपत्तियां	209.49	60.80	(0.18)	270.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.11	209.49

टिप्पणी

1. विकास के लिए बसुंधरा क्षेत्र में कनिका रेलवे साइडिंग के बंकिबहल से दो लेन सड़क को चौड़ा करके चार लेन सड़क करने के लिए राज्य के प्राधिकारी के पास जमा ₹47.92 रुपये जमा की गई यह राशि कंपनी की संपत्ति में शामिल नहीं है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (•)	31/03/2016 के अनुसार (• करोड में)	31.03.2015 को शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2015 को प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (•)	31/03/2015 के अनुसार (• करोड में)
गैर व्यापार (अनुद्धत)	-	-	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में ईक्वियूटी शेयर						
एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	5,95,70,000	10.00	59.57	5,95,70,000	10.00	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	57,060,000	10.00	57.06	57,060,000	10.00	57.06
एमबीपीएल	50,000	10.00	0.05	50,000	10.00	0.05
एमसीआरएल	32,000	10.00	0.03	-	-	-
				-	-	-
गैर व्यापार (उद्धसत)						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	20,000	1,00,000	200.00	20,000	1,00,000	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड	1087537	1,000	108.75	1087537	1,000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त ब	4999	10,00,100	499.95	4999	10,00,100	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	1500000	1,000	150.00	1500000	1,000	150.00
कुल :			**1,075.41**			**1,075.38**
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग			116.71			116.68
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			993.69			978.68

टिप्पणी: गैर व्यापार (उद्धत) म्यूच्चूल फंड का एनएवी उसमें अंकित मूल्य के बराबर रहा है जैसकि ऊपर वर्णित किया गया है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 12
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड में)

	31/03/2016 के अनुसार	31/03/2015 के अनुसार
अग्रिम		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	766.66	513.97
- संदेहास्पद।	0.55	0.55
	767.21	514.52
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.55	0.55
	766.66	513.97
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	36.65	36.48
- संदेहास्पद	-	-
	36.65	36.48
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	36.65	36.48
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.66	2.11
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	1.66	2.11
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.04	0.06
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.04	0.06
अन्य के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद।	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	1.70	**2.17**
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	**805.01**	**552.62**

टिप्पणी

1

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कपनियो द्वारा देय (कपनियो के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियो द्वारा देय जिसमे कपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2 राज्य सरकार के पास ₹106.48 करोड़ (31.03.2015 को ₹86.23 करोड़) की राशि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए जमा किया गया है राज्य सरकार से कब्जा प्राप्त होते ही इसे पूंजीकृत कर दिया जायेगा।

3 रेलवे को अग्रिम के रूप में ₹909.06 करोड़ की राशि दी गई है इसमें से ₹167.83 करोड़ सीसीडीए अनुदान है (बसुंधरा क्षेत्र के लिए) अतः शुद्ध अग्रिम राजस्व प्रकृति का है यह रेलवे सइडिंग के अनुरक्षण (राजस्व कार्य) तथा वर्तमान रेलवे ट्रैक को उन्नयन करने के लिए अग्रिम और स्वतः सिगनालिंग प्रणाली इत्यादि के लिए है । यह कंपनी की संपति नही है अबतक रेलवे द्वारा ₹675.48 करोड़ को उपयोग तुलनपत्र तैयार करने की तिथि तक किया गया है जैसा की रेलवे ने सूचना दी है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 13
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
खदान बंद करने व्यय हेतु प्राप्ति योग्य	-	-
अन्य प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	0.16	0.16
	0.16	0.16
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	-	-
खान बंद करने की निधि के लिए बैंक के पास ईसक्रो खाता	529.63	425.42
कुल	**529.63**	**425.42**

1 3 महीने से अधिक से पड़े बैंक जमा इसमें 12 महीनो से अधिक रोके गए जमा शामिल है 529.63 425.42

कोयला मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देश और कोयला नियंत्रण के साथ हुए समझोते के पश्चात अनुसूचित बैंक में इस्क्रो लेखा (Account)में खदान बंद करने हेतु तीन महीने से अधिक मैच्चूरिटी के साथ ₹529.63 करोड़ जमा किया गया है ।

टिप्पणी

2

	अंतिम शेष		बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमे कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी - 14
चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	शेयर/बॉड/प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	**31/03/2016 के अनुसार (▪करोड में)**	शेयर/बॉड/प्रतिभूति की संख्या गत वर्ष 31.03.2015	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य गत वर्ष 31.03.15	**31/03/2015 के अनुसार (▪करोड में)**
व्यापार(उद्धत)						
म्युचुअल फंड में निवेश						
(केनारा रोबेको लिक्विड फंड)	666,335.16	1005.50	67.00	248,632.52	1,005.50	25.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	8,871,168.70	1003.25	890.00	1,006,728.13	1,003.25	101.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	3,462,666.04	1019.45	353.00	774,927.66	1,019.45	79.00
यूनियन केबीसी	349,772.44	1000.65	35.00	199,869.96	1,000.65	20.00
व्यापार(अनुद्धत)						
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,860.00	1000.00	11.38
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,160.00	1000.00	11.32
कुल :			**1,345.00**			**247.70**
उद्धत निवेश का योग			1345.00			225.00
अनुद्धत निवेश का योग			-			22.70
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			1346.31			225.60

टिप्पणी: व्यापार (उद्धत) म्यूच्चूअल फॉन्ड का एनएवी अंकित मूल्य (Face Value) के बराबर है जेसे ऊपर वर्णित है।

राज्य विद्वयुत बोई (एसईबी) से प्राप्त 8.5% कर मुक्त पवार बंड का आंशिक व्यपार जाने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी 15
वस्तुसूची
(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन)

			` करोड़ में
		31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	346.82	386.79
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	-
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	**कोयले का स्टॉक (निवल)**	**346.82**	**386.79**
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	82.85	89.61
	मार्गस्थ भंडार	2.12	0.85
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	18.89	17.24
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	**भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)**	**66.08**	**73.22**
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	12.10	10.80
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	**कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक**	**12.10**	**10.80**
घ	प्रेस :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ड़	केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.59	0.69
च	**पुवक्षण एव बाारग/विकासव्यय/विक्रय हतु ानादष्ट कोयला**	4.91	4.91
	कुल (क से च तक)	**430.50**	**476.41**

1.वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जों के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पाई गई है । 31.03.2016 को संचयी प्रावधान ▪0.90 करोड़ (31.03.2016 ▪0.92 करोड़) हो गई है ।

2. अप्रयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पुर्जे तथा वे पुर्जे इनका प्रयोग 5 वर्ष से नहीं किया गया इस के लिए क्रमशः 100 % और 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के अनुच्छेद 6.2.4) के अनुसार रखा गया है । 31.03.2016 को संचयी प्रावधान ▪17.99 करोड़ (31.03.2016 को ▪16.32 करोड़) हो गया ।

3. कंपनी की लेखांकन नीति (टिप्पणी -33 के अनुच्छेद 6.22 में वर्णित) के अनुसार वेटेज औसत तरीके के अनुसार भंडार एवं पुर्जो का मूल्यांकन किया गया है शुद्ध वसुली मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में ना तो रखा गया है ना समंजित किया गया है कार्यो कि शुद्ध वसूली मूल्य निश्चित नाही है ।

टिप्पणी - 15 का अनुलग्नक
(परिणाम लाख टन में) (मूल्य लाख • में)

तालिक : क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.15 को प्रारंभिक स्टॉक	125.24	40542.28	-	-	125.24	40542.28
(ख) 5% से अधिक कमी	1.19	1,862.83	-	-	1.19	1,862.83
लेखा खोलने में अपनाया गया स्टक	124.05	38,679.45			124.05	38679.45
2. वर्ष का उत्पादन	1,379.01	1,271,637.19	-	-	1379.01	1271637.19
3. उप जोड़ (1क+2)	1,504.25	1,312,179.47	-	-	1,504.25	1,312,179.47
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,402.29	1,275,296.82	-	-	1402.29	1275296.82
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	130.22	-	-	0.05	130.22
कुल(क)	1,402.34	1,275,427.04	-	-	1402.34	1275427.04
5. व्युत्पन्न स्टॉक	101.91	36,752.43	-	-	101.91	36752.43
6. मापी गई	99.24	34,303.36	-	-	99.24	34303.36
7. अंतर (5-6)	2.67	2,449.07	-	-	2.67	2,449.07
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	0.20	82.15	-	-	0.20	82.15
(ख) 5% के भीतर कमी	1.61	461.14	-	-	1.61	461.14
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.26	2,070.08	-	-	1.26	2,070.08
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	100.65	34,682.35	-	-	100.65	34682.35

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश कच्चा कोयला **तालिका: ख**

	कोकिंग		नन-कोकिंग		परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	कोकिंग		नन-कोकिंग					
					परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	125.24	40,542.28	-	-	-	-	-	-	125.24	40,542.28
5% से अधिक कमी			1.19	1,862.83							1.19	1,862.83
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	124.05	38,679.45	-	-	-	-	-	-	124.05	38,679.45
उत्पादन	-	-	1,379.01	1,271,637.19	-	-	-	-	-	-	1,379.01	1,271,637.19
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,402.29	1,275,296.82	-	-	-	-	-	-	1,402.29	1,275,296.82
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.05	130.22	-	-	-	-	-	-	0.05	130.22
अंतिम स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	101.91	36,752.43	-	-	-	-	-	-	101.91	36,752.43
घटाव : कमी	-	-	1.26	2,070.08	-	-	-	-	-	-	1.26	2,070.08
अंतिम स्टॉक	-	-	100.65	34,682.35	-	-	-	-	-	-	100.65	34,682.35

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टॉक की वास्तविक जाँच की है । कुल क्षेत्रो में इसे बाहरी दल के द्वारा भी समीक्षा की गई है । वास्तविक जाँच में यदि बूक स्टॉक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो उसे लेखाकंन निम्न के तहत ध्यान नही दिया जराहा है।

5% से ज्यादा की कमी को नीचे दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	खदानें	बुक स्टॉक (मात्रा लाख टन में		मिजर्ड स्टॉक (मात्रा लाख टन में		अंतरका %	
		31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
ओरियंट	खदान सं.3	0.19	0.21	0.07	0.08	61.74	61.84
	एचबीएम	0.70	0.62	0.40	0.32	42.88	48.06
तालचेर	नादिरा	1.75	1.12	1.19	0.62	31.98	44.97
	तालचेर	1.54	1.23	1.26	0.97	18.63	20.98
कुल		**4.18**	**3.18**	**2.92**	**1.99**	-	-

इन मामलों में अंतर +/- 5%, से अधिक है अतः नीति के अनुसार मापी गई मात्रा को ही लेखा में शामिल किया गया है अंतर मात्रा 1.26 लाख टन है (4.18 लाख टन, 2.92 लाख टन कम) 31.03.2016 को से अधिक 5 % अधिक की कमी का मूल्य 20.70 करोड़ है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च, 2016 के अनुसार

टिप्पणी 16
व्यापार से प्राप्य

	31.03.2016 के अनुसार	(₹ करोड़ में) 31.03.2015 के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	93.68	143.18
- संदेहास्पद	37.76	41.38
	131.44	184.56
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	37.76	41.38
	93.68	143.18
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1029.48	304.12
- संदेहास्पद	-	-
	1029.48	304.12
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	1029.48	304.12
कुल	**1,123.16**	**447.30**

टिप्पणी: व्यापार से प्राप्य में ₹570.00 करोड़ शामिल है जिसे डिबेटरों ने 31.03.2016 तक पृष्टि नहीं की है चूंकि कंपनी में यह प्रचलन में ही की वह गत तिमाही की शेष की पृष्टि प्राप्त लेती है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च,2016 के अनुसार

टिप्पणी 17

नगद एवं बैंक शेष

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	2,517.53	4,331.07
- चालू लेखा में	202.61	175.43
- नगद जमा लेखा में		-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण		0.35
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.04	0.04
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा शेष	8,834.98	5,950.06
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना	-	-
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा		
कुल	**11,555.16**	**10,456.95**
वर्ष में किसी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	शून्य	शून्य
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	28.54	83.14
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जीमा	1.67	1.54

1. ·13.35 करोड़ फिक्स डिपोजीट स्टेट बैंक के सहयोग(lien) से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए किया गया ताकि अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लिए ब्लॉक के आबंटन की शर्त पूरा किया जा सके ।

2. ·1.67 करोड़ जिसमें ·1.08 करोड़ का बीमांकिक ब्याज शामिल है को विशेष मियादी जमा किया गया है यह राशि सुंदरगढ़ के माननीय जिला न्यायालय के माध्यम से वसूल हुआ है यह एक अधिकारी द्वारा नकदी की गबन के कारण हुआ है यह मामला न्यायालय में लंबित है।

3. 2005-06 के अनुसार बारूद दर ठेका में मूल्य अंतर को न्यायालय के आदेश से वसूली के तहत ·5.23 करोड़ का फ़िक्स्ड डिपोजीट

4. फ़िक्स्ड डिपोजीट ·0.19 करोड़ शामिल है जिसे माननीय उच्चन्यायालय के आदेश से मेसर्स आईआरसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बीजी नगदी कारण से प्राप्त ।

5.फ़िक्स्ड डिपोजीट में ·0.03 करोड़ शामिल है जो भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालयसे कैप्टीव मोबाइल रेडियो टृंकिंग सर्विस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बैंक गारंटी के लिए है ।

6. फ़िक्स्ड डिपोजीट में ·0.03 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय कलकोता के निर्देश से मेसर्स श्री इन्टरप्राइसेस कोल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड दंड स्वरूप वसूल किया गया है ।

7. फ़िक्स्ड डिपोजीट ·7.89 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिय आदेश से मेसर्स वीडियोकॉन इंडसट्रीज लिमिटेड के बीजी नगदी करण (एफ़एसए) से प्राप्त हुई है ।

8. फ़िक्स्ड डिपोजीट में ·0.15 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय कटक के आदेश से मेसर्स श्री महावीर फेरो एलायस प्राइवेट लिमिटेड से 40% तपेरींग मनी से प्राप्त हुई है ।

9. शेष चालू खाता में करेंट लिंक टार्म डिपॉजिट शामिल है जिसे अस्थायी रूप से चालू खाता से स्थानंतरित किय गया है ।

टिप्पणी 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(•करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	332.82	195.36
- संदेहास्पद	2.10	2.10
	334.92	197.46
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.10	2.10
	332.82	195.36
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.29
- संदेहास्पद		-
		0.29
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		-
	-	0.29
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	5,374.59	5,735.51
घटाव : आयकर हेतु प्रावधान	3,833.29	3,557.86
	1,541.30	2,177.65
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	34.17	28.60
- संदेहास्पद	-	-
	34.17	28.60
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	34.17	28.60
	1,575.47	**2,206.54**
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	48.52	65.39
- संदेहास्पद	-	-
	48.52	65.39
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	48.52	65.39
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	347.81	556.36
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	26.69	20.07
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.03	0.03
- संदेहास्पद	-	-
	0.03	0.03
घटाव :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.03	0.03
पूर्व प्रदत्त व्यय	16.37	11.74
	439.42	**653.59**
कुल	**2,347.71**	**3,055.49**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत की कंपनियों द्वारा देय				
- एमजेएसजे कोल लि.	7.40	6.04	7.40	6.04
-एमएनएच शक्ति लि.	1.11	0.63	1.11	0.63
- एमबीपीएल	16.10	13.40	16.1	13.40
	2.08	-	2.08	-
पार्टियां द्वारा देय जिनमें कंपनी के निदेशक/निदेशकगण रूचि लेते हों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलनपत्र की टिप्पणियाँ ..... जारी
31 मार्च,2016 के अनुसार

टिप्पणी - 19
अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड में)

	31/3/2016 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-ानिवेश पर	33.17	33.29
- बैंकों में जमा पर	485.64	557.85
- अन्य पर	2.17	2.59
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा	112.58	230.88
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	112.58	230.88
अन्य	-	-
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	2.37	1.13
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-
	2.37	1.13
कुल	**635.93**	**825.74**

31 मार्च,2016 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20
संचालन से राजस्व

(₹करोड में)

		31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
क	**कोयले का विक्रय**	19829.58	14989.05
	घटाव : उत्पाद शुल्क	1183.03	679.56
	घटाव : अन्य उगाही		
	रॉयल्टी	1694.82	1395.72
	एमएमडीआर अधिनियम 2015 के धारा 9सी के तहत एनएमईटी	19.97	
	एमएमडीआर अधिनियम 2015 के धारा 9बी के तहत डीएमएफ़	223.80	
	कोयले पर सेस		-
	स्टोइंग उत्पाद शुल्क	140.23	123.00
	केंद्रीय विक्रय कर	187.75	124.80
	स्वच्छ ऊर्जा सेस	3065.26	1179.14
	राज्य विक्रय कर/वैट	499.62	404.16
	ओडिशा प्रवेश कर	62.13	58.25
	कुल उगाही	**7,076.61**	**3,964.63**
	निवल विक्रय (क)	**12,752.97**	**11,024.42**
ख	कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार	-	-
ग	बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	-	-
घ	लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	770.27	704.66
	घटाव : उत्पाद शुल्क	41.70	39.71
	घटाव :अन्य उगाही	22.61	20.89
	अन्य संचालन राजस्व (ख)	705.96	644.06
ङ	**संचालन से राजस्व (क+ख)**	13,458.93	11,668.48

टिप्पणी : कोयले की बिक्री के तहत अंतर उत्पाद शुल्क ₹339.89 करोड़ तथा परिणामी वृद्धि राज्य का बिक्री कर/वैट ₹9.70 करोड़, केन्द्रीय बिक्री कर ₹2.80 करोड़ तथा प्रवेश कर ₹1.48 करोड़ भी शामिल किये गये है, जो की पहले की अवधि से संबंधित है, अतिरिक्त महाधिवक्ता, भारत सरकार ने 5 जून 2015 को मांगी गई राय के आधार पर 1 मार्च 2011 से तत्संबंधी प्रभावी उत्पादन शुल्क आंकलन हेतु लेने-देन मूल्य के आने तक उक्त वर्षावधि के निमित स्वीकार्य किया है ।

31 मार्च,2016 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....

टिप्पणी- 21

(₹करोड में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांश	-	-
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	-	3.38
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.92	70.72
चालू निवेश से आय		
म्युचुअल फंड निवेश से लाभांश	92.29	54.98
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	1.45	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1042.62	1123.14
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.01	0.06
आयकर वापसी से	42.21	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	44.56	33.87
अन्य	5.20	8.06
शीर्ष प्रभार	-	-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.94	0.92
विदेशी मुद्रा विनियम पर लाभ	-	-
विनिमय दर में अंतरण	-	1.79
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	1.30	1.27
राइट बैक की देयता	(0.01)	1.04
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य-गैर संचालन आय	43.79	75.91
कुल	**1,346.28**	**1,375.14**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी 22

खपत सामग्रियों की लागत

(`करोड़ में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	107.14	113.64
लकड़ी	0.34	0.22
पीओएल	261.53	304.68
एचईएमएम पुर्जे	116.92	124.51
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	56.82	61.51
कुल	**542.75**	**604.56**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
टिप्पणी - 23
तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(·करोड़ में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	346.82	386.79
घटाव कोयले का क्षरण	-	-
कुल (1)	346.82	386.79
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	386.79	418.53
घटाव कोयले का क्षरण	-	
कुल (2)	386.79	418.53
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	39.97	31.74
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	12.10	10.80
घटाव प्रावधान	-	-
कुल	12.10	10.80
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	10.80	12.68
घटाव प्रावधान	-	-
कुल	10.80	12.68
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	(1.30)	1.88
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	**38.67**	**33.62**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 24

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1497.23	1410.53
अनुग्रह राशि	111.11	90.63
पीआरपी	30.47	38.93
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	195.69	186.30
उपदान	26.19	48.03
छुट्टी नकदीकरण	59.93	71.56
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0.27	0.01
कामगार क्षतिपूर्ति	0.03	0.55
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	39.45	38.79
सेवानिवृत कर्मचारियो के लिए चिकित्सा व्यय	6.80	1.26
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	27.77	21.85
खेल व मनोरंजन	3.84	5.48
कैंटीन व क्रैच	1.06	0.91
विद्युत - टाउनशिप	57.53	60.19
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.17	3.37
अन्य कर्मचारी हितलाभ	17.42	18.71
कुल	**2,077.96**	**1,997.10**

1.भविष्य निधि अंशदान राशि तथा आय निधि ₹195.69 करोड़ है जिसमें ₹3.92 करोड़ भूत पूर्व एनसीडीसी कर्मचारी भुगतान की गयी है जो कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत राजस्व के रूप में प्रभारित है

2. कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित पेंशन प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा निष्पादित किया जाता है ।

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 25

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय	184.64	61.30
कुल	**184.64**	**61.30**

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली बंछित कुल राशि : ₹ 165.64 करोड़ (जिसमें 2% की दर से गत तीन वर्षों का लाभ ₹ 112.97 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 को दौरान व्यय नहीं की गयी राशि ₹ 52.67 करोड़ शामिल है ।

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 26

मरम्मत

(·करोड़ में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
भवन	69.89	66.39
संयंत्र एवं यंत्र	47.67	38.07
अन्य	3.70	3.17
कुल	**121.26**	**107.63**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 27

संविदात्मक व्यय

(·करोड़ में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन प्रभार :		
- बालू	-	-
- कोयला एवं कोक	1,049.78	981.81
- भंडार एवं अन्य आदि	-	-
वैगन लदाई	70.53	74.33
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	799.57	662.87
अन्य संविदात्मक कार्य	54.17	68.26
कुल	**1,974.05**	**1,787.27**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 28

वित्तीय लागत

(·करोड़ में)

	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 समाप्त वर्ष
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.09	0.08
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	1.50	1.36
कुल(क)	1.59	1.44
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फ	-	-
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	-
कुल(ख)	-	-
कुल (क+ख)	**1.59**	**1.44**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
टिप्पणी- 29

प्रावधान

(·करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	0.26	6.66
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	1.67	2.40
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	134.40	115.41
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.86	-
अन्य	-	-
कुल (क)	**137.19**	**124.47**
(ख) रिटेन बैक प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	3.88	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	0.24
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.74	0.67
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल (ख)	**4.62**	**0.91**
कुल (क-ख)	**132.57**	**123.56**

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी- 30

बट्टे खाते में डालना

(·करोड़ में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	0.10	-
कुल	**0.10**	**-**

टिप्पणी - 31
अन्य व्यय

(₹करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	19.06	13.28
- विदेशी	0.01	0.04
प्रशिक्षण व्यय	10.82	8.94
दूरभाष एवं डाक खर्च	3.68	3.07
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.35	3.79
भाड़ा प्रभार	0.09	0.08
डेमरेज	3.07	2.23
दान /अभिदान	0.07	0.06
सुरक्षा व्यय	60.86	57.29
सीआईएल का सेवा प्रभार	69.14	60.69
भाड़ा प्रभार	34.44	32.23
सीएमपीडीआई व्यय	27.53	20.29
विधिक व्यय	1.37	1.28
बैंक प्रभार	0.01	0.01
गेस्ट हाऊस व्यय	2.41	1.86
परामर्श प्रभार	2.37	1.18
अंडरलोडिंग प्रभार	30.55	16.38
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.15	0.74
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा फीस	0.20	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के विधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.05	0.07
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.35	0.27
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	1.85	2.12
पुनर्वास प्रभार	84.13	73.81
रायल्टी एवं सेस	0.20	0.18
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5.77	(9.11)
किराया	0.82	0.82
दर एवं कर	12.25	35.61
बीमा	0.36	0.34
विनियम दर में अंतर से हानि	0.91	-
पट्टा किराया	0.02	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	3.06	2.51
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.24	0.29
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	52.78	42.76
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.06	0.05
संपाती कर	-	0.11
आर एंड डी व्यय	2.07	22.92
पर्यावरण और पौधारोपण व्यय	12.44	12.78
विविध व्यय	181.95	70.75
कुल	**628.49**	**479.89**

1. विदेशी मुद्रा के उछल के अनुसार क्रेडिट के बदलाव की स्थिति में रुपया के अनुसार कंपनी ने क्रेडिट/लोन की इस भिन्नता में ₹0.91 करोड़ की बृद्धि की है (31.03.2015 के अनुसार ₹1.79 करोड़ की भिन्नता विनिमय दर से प्राप्ति नोट - 21) को विनिमय दर भिन्नता का नुकसान के रूप मे दर्शाया गया है ।

2. ₹125.00 करोड़ विविध व्यय से सिम्मलित है याथा राज्य प्राधिकारी को जेल कर रूप में भुगतान है ।

लाभ हानि विवरण की टिप्पणियाँ जारी.....
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
टिप्पणी -32

पूर्वावधि समंजन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	2.53	0.11
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य हास	-	-
कुल (क)	**2.53**	**0.11**
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	14.76	7.85
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	2.93	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	1.43	-
संविदात्मक व्यय	4.81	-
अन्य व्यय	0.29	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य हास	0.64	2.48
कुल (ख)	**24.86**	**10.33**
कुल (क-ख)	**(22.33)**	**(10.22)**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा</u>:

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

1.1 प्राक्कलन उपयोग:

आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय प्रबंधन को कभी-कभी वह प्राक्कलन तथा धारणा बनानी होती है जो परिसंपित्तयों व देनदारियों की प्रतिवेदित राशि के साथ-साथ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तारीख में आकस्मिक देयताओं को और राजस्व और व्यय की राशि के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है । वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे प्राक्कलन में किसी संशोधन को उसी अवधि में जिस में इसे निर्धारित किया गया है में स्वीकार की जाती है ।

2.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान:</u>

2.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पत्तियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख को अव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

2.3 <u>क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>

2.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर एसएंडटी,पीआरई,ईएमएससी,सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त व परिसंपत्ति निर्माण में उपयोगित कतिपय अनुदान/निधि को परिसंपत्ति कोष के रूप में मानते हुए मूल्यह्रास को परिसंपत्ति कोष लेखा में नामे लिखा जाता है । अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उन्हीं का होता है जिनसे अनुदान प्राप्त किया गया है ।

2.3.2 नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर प्राप्त अनुदान/निधि का प्राप्ति और संवितरण के आधार पर हिसाब रखा जाता है ।

3.0 स्थायी परिसंपत्तियां :

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण-लागत, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत व नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति हेतु उपगत खर्च शामिल है।

3.2 संयंत्र एवं यंत्र :

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 रेलवे साइडिंग:

टिप्पणी संख्या 12 दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" के तहत पूंजी के लिए अग्रिम के तहत रेलवे अधिकारियों को **रेलवे साइडिंग** के लिए लंबित संचालन के लिए भुगतान करदिया गया।

3.4 विकास:

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता हैः

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो,जो भी घटना पहले हो

3.5 **पट्टे:**

i.5.1 संचालित पट्टा

i. पट्टे पर दी गयी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नीति के अनुसार पूंजीकृत एवं मूल्यह्रास किया जाएगा। प्राप्त पट्टा किराया, पट्टा अवधि में आय समझा गया है।

ii. पट्टे पर ली गयी परिसंपत्ति के लिए चुकाए गए पट्टा किराया को पट्टा अवधि की में व्यय समझा गया है

i.5.2 वित्त पट्टा

i. वित्त पट्टे पर ली गयी परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के निम्न दर पर पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकृत राशि के बराबर की राशि पट्टा देनदारी के रूप में प्रदर्शित की जाती है।

पट्टा किराया में मुख्य अवयव का पट्टा देनदारी के बदले समायोजन किया जाता है और साझा अवयव को वित्त लागत के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण के लिए अधिभार दिया जाता है।

मूल्यह्रास नीति के अनुसार परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया गया है। यदि पट्टाकृत संपत्ति पट्टा-कर्ता को अवधि समाप्त होने पर वापस करने लायक हो तो इसके उपयोगी समय या पट्टा अवधि, जो भी कम हो, पर पूरी लागत का ह्रास हो जाता है।

ii. वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तीया पट्टाकृत परिसंपतिया में निवल विनिमय के समतुल्य राशि के पट्टा प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा । पट्टा प्राप्ति के मूल अवयव को बाहरी प्राप्त पट्टे के बदले समायोजित किया जाता है और ब्याज को आय समझा जाता है।

4.0 **पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च:**

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लागातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक माल सूची में रखा जाता है।

5.0 **निवेश:**

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है।
गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, दीर्घावधि निवेश के मूल्य में, अस्थायी के इतर, कमी आने पर जारी राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 **वस्तु सूची:**

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉक पर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा सफल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मिडलिंग्स और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 **भंडार और पुर्जो** :

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जों का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और क्षेत्रों के भंडारों में भंडार और पुर्जों (इसमें खुले पुर्जे भी शामिल हैं) के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जों की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है। उसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्रियों व केन्द्रीय चिकित्सालय में औषधियों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

6.2.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100-प्रतिशत की दर से और 5-वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जों के लिए 50-प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

7.0 **मूल्यह्रास/परिशोधन :**

7.1 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की दर निर्धारित की गई है । इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, जिनका मूल्यह्रास दर तकनीकी आधार पर आकलित उपयोगिता जीवनकाल के अनुसार किया गया है और जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित परिकल्पना से कमतर है ताकि अधिक सही और निष्पक्ष ह्रास दर वर्णित किया जा सके -

दूरसंचार उपकरण	:-	6 वर्ष और 9 वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:-	3 प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	3 प्रति वर्ष
डिजिटल संवर्धित कॉर्डलेस टेलीफोन	:-	3 प्रति वर्ष
प्रिंटर और स्कैनर	:-	3 वर्ष
भू विज्ञान संग्रहालय	:-	19 वर्ष
उच्च मात्रा के श्वसन धूल प्रतिदर्शक	:-	3 वर्ष
कतिपय उपकरण/एचईएमएम	:-	7 वर्ष व 6 वर्ष, जो भी लागू हो
एसडीएल (उपकरण)	:-	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण)	:-	6 वर्ष

7.2 अनुच्छेद 7.3 में वर्णित परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए उनकी मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में विचार किया गया है ।

7.3 परिसंपत्ति, नामश: कोयला-टब, वाइंडिंग-रोप, हॉलेज रोड, स्टोविंग पाइप, तथा सेफ्टी लैंप के मामलों में शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है ।

7.4 वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों का, उनके जुड़ाव/निपटान के माह के अनुसार, यथानुपात मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, सिवाय अनुच्छेद-7.3 में दर्ज उन परिसंपत्तियों के, जिनकी उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष और अवशिष्ट मूल्य शून्य हो तथा जुड़ाव के वर्ष में उनका पूर्ण मूल्यहास किया जाता है। पूर्ण मूल्यहास लगने वाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाता है ।

7.5 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.6 पूर्वेक्षण, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया गया है।

7.7 सॉफ्टवेयर लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानते हुए इसका ऋणशोधन सीधी रेखा प्रणाली से तीन वर्षों या उपयोग करने की वैधता अवधि मे से जो भी कम हो के अनुसार शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित किया गया है ।

8.0 <u>परिसंपत्ति की हानि:</u>

परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 <u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तिथि के विनिमय दर पर प्रारम्भिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है।

मौद्रिक मद विदेशी मुद्रा नामाकर्ण (denominated) है (जेसे - नगद, प्रात्य, भुगतान योग्य इत्यादि) जो रिपोटिंग अवधि के अंत में बकाया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया को रिपोर्टिंग आवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर मानकर मुद्रा में बदलाव (Translated) किया जाता है।

गैर मौद्रिक मद जो विदेशी मुद्रा नमाकर्ण (denominated) है (जैसे निवेश स्थायी परिसंपत्तियों) का मूल्य लेनदेन की तिथि को प्रचालित दर के अनुसार किया जायेगा ।

मौद्रिक मदों के निपटारों के समय उठानेवाले विनिमय के अंतर या मौद्रिक मद के रिपोटिंग के समय दर में अंतर जो प्राथमिक रूप से अवधि के दौरान दर्ज की गई थी या जिसे गत वित्तीय विवरणी में रिपोर्ट किया गया था उसे आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी जिस समय यह उत्पन्न होगी ।

क्रॉस मुद्रा स्वैप विकल्प अनुबंध द्वारा समाहित लेन-देन का भविष्य में निपटारा किया जायेगा जो तुलन पत्र में अंतर्निहित विदेश मुद्रा में प्रचलित दर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न परिणाम को निपटारे की तिथि से लेखांकित किया जाता है।

10.0 <u>कर्मचारी लाभ</u>:

10.1 अल्प अवधि के लाभ

अल्प अवधि के सभी कर्मचारी लाभ को जिस अवधि के है, मान्यता दी गई है ।

10.2 रोजगार के बाद लाभ एवं अन्य दीर्घ अवधि के कर्मचारी लाभ ।

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा हितलाभ योजना और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **राजस्व मान्यता:**

11.1 **विक्रय**

क. जब स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार के साथ सामाग्री के रूप मे संपत्ति को खरीददार को स्थानांतरित की जाती है, तब विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता दी गई है और यहाँ इसके व्यवहार्यता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

ख. कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

11.2 ब्याज

बकाया राशि और लागू दर पर समय अनुपात के तहत ब्याज को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

11.3 **लाभांश:**

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो ।

11.4 अन्य दावे

जब दावों की वास्तविकता सुनिश्चित हो तो अन्य दावों (ग्राहको की ओर से विलंबित ब्याज सहित) का लेखांकन किया जाता है।

12.0 उधारी लागत:

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित उधार लागत को पूंजीकृत किया गया है। अर्हक संपत्ति वह होती है जो अभिप्रेरित उपयोग के लिए तैयार होने में समय लगता है। अन्य उधार लागत उत्पन्न अवधि में व्यय समझे गए है।

13.0 **कराधान**:

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में रिवर्सल्स की क्षमता रखता हो।

14.0 प्रावधान, **आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपातियाँ :**

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन तैयार किया जाए। प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो मान्यता दी गई है और न ही घोषित किया गया है।

15.0 प्रति अंश अर्जन (Earning per share)

प्रति अंश मूल अर्जन की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को उस अवधि के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति अंश डाइल्यूटेड अर्जन की कुल संख्या कर पश्चात लाभ को वेटेड इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। इसे डिराइविंग प्रति शेयर मूल अर्जन के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा इक्विटी शेयर की औसत संख्या के रुप में वेटेड किया जाता है। इसे सभी डाइल्यूटेड पोटेन्शियल इक्विटी शेयर से बातचीत पर जारी किया जाता है।

16.0 **<u>अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय</u> :**

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है।

रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना में विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर हैः

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	**बदलाव की अनुमेय सीमा**	
	I	**II**
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 **पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय :**

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में ₹ 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है ।

टिप्पणी -34

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1. वित्तीय विवरणियां तैयार करने के आधार

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओड़िशा राज्य में स्थित खदानों की परिसंपातियों एवं दायिताओं को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड की 100 % अनुषंगी के रूप में दिनांक 03 अप्रैल, 1992 को गठित हुआ ।

2. भारतीय लेखांकन मानकों की उपयोगिता:

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 16 फरवरी, 2015 के अपने सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में कुछ श्रेणियों के कंपनीयों के लिए उपयोगी भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसूचित किया है इंड एएस (Ind AS) वर्तमान इंडियन जीएएपी जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढा जाय का स्थापन्न है । एमसीएल और इसकी अनुषंगी कंपनियाँ पर इंड एएस लागू होगी यह 1 अप्रैल, 2016 से शुरू हीनेवाले लेखांकन अवधि पर लागु होगी यह ट्रंजीशन तारीख 1 अप्रैल,2015 के साथ है ।

3. भारतीय लेखांकन मानकों की उपयोगिता :

क) राजस्व मान्यता (एएस-9)

i. जहां राजस्व वसूली की तार्किक सुनिश्चितता हो वहाँ राजस्व की मान्यता दी जाती है। प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता आँकी जाने पर राजस्व मान्यता स्थगित कर दी जाती है।

ii. कर प्राधिकारियों से वापासीं / समंजन का लेखांकन अंतिम आकलन/ निपटारा के आधार पर किया जाता है ।

iii. अंतिम निपटारे के आधार पर लिक्विडेटेड डेमेजेस और दंड की वसूली को लेखांकित किया जाता है।

ख) सब्सिडी (एएस-12) (टिप्पणी सं. 20 देखे)

आधारभूत संरचना विकास के लिए कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण से प्राप्त सब्सिडी को पूंजीगत प्रकृति के लेखाशीर्ष में समायोजित कर लिया गया है। कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण के 34.52 करोड़ रुपए के अनुदान की लंबी अवधि की पूंजी अग्रिम (टिप्पणी-12) से काट लिए गए है और राजस्व के मामले में समूह ने स्टोविंग से रु. शून्य तथा सुरक्षात्मक छूट से शून्य रु.(दिनांक 31.03.2015 तक) स्वीकृत किए और उसे अन्य संचालित राजस्व के अधीन दिखाया गया है।

ग) कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (एएस- 15)

1. ग्रेज्युटी, अर्जित अवकाश, लाइफ कवर स्किम बंदोबस्त भत्ता, कंपनी पर्सनल दुर्घटना बीमा योजना, लीव ट्रैवल कन्सेशन, सेवा निवृत्त अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ, खदान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को बीमांकित आधार पर मूल्यांकन की क्षतिपूर्ति जैसे अन्य कर्मचारी लाभों का वर्ष के अंत में देय है।बीमांकन द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि को कुल देयताएँ रुपए 384.54 करोड़ रुपए है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

   31.03.2016 को बीमांकित दायित्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	01.04.2015 को बीमांकिक दायित्व खुलना	इंक्रीमेंटल दायित्व	31.03.2016 को बीमांकिक दायित्व बंद होना
ग्रेच्चूटी	14.00	(0.19)	13.81
अर्जित अवकाश	187.43	15.49	202.92
अर्धवेतन अवकास	45.08	(4.02)	41.06
अधिकारियों की जीवन बीमा योजना	0.43	(0.01)	0.42
कर्मचारियों की जीवन बीमा योजना	4.88	(0.04)	4.84
अधिकारियों की बंदोबस्त भर्ता	0.27	3.53	3.80
कर्मचारियों की बंदोबस्त भर्ता	15.29	(7.01)	8.28
कंपनी पर्सनल दुर्घटना बीमा योजना	0.11	-	0.11
अधिकारियों की छुट्टी यात्रा रियायत	9.20	1.17	10.37
कर्मचारियों की छुट्टी यात्रा का रियायत	22.81	0.64	23.45
चिकित्सा लाभ	57.73	4.65	62.38
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	0.11	0.11
खान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा	13.08	(0.09)	12.99
कुल	**370.31**	**14.23**	**384.54**

(2) ग्रेच्चूटी: बीमांकित पूर्वधारणा :

ग्रेच्चूटी के लिए फंडेड कर्मचारी लाभ की प्रमाणपत्र के आधार पर घोषणा ।

31.03.2016 के अनुसार ग्रेच्चूटी दायिताओं की बीमांकिक मूल्यांकन
लेखांकन मानक 15 (संशोधित-2005)के अनुसार प्रमाण-पत्र

टेबल 1: मदों का प्रकटीकरण -120 (c) (₹करोड़)

वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	679.69	642.71
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	51.31	48.60
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	49.08	38.42
कटौति लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
प्रदत्त हितलाभ	76.71	70.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-17.37	20.47
31.03.2016 के अनुसार अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	686.00	679.69

टेबल 2: मदों का प्रकटीकरण -120 (e) (₹ करोड़ में)

योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	665.69	659.09
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	53.26	52.73
अंशदान	26.41	17.76
प्रदत्त लाभ	76.71	70.50
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	0.96	6.61
31.03.2016 के अनुसार अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	669.61	665.69

टेबल 3: मदों का प्रकटीकरण -120 (f) (₹करोड़ में)

फंडेड स्थिति	**1.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
31.03.2016 के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	686.00	679.69
31.03.2016 के अनुसार योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	669.61	665.69
फंडेड स्थिति	-16.39	-14.00
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायिताएं)	-16.39	-14.00

टेबल 4: मदों का प्रकटीकरण 120 (g) (₹करोड़ में)

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्तमान सेवा लागत	49.08	38.42
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	51.31	48.60
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	53.26	52.73
कटौती लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत / लाभ का भुगतान	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-18.33	13.86
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	28.80	48.15

टेबल 5: मदों का प्रकटीकरण 120 (i)

बीमांकित पूर्वानुमान	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट
सेवा निवृत्ति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.00%	8.50%
मुद्रास्फीति दर	6.25%	6.25%

परिसम्पत्ति क वापसी	8.00%	8.00%
शेष कार्य जीवन	11 वर्ष	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

टेबल 6: मदों का प्रकटीकरण 120 (o) (₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	14.00	-16.38
उपरोक्तानुसार व्यय	28.80	48.14
अंशदान	26.41	17.76
अंतिम शुध देयताएँ		
31.03.2016 के अनुसार में अंतिम निधि/प्रावधान	16.39	14.00

31.03.2016 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन (ईएल / एचपीएल)

लेखांकन मानक 15 (संशोधित)के अनुसार प्रमाण-पत्र

टेबल 1: मदों का प्रकटीकरण 120 (c) (₹करोड़ में)

वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	232.52	204.63
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	17.58	15.67
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	36.00	41.79
कटौति लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
प्रदत्त हितलाभ	25.64	17.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-16.47	-12.06
31.03.2016 के अनुसार अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	243.98	232.52

टेबल 2: मदों का प्रकटीकरण 120 (g) (₹करोड़ में)

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्तमान सेवा लागत	36.00	41.79
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	17.58	15.67
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत / लाभ का भुगतान	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-16.47	-12.06
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	37.10	45.40

टेबल 5: मदों का प्रकटीकरण 120 (I)

बीमांकित पूर्वानुमान	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट
सेवा निवृत्ति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.00%	8.50%
मुद्रास्फीति दर	6.25%	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	लगुनेही	8.00%
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

टेबल 6 : मदों का प्रकटीकरण 120 (o) (₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	37.10	45.40
अंशदान	0.00	0.00
अंतिम शुद्ध देयताएँ	37.10	45.40
31.03.2016 के अनुसार अंतिम निधि/प्रावधान	243.98	232.52

घ. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)

कंपनी मुख्यत: केवल एक खंडिय व्यापार कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में लगी है। एएस-17 के तहत इसका अन्य कोई पहचान योग्य प्राथमिक खंड नहीं है जिसे चिन्हित किया जा सके।

ङ. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण (एएस-18)

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से संबंध एवं लेन-देन का प्रकटीकरण (एएस-18) के तहत आवश्यक नहीं है।

च. प्रति शेयर आमदनी (एएस-20)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
(i)	**कर पश्चात लाभ (₹करोड़ में)**	4184.72	3554.10
(ii)	**सामान्य शेयर धारियों के प्रति आरोप्य लाभांश (₹करोड़ में)**	4184.72	3554.10
(iii)	**बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सामान्य शेयरों की संख्या (संख्या)**	1864009	1864009
(iv)	**सामान्य शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)**	1000	1000
(v)	**प्रति सामान्य शेयर पर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आमदनी(₹)**	22450.11	19066.97

छ. अनुषंगी कंपनीयों में निवेश (एएस -21)

31.03.2016 के अनुसार अनुषंगी कंपनीयों में निवेश और अन्य चालू खातों की स्थिति नीचे गई है :

अनुषंगी कंपनी का नाम	**अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी**	**गठन का तारीख**	**इक्विटी शेयरों में निवेश (₹** करोड़ में)	**चालू खाते में शेष राशि (₹** करोड़ में)
1) **एमएनएच शक्ति लिमिटेड**	70 %	16.07.2008	59.57	1.11
2) **एमजेएसजे कोल लिमिटेड**	60%	13.08.2008	57.06	7.40
3) **महानदी बेसिन पावर लिमिटेड**	100%	02.12.2011	0.05	16.10
4) **महानदी कोल रेलवे लिमिटेड**	64%	31.08.2015	0.03	2.08
कुल			**116.71**	**26.69**

सभी अनुषंगी कंपनी विकास के चरण में हैं ।

ज. कर एवं आय के लेखे (एएस -22)

(i) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताओं की ऑफसेट की जा रही है जैसा की वे उसी संचालित कर कानूनों द्वारा लगाए आय कर से संबन्धित है।

(ii) 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को आस्थगित कर परिसंपतीयां/(देयताएँ) नीचे दी गई है

(₹ करोड़ में)

	31.03.2016 के अनुसार	**31.03.2015 के अनुसार**
आस्थगित कर देयताएँ		
स्थायी परिसंपत्ति से संबन्धित	**-2.68**	**45.20**
आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
सदिंग्ध ऋण, दावों आदि के लिए प्रावधान	9.15	10.41
कर्मचारी अलगाव और सेवानिवृत्ति	83.52	81.19
अन्य	-278.95	-169.30
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**-186.28**	**-77.70**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयताएँ)	**(183.60)**	**(122.90)**

झ. संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस-27)

समूह और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार के द्वारा 08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निर्गमन किया गया था। 31.03.2016 तक निर्गमन के लिए विविध खर्चों हेतु ₹0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) खर्च किए हैं और उन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है (टिप्पणी-18)। संयुक्त उद्यम कंपनी में 31.03.2016 तक कोई निवेश नहीं है।

ञ. परिसंपत्तियों की हानि (एएस-28)

वर्ष के दौरान भरतपुर खदानों में साइलो के लिए ₹ 9.87 करोड़ की परिसंपत्ति की हानि और निरंतर हानिवाली खदानों से संबन्धित ₹ 0.43 करोड़ लाभ और हानि विवरण में डेबिट किए गए है। (31.03.2015 को ₹ 0.47 करोड़)

ट. आकस्मिक देयताएँ, वचनबद्धताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ (एएस 29)

i)आकस्मिक देयता का ब्योरा निम्नानुसार है:-

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार** ₹ करोड़ में	**31.03.2015 के अनुसार** ₹ करोड़ में
केन्द्रीय सरकार	1396.50	2487.65
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	3378.57	1765.08
सीपीएसई एस	0.00	0.00
अन्य	171.88	151.69
कुल	4946.95	4404.42

ii. तुलन पत्र की तिथि पर ₹ 4.36 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 0.10 करोड़) की राशि के बकाया साख पत्र

iii. कंपनी ने ₹ 13.38 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 66.77 करोड़) की बैंक गारंटी दी है

जिसके लिए समूह की वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए प्रवाह प्रभार (Floating charge) लगाया गया है।

वचनवद्धता:

(i) अप्रदत्त पूंजी खाता में शेष राशि ₹ 650.83 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 893.37 करोड़) का निष्पादन किया जाता है।

(ii) अप्रदत्त राजस्व खाता में बकाया रकम ₹ 3568.37 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 4151.62 करोड़) का निष्पादन किया जाएगा।

3(क) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य: (₹करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
कच्चा माल	शून्य	शून्य
पूँजीगत वस्तुएँ	शून्य	शून्य
भंडार एवं पुर्जों	0.02	0.05

3(ख) भंडार सामग्री की कुल खपत (टिप्पणी की संदर्भ संख्या 22 (₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**		**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	
	₹ करोड़ में	कुल खपत की %	₹ करोड़ में	कुल खपत की %
आयातित	0.02	0.00	0.05	0.01
देशज	542.73	100.00	604.51	99.99
कुल	542.75	100.00	604.56	100.00

3(c). विदेशी मुद्रा में हुए व्यय को लेखा मे दर्शाना: (₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
यात्रा व्यय	0.01	0.04
ब्याज	0.09	0.08
अन्य	शून्य	शून्य

4. निर्देशकों /केएमपीएस की परिश्रमिक: (₹करोड़ में)

पूर्णकालीन निदेशकों के लिए	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
(i) वेतन	1.17	1.09
(ii) भविष्यनिधि और अन्य फंडों के लिए अंशदान	0.16	0.11
(iii) चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
अंशकालिन निर्देशकों के लिए		
(iv) सीटिंग फीस	0.00	0.00
कंपनी सचिव के लिए	0.24	0.20

5. औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के संशोधन का प्रभाव :

बेलपहाड़ और लिंगराज खदानों के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के संशोधन से लाभ पर निवल प्रभाव ₹ 188.07 करोड़ है।

6. बकाया पुष्टीकरण

सभी बैंक बकाया, सभी बड़े ऋण और अग्रिम, ट्रेड रेसिवेबल, लंबी अवधि की देयताएँ और वर्तमान देयताओं के लिए बकाया पुष्टीकरण/ समंजस्य किया गया है। सभी संदिग्ध अपुष्ट बकाया के लिए प्रावधान किया गया है ।

7. आकलन उपपयोग

भारत मे आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के साथ पुष्टि करने में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए कभी-कभी प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो परिसंपतियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय की तिथि पर आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण तथा रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम उन आंकलनों से भिन्न हो सकते है। ऐसे प्राक्कलन के संशोधन को उस वर्ष मान्यता दी गई जिसमे उसका निर्धारण किया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकडों को जहां आवश्यक है पुन: समूहिकरण और पुनर्व्यवस्थित किया गया है। कोष्ठक में रखे आंकड़े पिछले वर्ष के तुलन पत्र के टिप्पणी/अतिरिक्त टिप्पणी तथा लाभ-हानि के विवरण से संबन्धित है।तुलन पत्र के टिप्पणी 1 से 19 तथा लाभ-हानि विवरण में नोट 20 से 32 इसी तिथि 31 मार्च 2016 को समाप्त हुई टिप्पणी-33 महत्वपूर्ण खाता योजनाओं तथा टिप्पणी-34 खाता के अतिरिक्त नोट को प्रस्तुत करता है तथा नोट 1 से 34 हस्ताक्षर को प्रस्तुत करते है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(वीवीके राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
के.के.परीडा
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
(ए.के.झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के
अनुरूप कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:316079ई

हस्ता/-
(सीए एमपी माहापात्र)
भागीदार
(सदस्य संख्या .055113)

स्थान: **भुवनेश्वर**
तिथि: **26.05.2016**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)
A	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**6,260.43**	**5,314.24**
	समंजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	272.51	251.79
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.91	(0.72)
	ओबीआर समायोजन	2,452.00	2,123.53
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,294.05)	(1,286.09)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	1.59	1.44
	लेनदार/वस्तुसूचीअन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि हेतु प्रावधान	188.09	232.69
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**7,881.48**	**6,636.88**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची में बदलाव	44.26	43.71
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	(672.24)	(155.57)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(356.60)	(602.43)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	52.69	(64.66)
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	110.90	513.42
	संचालन से अर्जित नगद	**7,060.49**	**6,371.35**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,113.24)	(3,269.99)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**4,947.25**	**3,101.36**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	**4,947.25**	**3,101.36**
B	**निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(643.73)	(788.93)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	208.55	(114.95)
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	(1,097.33)	450.70
	प्राप्त ब्याज	1,201.76	1,231.11
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	92.29	54.98
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(238.46)**	**832.91**
C	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	-
	आस्थागित जमा ऋण	0.37	(2.35)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(0.91)	0.72
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	वरीयता शेयर पूंजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(1.59)	(1.44)
	प्रदत्त लाभांश	(3,608.45)	(3,841.82)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(3,610.58)**	**(3,844.89)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	1,098.21	89.38
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	10,456.95	10,367.57
	अवधि के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**11,555.16**	**10,456.95**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि ` 558.17 करोड़ (दिनांक 31.03.2015 के अनुसार `508.56 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के पैरा 7.0 का संदर्भ लें)कंपनी के उपयोग हेत् उपलब्ध नहीं है।

ह()/-	ह()/-	ह()/-	ह()/-
(ए.के. सिंह)	(वीवीके राजू)	(के के परिडा)	(ए के झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
		डीआईएन-07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप

कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:316079ई

दिनांक: 26.05.2016
स्थान: भुवनेश्वर

ह()/-
सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
तुलन पत्र
31 मार्च, 2016 के अनुसार

(` करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) **शेयरधारियों की निधियाँ**					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,131.30		4289.64	
			4,317.70		4,476.04
(2) **गैर-चालू देयताएं**					
क) दीर्घावधि उधार	3	7.21		6.90	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		183.60		122.90	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	71.97		53.58	
घ)लंबी अवधि प्रावधान	5	15,387.07		12,791.00	
			15,649.85		12,974.38
(3) **अल्पसंख्यक आंशीदार**			63.62		63.60
(4) **चालू देयताएं**					
क) अल्पावधि उधार	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	304.18		275.27	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	3,184.35		3,120.56	
घ) अल्प अवधि प्रावधान	9	572.31		527.16	
			4,060.84		3,922.99
कुल			**24,092.01**		**21,437.01**
II परिसम्पत्तियाँ					
(1) **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ					
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	6,244.99		5,826.50	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		3,013.84		2,755.66	
निवल कैरिंग मूल्य			3,231.15		3,070.84
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	297.32		288.09	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		212.77		206.61	
निवल कैरिंग मूल्य			84.55		81.48
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10ख		633.30		456.63
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	10ग		370.76		338.91
(ख) गैर-चालू निवेश	11		958.70		958.70
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			-		-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		805.77		553.38
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		529.63		425.42

तुलन पत्र
31 मार्च, 2016 के अनुसार

तुलनपत्र जारी.....

(` करोड़ में)

	टिप्पणियाँ		31/3/2016 के अनुसार		31/3/2015 के अनुसार
(2) **चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) चालू निवेश	14	1,345.00		247.70	
(ख) मालसूची	15	430.50		476.41	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	1,123.16		447.30	
(घ) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	11,611.96		10,514.68	
(ड.) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2,329.25		3,038.17	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	638.28		827.39	
			17478.15		15551.65
कुल			**24,092.01**		**21,437.01**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

कृते, निदेशक मंडल की ओर से

(ए.के. सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआइएन 07015077	डीआईएन -06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

दिनांक : 26.05.2016
स्थान : भुवनेश्वर

(सीएएमपी महापात्रा
भागीदार
सदस्य संख्या - 055113

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
लाभ-हानि विवरण
31 मार्च, 2016 के अनुसार

(` करोड़ में)

आय

	टिप्पणियां	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(I) संचालन से प्राप्त राजस्व			
क. कोयले का विक्रय	20	19,829.58	14,989.05
घटाव: उत्पाद शुल्क		1,183.03	679.56
अन्य उगाही		5,893.58	3,285.07
निवल विक्रय		12,752.97	11,024.42
ख. संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व	20	770.27	704.66
घटाव: उत्पाद शुल्क		41.70	39.71
अन्य उगाही		22.61	20.89
संचालन से प्राप्त निवल राजस्व		705.96	644.06
संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		13,458.93	11,668.48
(II) अन्य आय	21	1,346.28	1,375.14
(III) कुल राजस्व		**14,805.21**	**13,043.62**
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	542.75	604.56
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	38.67	33.62
कर्मिक हितलाभ पर व्यय	24	2,077.96	1,997.10
बिजली एवं ईंधन		123.53	122.59
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	25	184.64	61.30
मरम्मत	26	121.26	107.63
संविदात्मक व्यय	27	1,974.05	1,787.27
वित्तीय लागत	28	1.59	1.44
मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि		289.50	297.11
प्रावधान	29	132.57	123.56
बट्टे खाते डालना	30	0.10	-
ओवरबर्डेन निकासी का समायोजन		2,452.00	2,123.53
अन्य व्यय	31	628.51	479.89
कुल व्यय		**8,567.13**	**7,739.60**
असामान्य मदें, अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ/हानि		**6,238.08**	**5,304.02**
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	(22.33)	(10.22)
अपवादात्मक मदें		-	-
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		**6,260.41**	**5,314.24**
असामान्य मदें (प्रभार / आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/हानि		**6,260.41**	**5,314.24**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
लाभ-हानि विवरण
31 मार्च, 2016 के अनुसार

(` करोड़ में)

आय

	टिप्पणियां	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर पूर्व लाभ/(हानि)		6,260.41	5,314.24
घटाव : कर पर व्यय		2014.99	1697.56
- चालू वर्ष		60.70	94.82
- आस्थगित कर		-	(32.24)
- पूर्ववर्ती वर्ष			
		4,184.72	**3,554.10**
कर पश्चात लाभ/(हानि)			
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (रू में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		22,450.11	19,066.97
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

(ए.के. सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआइएन 07015077	डीआईएन -06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

दिनांक : 26.05.2016
स्थान : भुवनेश्वर

(सीएएमपी महापात्रा
भागीदार
सदस्य संख्या - 055113

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 1

शेयर पूँजी

(` करोड़ में)

		31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 शेयर प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	**500.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	**186.40**

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1864009	100

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	21.93
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	21.93
	-	-
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	8.34
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	8.34
	-	-
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	3261.08	2875.40
बढ़ाव: लाभ/हानि विवरण से अंतरण	209.24	355.41
बढ़ाव/घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	30.27
	3470.32	3261.08
लाभ हानि विवरण में अधिशेष		
गत तुलनपत्र के अनुसार	825.91	2267.17
पूर्व मूल्यह्रास हेतु न्यून समंजन	-	53.99
वर्ष के दौरान कर-पश्चात लाभ/(हानि)	4184.72	3554.10
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ/(हानि)	5010.63	5767.28
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	209.24	355.41
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	-	-
अंतरिम लाभांश	3,608.45	3,841.82
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश पर कर	734.60	744.14
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	-	-
	458.34	825.91
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय	1.54	1.53
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	**4131.30**	**4289.64**

टिप्पणी : सामान्य आरक्षित ` 209.24 (31 मार्च,2015 के अनुसार,`355.41 करोड़) जो कि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ के 5% के रूप में सामान्य आरक्षित में अंतरित किया जाता है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि ऋण

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	-
- जेबीआईसी के लिए	-	-
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	7.21	6.90
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	**7.21**	**6.90**
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	7.21	6.90

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	` करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
-	शून्य	शून्य

2 लिवेर,फ्रांस से 04 हाइड्रोलिक सॉवेल क्रय हेतु बैंक नेस्ले द पेरिस एंड नाटेक्शीस बैंक से ऋण की व्यवस्था क्रेडिट एग्रीमेंट के आधार पर किया गया था। दिनांक 31.03.2016 को बकाया ऋण (भुगतान के पश्चात निवल) रु.7.77 करोड़ (31.03.2015 के अनुसार रु.7.40 करोड़) है ।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है: -

	यूरो	**` करोड़ में**
01.04.2015 को शेष	1104965.12	7.4
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	74113.58	0.54
विनिमय अंतर	-	0.91
31.03.2016 को शेष	1030851.54	7.77

इसमें 2016-17 के दौरान भुगतान योग्य राशि रु.0.56 करोड़ (गतवर्ष रु.0.50 करोड़) शामिल है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -4

(` करोड़ में)

अन्य दीर्घावधि दायिताएं

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव: प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	43.47	26.09
कोयले पर सेस की वापसी	28.50	27.49
कुल	**71.97**	**53.58**

1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.07.2001 के निर्णय के तहत प्राप्त निर्देशानुसार वर्ष 2005-06 में ओडिशा में मूलधन `8.40 करोड़ (शुद्ध भुगतान का) तथा ब्याज `9.47 करोड़ (शुद्ध भुगतान का) कोयले पर सेस में शामिल है। राशि उपभोक्ता को वापस करने योग्य है। कंपनी ने चालू वर्ष में सेस देयता पर अप्रदत्त मूलधन की राशि पर 12% की दर से ब्याज की गणना कर `1.01करोड़ (31.03.2015 को 12 महीने के लिए `1.01 करोड़) उपलब्ध कराया है। इस प्रकार 31.03.2016 को कुल देयता `28.50 करोड़(31.03.2015 को `27.29 करोड़) है। कंपनी उन उपभोक्ताओं/ पक्षों को पहचान नहीं पा रही है जिन्हें राशि लौटानी है संबंधित उपभोक्ताओं/पक्षों को राशि वापस करने के लिए अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

2 प्रबंधन प्रशिक्षुओं से `7.18 करोड़ ब्याज के साथ बॉन्ड राशि प्रत्याभूति जमा के रुप में कटौती की गई ।

टिप्पणी -5

(` करोड़ में)

दीर्घावधि प्रावधान

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	222.64	213.53
- कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ	110.27	110.17
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	14,488.04	12,036.04
खदान बंद करने का व्यय	566.12	431.26
अन्य के लिए	-	-
कुल	**15,387.07**	**12,791.00**

5.1 विभिन्न प्रावधानों की स्थिति नीचे दी गई है:

(` करोड़ में)

	प्रावधान	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	योग/ के लिए दिया गया	भुगतान /समंजित किया गया	अंतिम शेष्
i	उपदान(ग्रेच्युटि) के लिए	14.00	26.22	26.41	13.81
ii	छुट्टी नगदीकरण हेतु	232.51	11.47	-	243.98
iii	कार्मिकों के अन्य लाभ हेतु	123.80	2.95	-	126.75
iv	अधिभार विस्थापन लेखा हेतु	12,036.04	2,452.00	-	14,488.04
v	खदान बंद करने की योजना हेतु	430.47	134.86	-	565.33
vi	भू-सुधार हेतु	0.79	-	-	0.79

5.2 खदान बंदीकरण के लिए प्रावधान :

(क) भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार खदान बंदीकरण योजना बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख ₹560.53 करोड़ के खदान बंदीकरण में ₹135.11 (वर्ष के दौरान ₹3.26 करोड़ तथा खदान के विकास के लिए निलंब खाते अर्जित ब्याज रु.0.13 करोड़ उपलब्ध किया गया है) तथा एमसीपी ब्याज ₹शून्य) प्राप्य व्यय का प्रावधान के लए समायोजन किया गया है। निलंब खाता सभी संचालित 25 खदानों के लिए खोले गए हैं,जिनका अंतिम शेष ₹529.63 करोड़ (31.03.2015 को ₹425.42 करोड़) है,जिसमें ₹38.72 करोड़ (31.03.2015 को ₹37.96 करोड़) अर्जित ब्याज शामिल है।

(ग) ` 9.44 करोड़ की विस्तृत योजना में (`18.21 करोड़ के विभागीय वेतन एवं भत्तों को छोड़कर) ₹0.26 करोड़ के भत्ते एवं वेतन के अलावा चालु वर्ष के खर्च के समायोजन पश्चात देउलबेरा कोलियरी में रेत भराई के माध्यम से अस्थायी कार्य को स्थायीकरण की योजना में `18.21 करोड़ के आकलित विभागीय जनशक्ति की लागत शामिल है, जिन्हें लाभ एवं हानि पर प्रभारित किए गए सामान्य वेतन और व्यय के रूप में अलग से उपलब्ध नहीं किया गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -6

अल्पावधि ऋण :

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का भुगतान	-	-
सीआईएल एवं अन्य अनुषंगी कंपनियों पर शेष	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 2

निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	(` करोड़ में)		गारंटी की प्रकृति
शून्य	**शून्य**		**शून्य**

नगद क्रेडिट : कंपनी ने स्टेट बैंक के पक्ष में परिकल्पना का संयुक्त डीड कर लिया है जिसमें पूंजी निधि एवं गैर निधिक आधार की दोनों कार्यगत पूँजी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेट बैंक और 17 अन्य बैंक शामिल हैं। दिनांक 25.08.2014 के संघीय सहमति के अनुसार कंपनी सहमत है कि एमसीएल द्वारा वर्तमान संपत्तियों पर उक्त बैंकों के पक्ष में रु.165.00 करोड़ परिकल्पना प्रभार लगाकर उक्त सुविधाएं सामानांतर रूप से चलती रहेगी, जिसमें ऋण पुस्तिका कच्चे माल का भंडार, अर्ध एवं पूर्ण सामग्री भंडार एवं पुर्जे, जो संयंत्र ओर मशीनरी से संबंधित ना हो(उपयोग योग्य,भंडार एवं पुर्जे), वर्तमान और भविष्य दोनों संयुक्त रूप से या अलग-अलग शामिल है। कैश,क्रेडिट खाते में (लेखा में) कोई जमा शेष नहीं हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -7

भुगतान योग्य व्यापार

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
माइक्रो इंटरप्राइजेज एवं लघु इंटरप्राइजेज को बकाया देय :	3.85	-
माइक्रो इंटरप्राइजेज एवं लघु इंटरप्राइजेज के अलावा लेनदारों की बकाया देय :	300.33	275.27
कुल :	**304.18**	**275.27**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -8

(` करोड़ में)

अन्य चालू दायितायें :

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	-
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	-
लिभेर फ्रांस एसए, फ्रांस से आवधिक ऋण	0.56	0.50
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से अधिशेष निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.56	**0.50**
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	614.99	640.62
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	170.04	152.35
विद्युत एवं ईंधन	17.90	17.51
अन्य	72.65	44.71
	260.59	**214.57**
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	4.49	2.51
विक्रय कर/वैट	11.92	-
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	9.05	8.99
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	29.62	50.96
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	31.71	37.48
बालू भराई पर उत्पाद शुल्क	38.75	32.90
स्वच्छ ऊर्जा सेस	521.35	126.84
एमएमडीआर अधिनियम,2015 की धारा 9सी के तहत एनएमईटी	6.76	-
एमएमडीआर अधिनियम,2015 की धारा 9बी के तहत एडीएमएफ	59.72	-
अन्य वैधानिक उगाही	1.69	-
	715.06	259.68
स्रोत पर आयकर में कटौती	2.70	3.06
प्रतिभूति जमा	103.55	81.06
बयाना राशि	19.92	17.96
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,396.93	1,837.92
उधार पर प्रोद्धत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्धत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्स ऑनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	-	-
अन्य देयताएं	70.05	65.19
कुल	**3,184.35**	**3,120.56**
टिप्पणी: वर्ष 2016-17 में लिवेर फ्रांस को ऋण का भुगतान	74113.58 यूरो	` 0.56 करोड़

25.03.2013 को आयोजित 296वां निदेशक मंडल,सीआईएल की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में खेलकूद,मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रु.3.04 करोड़ (31.03.2015 को समाप्त वर्ष में रु.3.03 करोड़) कोल इंडिया स्पोर्टस प्रोमोशन एसोसियेशन(सीआईएसपीए) के कोर्पस निधि में दिया गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 9

(` करोड़ में)

अल्पावधि प्रावधान :

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	42.10	46.00
-छुट्टी नकदीकरण	21.34	19.82
- पीपीएलबी	100.35	81.20
- पीआरपी	277.93	271.24
	130.49	108.71
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए	0.10	0.19
कुल	**572.31**	**527.16**

टिप्पणी : कर्मचारियों के अन्य लाभ में 31.03.2016 को 9.84% की दर से देय अधिवर्षिता लाभ रु.114.01 करोड़ शामिल है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -10 क

स्थिर परिसम्पत्तियां

(` करोड़ मे)

	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	30.16	-	-	30.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.16	30.16
(ख) लीज होल्ड	2,298.05	289.10	(3.66)	2,583.49	454.25	79.34	(1.67)	531.92	-	-	-	-	531.92	2,051.57	1,843.80
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं [illegible]	511.34	14.73	(2.37)	523.70	195.29	9.70	(0.16)	204.83	0.34	-	-	0.34	205.17	318.53	315.67
यंत्र एवं संयंत्र	2,455.70	100.28	(15.01)	2,540.97	1,758.00	157.75	(9.81)	1,905.94	14.84	-	-	14.84	1,920.78	620.19	682.86
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	76.98	7.21	(2.35)	81.84	57.47	5.06	(1.78)	60.75	0.01	-	-	0.01	60.76	21.08	19.50
रेलवे साइडिंग	164.51	27.14	-	191.65	106.62	6.75	0.08	113.45	0.10	-	-	0.10	113.55	78.10	57.79
वाहन	32.37	2.41	(0.77)	34.01	19.08	2.09	(0.62)	20.55	0.01	-	-	0.01	20.56	13.45	13.28
दूरसंचार	36.50	3.41	-	39.91	16.30	4.62	-	20.92	-	-	-	-	20.92	18.99	20.20
खनन क्षेत्र में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	201.49	(0.39)	-	201.10	121.34	6.72	0.86	128.92	0.37	-	-	0.37	129.29	71.81	79.78
सर्वेड-आफ परिसम्पत्तियां	19.40	1.08	(2.32)	18.16	-	-	-	-	11.64	0.36	(1.11)	10.89	10.89	7.27	7.76
कुल	**5,826.50**	**444.97**	**(26.48)**	**6,244.99**	**2,728.35**	**272.03**	**(13.10)**	**2,987.28**	**27.31**	**0.36**	**(1.11)**	**26.56**	**3,013.84**	**3,231.15**	**3,070.84**
गत वर्ष															
मूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	5,233.62	642.00	(49.12)	5,826.50	2,431.69	287.63	6.09	2,739.99	28.68	0.10	(1.47)	27.31	2,755.66	3,070.84	2,773.25
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ															
विकास	225.60	8.56	0.29	234.45	156.54	8.34	(3.89)	160.99	11.49	0.43	0.04	11.96	172.95	61.50	57.57
सॉफ्टवेयर	2.67	0.38	-	3.05	2.67	(0.09)	-	2.58	-	-	-	-	2.58	0.47	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	59.82	-	-	59.82	35.89	1.33	-	37.22	0.02	-	-	0.02	37.24	22.58	23.91
कुल	**288.09**	**8.94**	**0.29**	**297.32**	**195.10**	**9.58**	**(3.89)**	**200.79**	**11.51**	**0.43**	**0.04**	**11.98**	**212.77**	**84.55**	**81.48**
सकल जोड़	**6,114.59**	**453.91**	**(26.19)**	**6,542.31**	**2,923.45**	**281.61**	**(16.99)**	**3,188.07**	**38.82**	**0.79**	**(1.07)**	**38.54**	**3,226.61**	**3,315.70**	**3,152.32**
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	284.89	3.48	(0.28)	288.09	183.32	8.70	3.08	195.10	11.08	0.47	(0.04)	11.51	206.61	81.48	90.49

टिप्पणी :

1. कंपनी को कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन और कोयला खान बचाव संगठन से प्राप्त विभिन्न परिसम्पत्तियों और देयताओं की मात्रात्मक विविरण उपलब्ध नहीं है। यदि समंजन है तो,इनकी मात्रा और मूल्य प्राप्त होने पर किया जाएगा।

2. पट्टाधारी जमीन कोयला धारण क्षेत्र(अधिग्रहण ओर विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894,ओडिशा सरकार भूमि निपटारा अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि है। कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि के मालिकाना हक हस्तांतण की अधिसूचना के आधार पर स्वीकृति/अनुमोदन प्रापत होने पर पूँजीकृत किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ,ओडिशा ।

3. अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि का कन्वेयन्स डीड लंबित है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां

31मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -10 ख
पूँजीगत कार्य प्रगति पर

(` करोड़ में)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				मुल्यहास/इंपेयरमेंट	निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	147.01	112.71	(15.01)	244.71	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09	244.62	146.92
यंत्र एवं संयंत्र	274.23	129.36	(41.95)	361.64	12.30	0.86	-	13.16	-	9.87	-	9.87	23.03	338.61	261.93
रेलवे साइडिंग	43.60	1.36	(3.54)	41.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.42	43.60
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	4.18	4.83	(0.36)	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	4.18
कुल	469.02	248.26	(60.86)	656.42	12.39	0.86	**-**	13.25	**-**	**9.87**	**-**	**9.87**	23.12	633.30	456.63
गत वर्ष															
कुल	336.72	259.23	(126.93)	469.02	11.82	0.70	(0.13)	12.39	-	-	-	-	12.39	456.63	324.90

संयंत्र और मशीनरी के मदों के मामले में जिन्हें संयंत्र में स्थापित करना लंबित है तथा भंडार में 3 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं उनके लिए चौथे वर्ष से मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है साथ ही उसे यथाआवश्यक बट्टे खाते डालने की कार्रवाई की जाती है। संयंत्र और मशीनरी के इस तरह के किसी मद, जिसका प्रयोग इसके बाद किया जाता है- जैसे इसके लिए 'बाद में' का प्रावधान किया गया है, प्रथम वर्ष में प्रयोग पर मूल्यह्रास उस वर्ष में मूल्यह्रास के साथ उस मद के लिए किए गए प्रावधान उसके लिए लेखांकन समंजन मूल्यह्रास और इस तरह के प्रावधान के बीच होगा। 31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए रु.0.86 करोड़ का प्रावधान लेखा में रखा गया है जो कुल प्रावधान रु.13.16 करोड़ हो गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां

31मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 10 ग

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2016 के अनुसार	**कुल मूल्यहास /इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
विकास	205.53	60.54	(36.22)	229.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.85	205.53
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	133.38	10.12	(2.59)	140.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.91	133.38
कुल	**338.91**	**70.66**	**(38.81)**	**370.76**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**370.76**	**338.91**
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	273.50	65.59	(0.18)	338.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.91	273.50

टिप्पणी :

1. विकास में बसुन्धरा क्षेत्र में बाकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक के दो-लेन वाली सड़क को चौड़ा करके चार लेन बनाने के लिए राज्य प्राधिकारी के पास रु.47.92 करोड़ की राशि जमा की गई । यह राशि कंपनी की संपत्ति में शामिल नहीं है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (`)	31.03.2016 के अनुसार (` करोड़ में)	31.03.2015 को शेयर/बॉड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2015 को प्रति शेयर/बॉड/ प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य	31/03/2016 के अनुसार (` करोड़ में)
गैर व्यापार (उद्धत)						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तनीय आइआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	20,000	100,000	200.00	20,000	100,000	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	1087537	1,000	108.75	1087537	1,000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त ब	4999	1,000,100	499.95	4999	1,000,100	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	1500000	1,000	150.00	1500000	1,000	150.00
कुल :			**958.70**			**958.70**
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग						
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			993.69			978.68

टिप्पणी :उपरोक्तानुसार गैर-व्यापार(उद्धृत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएव्ही अंकित मूल्य के बराबर हैं।

टिप्पणी - 12

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम :

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
अग्रिम:		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	766.66	513.97
- संदेहास्पद	0.55	0.55
	767.21	514.52
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.55	0.55
	766.66	513.97
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	37.41	37.24
- संदेहास्पद	-	-
	37.41	37.24
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	37.41	37.24
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.66	2.11
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	1.66	2.11
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.04	0.06
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.04	0.06
अन्य के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	1.70	**2.17**
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	**805.77**	**553.38**

टिप्पणी :

1

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कपनियों द्वारा देय (कपानियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2 राज्य सरकार के पास रु.106.48 करोड़(31.03.2015 को 86.223 करोड़) की राशि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि के लिए जमा किया गया है। राज्य सरकार से कब्जा प्राप्त होते ही इसे पूँजीकृत कर दिया जाएगा।

3 रेलवे को अग्रिम के रूप में रु.909.06 करोड़ की राशि दी गई है, इसमें से रु.167.83 करोड़ सीसीडीए अनुदान है (बसुंधरा क्षेत्र के लिए) , अत: शुद्ध अग्रिम रु.741.23 करोड़ दर्शाया गया है। यह अग्रिम राजस्व प्रकृति का है। यह रेलवे साइडिंग अनुरक्षण (राजस्व कार्य) तथा वर्तमान रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए अग्रिम और स्वत: सिग्नलिंग प्रणाली इत्यादि के लिए है, यह कंपनी की संपत्ति नहीं है। अब तक रेलवे द्वारा रु.675.48 करोड़ का उपयोग तुलनपत्र तैयार करने की तिथि तक किया गया है जैसा कि रेलवे ने सूचना दी है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉ

टिप्पणी - 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
खदान बंद करने व्यय हेतु प्राप्ति योग्य	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	0.16	0.16
	0.16	0.16
	-	-
माइन क्लोजर फंड के लिए बैंक के साथ इस्क्रो एकाउंट	529.63	425.42
कुल	**529.63**	**425.42**

1 खदान बंदीकण की निधि के लिए बैंक के पास इस्क्रो एकाउन्ट । 529.63 425.42

2 तीन महीने से अधिक से पड़े बैंक जमा,इसमें 1 महीने से अधिक रोके गए जमा शामिल हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश और कोयला नियंत्रक के साथ हुए समझौते के पश्चात अनुसूचित बैंकों में इस्क्रो एकाउन्ट में खदान बंद करने हेतु तीन महीने से अधिक मैच्यूरिटी के साथ रु.529.63 करोड़ जमा किया गया है।

टिप्पणी :

3

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कपानेयो के नाम सांहेत)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉ

टिप्पणी - 14

चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	शेयर/ बॉड/ प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/ बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	31.03.2016 के अनुसार	शेयर/ बॉड/ प्रतिभूति की संख्या (31.03.2015)	प्रति शेयर/बॉड/प्रति भूति का अंकित मूल्य (31.03.2015)	31.03.2015 के अनुसार
गैर-व्यापार(उद्धत)						
म्यूचुअल फंड में निवेश						
केनारा रोबेको लिक्विड फंड	666,335.16	1005.50	67.00	248,632.52	1,005.50	25.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	8,871,168.70	1003.25	890.00	1,006,728.13	1,003.25	101.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	3,462,666.04	1019.45	353.00	774,927.66	1,019.45	79.00
यूनियन केबीसी	349,772.44	1000.65	35.00	199,869.96	1,000.65	20.00
एलआईसी नोमूरा एमएफ लिक्विड फंड						
व्यापार(अनुद्धत)	-	-	-	-	-	-
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉड (पूर्ण प्रदत्त)						
(विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	113,860.00	1000.00	11.38
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,160.00	1000.00	11.32
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड						
कुल :			**1,345.00**			**247.70**
उद्धत निवेश का योग			1345.00			225.00
अनुद्धत निवेश का योग			-			22.70
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			1346.31			225.60

टिप्पणी :उपरोक्तानुसार गैर-व्यापार(उद्धत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएव्ही अंकित मूल्य के बराबर हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) के आंशिक व्यापार हेतु 8.5% करमुक्त पावर बान्ड जारी करने की मंजूरी दी है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉं

टिप्पणी - 15

वस्तुसूची

(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन)

(` करोड़ में)

		31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	346.82	386.79
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	-
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	**कोयला स्टॉक (निवल)**	**346.82**	**386.79**
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	82.85	89.61
	मार्गस्थ भंडार	2.12	0.85
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	18.89	17.24
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	**भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)**	**66.08**	**73.22**
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	12.10	10.80
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	**कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक**	**12.10**	**10.80**
घ	प्रेस :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ड़	**केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**	0.59	0.69
च	**पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट कोयला**	4.91	4.91
	कुल (क से च तक)	**430.50**	**476.41**

1.वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जो के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पायी गई है। 31.03.2016 को संचयी प्रावधान रु.0.90 करोड(31.03.2015 को रु.0.92 करोड़) हो गया है।

2.उपयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पूर्जे तथा वे पूर्जे जिनका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं किया गया । इसके लिए क्रमश: 100 % एवं 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति(टिप्पणी 33 के अनुच्छेद 6.2.4) के अनुसार रखा गया है। 31.03.2016 को संचयी प्रावधान रु. 17.99 करोड़ (31.03.2015 को रु.16.32 करोड़) हो गया है।

3.कंपनी की लेखांकन नीति(टिप्पणी-33 के अनुच्छेद 6.2.2 में वर्णित) के अनुसार वेटेज औसत तरीके के अनुसार भंडार एवं पूर्जों का मूल्यांकन किया गया है। शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य की सुनिश्चितता में कठिनाई के चलते शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में न तो रखा गया है न समंजित किया गया है।

टिप्पणी -15 का अनुलग्नक

(परिणाम लाख टन में, मूल्य लाख रु. में)

तालिका -क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.15 को प्रारंभिक स्टॉक	125.24	40542.28	-	-	125.24	40542.28
(ख) 5% से अधिक कमी	1.19	1,862.83	-	-	1.19	1,862.83
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	124.05	38,679.45			124.05	38679.45
2. वर्ष का उत्पादन	1,379.01	1,271,637.19	-	-	1379.01	1271637.19
3. उप जोड़ (1+2)	1,504.25	1,312,179.47	-	-	1,504.25	1,312,179.47
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,402.29	1,275,296.82	-	-	1402.29	1275296.82
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	130.22	-	-	0.05	130.22
कुल(क)	1,402.34	1,275,427.04	-	-	1402.34	1275427.04
5. व्युत्पन्न स्टॉक	101.91	36,752.43	-	-	101.91	36752.43
6. मापी गई	99.24	34,303.36	-	-	99.24	34303.36
7. अंतर (5-6)	2.67	2,449.07	-	-	2.67	2,449.07
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	0.20	82.15	-	-	0.20	82.15
(ख) 5% के भीतर कमी	1.61	461.14	-	-	1.61	461.14
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.26	2,070.08	-	-	1.26	2,070.08
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	100.65	34,682.35	-	-	100.65	34682.35

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका: ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	125.24	40,542.28	-	-	-	-	-	-	125.24	40,542.28
5% से अधिक कमी			1.19	1,862.83							1.19	1,862.83
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	124.05	38,679.45	-	-	-	-	-	-	124.05	38,679.45
उत्पादन	-	-	1,379.01	1,271,637.19	-	-	-	-	-	-	1,379.01	1,271,637.19
ऑफ टेक												
	-	-	1,402.29	1,275,296.82	-	-	-	-	-	-	1,402.29	1,275,296.82
(क) बाहर प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	0.05	130.22	-	-	-	-	-	-	0.05	130.22
(ग) स्वखपत												
अंतिम स्टॉक	-	-	101.91	36,752.43	-	-	-	-	-	-	101.91	36,752.43
घटाव: कमी	-	-	1.26	2,070.08	-	-	-	-	-	-	1.26	2,070.08
अंतिम स्टॉक	-	-	100.65	34,682.35	-	-	-	-	-	-	100.65	34,682.35

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जॉ चकी है। कुल क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉ चमें यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो उसे लेखांकन नीति के तहत ध्यान नहीं दिया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (परिमाण टन में)		मापे गए स्टॉक (परिमाण टन में)		% वेरियेंस	
		31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
ओरियेंट	माइन नं.3	0.19	0.21	0.07	0.08	61.74	61.84
	एमबीएम	0.70	0.62	0.40	0.32	42.88	48.06
तालचेर	नंदिरा	1.75	1.12	1.19	0.62	31.98	44.97
	तालचेर	1.54	1.23	1.26	0.97	18.63	20.98
कुल		**4.18**	**3.18**	**2.92**	**1.99**	-	-

उस मामले में जब अंतर +/- 5% से अधिक है, पॉलिशी के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2016 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.26 लाख टन के परिमाण के लिए रु.21.40 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

टिप्पणी - 16

व्यापार से प्राप्य

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	93.68	143.18
- संदेहास्पद	37.76	41.38
	131.44	184.56
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	37.76	41.38
	93.68	143.18
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1029.48	304.12
- संदेहास्पद	-	-
	1029.48	304.12
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	1029.48	304.12
कुल	**1,123.16**	**447.30**

टिप्पणी: व्यापार से प्राप्य में रु.570.00 करोड़ शामिल है जिसे डिबेटरों ने 31.03.2016 तक पुष्टि नहीं की है। चूँकि कंपनी में यह प्रचलन में ही कि वह गत तिमाही की शेष की पुष्टि प्राप्त कर लेती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -- 17

नगद एवं बैंक शेष

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	2,517.53	4,331.27
- चालू लेखा में	226.51	199.47
- नगद जमा लेखा में		-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण		0.35
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.04	0.04
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा में	8,867.88	5,983.55
03 माह से अधिक परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना	-	-
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा		
कुल	**11,611.96**	**10,514.68**
वर्ष में किसी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	Nil	Nil
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जेन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	28.54	83.14
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जमा	1.67	1.54

1. रु.13.35 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट स्टेट बैंक के सहयोग से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने के लिए किया गया ताकि अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लिए ब्लॉक के आबंटन की शर्त को पूरा किया जा सके।

2. रु.1.67 करोड़ जिसमें रु.1.08 करोड़ का बीमांकिक ब्याज शामिल है ,को विशेष मियादी जमा किया गया है। यह राशि सुन्दरगढ़ के माननीय जिला न्यायालय के माध्यम से वसुल हुआ है । यह एक अधिकारी द्वारा डिपालकेशन आफ कैश के कारण हुआ है। यह मामला न्यायालय में लंबित है।

3. बारूद दर ठेका में मूल्य अंतर को न्यायालय के आदेश से वसुली के तहत रु.5.23 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट ।

4. फिक्स्ड डिपोजिट में रु.0.19 करोड़ शामिल है जिसे माननीय उच्च नयायालय के आदेश से मेसर्स आईआरसी लोजिस्टिक्स लिमिटेड के बी जी के नगदीकरण से प्राप्त।

5. फिक्स्ड डिपोजिट में रु.0.03 करोड़ शामिल है जो भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से कैप्टीव मोबाईल रेडियो ट्रेकिंग सर्विस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बैंक गारंटी के लिए है।

6. फिक्स्ड डिपोजिट में रु.0.03 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय,कोलकाता के निर्देश से मेसर्स श्री इन्टरप्राइजेज कोल सेल्स प्रा. लिमिटेड से दंड स्वरूप वसूल किया गया है।

7. फिक्स्ड डिपोजिट में रु.7.87 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय ,कटक के अंतरिम आदेश से मेसर्स विडियोकोन इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. के बीजी नगदीकरण(एफएसए) से प्राप्त हुई है।

8. फिक्स्ड डिपाजिट में रु.0.15 करोड़ शामिल है जो माननीय उच्च न्यायालय ,कटक के आदेश से मेसर्स श्री महावीर फेरो एलायंस प्रा.लि. से 40% टेपरिंग मनी से प्राप्त हुई है

9. शेष चालू खाता में करेन्ट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रूप से चालू खाता से स्थानांतरित किया गया है।

टिप्पणी -- 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	334.82	195.36
- संदेहास्पद	2.10	2.10
	336.92	197.46
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.10	2.10
	334.82	195.36
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	0.29
- संदेहास्पद	-	-
	-	0.29
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	0.29
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	5,378.17	5,737.42
घटाव : आयकर हेतु प्रावधान	3,833.29	3,557.86
	1,544.88	2,179.56
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	36.63	28.60
- संदेहास्पद	-	-
	36.63	28.60
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	36.63	28.60
	1,581.51	**2,208.45**
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	48.71	65.75
- संदेहास्पद	-	-
	48.71	65.75
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	48.71	65.75
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	347.81	556.36
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.03	0.51
- संदेहास्पद	-	-
	0.03	0.51
घटाव :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.03	0.51
पूर्व प्रदत्त व्यय	16.37	11.74
	412.92	**634.36**
कुल	**2,329.25**	**3,038.17**

टिप्पणी

1

	अंतिम शेष		किसी भी समय अधिकतम शेष राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
एक ही प्रबंधन के तहत कंपनियों का बकाया				
-एमजेएसजे कोल लिमिटेड	7.40	6.04	7.40	6.04
- एमएनएच शक्ति लिमिटेड	1.11	0.63	1.11	0.63
- एमबीपीएल	16.10	13.40	16.1	13.40
- एमसीआरएल	2.08	-	2.08	-
इच्छुक कर्पानेयों के निदेशकों का पार्टियों के साथ बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियॉं

टिप्पणी -- 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-निवेश पर	34.38	33.29
- बैंकों में जमा पर	486.75	559.50
- अन्य पर	2.17	2.59
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा		
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	112.58	230.88
	-	-
अन्य	112.58	230.88
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ		
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	2.40	1.13
	-	-
	2.40	1.13
कुल	**638.28**	**827.39**

टिप्पणी -20

संचालन से राजस्व

(` करोड़ मे)

		31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
क	**कोयले का विक्रय**	19829.58	14989.05
	घटाव: उत्पाद शुल्क	1183.03	679.56
	घटाव: अन्य उगाही		
	रॉयल्टी	1694.82	1395.72
	कोयले पर सेस	19.97	
	स्टोइंग उत्पाद शुल्क	223.80	
			-
		140.23	123.00
	केंद्रीय विक्रय कर	187.75	124.80
	स्वच्छ ऊर्जा सेस	3065.26	1179.14
	राज्य विक्रय कर/वैट	499.62	404.16
	ओड़िशा प्रवेश कर	62.13	58.25
	कुल उगाही	**7,076.61**	**3,964.63**
	निवल विक्रय (क)	**12,752.97**	**11,024.42**
ख	कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार	-	-
ग	बालू भराई तथा सुरक्षात्मक कार्य हेतु	-	-
घ	लोडिग तथा अतिरिक्त परिवहन प्रभार पर अनुदान	770.27	704.66
	घटाव : उत्पाद शुल्क	41.70	39.71
	घटाव : अन्य उगाही	22.61	20.89
	अन्य संचालन राजस्व (ख)	705.96	644.06
ङ	**संचालन से प्राप्त राजस्व (क + ख)**	13,458.93	11,668.48

टिप्पणी कोयले की बिक्री के तहत अंतर उत्पाद शुल्क रु.339.89 करोड़ तथा परिणामी वृद्धि राज्य का बिक्री कर/वैट रु.9.70 करोड़ केंद्रीय बिक्री कर रु.2.80 करोड़ तथा प्रवेश कर रु.1.48 करोड़ भी शामिल किए गये हैं,जो कि पहले की अवधि से संबंधित है, अतिरिक्त महाधिवक्ता,भारत सरकार ने 5 जून,2015 को मांगी गई राय के आधार पर 01 मार्च,2011 से तत्संबंधी प्रभावी उत्पादन शुल्क आकलन हेतु लेन-देन मूल्य के आने तक उक्त अवधि के निमित्त स्वीकार्य किया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉं

टिप्पणी -21

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांस	-	-
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बाँड) (व्यापार) से	-	3.38
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बाँड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.92	70.72
चालू निवेश से आय		
म्युचुअल फंड निवेश से लाभांश	92.29	54.98
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बाँड) (व्यापार) से	1.45	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बाँड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1042.62	1123.14
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.01	0.06
आयकर वापसी से	42.21	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	44.56	33.87
अन्य	5.20	8.06
शीर्ष प्रभार	-	-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.94	0.92
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	-	-
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	-	1.79
विनियम दर में अंतर	1.30	1.27
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	(0.01)	1.04
राइट बैक की देयता	-	-
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	43.79	75.91
अन्य-गैर संचालन आय		
कुल	**1,346.28**	**1,375.14**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -22

खपत सामग्रियों की लागत

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	107.14	113.64
लकड़ी	0.34	0.22
पीओएल	261.53	304.68
एचईएमएम पुर्जे	116.92	124.51
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	56.82	61.51
कुल	**542.75**	**604.56**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -23

तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	346.82	386.79
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
कुल (1)	346.82	386.79
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	386.79	418.53
घटाव : कोयले का क्षरण	-	
कुल (2)	386.79	418.53
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	39.97	31.74
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	12.10	10.80
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	12.10	10.80
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	10.80	12.68
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	10.80	12.68
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	(1.30)	1.88
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्ताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	**38.67**	**33.62**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -24

कर्मचारी हित लाभ व्यय

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1497.23	1410.53
अनुग्रह राशि	111.11	90.63
पीआरपी	30.47	38.93
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	195.69	186.30
उपदान	26.19	48.03
छुट्टी नकदीकरण	59.93	71.56
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0.27	0.01
कामगार क्षतिपूर्ति	0.03	0.55
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा	39.45	38.79
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	6.80	1.26
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	27.77	21.85
खेल व मनोरंजन	3.84	5.48
कैंटीन व क्रैच	1.06	0.91
विद्युत - टाउनशिप	57.53	60.19
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.17	3.37
अन्य कर्मचारी लाभ	17.42	18.71
कुल	**2,077.96**	**1,997.10**

1. भविष्य निधि अंशदान राशि तथा अन्य निधि रु.195.69 करोड़ है जिसमें रु.3.92 करोड़ एनसीडीसी के भूतपूर्व कर्मचारी को भुगतान की गयी है जो कर्मचारी लाभ से संबंधित व्यय के अंतर्गत राजस्व के रूप में प्रभारित है।
2. कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित पेंशन प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकरण (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा निष्पादित किया जाता है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -25

सीएसआर पर व्यय

(` करोड़ में)

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय	184.64	61.30
कुल	**184.64**	**61.30**

समूह द्वारा वर्ष के दौरान खर्च किया जाना आवश्यक है: `165.64 करोड़ (जिसमें गत तीन वर्षों के औसत लाभ की 2% राशि क्रमश: ` 112.97करोड़ एवं `52.67करोड़ वर्ष 2014-15 के लिए खर्च न की गई शामिल है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉं

टिप्पणी -26

(` करोड़ में)

मरम्मतें

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
भवन	69.89	66.39
संयंत्र एवं यंत्र	47.67	38.07
अन्य	3.70	3.17
कुल	**121.26**	**107.63**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -27

(` करोड़ में)

संविदात्मक व्यय

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
- बालू	-	-
- कोयला एवं कोक	1,049.78	981.81
- भंडार एवं अन्य आदि	-	-
वैगन लदाई	70.53	74.33
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	799.57	662.87
अन्य संविदात्मक कार्य	54.17	68.26
कुल	**1,974.05**	**1,787.27**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -28

(` करोड़ में)

वित्तीय लागत	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.09	0.08
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	1.50	1.36
कुल(क)	1.59	1.44
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी प	-	-
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	-
कुल(ख)	-	-
कुल (क+ख)	**1.59**	**1.44**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -29

(` करोड़ में)

प्रावधान

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध	0.26	6.66
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	1.67	2.40
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	134.40	115.41
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.86	-
अन्य	-	-
कुल (क)	**137.19**	**124.47**
(ख) रिटेन बैक के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	3.88	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	0.24
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.74	0.67
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल (ख)	**4.62**	**0.91**
कुल (क-ख)	**132.57**	**123.56**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -30

(` करोड़ में)

बट्टे खाते डालना

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	0.10	-
कुल	**0.10**	**-**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -31

(` करोड़ में)

अन्य व्यय	**31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
यात्रा व्यय		
- घरेलू	19.06	13.28
- विदेशी	0.01	0.04
प्रशिक्षण व्यय	10.82	8.94
दूरभाष एवं डाक खर्च	3.68	3.07
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.35	3.79
भाड़ा प्रभार	0.09	0.08
डेमरेज	3.07	2.23
दान /अभिदान	0.07	0.06
सुरक्षा व्यय	60.86	57.29
सीआईएल का सेवा प्रभार	69.14	60.69
भाड़ा प्रभार	34.44	32.23
सीएमपीडीआई व्यय	27.53	20.29
विधिक व्यय	1.37	1.28
बैंक प्रभार	0.01	0.01
गेस्ट हाऊस व्यय	2.41	1.86
परामर्श प्रभार	2.37	1.18
अंडरलोडिंग प्रभार	30.55	16.38
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.15	0.74
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परिक्षा फीस	0.21	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के विधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.05	0.07
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.35	0.27
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	1.85	2.12
पुनर्वास प्रभार	84.13	73.81
रायल्टी एवं सेस	0.20	0.18
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5.77	(9.11)
किराया	0.82	0.82
दर एवं कर	12.25	35.61
बीमा	0.36	0.34
विनियम दर में अंतर से हानि	0.91	-
पट्टा किराया	0.02	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	3.06	2.51
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.24	0.29
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	52.78	42.76
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.06	0.05
संपत्ति कर	-	0.11
आर एंड डी व्यय	2.07	22.92
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण पर व्यय	12.44	12.78
	181.96	70.75
कुल	**628.51**	**479.89**

1. विदेशी मुद्रा के उछाल के अनुसार क्रेडिट के बदलाव की स्थिति में रुपया के अनुसार कंपनी ने क्रेडिट/लोन की इस भिन्नता में रु.0.91 करोड़ की वृद्धि की है(31.03.2015 के अनुसार रु.1.79 करोड़ की भिन्नता विनिमय दर से प्राप्त नोट-21) को विनिमय दर भिन्नता का नुकसान के रूप में दर्शाया गया है।

2. रु. 125.00 करोड़ विविध व्यय में सम्मिलित है यथा राज्य प्राधिकारी को जल कर का भुगतान ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियॉ

टिप्पणी -32

(` करोड़ में)

पूर्वावधि समंजन

	31/3/2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	2.53	0.11
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
(ख) आय	**2.53**	**0.11**
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	14.76	7.85
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	2.93	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	1.43	-
संविदात्मक व्यय	4.81	-
अन्य व्यय	0.29	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	0.64	2.48
कुल (ख)	**24.86**	**10.33**
कुल (क-ख)	**(22.33)**	**(10.22)**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां

31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**6,260.41**	**5,314.24**
	समायोजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	274.21	253.51
	प्रारंभिक व्यय	(0.01)	
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.91	(0.72)
	ओबीआर समायोजन	2,452.00	2,123.53
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,294.05)	(1,286.09)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	1.59	1.44
	लेनदार/वस्तुसूचीअन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि प्रावधान	188.11	232.56
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन से लाभ:	**7,883.17**	**6,638.47**
	समंजन:		
	वस्तुसूची में बदलाव	44.26	43.71
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	(672.24)	(155.57)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(356.60)	(602.44)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	54.82	(63.64)
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	111.03	513.53
	संचालन से अर्जित नगद	**7,064.44**	**6,374.06**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,114.91)	(3,270.85)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**4,949.53**	**3,103.21**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल प्रवाह	**4,949.53**	**3,103.21**
ख	**निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	(646.97)	(793.79)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	208.55	(114.95)
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	(1,097.30)	450.70
	प्राप्त ब्याज	1,201.76	1,231.11
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	92.29	54.98
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(241.67)**	**828.05**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	-
	आस्थागित जमा ऋण	0.37	(2.35)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(0.91)	0.72
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	वरीयता शेयर पूँजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(1.59)	(1.44)
	प्रदत्त लाभांश	(3,608.45)	(3,841.82)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(3,610.58)**	**(3,844.89)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	1,097.28	86.37
	वर्ष के प्रारंभ में नगद एवं नगद सतमुल्य	10,514.68	10,428.31
	अवधि के अन्त में नगद एवं नगद समतुल्य	**11,611.96**	**10,514.68**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि 558.17 करोड़ (दिनांक 31.03.2015 के

अनुसार 508.56 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के पैरा 7.0 का संदर्भ लें)

कंपनी के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(,ए.के.सिंह)	(वीवीके राजू)	(के.के. परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन- 07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

दिनांक : 26.05.2016
स्थान : भुवनेश्वर

(सीएएमपी महापात्रा
भागीदार
सदस्य संख्या - 055113

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उसकी अनुषंगिक कंपनी

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा</u>:

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

1.1 प्राक्कलन उपयोग:

आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय प्रबंधन को कभी-कभी वह प्राक्कलन तथा धारणा बनानी होती है जो परिसंपित्तयों व देनदारियों की प्रतिवेदित राशि के साथ-साथ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तारीख में आकस्मिक देयताओं को और राजस्व और व्यय की राशि के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है । वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे प्राक्कलन में किसी संशोधन को उसी अवधि में जिस में इसे निर्धारित किया गया है में स्वीकार की जाती है ।

1.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान:</u>

1.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पत्तियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख को अव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

2.3 <u>क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>

2.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर एसएंडटी,पीआरई,ईएमएससी,सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त व परिसंपत्ति निर्माण में उपयोगित कतिपय अनुदान/निधि को परिसंपत्ति कोष के रूप में मानते हुए मूल्यह्रास को परिसंपत्ति कोष लेखा में नामे लिखा जाता है । अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उन्हीं का होता है जिनसे अनुदान प्राप्त किया गया है ।

2.3.2 नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर प्राप्त अनुदान/निधि का प्राप्ति और संवितरण के आधार पर हिसाब रखा जाता है ।

2.0 स्थायी परिसंपत्तियां :

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण-लागत, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत व नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति हेतु उपगत खर्च शामिल है।

3.2 संयंत्र एवं यंत्र :

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 रेलवे साइडिंग:

टिप्पणी संख्या 12 दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" के तहत पूंजी के लिए अग्रिम के तहत रेलवे अधिकारियों को **रेलवे साइडिंग** के लिए लंबित संचालन के लिए भुगतान करदिया गया।

3.4 विकास:

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता हैः

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो, - जो भी घटना पहले हो

3.5 **पट्टे:**

3.5.1 संचालित पट्टा

i. पट्टे पर दी गयी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नीति के अनुसार पूंजीकृत एवं मूल्यह्रास किया जाएगा। प्राप्त पट्टा किराया, पट्टा अवधि में आय समझा गया है।

ii. पट्टे पर ली गयी परिसंपत्ति के लिए चुकाए गए पट्टा किराया को पट्टा अवधि में व्यय समझा गया है

3.5.2 वित्त पट्टा

i. वित्त पट्टे पर ली गयी परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के निम्न दर पर पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकृत राशि के बराबर की राशि पट्टा देनदारी के रूप में प्रदर्शित की जाती है।

पट्टा किराया में मुख्य अवयव का पट्टा देनदारी के बदले समायोजन किया जाता है और साझा अवयव को वित्त लागत के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण के लिए अधिभार दिया जाता है।

मूल्यह्रास नीति के अनुसार परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया गया है। यदि पट्टाकृत संपत्ति पट्टा-कर्ता को अवधि समाप्त होने पर वापस करने लायक हो तो इसके उपयोगी समय या पट्टा अवधि, जो भी कम हो, पर पूरी लागत का ह्रास हो जाता है।

ii. वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपतीया पट्टाकृत परिसंपत्ति में निवल विनिमय के समतुल्य राशि के पट्टा प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा । पट्टा प्राप्ति के मूल अवयव को बाहरी प्राप्त पट्टे के बदले समायोजित किया जाता है और ब्याज को आय समझा जाता है।

4.0 पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च:

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लागातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक माल सूची में रखा जाता है।

5.0 निवेश:

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है। गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है । तथापि, दीर्घावधि निवेश के मूल्य में, अस्थायी के इतर, कमी आने पर जारी राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 **वस्तु सूची:**

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉक पर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा सफल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मिडलिंग्स और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 **भंडार और पुर्जो** :

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जो का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और क्षेत्रों के भंडारों में भंडार और पुर्जो (इसमें खुले पुर्जे भी शामिल हैं) के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जो की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है। उसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्रियों व केन्द्रीय चिकित्सालय में औषधियों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

6.2.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100-प्रतिशत की दर से और 5-वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जो के लिए 50-प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

7.0 **मूल्यह्रास/परिशोधन**

7.1 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की दर निर्धारित की गई है । इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, जिनका मूल्यह्रास दर तकनीकी आधार पर आकलित उपयोगिता जीवनकाल के अनुसार किया गया है और जो कंपनी अधिनियम

2013 की अनुसूची ।। में वर्णित परिकल्पना से कमतर है ताकि अधिक सही और निष्पक्ष ह्रास दर वर्णित किया जा सके -

दूरसंचार उपकरण	:-	6 वर्ष और 9 वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:-	3 प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	3 प्रति वर्ष
डिजिटल संवर्धित कॉर्डलेस टेलीफोन	:-	3 प्रति वर्ष
प्रिंटर और स्कैनर	:-	3 वर्ष
भू विज्ञान संग्रहालय	:-	19 वर्ष
उच्च मात्रा के श्वसन धूल प्रतिदर्शक	:-	3 वर्ष
कतिपय उपकरण/एचईएमएम	:-	7 वर्ष व 6 वर्ष, जो भी लागू हो
एसडीएल (उपकरण)	:-	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण)	:-	6 वर्ष

7.2 अनुच्छेद 7.3 में वर्णित परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए उनकी मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में विचार किया गया है ।

7.3 परिसंपत्ति, नामश: कोयला-टब, वाइंडिंग-रोप, हॉलेज रोड, स्टोविंग पाइप, तथा सेफ्टी लैंप के मामलों में शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है ।

7.4 वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों का, उनके जुड़ाव/निपटान के माह के अनुसार, यथानुपात मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, सिवाय अनुच्छेद-7.3 में दर्ज उन परिसंपत्तियों के, जिनकी उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष और अवशिष्ट मूल्य शून्य हो तथा जुड़ाव के वर्ष में उनका पूर्ण मूल्यहास किया जाता है। पूर्ण मूल्यहास लगने वाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाता है ।

7.5 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.6 पूर्वेक्षण, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया गया है।

7.7 सॉफ्टवेयर लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानते हुए इसका ऋणशोधन सीधी रेखा प्रणाली से तीन वर्षों या उपयोग करने की वैधता अवधि मे से जो भी कम हो के अनुसार शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित किया गया है ।

8.0 **<u>परिसंपत्ति की हानि:</u>**

परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 **<u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>**

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तिथि के विनिमय दर पर प्रारम्भिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है।

मौद्रिक मद विदेशी मुद्रा नामाकर्ण (denominated) है (जेसे - नगद, प्रात्य, भुगतान योग्य इत्यादि) जो रिपोटिंग अवधि के अंत में बकाया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत बकाया है को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर मानकर मुद्रा में बदलाव (Translated) किया जाता है।

गैर मौद्रिक मद जो विदेशी मुद्रा नमाकर्ण (denominated) है (जैसे निवेश स्थायी परिसंपत्तियों) का मूल्य लेनदेन की तिथि को प्रचालित दर के अनुसार किया जायेगा ।

मौद्रिक मदों के निपटारों के समय उठानेवाले विनिमय के अंतर या मौद्रिक मद के रिपोटिंग के समय दर में अंतर जो प्राथमिक रूप से अवधि के दौरान दर्ज की गई थी या जिसे गत वित्तीय विवरणी में रिपोर्ट किया गया था उसे आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी जिस समय यह उत्पन्न होगी ।

क्रॉस मुद्रा स्वैप विकल्प अनुबंध द्वारा समाहित लेन-देन का भविष्य में निपटारा किया जायेगा जो तुलन पत्र में अंतर्निहित विदेश मुद्रा में प्रचलित दर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न परिणाम को निपटारे की तिथि से लेखांकित किया जाता है।

10.0 **<u>कर्मचारी लाभ</u>:**

10.1 अल्प अवधि के लाभ

अल्प अवधि के सभी कर्मचारी लाभ को जिस अवधि के है, मान्यता दी गई है ।

10.2 रोजगार के बाद लाभ एवं अन्य दीर्घ अवधि के कर्मचारी लाभ ।

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है । इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा हितलाभ योजना और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **राजस्व मान्यता:**

11.1 **विक्रय**

क. जब स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार के साथ सामाग्री के रूप मे संपत्ति को खरीददार को स्थानांतरित की जाती है, तब विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता दी गई है और यहाँ इसके व्यवहार्यता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

ख. कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

11.2 ब्याज

बकाया राशि और लागू दर पर समय अनुपात के तहत ब्याज को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

11.3 लाभांश:

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो ।

11.4 <u>अन्य दावे</u>

जब दावों की वास्तविकता सुनिश्चित हो तो अन्य दावों (ग्राहको की ओर से विलंबित ब्याज सहित) का लेखांकन किया जाता है।

12.0 **<u>उधारी लागत</u>**:

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित उधार लागत को पूंजीकृत किया गया है। अर्हक संपत्ति वह होती है जो अभिप्रेरित उपयोग के लिए तैयार होने में समय लगता है। अन्य उधार लागत उत्पन्न अवधि में व्यय समझे गए है।

13.0 **<u>कराधान</u>**:

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में रिवर्सल्स की क्षमता रखता हो।

14.0 <u>प्रावधान, **आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपातियाँ :**</u>

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन तैयार किया जाए । प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो मान्यता दी गई है और न ही घोषित किया गया है।

15.0 प्रति अंश अर्जन (Earning per share)

प्रति अंश मूल अर्जन की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को उस अवधि के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति अंश डाइल्यूटेड अर्जन की कुल संख्या की गणना कर (टैक्स) पश्चात लाभ को वेटेड इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। इसे डिराइविंग प्रति शेयर मूल अर्जन के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा इक्विटी शेयर की औसत संख्या के रुप में वेटेड किया जाता है। इसे सभी डाइल्यूटेड पोटेन्शियल इक्विटी शेयर से बातचीत पर जारी किया जाता है।

16.0 **<u>अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय :</u>**

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है।

रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना में विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर हैः

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	**बदलाव की अनुमेय सीमा**	
	I	**II**
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 **पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय:**

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में ₹ 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है।

टिप्पणी-34

लेखा पर समेकित अतिरिक्त टिप्पणी

वित्तीय विवरण तयार करने का आधार

1. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मूल कंपनी के रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार हीं अनुसंगी कंपनी का वित्तीय विवरण समेकन में शामिल किया गया है ।
2. वित्तीय विवरण लेखे ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखा के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगियों के लेखे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं और भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर हैं।

समेकन और वित्तीय प्रतिवेदन के उद्देश्य:

(i) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा इसकी चार आनुषंगिक कंपनी के आनुपातिक अंश स्वामित्व के साथ मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड, मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण से संबन्धित है।

(ii) कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखांकन परिसंपत्तियों, देयताओं और आय एवं व्यय जैसी मदों के उसी मूल्य को एक साथ जोड़कर अर्थात लाभ अथवा हानि मे परिणत अंतर-समूह शेष और अंतर-समूह लेनदेन पूर्णत: हटाने के बाद भारत की चार्टेड अकाउंटेड संस्था द्वारा जारी मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण पांतिवात है।

iii. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सूचनात्मक प्रकटन के प्रयोजन और कंपनियों की समेकित स्थिति को बेहतर समझने के मार्गदर्शक के रूप में हैं। प्रयोजन को मान्यता देते हुए, समूह ने केवल उन नीतियों और व्यैक्तिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का प्रकटन किया है जो ओड़िशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और दायताओं को महानदी कोलफील्ड्स द्वारा लेने पर आवश्यक प्रकटन को उचित रूप से दर्शाते हैं।

31.03.2016 को निवेश एवं अन्य चालू खातों की स्थिति निम्न है :

अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	मूल समूह का हिस्सा	गठन की तिथि	**31.03.2016 (₹ करोड़ में)** के समेकित लेखा के तहत माइनॉरिटि इन्टरेस्ट
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला , संबलपुर	70 %	16.07.2008	25.53
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	हाउस संख्या. 42, प्रथम तल , आनंद नगर, हाकिमपरा, अंगुल	60%	13.08.2008	38.07
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	प्लॉट संख्या जी -3 मंचेस्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	100%	02.12.2011	-
4)महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	एमडीएफ़ कक्ष , कॉर्पोरेट ऑफिस, एमसीएल, मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला,संबलपुर	64%	31.08.2015	0.02
कुल				**63.62**

सभी अनुषंगी कंपनियाँ विकासशील स्तर पर है ।

1. भारतीय लेखा मानक की उपयोगिता:

निगम मामले के मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी 2015 के कार्यालयीन राजपत्र की अधिसूचना का अवलोकन करे। इसके द्वारा कंपनी के निश्चित वर्गों में लागू भारतीय लेखांकन मानक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट वर्तमान भारतीय गैप (जीएएपी) का स्थान परिवर्तन करेगा। कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 का नियम 7 पढे। एमसीएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2015 के प्रथम तिथि के साथ भारतीय लेखा मानक 1 अप्रैल 2016 से शुरू हो रही लेखा अवधि के लिए लागू होगा।

2. लेखांकन मानक की उपयोगिता:

क) राजस्व मान्यता (एएस-9)

i. जहां राजस्व वसूली की तार्किक सुनिश्चितता हो वहाँ राजस्व की मान्यता दी जाती है। प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता आँकी जाने पर राजस्व मान्यता स्थगित कर दी जाती है।

ii. कर प्राधिकारियों से वापासीं / समंजन का लेखांकन अंतिम आकलन/ निपटारा के आधार पर किया जाता है ।

iii. अंतिम निपटारे के आधार पर लिक्विडेटेड डेमेजेस और दंड की वसूली को लेखांकित किया जाता है।

ख) सब्सिडी (एएस-12) (टिप्पणी सं. 20 देखे)

आधारभूत संरचना विकास के लिए कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण से प्राप्त सब्सिडी को पूंजीगत प्रकृति के लेखाशीर्ष में समायोजित कर लिया गया है। कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण के 34.52 करोड़ रुपए के अनुदान की लंबी अवधि की पूंजी अग्रिम (टिप्पणी-12) से काट लिए गए है और राजस्व के मामले में समूह ने स्टोविंग से रु. शून्य तथा सुरक्षात्मक छूट से शून्य रु.(दिनांक 31.03.2015 तक) स्वीकृत किए और उसे अन्य संचालित राजस्व के अधीन दिखाया गया है।

ग) कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (एएस- 15)

1. ग्रेज्युटी, अर्जित अवकाश, लाइफ कवर स्किम बंदोबस्त भत्ता, ग्रुप पर्सनल दुर्घटना बीमा योजना, लीव ट्रैवल कन्सेशन, सेवा निवृत्त अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ, खदान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को बीमांकित आधार पर मूल्यांकन की क्षतिपूर्ति जैसे अन्य कर्मचारी लाभों का वर्ष के अंत में देय है।बीमांकन द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि को कुल देयताएँ रुपए 384.54 करोड़ रुपए है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

31.03.2016 को बीमांकित दायित्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	01.04.2015 को बीमांकिक दायित्व खुलना	इंक्रीमेंटल दायित्व	31.03.2016 को बीमांकिक दायित्व बंद होना
ग्रेच्चूटी	14.00	(0.19)	13.81
अर्जित अवकाश	187.43	15.49	202.92
अर्धवेतन अवकास	45.08	(4.02)	41.06
अधिकारियों की जीवन बीमा योजना	0.43	(0.01)	0.42
कर्मचारियों की जीवन बीमा योजना	4.88	(0.04)	4.84
अधिकारियों की बंदोबस्त भर्ता	0.27	3.53	3.80
कर्मचारियों की बंदोबस्त भर्ता	15.29	(7.01)	8.28
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	-	0.11
अधिकारियों की छुट्टी यात्रा रियायत	9.20	1.17	10.37
कर्मचारियों की छुट्टी यात्रा का	22.81	0.64	23.45

रियायत			
चिकित्सा लाभ	57.73	4.65	62.38
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	0.11	0.11
खान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा	13.08	(0.09)	12.99
कुल	**370.31**	**14.23**	**384.54**

(2) ग्रेच्चूटी: बीमांकित पूर्वधारणा :

ग्रेच्चूटी के लिए फंडेड कर्मचारी लाभ की प्रमाणपत्र के आधार पर घोषणा ।

31.03.2016 के अनुसार ग्रेच्चूटी दायिताओं की बीमांकिक मूल्यांकन

लेखांकन मानक 15 (संशोधित-2005)के अनुसार प्रमाण-पत्र

टेबल 1: मदों का प्रकटीकरण -120 (c) (₹करोड़ में)

वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	679.69	642.71
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	51.31	48.60
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	49.08	38.42
कटौति लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
प्रदत्त हितलाभ	76.71	70.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-17.37	20.47
31.03.2016 के अनुसार अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	686.00	679.69

टेबल 2: मदों का प्रकटीकरण -120 (e) (₹ करोड़ में)

योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	665.69	659.09
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	53.26	52.73
अंशदान	26.41	17.76
प्रदत्त लाभ	76.71	70.50
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	0.96	6.61
31.03.2016 के अनुसार अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	669.61	665.69

टेबल 3: मदों का प्रकटीकरण -120 (f) (₹करोड़ में)

फंडेड स्थिति	**1.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
31.03.2016 के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	686.00	679.69
31.03.2016 के अनुसार योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	669.61	665.69
फंडेड स्थिति	-16.39	-14.00
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायिताएं)	-16.39	-14.00

टेबल 4: मदों का प्रकटीकरण 120 (g) (₹करोड़ में)

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्तमान सेवा लागत	49.08	38.42
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	51.31	48.60
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	53.26	52.73
कटौती लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत / लाभ का भुगतान	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-18.33	13.86
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	28.80	48.15

टेबल 5: मदों का प्रकटीकरण 120 (i)

बीमांकित पूर्वानुमान	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट
सेवा निवृत्ति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.00%	8.50%
मुद्रास्फीति दर	6.25%	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	8.00%	8.00%
शेष कार्य जीवन	11 वर्ष	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

टेबल 6: मदों का प्रकटीकरण 120 (o) (₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	14.00	-16.38
उपरोक्तानुसार व्यय	28.80	48.14
अंशदान	26.41	17.76
अंतिम शुध देयताएँ		
31.03.2016 के अनुसार में अंतिम निधि/प्रावधान	16.39	14.00

31.03.2016 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन

(ईएल / एचपीएल)

लेखांकन मानक 15 (संशोधित)के अनुसार प्रमाण-पत्र

टेबल 1: मदों का प्रकटीकरण 120 (c) (₹करोड़ में)

वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	232.52	204.63
अधिग्रहण समंजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	17.58	15.67
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	36.00	41.79
कटौति लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
प्रदत्त हितलाभ	25.64	17.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-16.47	-12.06
31.03.2016 के अनुसार अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	243.98	232.52

टेबल 2: मदों का प्रकटीकरण 120 (g) (₹करोड़ में)

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
वर्तमान सेवा लागत	36.00	41.79
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	17.58	15.67
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत / लाभ का भुगतान	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-16.47	-12.06
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	37.10	45.40

टेबल 5: मदों का प्रकटीकरण 120 (I)

बीमांकित पूर्वानुमान	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट
सेवा निवृत्ति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.00%	8.50%
मुद्रास्फीति दर	6.25%	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	लगुनेही	8.00%
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

टेबल 6 : मदों का प्रकटीकरण 120 (o) (₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	37.10	45.40
अंशदान	0.00	0.00
अंतिम शुद्ध देयताएँ	37.10	45.40
31.03.2016 के अनुसार अंतिम निधि/प्रावधान	243.98	232.52

घ. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)

समूह मुख्यत: केवल एक खंडिय व्यापार कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में लगी है। एएस-17 के तहत इसका अन्य कोई पहचान योग्य प्राथमिक खंड नहीं है जिसे चिन्हित किया जा सके।

ङ. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण (एएस-18)

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से संबंध एवं लेन-देन का प्रकटीकरण (एएस-18) के तहत आवश्यक नहीं है।

च. प्रति शेयर आमदनी (एएस-20)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(i)	**कर पश्चात लाभ (₹करोड़ में)**	4184.72	3554.10
(ii)	**सामान्य शेयर धारियों के प्रति आरोप्य लाभांश (₹करोड़ में)**	4184.72	3554.10
(iii)	**बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सामान्य शेयरों की संख्या (संख्या)**	1864009	1864009
(iv)	**सामान्य शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)**	1000	1000
(v)	**प्रति सामान्य शेयर पर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आमदनी(₹)**	22450.11	19066.97

छ. कर एवं आय के लेखे (एएस -22)

(i) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताओं की ऑफसेट की जा रही है जैसा की वे उसी संचालित कर कानूनों द्वारा लगाए आय कर से संबन्धित है।

(ii) 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को आस्थगित कर परिसंपतीयां/(देयताएँ) नीचे दी गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**
आस्थगित कर देयताएँ		
स्थायी परिसंपत्ति से संबन्धित	**-2.68**	**45.20**
आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
सदिंग्ध ऋण, दावों आदि के लिए प्रावधान	9.15	10.41
कर्मचारी अलगाव और सेवानिवृत्ति	83.52	81.19
अन्य	-278.95	- 169.30
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**-186.28**	**- 77.70**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयताएँ)	**(183.60)**	**(122.90)**

ज. संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस-27)

समूह और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार के द्वारा 08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निर्गमन किया गया था। 31.03.2016 तक निर्गमन के लिए विविध खर्चों हेतु ₹0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) खर्च किए हैं और उन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है (टिप्पणी-18)। संयुक्त उद्यम कंपनी में 31.03.2016 तक कोई निवेश नहीं है।

झ. परिसंपत्तियों की हानि (एएस-28)

वर्ष के दौरान भरतपुर खदानों में साइलो के लिए ₹ 9.87 करोड़ की परिसंपत्ति की हानि और निरंतर हानिवाली खदानों से संबन्धित ₹ 0.43 करोड़ लाभ और हानि विवरण में डेबिट किए गए है। (31.03.2015 को ₹ 0.47 करोड़)

ञ. आकस्मिक देयताएँ, वचनबद्धताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ (एएस 29)

i) आकस्मिक देयता का ब्योरा निम्नानुसार है।

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार** ₹ करोड़ में	**31.03.2015 के अनुसार** ₹ करोड़ में
केन्द्रीय सरकार	1397.58	2489.68
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	3378.57	1765.08
सीपीएसई एस	0.00	0.00
अन्य	171.88	151.69
कुल	4948.03	4406.46

ii. तुलन पत्र की तिथि पर ₹ 4.36 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 0.10 करोड़) की राशि के बकाया साख पत्र

iii. समूह ने ₹ 22.28 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 111.26 करोड़) की बैंक गारंटी दी है जिसके लिए समूह की वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए प्रवाह प्रभार (Floating charge) लगाया गया है।

वचनवद्धता:

(i) अप्रदत्त पूंजी खाता में शेष राशि ₹650.83 करोड़ (31.03.2015 को ₹893.37 करोड़) का निष्पादन किया जाता है।

(ii) अप्रदत्त राजस्व खाता में बकाया रकम ₹ 3568.37 करोड़ (31.03.2015 को ₹4151.62 करोड़) का निष्पादन किया जाएगा।

3(क) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य: (₹करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
कच्चा माल	शून्य	शून्य
पूँजीगत वस्तुएँ	शून्य	शून्य
भंडार एवं पुर्जों	0.02	0.05

3(ख) भंडार सामग्री की कुल खपत (टिप्पणी की संदर्भ संख्या 22 (₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**		**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	
	₹ करोड़ में	कुल खपत की %	₹ करोड़ में	कुल खपत की %
आयातित	0.02	0.00	0.05	0.01
देशज	542.73	100.00	604.51	99.99
कुल	542.75	100.00	604.56	100.00

3(c). विदेशी मुद्रा में हुए व्यय को लेखा मे दर्शाना: (₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
यात्रा व्यय	0.01	0.04
ब्याज	0.09	0.08
अन्य	शून्य	शून्य

4. निर्देशकों /केएमपीएस की परिश्रमिक: (₹करोड़ में)

पूर्णकालीन निदेशकों के लिए	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
(i) वेतन	1.17	1.09
(ii) भविष्यनिधि और अन्य फंडों के लिए अंशदान	0.16	0.11
(iii) चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
अंशकालिन निर्देशकों के लिए		
(iv) सीटिंग फीस	0.00	0.00
कंपनी सचिव के लिए	0.24	0.20

5. औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के संशोधन का प्रभाव :

बेलपहाड़ और लिंगराज खदानों के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के संशोधन से लाभ पर निवल प्रभाव ₹ 188.07 करोड़ है।

6. बकाया पुष्टीकरण

सभी बैंक बकाया, सभी बड़े ऋण और अग्रिम, ट्रेड रेसिवेबल, लंबी अवधि की देयताएँ और वर्तमान देयताओं के लिए बकाया पुष्टीकरण/ समंजस्य किया गया है। सभी संदिग्ध अपुष्ट बकाया के लिए प्रावधान किया गया है ।

7. आकलन उपपयोग

भारत मे आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के साथ पुष्टि करने में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए कभी-कभी प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो परिसंपतियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय की तिथि पर आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण तथा रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम उन आंकलनों से भिन्न हो सकते है। ऐसे प्राक्कलन के संशोधन को उस वर्ष मान्यता दी गई जिसमे उसका निर्धारण किया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकडों को जहां आवश्यक है पुन: समूहिकरण और पुनर्व्यवस्थित किया गया है। कोष्ठक में रखे आंकड़े पिछले वर्ष के तुलन पत्र के टिप्पणी/अतिरिक्त टिप्पणी तथा लाभ-हानि के विवरण से संबन्धित है।

तुलन पत्र के टिप्पणी 1 से 19 तथा लाभ-हानि विवरण में नोट 20 से 32 इसी तिथि 31 मार्च 2016 को समाप्त हुई

टिप्पणी-33 महत्वपूर्ण खाता योजनाओं तथा टिप्पणी-34 खाता के अतिरिक्त नोट को प्रस्तुत करता है तथा नोट 1 से 34 हस्ताक्षर को प्रस्तुत करते है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(वीवीके राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-
के.के.परीडा
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
(ए.के.झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:316079ई

हस्ता/-
(सीए एमपी माहापात्र)
भागीदार
(सदस्य संख्या .055113)

स्थान: **भुवनेश्वर**
तिथि: **26.05.2016**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां

31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (` करोड़ में)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**6,260.41**	**5,314.24**
	समायोजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	274.21	253.51
	प्रारंभिक व्यय	(0.01)	
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.91	(0.72)
	ओबीआर समायोजन	2,452.00	2,123.53
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,294.05)	(1,286.09)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	1.59	1.44
	लेनदार/वस्तुसूचीअन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि प्रावधान	188.11	232.56
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन से लाभ:	**7,883.17**	**6,638.47**
	समंजन:		
	वस्तुसूची में बदलाव	44.26	43.71
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	(672.24)	(155.57)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(356.60)	(602.44)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	54.82	(63.64)
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	111.03	513.53
	संचालन से अर्जित नगद	**7,064.44**	**6,374.06**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,114.91)	(3,270.85)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**4,949.53**	**3,103.21**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल प्रवाह	**4,949.53**	**3,103.21**
ख	**निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	(646.97)	(793.79)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	208.55	(114.95)
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	(1,097.30)	450.70
	प्राप्त ब्याज	1,201.76	1,231.11
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	92.29	54.98
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(241.67)**	**828.05**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	-
	आस्थागित जमा ऋण	0.37	(2.35)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(0.91)	0.72
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	वरीयता शेयर पूँजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(1.59)	(1.44)
	प्रदत्त लाभांश	(3,608.45)	(3,841.82)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(3,610.58)**	**(3,844.89)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	1,097.28	86.37
	वर्ष के प्रारंभ में नगद एवं नगद सतमुल्य	10,514.68	10,428.31
	अवधि के अन्त में नगद एवं नगद समतुल्य	**11,611.96**	**10,514.68**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि 558.17 करोड़ (दिनांक 31.03.2015 के

अनुसार 508.56 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के पैरा 7.0 का संदर्भ लें)

कंपनी के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(,ए.के.सिंह)	(वीवीके राजू)	(के.के. परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन- 07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

दिनांक : 26.05.2016
स्थान : भुवनेश्वर

(सीएएमपी महापात्रा
भागीदार
सदस्य संख्या - 055113